राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ६] द्वितीय विधान सभा के नवम् सत्र, १९६० का २४वां दिवस [संख्या १७

बुधवार, १४ सितम्बर, १९६०

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर ५ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

———

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

———

तारांकित प्रश्नोत्तर

[स्वायत्त शासन, स्वास्थ्य, कृषि, राजस्थान केनाल बोर्ड, पंचायत, सिंचाई, सामुदायिक विकास, श्रम, वन एवं सहकारिता-विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न, श्री माणकचन्द कोठारी।

कुचामन सिटी नगरपालिका के अध्यक्ष के विरुद्ध पारित अविश्वास का प्रस्ताव

५४४. श्री माणिकचन्द कोठारी, (जायल) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि कुचामन सिटी नगरपालिका के अध्यक्ष के विरुद्ध दिनांक २२-७-६० को एस. डी. ओ., परबतसर की अध्यक्षता में नगरपालिका की विशेष बैठक द्वारा राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज़ एक्ट, १९५९ की धारा ६५ (९) के अनुसार सर्वसम्मति से अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जा चुका है ?

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि इस प्रस्ताव को आज तक क्रियान्वित नहीं होने दिया गया है ?

(ग) ऐसा राज्य के किस अधिकारी द्वारा हुआ है ? क्या उसे ऐसा करने का कानूनी अधिकार प्राप्त है ? यदि नहीं, तो क्या सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध शीघ्र ही सख्त कार्यवाही की जायगी ?

(घ) क्या उक्त प्रस्ताव पारित हो जाने के बाद अनाधिकृत रूप से अध्यक्ष द्वारा किये गये सभी कार्य अवैध माने जायेंगे ?

(ङ) क्या अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने के उपरान्त भी अध्यक्ष द्वारा स्थान रिक्त न करके अध्यक्षीय कार्य करते रहना मिसकन्डक्ट नहीं है ? यदि है, तो क्या शीघ्र

Page No.2

(श्री माणिकचन्द कोठारी)

ही मिसकन्डक्ट की कार्यवाही की जाएगी ?

[श्री सम्पतराम (स्वायत्त शासन मंत्री) एवं श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री) दोनों के खड़े होने पर]

डा० बहादुरसिंह (धौलपुर) : एक, एक मंत्री खड़े हों तो ज्यादा अच्छा हो।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सम्पतराम): अध्यक्ष महोदय, इसकी पूरी सूचना उपलब्ध नहीं हुई है। मेरे ख्याल से इसको परसों रख लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : डॉ० बहादुरसिंह।

आयुर्वेद शिक्षण संस्थाओं के निरीक्षण हेतु गठित समिति

५४५. डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(क) क्या यह सत्य है कि राजस्थान इन्डियन मेडीसिन्स बोर्ड ने अपनी बैठक में राजस्थान में आयुर्वेद शिक्षण संस्थाओं के निरीक्षण हेतु किसी समिति का गठन किया था ? यदि हां, तो कब व उसमें कितने व्यक्ति थे ?

(ख) क्या यह भी सत्य है कि उक्त कमेटी ने उदयपुर, पिलानी व सीकर आदि स्थानों पर जाने का कार्यक्रम बनाया था ? यदि हां, तो कार्यक्रम स्थगित क्यों किया गया ?

(ग) क्या यह भी सत्य है कि प्रधानाचार्य, राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, उदयपुर ने बोर्ड को सूचित किया था कि संचालक, आयुर्वेद विभाग की आज्ञा से ही विद्यालय का निरीक्षण कर सकते हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(घ) क्या यह भी सत्य है कि आयुर्वेद विभाग के संचालक ने राजस्थान के स्वीकृत तथा राजकीय विद्यालयों को यह आदेश दिया था कि वह बोर्ड द्वारा नियुक्त कमेटी को जांच न करने दें ? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन में प्रस्तुत करें। यह आदेश क्या राज्य की नीति के अनुकूल है ? यदि हां, तो कैसे ? यदि नहीं, तो आदेशदाता के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) जी हां। दिनांक १५–७–५८ को समिति का गठन हुआ था उसमें, ३ व्यक्ति थे

(ख) जी हां। स्थगित करने का कारण संचालक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर के पत्र में बतलाया गया जिसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ग) जी हां। इसका कारण भी उपरोक्त प्रतिलिपि में बतला दिया गया है।

(घ) जी हां। स्पष्टीकरण अवतरण उपरोक्त प्रतिलिपि में दे दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

डॉ० बहादुरसिंह : क्या यह सत्य है कि यह कमेटी ३ नवम्बर, १९५८ को सरदार-

Page No.3

(डॉ० बहादुरसिंह)

शहर, बीकानेर और रतनगढ़ गई थी और वहां के विद्यालयों की जांच की थी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उन जगहों पर गई थी कमेटी।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या यह सत्य है कि १५–७–५८ को बोर्ड की बैठक में यह तय हुआ था और कमेटी का गठन हुआ था और उस बैठक की प्रोसीडिंग्स कन्फर्मेशन के लिए डाइरेक्टर महोदय के पास गई थी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह तो मैंने अपने जवाब में कहा था कि १५–७–५८ को मीटिंग हुई थी। डाइरेक्टर साहब को प्रोसीडिंग भेजी गई इसकी मेरे पास में इन्फॉर्मेशन नहीं है।

डॉ० बहादुरसिंह : जब डाइरेक्टर साहब के पास प्रोसीडिंग आई उस वक्त डाइरेक्टर साहब ने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया कि इस प्रकार का गठन बोर्ड नहीं कर सकता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : डाइरेक्टर के पास प्रोसीडिंग गई या नहीं, यह मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन इसका गठन जरूर हुआ।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं आपको सूचना देता हूं कि बोर्ड की प्रोसीडिंग १७–७–५८ को भेजी गई थी और यह जो लैटर है डाइरेक्टर साहब का है वह १८–८–६० का है; तो इसका तात्पर्य है कि एक महीने पहले तक प्रोसीडिंग के कन्फर्मेशन के बारे में कोई एतराज नहीं था। इसका क्या कारण ?

श्री अध्यक्ष : श्री लादूराम।

डॉ० बहादुरसिंह : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ने कह दिया कि उनको मालूम नहीं है कि डाइरेक्टर के पास रिपोर्ट गई है या नहीं।

डॉ० बहादुरसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसमें इन्टिग्रिटी यहां यह आती है कि जो आयुर्वेद कॉलेजेज़ और विद्यालय चल रहे हैं उनकी इन्क्वायरी करने के बारे में ३ आदमियों की एक समिति का गठन किया गया है। उसको रोकने के लिए डाइरेक्टर साहब ने एक लैटर इश्यू कर दिया और लिख दिया कि दोहरा खर्च नहीं हो। मेरे पूछने का तात्पर्य यह था कि बोर्ड को इस प्रकार के अधिकार हैं ? वह जांच कर सकता है धारा ४० के अनुसार, तो फिर उसको इस प्रकार से रोकने का क्या अधिकार है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया कि बोर्ड को उसके सदस्यों की समिति गठन करने का व निरीक्षण करने का अधिकार नहीं है। मैंने कानून देख लिया है। इससे पहले भी जब यह विभाग मेरे पास था मैंने देख लिया था, और कल फिर देखा है। धारा ३८ व ३९ में अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं वे उनमें नहीं हैं।

डॉ० बहादुरसिंह : रूल्स में है कि बोर्ड जिन परीक्षाओं का रजिस्ट्रेशन करना चाहता है उन शिक्षा संस्थाओं का निरीक्षण बोर्ड इस प्रकार की समिति का गठन करके कर सकता है।

Page No.4

श्री अध्यक्ष : श्री लादूराम ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : प्रोवीज़न मौजूद है मेरे पास में, पढ़ दूं । उसके अन्तर्गत अधिकार नहीं है । आप चाहें तो आप अलग से कर लें । रूल्स जो बनाये हैं वे अल्ट्रावायर्स हैं । कानून में ऐसा नहीं है और रूल भी कोई बना लिया या दोनों बातें गलत हैं ।

डॉ० बहादुरसिंह : रूल्स अल्ट्रावायर्स हैं तो गवर्नमेंट ने कैसे कन्फर्म कर लिये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरी जानकारी में नहीं है कि गवर्नमेंट ने स्वीकृत किये हैं या नहीं । रूल्स बने हैं लेकिन रूल्स अल्ट्रावायर्स हैं । आपको ३८ व ३९ में ऐसा करने का अधिकार नहीं है । दफा ३८ व ३९ में आप रिपोर्ट मांग सकते हैं कि उनके कोर्सेज़ क्या हैं । और दूसरा इम्तिहान के वक्त वहां जाकर किताबें देख सकते हैं । लेकिन इन्सपेक्शन करने के लिए कमेटी बना दें, यह राइट आपको नहीं है कानून में ।

डॉ० बहादुरसिंह : रूल्स अल्ट्रावायर्स कैसे हो गये ? रूल्स एक्ट के अन्तर्गत आपके लॉ डिपार्टमेंट ने बनाये हैं । यदि अल्ट्रावायर्स थे तो कई सालों पहले क्यों नहीं ठीक किये गये ?

प्रश्न संख्या ५४६

श्री अध्यक्ष : श्री लादूराम सुलाणिया ।

(अनुपस्थित)

श्री किशनाराम ।

कम्पाउन्डर ट्रेनीज़ का पी. एन. आर. सी. नर्सेज़ ट्रेनिंग में अनिवार्य गमन

५४७. श्री किशनाराम (रतनगढ़) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सत्य है कि स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग ने सन् ५८ से कम्पाउन्डर्स की ६ माह की जो ट्रेनिंग चालू की है उसमें यह शर्त रखी है कि ट्रेनीज़ को पी. एन. आर. सी. नर्सेज़ ट्रेनिंग में अनिवार्यतः जाना पड़ेगा और उस समय में उनको सिर्फ अलाउन्स ही दिया जावेगा, तनख्वाह नहीं ?

(ख) इस शर्त के रखने से पहले जिन व्यक्तियों ने ६ माह की ट्रेनिंग प्राप्त कर उक्त विभाग में नियुक्ति प्राप्त कर ली है, क्या उन पर भी यह शर्त लागू होगी ? यदि हां, तो क्यों ?

(ग) क्या सन् ५८ से पहले के नियुक्त कम्पाउन्डर्स ने नियुक्ति से पहले ६ माह बिना वेतन ट्रेनिंग ली थी ?

(घ) यदि नहीं, तो उनमें से कितने कम्पाउन्डर्स पी. एन. आर. सी. ट्रेनिंग में सरकार की तरफ से डेप्यूट किये जा चुके हैं और इस डेप्यूटेशन-काल में उनको क्या सिर्फ अलाउन्स ही दिया गया या तनख्वाह दी गई है ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) जी हां ।

(ख) सन् १९५८ से पहले ६ माह की कम्पाउन्डर्स ट्रेनिंग चालू नहीं थी, अतः यह प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता ।

(डॉ० बहादुरसिंह)

(ग) सन् १९५८ से पहले ६ माह की कम्पाउन्डर्स ट्रेनिंग शुरू नहीं हुई थी, अतः प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

(घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

प्रश्न संख्या ५४८

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

रतनगढ़ अस्पताल में मुफ्त मिलनेवाली दवाइयों की सूची

५४९. श्री किशनाराम (रतनगढ़) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या रतनगढ़ अस्पताल में मुफ्त मिलनेवाली दवाइयों की सूची टंगी है? यदि हां, तो कब से टांगी गई है और किस स्थान पर?

(ख) सन् ५७, ५८ व ५९ में आउटडोर पेशेन्ट्स को कितने रुपये की दवा मुफ्त दी गई और पेशेन्ट्स की संख्या उक्त सालों में कितनी थी?

(ग) इन पेशेन्ट्स में राज्य कर्मचारियों की संख्या कितनी थी?

(घ) चुरू जिले की और दूसरी डिस्पेन्सरीज व अस्पतालों में सन् ५७, ५८ व ५९ में आउटडोर व इन्डोर पेशेन्ट्स की संख्या कितनी थी और क्रमशः इन सालों में रतनगढ़ अस्पताल में कितने रुपये की दवा खर्च हुई?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) जी हां। माह फरवरी, १९५५ से यह सूची रोग निदान कक्ष में टंगी हुई है।

(ख) सन् १९५७, ५८ और ५९ में आउटडोर रोगियों को कितने रुपये की दवाई दी गई, यह बताना असम्भव है। इसका कारण यह है कि इन्डोर व आउटडोर रोगियों की दवा का अलग हिसाब नहीं रखा जाता है। दोनों ही जगह दवाइयां अस्पताल के स्टोर से जाती हैं। रोगियों की संख्या निम्न प्रकार थी:—

सन् १९५७	१९५८	१९५९
७४,७७२	५६,०६५	५९,९०९

(ग) यह बताना असम्भव है, क्योंकि राज्य कर्मचारी होने का कोई इन्द्राज रजिस्टरों में नहीं किया जाता है।

(घ) चुरू जिले की दूसरी डिस्पेन्सरीज़ व अस्पतालों में सन् १९५७, ५८ व ५९ में आउटडोर व इन्डोर रोगियों की संख्या की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है, तथा इन सालों में रतनगढ़ अस्पताल में निम्न धन-राशि दवाइयों पर खर्च हुई थी:—

१९५७-५८ में ७,८२९ रु० ३९ नये पैसे।

१९५८-५९ में १९,८८६ रु० २२ नये पैसे।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

डॉ० **चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या यह सच है कि आजकल अस्पतालों में केवल नुस्खे ही लिख दिये जाते हैं और दवाइयों वहां नहीं दी जाती हैं; इसलिये बाजार से खरीदनी पड़ती हैं?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसका जवाब कई बार दे चुका हूं कि यह बात गलत है।

डॉ० चन्द्रकला : कई बार जवाब दे चुके है तो एक बार और दे दीजिये। आउट-डोर पेशेन्ट्स को ही नहीं बल्कि इन्डोर पेशेन्ट्स को भी नुस्खा लिख दिया जाता है और उनको बाजार से दवाइयां मंगवानी पड़ती हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हमने दवाइयों की लिस्ट लगा दी है; जो फ्री दी जाने की है वह फ्री दी जाती है, बाकी के लिए नुस्खे लिखे जाते हैं। हरेक दवाई तो फ्री नहीं दी जा सकती।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): क्या यह सच है कि चुरू डिस्ट्रिक्ट में दवाइयों के लिए जो धन-राशि दी जाती है वह मरीजों की संख्या को देखते हुए पर्याप्त नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसी कोई शिकायत नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने जो मरीजों की संख्या बताई है उसके अनुपात में जो धनराशि दी गई है क्या वह मरीजों की संख्या देखते हुए अपर्याप्त नहीं है ? ८ लाख की आबादी का जिला है वहां पर आपने १६,००० रुपये रखे हैं जो काफी नहीं हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने चूरू जिले का नहीं बताया है, रतनगढ़ अस्पताल का बताया है।

श्री किशनाराम : आपने बताया कि निदान कक्ष में सूची टंगी हुई है। निदान कक्ष में बीमार अपनी बीमारी की चिन्ता लेकर जाते हैं इसलिए वे वहां जाकर लिस्ट को नहीं देख सकते इसलिये क्या यह सूची किसी आम स्थान पर नहीं टांगी जा सकती ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : निदान कक्ष ही ऐसा स्थान है जहां पर सभी बीमार जाते हैं और उनको वहीं पर देखा जाता है।

श्री किशनाराम : सूची ऐसे स्थान पर होनी चाहिये जहां आम लोग देख सकें।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

श्री किशनाराम : थोड़ा और पूछना चाहता हूं। ५७-५८ में रकम रखी गई थी ७,८२६.३६ नये पैसे और ५८-५६ में रखी गई है १६,८८६.२२ नये पैसे। इसमें इतना अन्तर क्यों है ? एक वर्ष में इतने ज्यादा रुपये क्यों रखे गये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पिछले साल में बीमारों की संख्या को देखकर दवाइयों का ज्यादा प्रोविज़न करना पड़ता है, इसलिए रुपये ज्यादा रखे गये ?

श्री किशनाराम : तो क्या ५७-५८ में इतना अन्तर है तो ६०-६१ के लिए और भी ज्यादा रुपये रखेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पिछले साल के बीमारों की संख्या देख कर दवाइयों के लिए प्रोविज़न किया जाता है।

श्री किशनाराम : पिछले साल कितने बीमार थे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने सूची दी है। ५७–५८ में ७,४७,७३२ बीमार थे इसलिए दवाई के लिए १६,८८६.२२ नये पैसे का प्रोविज़न किया गया।

असिस्टेन्ट फिशरीज़ डेवलपमेन्ट ऑफिसर

५५०. श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) इस वर्ष असिस्टेन्ट फिशरीज़ डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पर कब २ और किन २ की किस २ ऑथॅारिटी द्वारा नियुक्ति हुई है ?

(ख) क्या इन नियुक्तियों के विषय में पब्लिक सर्विस कमीशन को रिक्विज़िशन भेजा था ? यदि नहीं, तो फिर ये डाइरेक्ट नियुक्तियां क्यों की गईं ?

(ग) इन असिस्टेन्ट फिशरीज़ डेवलपमेंट ऑफिसर की नियुक्ति के समय क्या उम्र थी और क्या किसी के सम्बन्ध में उम्र अधिक होने के कारण रिलेक्सेशन करना पड़ा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(घ) इन असिस्टेन्ट फिशरीज़ डेवलपमेंट ऑफिसर्स की क्या क्या योग्यता हैं, तथा जिन पदों पर इनको नियुक्त किया गया है वे कहां २ और कब कब से रिक्त हैं और क्या वे उन्हीं स्थानों पर काम कर रहे हैं ?

(ङ) यदि नहीं, तो कौन २ और क्यों ? क्या इसके लिये सरकार से स्वीकृति प्राप्त करली गई है ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) इस वर्ष कोई नियुक्ति नहीं हुई।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता,

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता :

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

लाल कोठी मोहल्ला (जयपुर) के लोगों को बसाने की योजना

५५१. डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) लालकोठी मोहल्ला (चो. हवाली शहर गरीबी, जयपुर शहर) का कुल क्षेत्रफल कितना है ? इस बस्ती की आबादी कितने घरों की है ?

(२) इस आबादी में कितने सार्वजनिक नल, कितनी बिजली की बत्तियां (रोड लाइट को छोड़ कर) व कितने सार्वजनिक शौचालय हैं ?

(३) क्या यह सच है कि वर्षा ऋतु में युनिवर्सिटी क्षेत्र तक का पानी इस आबादी से होकर बहता है और अधिकांश घरों के भीतर पानी भर जाता है ?

(४) क्या यहां के लोगों ने अपनी कठिनाइयों के सम्बन्ध में एक ज्ञापन स्वायत्त शासन मन्त्री को दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(५) क्या लाल कोठी क्षेत्र की कोई योजना बना कर वहां के लोगों को अच्छी तरह बसाने की बात सरकार के विचाराधीन

Page No.8

(डॉ० चन्द्रकला)

है ? यदि हां, तो वह योजना कब तक क्रियान्वित होगी ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सम्पतराम): (१) क्षेत्रफल लगभग ५ एकड़ है और आबादी करीब १२५ घरों की है।

(२) इस आबादी में बिजली की बत्तियां व शौचालय नहीं हैं। केवल दो सार्वजनिक पानी के नल इस बस्ती के निकट हैं।

(३) जी हां, कुछ घर जो नीचे हैं उनमें अगर वर्षा तेज हो तो पानी आना संभव है।

(४) कुछ समय पहले यहां के निवासियों ने अच्छी बस्ती बसाने के लिये प्रार्थना-पत्र पेश किये थे जिस पर वहां का सर्वे किया गया है।

(५) जगह छोटी सी है और इसके आस-पास काश्तकारों की जमीन व स्टेडियम की जमीन है और इस भूखण्ड की योजना एक बड़ी योजना का ही भाग होगी जिसमें कि स्टेडियम और आस-पास की जमीन भी आती है और लगभग टोंक फाटक व रेल्वे लाइन तक पहुंच जाती है। इस भूमि को अवाप्त करने की कार्यवाही जारी है। योजना के क्रियान्वित किये जाने के सम्बन्ध में अभी कोई तिथि देना संभव नहीं है।

डॉ० चन्द्रकला : आपने प्रश्न (२) के उत्तर में बताया कि यहां पर कोई बिजली की बत्ती और शौचालय नहीं है, सो क्यों नहीं हैं ?

श्री सम्पतराम : इसलिये नहीं है कि वहां पर लगाये नहीं गये हैं।

डॉ० चन्द्रकला : मैं यही तो पूछना चाहती हूं कि जब इतनी बड़ी बस्ती है तो वहां पर बिजली और शौचालय क्यों नहीं हैं ?

श्री सम्पतराम : साधनों को देखते हुए इस भाग को डेवलप करने का मौका नहीं आया है। जब फंड्स होंगे तब विचार किया जायगा।

डॉ० चन्द्रकला : यह कोई गांव नहीं है बल्कि शहर है जिसमें दिक्कत होती है यदि टट्टियां नहीं बनाते हैं और बिजली सरकार नहीं लगाती है!

श्री सम्पतराम : सरकार बना सकती है या नहीं, यह और बात है। बहुत सी ऐसी बस्तियां हैं म्युनिसिपल लिमिट में जहां आबादी हो जाती है वहां शौचालय के लिये फ्लश चाहिये और फ्लश के लिये स्युएज लाइन नहीं है वहां ड्राइ लेट्रिन्स होती हैं। ओपन जंगल पड़ा है, वहां सब लोग टट्टी फिरते हैं।

डॉ० चन्द्रकला : क्या जयपुर में सब जगह स्युएज लाइन हैं और ड्राइ लेट्रिन्स नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह।

सिंचाई से वंचित भूमि पर नहरी मतालबा

५५२. श्री मोहरसिंह (चूरू) : क्या

(श्री मोहरसिंह)

मन्त्री, राजस्थान केनाल विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि भाखरा केनाल की छानी-भांसल-जोगीवाला माइनरों में पानी केवल चौथाई दूरी तक चलता है ?

(ख) क्या यह सही है कि सिंचाई से वंचित रह जाने वाली भूमि पर भी नहरी मतालबा कायम होता जा रहा है ?

(ग) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त माइनरों के नीचे लगने वाली जमीन पर कम पानी आने से सिंचाई से वंचित रह जाने पर भी किश्तों की रकम किसानों के नाम सरकारी कागजों में बकाया रख दी गई है तथा उस पर सूद भी जुड़ता जा रहा है ?

(घ) सरकार उपरोक्त भूमि को कब तक सिंचित करने के लिए पानी पहुंचाने का यत्न कर रही है।

(ङ) क्या सरकार उपरोक्त प्रकार के सूद को काटने का विचार कर रही है ?

(च) अगर हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

वित्त मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय): अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है, आने पर दिया जायगा।

ग्राम जोगीवाला, तहसील भादरा के भूतपूर्व सरपंच श्री रामजीलाल द्वारा चिमनी भट्टों के वास्ते जमीन के पट्टे देने में अनियमितता

५५३. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि ग्राम जोगीवाला, तहसील भादरा, जिला गंगानगर के भूतपूर्व सरपंच श्रीरामजीलाल ने चिमनी भट्टों के वास्ते आबादी की जमीन के पुख्ता पट्टे लोगों को साधारणसी कीमत पर दिये ?

(ख) क्या सरकारी आज्ञा दिनांक २–२–५६ के तहत उनको ऐसा करने का अधिकार नहीं था ?

(ग) यदि हां, तो फिर सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

(घ) क्या इन पट्टों की रकम पंचायत के हिसाब में जमा है ?

(ङ) क्या जो रकम वसूल की गई वह वाजिब है ?

पंचायत मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय): (क) भूतपूर्व सरपंच ने पंचायत का चार्ज नए सरपंच को नहीं दिया है जिससे यह जानकारी नहीं हो सकी।

(ख) २–२–५६ के आदेश के अन्तर्गत राज्य सरकार ने भाखरा प्रोजेक्ट एरिया में भूमि विक्रय करने के अधिकार पंचायतों से वापिस ले लिए थे।

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

(ग) पंचायत का रेकॉर्ड चार्ज में मिलने पर जांच करवाई जायगी, जांच के पश्चात् अनियमितता पाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायगी ।

(घ) प्रश्न (क) के भाग में उत्तर दिया जा चुका है ।

(ङ) प्रश्न के (क) भाग में उत्तर दिया जा चुका है ।

श्री किशनाराम (रतनगढ़) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने (क) का उत्तर दिया है, इसमें और छपे हुए में बहुत अन्तर है ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : क्या अन्तर है ?

श्री किशनाराम : आप पढ़ कर सुनाइये ना; क्या अन्तर है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या आप बातयेंगे कि चार्ज लेने के सम्बन्ध में अब क्या प्रोग्रेस है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : पहले भी सवाल आया था, दो तीन-दिन पहले । तब मैंने कहा था कि दो तरह की कार्यवाही चल रही है । एक तो कलेक्टर, गंगानगर को लिख दिया है और भू० पू० सरपंच के खिलाफ अदालत में कार्यवाही चल रही है । अब नये संशोधन के बाद डिपार्टमेंट को अधिकार मिल गया है, उसके अनुसार भी कार्यवाही चल रही है ।

श्री किशनाराम : भूतपूर्व सरपंच ने चार्ज नहीं दिया है, तो नया सरपंच किस प्रकार सरपंच का काम कर सकेगा ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : काम में कठिनाई पड़ती है, कागज नहीं हैं । उसके लिए कार्यवाही कर रहे हैं ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : विभाग में कब से कार्यवाही प्रारम्भ की गई है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अभी आई है प्रेसिडेन्ट के यहां से, तब से चल रही है ।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : यह नियम बता दें कि बिना चार्ज लिये हुए कोई व्यक्ति पद पर आसीन हो सकता है ?

श्री अध्यक्ष : श्री सोहनलाल भटनागर ।

श्री किशनाराम : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : श्री सोहनलाल भटनागर ।

जयसमन्द की नहरों का पक्का निर्माण

५५४. श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या राजस्थान में ऐसी नहरों को, जिनसे झरन होती है और जमीनें बर्बाद होती हैं, पक्की बनाने का सरकार ने निर्णय लिया है ?

(श्री सोहनलाल भटनागर)

(ख) यदि हां, तो जयसमन्द की नहरें कब पक्की की जायंगी ?

उप मंत्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण): (क) ऐसी नहरों के वे हिस्से जिनसे झरन होती है और जमीनें बर्बाद होती हैं, उन्हें पक्की बनाने का सरकार ने निर्णय लिया है ।

(ख) जयसमन्द की नहरों के उन हिस्सों को पक्का करना शुरू कर दिया है जहां, झरन होती है । कुछ हिस्सों को पक्का करने में अर्सा लगेगा ।

श्री सोहनलाल भटनागर : कितनी रकम लगेगी, कितना अर्सा लगेगा ?

श्री दौलतराम सारण : ५२ लाख रुपये लगेंगे और अर्से के लिए नहीं कह सकता । काफी लम्बी नहरें हैं, काफी समय लगेगा ।

श्री सोहनलाल भटनागर : टेन्टेटिव फेज़िंग बता सकते है ।

श्री दौलतराम सारण : मेरे ख्याल से इतने सरसरी तौर से 'अन्दाजा' कहना सही नहीं होगा । काफी समय लगेगा ।

श्री अध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला ।

सांगानेर पंचायत समिति के प्रधान

५५५. डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) सांगानेर पंचायत समिति के प्रधान श्री राजमल जैन को कब मुअत्तिल किया गया था ? इनके खिलाफ क्या क्या आरोप थे ? आरोप-पत्र (चार्ज शीट) की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) क्या सरकार ने श्री जैन पर लगाये गये आरोपों की जांच कराई थी और वे सब सही पाये गये थे ?

(३) आरोप सही सिद्ध हो जाने पर श्री राजमल के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(४) क्या यह सच है कि येनकेन प्रकारेण श्री राजमल जैन को सांगानेर पंचायत समिति का प्रधान बनाये रखने की कोशिश की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

पंचायत मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय): (१) दिनांक १०.५.६० को निलम्बित किए गए । ये आरोप-पत्र को प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) श्री जैन को उक्त आरोप-पत्र देने से पूर्व कलेक्टर द्वारा प्रारम्भिक जांच की गई थी । इसी जांच के फलस्वरूप आरोप-पत्र तैयार किया गया था और श्री राजमल जैन से इन आरोपों का जबाब लिया गया था ।

(३) प्रारंभिक रूप में आरोप सही मान कर श्री राजमल जैन को सांगानेर पंचायत समिति के प्रधान के पद से निलम्बित किया गया । श्री राजमल ने आरोप-पत्र के जबाब में आरोपों का खंडन किया । अतः आरोप-पत्र मय श्री जैन के जबाब के कलेक्टर, जयपुर

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

के पास भेज कर उन्हें लिखा गया है कि वह इन आरोपों की जांच श्री राजमल, प्रधान की मौजूदगी में करें एवं उन्हें सफाई का मौका देकर पुनः अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

(४) नहीं। उचित निर्णय दिया जावेगा।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

डॉ० चन्द्रकला : कलेक्टर को वापिस भेज कर कब लिखा ? श्री राजमल के जवाब के साथ कलेक्टर को कब लिखा गया दुबारा ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : ५.८.६० को दुबारा लिखा गया।

श्री अध्यक्ष : श्री किशनाराम।

चूरू में आधुनिकतम ढंग के अस्पताल का निर्माण

५५६. **श्री किशनाराम** (रतनगढ़) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि चूरू में जिले का हैड क्वार्टर होने पर भी अस्पताल का अच्छा प्रबन्ध नहीं है ?

(ख) क्या सरकार को यह मालूम है कि चूरू का अस्पताल भवन आधुनिक ढंग का बना हुआ नहीं होने के कारण वहां पर भर्ती होने वाले मरीजों को बहुत ही असुविधा रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां पर आधुनिक ढंग का भवन बनाने पर विचार करेगी ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) :

(क) जी नहीं। स्टाफ की कमी जरूर है।

(ख) जी हां। तीसरी योजना में चूरू में एक नया अस्पताल भवन बनाने के लिए विचार किया जावेगा।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): स्टाफ की कमी है, उसको पूरा करने के लिए सरकार ने क्या प्रयत्न किये हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पब्लिक सर्विस कमीशन को लिखा है कि स्टाफ की नियुक्ति करके भेजे।

श्री किशनाराम : क्या फर्माया ?

श्री अध्यक्ष : पब्लिक सर्विस कमीशन को कहा गया है।

श्री मुरलीधर व्यास : वहां एक भी लेडी डॉक्टर नहीं है। डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर डेढ़ साल से डिमान्ड कर रहे हैं, लेकिन अभी नहीं पहुँची। मैं जानना चाहता हूँ कि जो डिमान्ड है कि स्टाफ की कमी को पूरा किया जाय, वह कमी कब पूरी होगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हमने एक लेडी डॉक्टर अपोइन्ट की थी, उसने जोइन नहीं किया। अब लेडी डॉक्टर को फिर अपॉइन्ट किया है। हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर अवेलेबल नहीं हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : अपोइन्टमेंट आपने कर दिया, उसने जोइन नहीं किया। दूसरी जगह जहां ज्यादा हैं; वहां से लेकर भेज सकते हैं। वहां भी आवश्यक है, डेढ़ साल के अर्से में, आप समझ जाइये, अपोइन्टमेंट के बाद लेडी डॉक्टर ने जोइन नहीं किया। सरकार क्या एक्शन ले रही है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : रतनगढ़ हैड क्वार्टर पर दो लेडी डॉक्टर की जगह हैं, लेकिन लेडी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। डॉक्टर अवेलेबल न होने के कारण दिक्कत है। आप डॉक्टर ले आइये, मैं अपोइन्टमेंट कर दूंगा।

श्री किशनाराम : माननीय स्वास्थ्य मन्त्री ने फर्माया कि आप ले आइये। हम ले आयें तो भी आप रखनेवाले नहीं हैं। चूरू के ऊपर आपकी क्रूर दृष्टि क्यों है? वहां पर डेढ साल से लेडी डॉक्टर नहीं है, लोग शिकायत करते हैं, अब तक आपके पास १५, २० डेपुटेशन आ चुके हैं। मैं आपसे पर्सनल बात कह रहा हूँ, तो आप कहते हैं कि लेडी डॉक्टर ले आइये। हम राज्य के मुख्य मन्त्री नहीं हैं, डिपार्टमेंट मिनिस्टर नहीं हैं, हम कहां से लायें? आप इसके बारे में कह दीजिये कि करना है या नहीं करना है? अगर करना है, तो कब तक करना है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपका ख्याल है कि आपके लाने से हम अपॉइन्टमेंट नहीं करेंगे, यह गलत है। आप पचास लेडी डॉक्टर्स ले आइये, उनका अपॉइन्टमेंट हो जायगा। मैंने कहा कि अपॉइन्टमेंट ऑर्डर्स इश्यू कर दिये, लेकिन उसने जोइन नहीं किया है। फिर हमने दूसरे डॉक्टर का अपोइन्टमेंट किया है और उसके जोइन करने की सम्भावना है। हमारी जो दिक्कत है, वह मैंने बताई है, लेडी डॉक्टर नहीं है। वैसे हम सब जगह भेजना चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर अवेलेबल नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मण हीरात।

श्री किशनाराम : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : वही बात आती है, मंत्री महोदय कह रहे हैं कि स्टाफ अवेलेबल नहीं है, लेकिन उन्होंने दूसरी लेडी डॉक्टर के अपॉइन्टमेंट के ऑर्डर्स इश्यू कर दिये हैं।

श्री किशनाराम : चूरू जिले के लिये कह रहा हूँ!

श्री अध्यक्ष : राजस्थान में ७५ लेडी डॉक्टरों की कमी है। वे प्रयत्न कर रहे है।

श्री किशनाराम : मैं निवेदन करूं कि चूरू डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़!

श्री किशनाराम : अध्यक्ष महोदय, बहुत जरूरी प्रश्न है। बीमारों की संख्या बढ़ती जाती है....

श्री अध्यक्ष : देखिये, उन्होंने कह दिया है कि ऑर्डर जारी कर दिया है और सम्भवतः वह जोइन कर लेगी।

श्री किशनाराम : कह दिया है, आश्वासन देते रहते हैं, लेकिन कभी पूरे नहीं करते हैं। इनकी भावना नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री लक्ष्मण हीरात।

कोटड़ा एवं गोगुन्दा ब्लॉक्स (उदयपुर) में स्वीकृत धन-राशि

५५७. श्री लक्ष्मण हीरात (गोगुन्दा-सु०) : क्या सामुदायिक विकास मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

उदयपुर जिले के कोटड़ा एवं गोगुन्दा ब्लॉकों में सन् ५८ से ६० तक किन किन कार्यों के लिये कितनी कितनी रकम स्वीकृत की गई ? कृपया आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

सामुदायिक विकास मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री लक्ष्मण हीरात : कितनी रकम खर्च हुई है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : गोगुन्दा में ३३,७६५ कोटड़ा एवं गोगुन्दा ब्लॉकों में स्वीकृति धन-राशि है। इसके आंकड़े नहीं आये हैं, बजट के आंकड़े आ गये हैं। खर्च के आंकड़े नहीं आये।

श्री लक्ष्मण हीरात : क्या यह सही है कि जो रकम अलॉट हुई थी, उसमें से बहुत कम खर्च हुई है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैंने अर्ज कर दिया कि ३३,७६५ रुपये खर्च हुए हैं, जाहिर है कम खर्च हुआ।

श्री अध्यक्ष : श्री सोहनलाल भटनागर।

जयसमन्द बन्ध की प्रोजेक्ट रुप में परिणति

५५८. श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) उदयपुर में स्थित जयसमन्द बन्ध से कितनी भूमि की सिंचाई हो सकती है ?

(२) उक्त बन्ध से सन् १९६० की रबी की फसल में कितनी पिलाई हुई ?

(३) क्या जयसमन्द बन्ध को प्रोजेक्ट के रूप में लेने की कोई योजना है ?

(४) यदि हां, तो इसमें कितनी रकम खर्च होगी और यह योजना कब से कार्यान्वित होगी ?

उप मन्त्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (१) उदयपुर में स्थित जयसमन्द बन्ध से ३४,००० एकड़ भूमि की सिंचाई नहरों के पूर्ण विकास पर हो सकेगी।

(२) उक्त बन्ध से सन् १९६० की रबी की फसल में १२,३५७ एकड़ पिलाई हुई।

(३) उक्त बन्ध का प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है।

(४) उक्त प्रोजेक्ट लगभग ६० लाख रु० का होगा जिससे कुल सिंचाई लगभग ३४,००० एकड़ भूमि की हो सकेगी। प्रोजेक्ट में जिन नहरों का प्रावधान किया जा रहा है उनमें से कुछ पर काम चल रहा है।

Page No.15

श्री सोहनलाल भटनागर : क्या इस प्रोजेक्ट को पंचवर्षीय योजना में स्वीकार किया जा रहा है ?

श्री दौलतराम शारण : कुछ काम हो रहा है, कुछ हो चुका है और सैंक्शन होने के बारे में काम जल्दी हो रहा है।

प्रश्न संख्या ५५६

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

डॉ० चन्द्रकला।

बस्ती के मध्य में स्थित आरा मशीनों का अन्यत्र स्थानान्तरण

५६०. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल, बाजार जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) जयपुर शहर के किशनपोल क्षेत्र में कहां कहां पर कितनी कितनी लकड़ी चीरने की आरा मशीनें लगी हैं ? कृपया सूची दें।

(२) क्या आबादी क्षेत्र में आरा मशीनें लगाने के लिये निश्चित नियम हैं ? यदि हां, तो नियमों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या नगरपालिका आरा मशीनें लगाने की अनुमति देते समय यह ध्यान रखती है कि आरा मशीन लगाने वालों द्वारा सभी निर्धारित नियम पाले गये हैं ?

(४) क्या किसी किसी आरा मशीन-वालों को इस नियम में अपवाद भी किया गया है ? यदि हां, तो किनको और किस कानून के अन्तर्गत ?

(५) क्या यह सच है कि कुछ आरा मशीनें बस्ती के एक दम बीच में लगी हैं जिससे आसपास के घरों के निवासियों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचता है ?

(६) क्या सरकार ऐसी आरा मशीनों को उन स्थानों से हटा कर दूसरे स्थान पर ले जाने का विचार रखती है ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री सम्पतराम) : (१) जयपुर शहर के किशनपोल क्षेत्र में ६ आरा मशीनें हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) आरा मशीनें जो म्युनिसिपल लिमिट में हैं वे डेन्जरस एन्ड ऑफेन्सिव ट्रेड्स बाईलाज़ के अन्तर्गत रेगुलेट एन्ड कंट्रोल की जाती हैं। बाईलाज की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) जी हां।

(४) जी नहीं।

(५) केवल एक मशीन के बारे में ऐसी शिकायत म्युनिसिपल कौंसिल के समक्ष आई थी। वह विचाराधीन है।

(६) विचाराधीन है।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

डॉ० चन्द्रकला : यह शिकायत म्युनिसिपल कौंसिल के सामने कब आई थी ?

श्री सम्पतराम : यह पिछले चार–पांच साल से चल रही है।

डॉ० चन्द्रकला : पिछले चार-पांच साल पहले शिकायत आई और आज तक निर्णय न होने का क्या कारण है ?

श्री सम्पतराम : निर्णय हो चुका है, मौका देखा जा चुका है। लेकिन उसने एप्लीकेशन दी है, वह विचाराधीन है।

डॉ० चन्द्रकला : निर्णय हो चुका है, वह क्या है ?

श्री सम्पतराम : निर्णय, यह किया गया है, मशीन ठीक है और ३० फीट की दूरी पर है। यह पड़ी नहीं रही।

श्री किशनाराम (रतनगढ़): चार-पांच साल से यह शिकायत पड़ी है। उस समय दूसरे मंत्री थे, तो आपको कैसे मालूम हुआ था कि चार–पांच साल से शिकायत पड़ी है ?

श्री सम्पतराम : मैं मिनिस्टर नहीं था, इसका सवाल नहीं है। रेकॉर्ड उपलब्ध है, गवर्नमेंट मशीनरी काम करती है, उसके आधार पर इन्फॉर्मेशन उपलब्ध की जा सकती है।

बीकानेर के प्रमुख अस्पताल में वस्तुओं के अभाव की पूर्ति

५६१. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

बीकानेर के प्रमुख अस्पताल में किन किन चीजों की कमी है ? यहां के स्थानीय अधिकारियों ने इन कमियों को दूर करने के लिए कब से मांग कर रखी है ? सरकार ने उन कमियों को दूर करने का अब तक क्या प्रयत्न किया ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता): बीकानेर के प्रमुख अस्पताल के लिये जिन जिन चीजों की कमी है उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। जैसे २ बजट में प्रावधान हो सकेगा उनकी पूर्ति की जावेगी।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

श्री मुरलीधर व्यास : अध्यक्ष महोदय, सूची तो मुझे प्राप्त नहीं हुई है मगर फिर भी मैं इतना ही जानना चाहूंगा कि जिन जिन चीजों की आवश्यता थी उनमें से कौन कौन सी चीजों की पूर्ति हो चुकी है और कौन सी नहीं पहुंची है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो सूची में दी है उनकी कमी है :–

1. Replacement of old D. C. Fans in P. B. M. Womens' Hospital. 75,000-/

2. One Standby Generating Set (Elect.) for operation Theatres. 20,000/-

3. Separate Feeder Line for Group of Hospitals 24,345/-

4. Installation of a Private Exchange in the Hospitals 25,000/-

5. Electric laundry. 25,000/-

Page No.17

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता

6. Installation of Tomographic attachment to one of the Diagnostic sets in X-Ray Deptt. 18,500/-

7. Air conditioning Plant for operation Theatres. 75,000/-

8. Additional equipment for Orthepa dic Deptt. 12,000/-

9. Replenishment of and bringing up to date heavy equipment and specialised surgical instruments. 50,000/-

10. Main Water Storage Tank. 10,000/-

11. Acration Tank with Septic Plant. 10,520/-

यह कई लाख की डिमान्ड है। जैसे जैसे फन्ड प्रोवाइड होंगे उसकी पूर्ति की जावेगी। बाकी सामान नहीं मिल रहा है।

श्री मुरलीधर व्यास : सामान नहीं मिल रहा है या पैसे की कमी है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह डिमान्ड ऐसी है जिसमें किसी में ७५ हजार और किसी में ५० हजार लगेंगे। इसके लिये फन्ड्स नहीं हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : मेडिकल कॉलेज में आवश्यक सामान नहीं होने से काफी दिक्कत रहेगी।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो जो आवश्यक सामान होगा और जिसकी जरूरत होती है वह अस्पताल में है।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : आप कौन कौन सामान को प्राथमिकता दे रहे हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह तो डिपार्टमेंट को देखने की जरूरत है। यह पी. एम. ओ. को देखने की बात है।

श्री भीमसेन : क्या सरकार यह महसूस करती है कि मोडर्न टाइप के औजार वहां पर उपलब्ध हों ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मोडर्न टाइप का सामान वहां पर है। हर साल बीकानेर को प्रोवाइड करते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : सर्जिकल औजारों की बहुत जरूरत है जो नहीं मिलते हैं और यह प्राथमिक जरूरत है। तो उनके नहीं होने से किसी भी आदमी के जीवन के साथ खिलवाड़ हो सकता है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इन्स्ट्रूमेन्ट्स तो हमने दे रखे हैं और किसी भी होस्पिटल में उनकी कमी नहीं है।

श्री भीमसेन : आपने क्या दिये हैं, वे तो बीकानेर स्टेट के समय के हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह भी तो पब्लिक के हित के लिये ही हैं और किसके हैं ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ५६२

श्री शंकरलाल।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री पृथ्वीराज पटेल।

पंचायत समिति नादोती को अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के सहायतार्थ मिली धन-राशि

५६३. श्री पृथ्वीराज (गंगापुर-सु०): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(क) पंचायत समिति नादोती, मुख्यालय वामनवास, जिला सवाई माधोपुर को समाज कल्याण विभाग से शिड्यूल्ड कास्ट, हरिजनों व शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये कितनी धन-राशि सहायता के रूप में दी गई है?

(ख) क्या यह सत्य है कि यह धन-राशि गरीबों को न देकर धनाढ्यों को दी गई है? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी कि कितनी राशि किन किन को दी गई है? नामवार सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

पंचायत मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय): (क) कुल ३०,४०० रुपये की धन-राशि सहायता के रूप में दी गई है।

(ख) जी नहीं। जो धन-राशि बांटी गई है उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ७ देखिये)

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या यह सही है कि सूची में न० ७, ८,१३ और १८ पर जिन लोगों को धन-राशि दी गई है वे गरीब नहीं हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मेरे पास जानकारी नहीं है। आप जानकारी देते हैं तो हम पता लगा लेंगे।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं जानकारी देता हूं। ७ नम्बर पर हट्टी के पास १०० बीघा जमीन है। इसी तरह न० ८ के पास और १३ व १८ के पास काफी आय के साधन हैं। वे काफी मालदार हैं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : क्या इन लोगों के अलावा और भी लोगों के प्रार्थना-पत्र आये थे जिनको यह नहीं दिया गया और उनके प्रार्थना-पत्र रिजेक्ट कर दिये गये ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह सूचना मेरे पास उपलब्ध नहीं है।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर): यह जांच कैसे की गई कि जिन व्यक्तियों को यह सहायता दी गई वे व्यक्ति इस सहायता के पात्र हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इसके लिये तो पंचायत समिति जांच करती है।

श्री मुरलीधर व्यास : कितने प्रार्थना-पत्र आये थे ? अगर उसकी संख्या बता दी जावे तो उससे मालूम हो जावे कि किसानों को नहीं दी गई।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह मुझे मालूम नहीं है।

श्री पृथ्वीराज : अध्यक्ष महोदय, जिनको सहायता दी गई है उनमें से एक-दो के अलावा सभी मालदार हैं। कोई २० हजार की आसामी है तो कोई १५ हजार की आसामी है। किसी के पास १०० बीघा जमीन है तो किसी के पास १५० बीघा।

Page No.19

(श्री पृथ्वीराज)

उन लोगों को सहायता नहीं दी गई जिनके न तो कोई जमीन है न कोई घर है, न कोई बैल है, न खेती है; उनकी दरख्वास्तें होते हुए भी उनको कोई सहायता नहीं दी गई। इसलिये इसकी जांच कराई जावे और तफ-तीश की जावे कि उन लोगों को क्यों नहीं सहायता दी गई?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह जो डॉ० बहादुरसिंह ने बताया उसके अलावा और भी कोई हैं?

श्री अध्यक्ष : ये तो कहते हैं कि दो, चार व्यक्तियों को छोड़ कर सभी धनाढ्य हैं।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं जांच करा लूंगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, डॉ० चन्द्रकला।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि जांच करा लूंगा। यह जोर से कहें ताकि प्रोसीडिंग में आ जाए।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने पहले भी कह दिया है कि जांच करा लूंगा। अब अवश्य जांच करा लेंगे।

(विराम)

नेक्स्ट।

प्राकृतिक चिकित्सा का विकास

५६४. डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) प्रान्त में कितने प्राकृतिक चिकित्सालय कहां कहां पर हैं? इनमें से किन चिकित्सालयों में रोगों के इलाज के साथ साथ प्राकृतिक चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षण की व्यवस्था भी है?

(ख) प्रत्येक चिकित्सालय पर कितना वार्षिक व्यय होता है? क्या इनका सारा व्यय राज्य सरकार उठाती है? क्या स्वास्थ्य के अन्तर्गत प्राकृतिक चिकित्सा के लिये स्वतन्त्र मद रखा गया है?

(ग) क्या प्राकृतिक चिकित्सा के विकास के लिये सरकार की कोई निश्चित योजना है? यदि हां, तो क्या?

(घ) प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में प्रमाणित डॉक्टर कौन से लोग माने जा सकते है? क्या उनके लिये कोई उपाधि या प्रमाण-पत्र निर्धारित हैं? क्या ऐसे चिकित्सकों का भी रजिस्ट्रेशन आवश्यक है? यदि हां, तो उसकी आवश्यक शर्तें क्या हैं?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) :

(क) उदयपुर में एक 'अ' श्रेणीय प्राकृतिक चिकित्सालय केन्द्र सरकारी स्तर पर संचालित है। इसके अतिरिक्त सहायता प्राप्त प्राकृतिक चिकित्सालय (१) गांधीनगर, (२) बीकानेर (३) जोधपुर में है; जिनमें शिक्षण की व्यवस्था नहीं है।

(ख) प्राकृतिक चिकित्सालय उदयपुर का वार्षिक व्यय १५००० रु० होता है यह सारा व्यय सरकार उठाती है। शेष प्रश्न ही

Page No.20

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

नहीं उठता जबकि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की ही प्राकृतिक चिकित्सा एक अंग है।

(ग) जी हां। सरकार तृतीय पंचवर्षीय योजना में कुछ आरोग्य केन्द्र संचालित करना चाहती है जिनमें प्राकृतिक चिकित्सा को भी समान रूप से प्रश्रय देने की नीति रखी गई है। साथ ही स्वतंत्र प्राकृतिक चिकित्सा संस्थाओं को उतरोत्तर अधिक अनुदान देने की व्यवस्था सरकार ने की है।

(घ) प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्र में प्रमाणित डॉक्टर वे ही माने जाते हैं जो इस चिकित्सा विधि में अनुभव रखते हों और हैदराबाद, गोरखपुर आदि प्रशिक्षण केन्द्रों से प्रशिक्षित हों। ये केन्द्र सार्वजनिक संस्था के रूप में संचालित हैं। अभी तक प्राकृतिक चिकित्सा के लिये कोई एक्ट नहीं है जिसके अन्तर्गत ऐसे चिकित्सकों को रजिस्टर्ड समझा जावे। रजिस्ट्रेशन एक्ट के निर्माण का प्रश्न राजकीय नीति पर ही अवलम्बित है।

डॉ० चन्द्रकला : क्या प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ाने के लिये सरकार ने कोई विचार किया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इस पर विचार किया है....

डॉ० चन्द्रकला : क्या सरकार प्राकृतिक चिकित्सालय हर जिले में अलग अलग खोलने का विचार रखती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने कहा कि अगली पंचवर्षीय योजना में ५ आरोग्य केन्द्र बढ़ाने की इच्छा है ?

डॉ० चन्द्रकला : आपने बताया कि एक चिकित्सालय ऐसा है 'अ' श्रेणी का जिसमें शिक्षण की व्यवस्था है। क्या पूरे राजस्थान को देखते हुए इस प्रकार का एक चिकित्सालय पर्याप्त है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : प्रशिक्षण तो कलकत्ता में ही होता है। राजस्थान में इसके लिये कोई ट्रेनिंग नहीं होती है। ये तो सारे गवर्नमेंट के चलाये हुए हैं। एक मैंने बताया कि वह केन्द्रीय स्तर पर संचालित है।

डॉ० चन्द्रकला : राजस्थान भर में एक है और दूसरा जयपुर में सहायता प्राप्त प्राकृतिक चिकित्सालय है। क्या ये दो पर्याप्त हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हमने जोधपुर और बीकानेर को भी प्राकृतिक चिकित्सालयों को—सहायता दी है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): क्या आपके यहां दूसरे जितने भी होस्पिटल्स हैं उनमें अप्राकृतिक रूप से इलाज होता है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

पारोली तहसील कोटड़ी के समीप एक नाले का निर्माण

५६५. **श्री तेजमल बापना** (बनेड़ा) : Will the Irrigation Minister be pleased to state:—

(1) Whether the survey of a Nala near Paroli in Kotri Tehsil has been completed ?

(श्री तेजमल बापना)

2. If so, what is the estimated cost of this project and what will be the area to be brought under cultivation ?

3. Whether the sanction for its construction has been given ? If so, when it is expected to be completed ?

उप मन्त्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण : (१) जी नहीं। सर्वे का कार्य चल रहा है।

(२) अभी तखमीना नहीं बना है अतः अनुमानित व्यय के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। अनुमानतः ५०० एकड़ की सिंचाई उपलब्ध हो सकेगी।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

कोटा नगरपालिका में मिलावट की जांच करने हेतु यन्त्र

५६६. श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) कोटा नगरपालिका में मिलावट की जांच करने के लिए क्या क्या यन्त्र हैं ?

(ख) यदि कोई यन्त्र नहीं है, तो किस आधार पर जांच की जाती है ?

(ग) क्या यह सही है कि शंका के आधार पर जिनको पकड़ा जाता है उनको जांच के लिए जयपुर भेजना पड़ता है ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सम्पतराम) : (क) नगरपालिका कोटा में इस समय कोई यन्त्र चालू हालत में नहीं है जिससे कि मिलावट की जांच की जा सके।

(ख) खाद्य पदार्थ का नमूना प्रिवेन्शन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट के क्लॉज़ ? बी ऑफ सब-सेक्शन १० एण्ड; और क्लॉज़ सी० ऑफ सब-सेक्शन ऑफ १० ऑफ से० ११ के अन्तर्गत कीमतन व्यापारी से खरीदा जाकर नियमानुसार सील करके जांच के लिए पी. एफ. जे. एक्ट के अन्तर्गत दी स्टेट सेन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लेबोरेटरी, जयपुर को भेजा जाता है।

(ग) जी नहीं।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि जिस माल को पकड़ा जाता है उसको भेजने में इतना अधिक समय लग जाता है और भेजने के बाद भी यहां पर काफी समय तक पड़ा रहता है तो वह माल खराब हो जाता है? क्या इससे लोगों को परेशानियां नहीं उठानी पड़ती हैं ?

श्री सम्पतराम : डिपार्टमेंट की रेस्पोन्सिबिलिटी है। कीमत-उसी वक्त दे दी जाती है।

श्री दयाकृष्ण विजय : जिसका माल जब्त किया जाय, यहां पर लाया जाय और सील बन्द किया जाय और काफी दिनों तक यहां पर पड़ा रहे तो उसको परेशानी तो होती है।

श्री सम्पतराम : जब शंका होती है और माल पकड़ा जाता है तो उसमें से थोड़ा नमूने के तौर पर ले लिया जाता है और

Page No.22

(श्री सम्पतराम)

माल की मार्केट भाव पर कीमत का पेमेन्ट करने के बाद उसको जयपुर एक्ज़ामिनेशन के लिए लाया जाता है। यदि एक्ज़ामिनेशन से पता चले कि एडल्ट्रेटेड माल है तो नियमानुसार कार्यवाही होती है । परेशानी का सवाल नहीं है ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): फूड एडल्ट्रेशन एक्ट राजस्थान में लागू है और राजस्थान के गांवों में, शहरों में, पंचायतों में सब जगह इस प्रकार का एडल्ट्रेशन होता है तो लाखों की तादाद में केसेज़ पकड़े जा सकते हैं इसलिए उनका जिला हैड क्वार्टर पर ही यदि एनेलेसिस करने का स्थान न हो तो काफी दिक्कत जयपुर लाने में होती है और दिन भी काफी लग जाते हैं, इसलिए सरकार इसके लिए सोचे कि वह डिवीज़नल हैड क्वार्टर पर ही कोई इसके केन्द्र रखे ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री): इसके बारे में डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर टेस्टिंग मशीन लगाने की सरकार की व्यवस्था थी और कमिश्नर्स को लिखा गया था । स्टाफ प्रोवाइड होने पर प्रावधान किया जावेगा ।

श्री किशनाराम (रतनगढ़) : यन्त्र कितनी कीमत का होगा ?

श्री सम्पतराम : यह तो मालूम करके पता लगाया जा सकता है ।

श्री किशनाराम : राज चलाते हो, मजाक थोड़े ही है कह दिया कि पता नहीं है, पता लगाना चाहिये था ।

श्री सम्पतराम : राज तो चलाते हैं । इसका तो टेक्निकल आदमी को ही पता हो सकता है, हर एक बात का थोड़े ही पता रहता है ।

श्री अध्यक्ष : श्री पृथ्वीराज पटेल ।

पंचायत समिति नादोती को आम रास्तों के निर्माणार्थ मिली धन-राशि

५६७. श्री पृथ्वीराज पटेल (गंगापुर–सु०) : क्या पंचायत मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) पंचायत समिति नादोती मुख्यालय वामनवास, जिला सवाई माधोपुर को आम रास्तों के लिए सरकार से कितनी धनराशि स्वीकृत हुई है और उक्त समिति ने किस प्रकार से किन किन ग्रामों को उक्त धनराशि दी और इस सम्बन्ध में कितना कार्य हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(२) क्या उक्त रास्तों की ओवरसियर व मिस्त्रियों ने नाप–तोल की है ?

पंचायत मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (१) कुल ११,५००) की धनराशि स्वीकृत की गई । पंचायत समिति की ओर से केवल खूड़ा चैनपुर गांव को १००) रु० की धनराशि दी गई और जिस कार्य के लिए दी गई थी वह काम पूरा हो गया है ।

(२) जी हां ।

श्री पृथ्वीराज पटेल : जो धनराशि दी है न तो वह खर्च की गई है और न ही

(श्री पृथ्वीराज पटेल)

काम हुआ है। वह रुपया लेकर बैठे हैं। इसकी जांच कराई जाय।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मेरे पास रिपोर्ट है। ओवरसियर ने ४-८-६० को काम पूरा होने की रिपोर्ट दी है।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : बाकी का काम क्यों नहीं हुआ और खर्च क्यों नहीं हुआ ?

श्री अध्यक्ष : इसकी भी जांच करा लीजिये।

(विराम)

डॉ० चन्द्रकला।

जयपुर शहर का यौगिक स्वास्थ्य केन्द्र

५६८. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) जयपुर शहर में यौगिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना कब और कहां पर हुई तथा इस स्वास्थ्य केन्द्र का वार्षिक बजट क्या है ? सरकार इस स्वास्थ्य केन्द्र को स्थायी तौर पर चलाने का विचार रखती है ?

(ख) क्या इस स्वास्थ्य केन्द्र के अन्तर्गत मधुमेह के रोगियों का यौगिक क्रियाओं द्वारा उपचार करने के उद्देश्य से एक कैम्प लगाया गया था ? यदि हां, तो कहां पर, कितने दिन का और कितने रोगी इसमें आये तथा परिणाम क्या रहा ?

(ग) उक्त कैम्प का कुल कितना खर्च हुआ ? क्या यह खर्च सरकार की ओर से किया गया ?

(घ) यौगिक क्रियाओं द्वारा स्वास्थ्य लाभ के उद्देश्य से पूर्ण साधन एवं सुविधा सहित एक स्थायी स्वास्थ्य केन्द्र जयपुर में बनाने का सरकार का इरादा है ? यदि हां, तो उसमें कुल कितना खर्च करने का प्रावधान है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता): (क) यौगिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना २४.१२.५६ को 'सी' स्कीम जयपुर में हुई। कोई नियमित बजट नहीं है, परन्तु ग्रान्ट-इन-एड की धन-राशि में से नियमानुसार सहायता दी जाती है। स्वास्थ्य केन्द्र चलाने का प्रश्न विचाराधीन है।

(ख) जी हां, खादी संस्था संघ भवन रेल्वे स्टेशन, गांधीनगर के पास यह कैम्प ४० दिन का था। इस कैम्प में ११ रोगियों का उपचार हुआ जिसमें ७ रोगियों को पूर्ण लाभ हुआ।

(ग) इस कैम्प के लिए ६,०००) रुपये सरकार से दिये गये थे। अभी पूरा व्यय विवरण प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) जी हां, खर्च के आंकड़े अभी तैयार नहीं हैं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : ११ हजार रुपया दे दिया तो कैम्प में कितने मरीजों को फायदा मिला था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ११ हजार कहां दिया, मैंने तो ६ हजार का कहा था

Page No.24

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

और उसमें से भी कुछ बचा हुआ है। अकाउन्ट अभी आया नहीं है, आ रहा है ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या सरकार जो केन्द्र जयपुर में लगाया गया था उसकी पूरी रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए तैयार है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जी हां, प्रकाशित करने के लिए तैयार है। पहले ही प्रकाशन के लिए जा रही है, फाइनल हो रही है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या आपने इसके शिविर में भाग लिया था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं बीमार नहीं था। मैं वहां देखने गया था।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : इस शिविर की सफलता का श्रेय आपको ही है ।

श्री जयसिंह राणावत (आसीन्द) : स्वास्थ्य केन्द्र की संख्या बढ़ेगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : दिल्ली में हैड क्वार्टर है । राजस्थान में कोशिश करके एक खोला है । ब्रह्मचारी उपलब्ध नहीं हैं ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : On a point of information, Sir, the persons who asked this question and who is replying this question are well acquainted and members of this Ashram, and they are in the know of this. Then for what purpose this question has been asked ?

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्री महोदय योगाश्रम द्वारा माननीय सदस्यों की शुष्मा नाड़ियों को खुला करने के लिए तैयार हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आप सब की नाड़ियां खुली करने के लिए तैयार हैं ।

श्री जनार्दनराय नागर : मैंने शुष्मा की बात कही थी। ६-७ नाड़ियां होती हैं माननीय मंत्री महोदय को पता ही नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

बापूनगर, जयपुर में के० जी स्कूल के वास्ते निश्चित प्लॉट

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि बापूनगर, जयपुर, में नगर विकास मंडल ने एक प्लॉट के० जी० स्कूल के वास्ते निश्चित किया था ?

(ख) क्या नगर विकास मंडल ने उक्त तथ्य की सूचना शिक्षा विभाग को दे दी थी जिससे कि शिक्षा विभाग इस विषय में भवन निर्माण की योजना बना सके ?

(ग) क्या यह सही है कि सरकार अब इस प्लॉट को किसी व्यक्ति विशेष को अलॉट करने जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सम्पतराम): (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसका इन्टीमेशन एजुकेशन डिपार्टमेंट को क्यों नहीं दिया गया जिससे कि वे भवन निर्माण के कार्य में प्रोसीड हों?

श्री सम्पतराम : जब शहर का प्लानिंग होता है तो आवश्यकतानुसार प्लॉट्स और स्कीम्स ले आउट होती हैं। जब प्लान ले आउट हुआ तो इस प्रकार की जमीन ले आउट की गई। जब वक्त आवेगा आगे के लिए कम्युनिकेट कर दिया जावेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : के० जी० स्कूल के लिए ही प्लॉट अलॉट करके रखा गया, अब तो किसी दूसरे को यह एलॉट नहीं कर दिया जावेगा? क्या सरकार का ऐसा विचार तो नहीं है कि किसी दूसरे को एलॉट कर दिया जाय?

श्री सम्पतराम : सरकार की ओपिनियन तो मैं दे नहीं सकता लेकिन अभी तक जमीन का एलॉटमेन्ट नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : श्री गोवर्धनसिंह केन।

जिला भरतपुर में पंचायत समितियों द्वारा नियुक्त हरिजन

५७०. **श्री गोवर्धनसिंह केन** (बयाना सु०) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) जिला भरतपुर में पंचायत समितियों द्वारा कितनी नियुक्तिया की गई हैं और इनमें हरिजनों के उम्मीदवारों की किस किस स्थान पर नियुक्तियां की गई हैं? पंचायत समिति वार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ख) अगर हरिजन उम्मीदवारों को पंचायत समितियों द्वारा नियुक्त नहीं किया गया है तो क्यों और क्या अब इनकी नियुक्तियां करने का विचार है? यदि हां, तो कब तक कर दी जावेगी?

पंचायत मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय): (क) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) जिन पंचायत समितियों में हरिजन उम्मीदवारों की नियुक्ति नहीं हुई है उसका कारण यह है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेन्ज व "सिलेक्शन कमिशन" द्वारा कोई हरिजन उम्मीदवार प्रस्तावित नहीं किया गया। पंचायत समितियों में रिक्त स्थानों पर अस्थायी नियुक्ति राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सिलेक्शन कमीशन द्वारा छोड़े गये तथा एम्प्लॉयमेंट एक्स्चेन्ज द्वारा भेजे गये उम्मीदवारों में से की जाती है। यदि उपयुक्त हरिजन उम्मीदवारों को प्रस्तावित किया जावेगा तो उनकी नियुक्ति अवश्य की जायगी।

(कृपया परिशिष्ट ८ देखिये)

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या यह सत्य है कि राजा खेड़ा में १५ नियुक्तियां

(डॉ० बहादुरसिंह)

हुई उनमें जान-बूझ कर हरिजन उम्मीदवारों के प्रार्थना-पत्र अस्वीकार कर दिये गये ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह प्रश्न नहीं किया गया इसलिए मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है ।

डॉ० बहादुरसिंह : सुनाई नहीं दिया ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : राजाखेड़ा का पूछ लेते तो मैं जवाब दे देता ।

श्री गोवर्धनसिंह केन : जैसा आपने बताया कि एम्प्लॉयमेन्ट एक्स्चेन्ज द्वारा नाम नहीं भेजे गये । मैं, अध्यक्ष महोदय, बताना चाहता हूँ कि हरिजनों के नाम एम्प्लॉयमेंट एक्स्चेन्जों को भेजे गये लेकिन उनको लिया नहीं गया; वैर नदबई में सूचना नहीं आयी, उसका क्या कारण है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : कहां कहां लिखा गया, जानकारी दें । कोशिश करेंगे कि उनको लिया जावे ।

श्री गोवर्धनसिंह : सब के नाम भेजे गये, उम्मीदवार को भेजा गया फिर भी नहीं लिया ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : सरकार जरूर चाहती है कि जो कोटा हरिजनों के लिए मुकर्रर है उनको उसके मुताबिक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिये ।

श्री गोवर्धनसिंह केन : क्या आप इस कोटा को पूरा करने के लिए तैयार हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : बिल्कुल; १६ आना ।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

किशनगढ़ में स्थित मेसर्स मेटल प्रोडक्ट व ओ० बी० मैटल फैक्ट्री

५७१. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या उप जिला किशनगढ़, जिला अजमेर में मैसर्स मैटल प्रोडक्ट व ओ. बी. मैटल प्रेसिंग कं० के नाम से कोई फैक्ट्री है ?

(ख) अगर हां, तो यह फैक्ट्री कहां पर बनी है और इसमें कितनी लेबर कार्य कर रही है ?

श्रम मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) उप जिला किशनगढ़, जिला अजमेर में मैसर्स मेटल प्रोडक्ट व ओ. बी. मैटल प्रेसिंग कं० के नाम की कोई फैक्ट्री फैक्ट्रीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है ।

राजस्थान फोरेस्ट कमेटी की रिपोर्ट पर कार्यवाही

५७२. श्री लक्ष्मण हीरात (गोगुन्दा-सु०) क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) राजस्थान फोरेस्ट कमेटी ने किन किन जिलों का दौरा सन् ५७ से अब तक किया और कहां-कहां जनता एवं सोशियल वर्कर्स द्वारा ज्ञापन दिये गये ?

(श्री लक्ष्मण हीरात)

(ख) फोरेस्ट कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सम्पतराम) : (क) ६ जिलों में २० दिन दौरा किया। विस्तृत सूचना के लिए लिस्ट (क) व (ख) देखिये जो कि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

श्री लक्ष्मण हीरात : यह रिपोर्ट कब तक विचाराधीन रहेगी ?

श्री सम्पतराम : केबिनेट द्वारा विचार विमर्श हो गया है। ऑर्डर इन कौन्सिल इश्यू नहीं हुआ है, वह इश्यू होने के बाद प्रसारित हो जायगा।

बापूनगर (जयपुर) के सेवाड़ क्षेत्र के गृहों का निर्माण

५७३. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : Will the Minister for Local Self-Government be pleased to state.—

1. How many plans have been submitted so far by the Jagirdars and by other individuals before the Jaipur Municipal Council and the Urban Improvement Board, Jaipur for seeking approval of housing schemes ?

2. When did the Thakur of Sewar submit his application together with plans for approval of the construction of houses in Sewar area in Bapu Nagar before the Jaipur Municipal Council or Urban Improvement Board, Jaipur ? When permission was granted ? Please place a copy of such order on the table of the house.

3. If not, how constructions of houses have been pormitted individually in that area ?

4. Is it not a fact that the persons who have constructed their houses in that area have represented to the Jaipur Municipal Council and Urban Improvement Board for providing civic amenities such as construction of roads, drainage, main pipe line, sanitary arrangements etc ? If so, what action has been taken so far ? If not, why ? Was any reply given by the Municipality and the Urban Improvement Board to these representations ?

5. Is it a fact that the Jaipur Municipal Council has now stpoped approving plans for construction of houses in this area ? If so, why ?

6. Is Sewar Land in Municipal Area ? If so, why does the Municipality not construct roads, provide public taps, street lights and drainage etc. there ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सम्पतराम) : 1. 23 Jagirdars submitted plans seeking approval of housing

Page No.28

(श्री स म्पतराम])

schemes (lay out plans) before the Municipal Council, Jaipur and U.I.B. Jaipur.

2. No construction plans in Sewar area were submitted by the Sewar Thakur before the Minicipal Council of Jaipur. Only lay out plan showing the sub-division of his land was submitted by Thakur on 6-3-57 and the same was approved by Municipality on 22-5-57. A copy of this order has been placed on the table of the house.

3. As the lay out plan was approved by the Municipality, question of not issuing permit to applicants did not arise.

4. They had represented to the Chief Secretary to the Government and sent the copy to (i) the Secretary, L. S. G. Deptt. (2) the Secretary, P. W. D. (3) the Executive Engineer, Water Works Department (4) The Secretary, U. I. B. and Municipal Council Jaipur. The area being a private one, it is the duty of the owner to develop the area.

5. The Sewar area, being outside City walls, vests in U. I. B. area. Permits for construction in that area are issued by Municipal Council, Jaipur only on the recommendation of U. I. B. since the stopping of further permits.

6. The Sewar area is within the Municipal limits, but this area being private, improveemnts there-in is the responsibility of the owners like other private areas.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह जो इजाजत दी गई क्या म्युनिसपैलिटी द्वारा दी गई ? इसमें जो लीगल एडवाइज़र का नोट है, कृपया उसे पढ़ दीजिये ।

श्री सम्पतराम : यह तो माननीय सदस्य भी पढ़ सकते हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरे पास जो प्रति है उसमें लिखा हुआ है, "Permit can be refused."

श्री सम्पतराम : मेरे पास यह है, "The land has been declared to be the personal property of the Jagirdar by highest court of Revenue. Hence permit cannot be refused."

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं यह पूछना चाहता हूं कि ले आउट और प्लान्स को किसने एप्रूव किया, यह जुरिस्डिक्शन किसका है ?

श्री सम्पतराम : म्युनिसिपैलिटी और अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड दोनों इस बारे में विचार-विमर्श करते हैं और आवश्यकता होती है तो गवर्नमेंट की भी राय लेते हैं ।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या इनकी मीटिंगें होती हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हाउसिंग स्कीम्स को कौन एप्रूव करता है ?

Page No.29

श्री सम्पतराम : मैंने कहा कि इम्प्रूवमेंट बोर्ड और म्युनिसिपैलिटी दोनों की सलाह से होता है और आवश्यकता होती है तो स्टेट गवर्नमेंट की सलाह ली जा सकती है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पर्टीकुलर केस में अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड का एप्रूवल लिया गया था ?

श्री सम्पतराम : यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ले-आउट प्लान्स आदि के लिए क्या अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड की कॉन्करेन्स ली गई थी या म्युनिसिपैलिटी की ?

श्री सम्पतराम : इसका उत्तर दे चुका हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि पर्टिकुलर प्लान्स, ले-आउट आदि का किसी प्रकार का नक्शा नही पेश किया गया ?

श्री सम्पतराम : ये डिटेल्स मेरे पास नहीं हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि कन्स्ट्रक्शन के लिए परमिशन म्युनिसिपैलिटी की ली जाती है और उसके अन्दर नकशा आदि होता है जिसमें इन सब बातों का उल्लेख होता है कि यहां से सड़क निकलेगी, इस प्रकार का ड्रेनेज की स्कीम होगी; इस प्रकार की बातें इस कोलोनी के नक्शे में नहीं थो ?

श्री सम्पतराम : ये डिटेल्स मेरे पास नहीं हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, होता क्या है और हो क्या रहा है, जिस तरह से भी हो धड़ाधड़ वहां मकान बनाते जा रहे हैं बिना नक्शा पास किये; न कोई सड़क का हिसाब-किताब है, न ड्रेनेज का है, न लाइट का है ...

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : यह हिसाब-किताब क्या है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हिसाब-किताब से मेरा मतलब है, कोई रूल्स की पाबन्दी नहीं...

श्री अध्यक्ष : यह बंगाली शब्द नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि जहां तक इस प्रकार की कन्सट्रक्शन्स की जो स्कीम होती है वह अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड पास करता है, इसमें म्युनिसिपल बोर्ड कहीं पिक्चर में नहीं आता। इस जगह का सवाल है; उसमें न तो ले-आउट हुआ, न कोई नक्शा ही पेश किया गया। इसमें न तो अर्बन इम्प्रूवमेंट की कॉन्करेन्स है और न उस स्कीम के ड्रेनेज की व्यवस्था है, न सड़कों की व्यवस्था है, मकान वहां पर धड़ाधड़ बन रहे हैं। सड़कों के लिए अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड के पास जाते हैं तो कहा जाता है कि यह हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं है। प्राइवेट पार्टीज़ जहां अलॉट करती हैं वहां हमारा जुरिस्डिक्शन नहीं है; जब कि वहां मकान आदि बन गये हैं। ऐसी स्थिति में आपको चाहिये कि आप इस

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

बारे में सख्त कदम उठावें और इस स्थिति का निराकरण करें।

श्री सम्पतराम : इस सवाल के बारे में जो डिटेन्स आपने रखी हैं उनकी डिटेल्स में मैं भी जांऊं और एक्शन लेऊं और सारे मामले को चेक-अप करूं।

डॉ० चन्द्रकला : सवाल तो पहले से ही प्रिकॉशन्स लेने का था।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

दिनांक १ सितम्बर, १९६० का स्थगित प्रश्न
कृषि विभाग के मुकद्दमों का वेतन

२६७. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि कृषि विभाग के मुकद्दमों का वेतन २७ जनवरी, १९५१ के राजपत्र में ६०।३।६० ई० बी०-५-१२० प्रकाशित किया गया ?

(ख) क्या यह सही है कि राजस्थान सिविल सर्विस रूल्स एण्ड शिड्यूल्स, १९५५ के द्वारा भी मुकद्दमों का उपरोक्त वेतन निर्धारित किया गया था ?

(ग) क्या यह सही है कि राजपत्र २५ मई, १९५६ में इनका वेतन ३०।१।४५ प्रकाशित किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(घ) सन् १९५१ के, सन् ५५ के तथा सन् ५६ के निर्धारित वेतन के अनुसार किस किस ग्रेड में कितने कितने मुकद्दमों को अब तक वेतन या वेतन के एरियर्स चुकाये गये हैं और कितनों को नहीं और क्यों ?

(ङ) क्या यह सही है कि मुकद्दमों को केवल ४० रुपये फिक्स्ड पे मिल रही है ? यदि हां, तो क्यों और नहीं तो कब से इस प्रकार का वेतन मिलना बन्द हुआ है ?

उप मन्त्री, कृषि (श्री दौलतराम सारण) : (क) जी हां। ता० १३-१-५१ के राजपत्र में यह ग्रेड प्रकाशित हुआ।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं। राजपत्र एक्स्ट्राऑर्डिनरी पार्ट (सी) दिनांक २-६-५६ व राजस्थान सिविल सर्विज रेशनलाइज्ड पे स्केल रूल्स शिड्यूल्ड. २५ मई, १९५६ के ११ वें पृष्ठ पर यह ग्रेड अंकित हुई थी।

(घ) इनका फिक्सेशन इसलिए विचाराधीन है क्योंकि रेशनलाइज्ड पे स्केल में वेतन-श्रृंखला कम कर दी गई, जिसको पुनः दुरुस्ती कराने का मसला प्रशासनिक विभाग व वित्त विभाग के विचाराधीन है।

(ङ) जी हां, २५-५-६० के पहले नियुक्त हुए मुकद्दमों को ४० रू० फिक्स्ड मिलते हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है उनका मामला सरकार के विचाराधीन है व जो मुकद्दमे इस तारीख के बाद में हैं उन्हें ३०.१.४५ में वेतन मिल रहा है।

श्री सम्पतराम : क्या यह सही है कि ये पे स्केल्स इसलिए निर्धारित की गई थी कि तुरन्त राज्य में लागू की जायं ?

श्री दौलतमरा सारण : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : १९५१ में युनिफाइड पे स्केल्स के अन्तर्गत इनकी ग्रेड ६०.३.९० ई० बी० ५–१२० की नियत की थी तो इन वर्षों के अन्दर उनको उस पे स्केल के अन्तर्गत तनख्वाह क्यों नहीं दी गई ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा): युनिफाइड पे स्केल्स के अन्तर्गत ५१ के अन्दर उनकी ग्रेड ६० से १२० की निर्धारित की थी लेकिन २५ मई, १९५६ को उनका वेतन ३०–१–४५ प्रकाशित किया गया था ।

श्री भैरोंसिंह : पांच वर्ष तक उनका फिक्सेशन नहीं हुआ, इसका क्या कारण है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने जैसा कि निवेदन किया, ३०–१–४५ में जो नई भर्त्ती हुई उनको तो यही ग्रेड दिया गया लेकिन जो पुराने हैं उनका वेतन क्या हो, यह अभी अन्डर,कन्सीडरेशन है । उनका ग्रेड ३०-१-४५ रखा जाय या क्या रखा जाय, इस बारे में एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट और फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट में यह मामला विचाराधीन है ।

श्री भैरोंसिंह : १९५१ के बाद और ५६ के पहले क्या कई ऐसे मुकद्मात का फैसला हो चुका है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : एक का भी नहीं हुआ ।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार यह उचित समझती है कि ५१ के अन्दर जो लोग युनिफाइड पे स्केल्स के अन्तर्गत आ गये थे उनका ५६ में जाकर ग्रेड कम हो गया ? क्या सरकार इस बात पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी कि उनका वेतन कम न हो ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कहा, यह मामला विचाराधीन है ।

प्रश्न संख्या ५४६

श्री अध्यक्ष : श्री लादूराम सुलाणिया ।

(अनुपस्थित)

राजपूताना आयुर्वेदिक युनानी तिब्बी कॉलेज, जयपुर द्वारा संचालित आयुर्वेद परीक्षा को अमान्यता

५४८. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(क) क्या यह सही है कि आयुर्वेद विभागीय परीक्षा बोर्ड ने राजपूताना आयुर्वेदिक यूनानी तिब्बी कॉलेज, जयपुर द्वारा संचालित आयुर्वेद परीक्षा को अमान्य घोषित कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों और कब से ?

(ख) क्या यह सही है कि इस कॉलेज द्वारा संचालित परीक्षाओं को अभी तक मान्यता थी और कभी कोई शिकायत सामने नहीं आई ?

(ग) क्या उनकी मान्यता रद्द घोषित करने से पूर्व कॉलेज अधिकारियों को इस विषय का कोई नोटिस दिया गया या उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया ?

(घ) क्या यह सही है कि परीक्षाओं को अमान्य घोषित करने का अधिकार देशी चिकित्सा पंजीयन बोर्ड को है, न कि इस विभागीय परीक्षा बोर्ड को ? यदि हां, तो फिर किस नियमावली के तहत ऐसा किया गया है ?

Page No.32

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता): (क) विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं को ही सहायता दी जाना नियमित है क्योंकि तिब्बिया कॉलेज में आयुर्वेद का पाठ्य क्रम विभागीय मान्यता प्राप्त नहीं होने से अस्वीकृत किया गया है। आयुर्वेद विभागीय बोर्ड द्वारा भी यह निर्णय लिया जा चुका है। ऐसी परिस्थिति में युनानी का पाठ्यक्रम अभी संचालित नहीं होने से उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम के निर्णय तक प्रचलित युनानी-पाठ्यक्रम स्वीकृत किया गया है। संबन्धित विषय में आयुर्वेदिक विभागीय परीक्षा बोर्ड के रजिस्ट्रार कार्यालय के पत्र संख्या १६२३ दिनांक २३—७—६० द्वारा निर्णय लिया गया है, उसकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) जी नहीं। विभागीय परीक्षाओं के समकक्ष इस विद्यालय की आयुर्वेदिक परीक्षाओं को मान्य नहीं समझा गया है। अन्य प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां। समय समय पर निरीक्षण प्रसंग पर अधिकारियों को निर्देश दिये जाते रहे हैं।

(घ) जी नहीं। समस्त विभागीय परीक्षाओं का निर्णय आयुर्वेदिक संचालकालय के अन्तर्गत विभागीय परीक्षा बोर्ड करता है। इन्डियन मेडिसिन बोर्ड केवल पंजीबद्ध संबन्धी कार्यवाही करता है। जिस नियमावली के अन्तर्गत विभागीय परीक्षाओं की यह व्यवस्था सम्पन्न है उस नियम की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है ; जिसके नियम संख्या २७ मे यह स्पष्ट है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह (ग) का उत्तर दिया गया है, उसके अनुसार आपने उनको कोई अवसर नहीं दिया। आपने 'जी हां' कहा है।

(ग) का उत्तर देखिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जब इन्सपेक्शन हुआ तो उसका नोट भेज दिया कि आपकी परीक्षा प्रणाली नियम के अन्तर्गत नहीं है।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : यह पाठ्य क्रम युनानी का दूसरे पाठ्य क्रमों के समकक्ष क्यों नहीं गिनते ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इससे आपका क्या मतलब है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इण्डियन मेडिसिन्स बोर्ड को अमान्य करने का अधिकार है या आपके विभाग को ? क्या है, किसको है यह अधिकार ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: यह तो इण्डियन मेडिकल बोर्ड को अधिकार नहीं है, यह तो गवर्नमेंट का जो विभाग है उसकी एक पाठ्य-क्रम एक्ज़ामिनेशन बॉडी है, उसका अधिकार है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पाठ्यक्रम की बात नहीं कह रहा हूं। परीक्षाओं को मान्यता देने की बात कह रहा हूँ। प्रश्न इस समय डिस्प्यूट का यह है कि पर्टिकुलर परीक्षाओं को मान्यता दी जावे; इसका निर्णय कौन करेगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इण्डियन मेडिसिन बोर्ड को अधिकार नहीं है।

Page No.33

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या यह सत्य है कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने युनानी की इस परीक्षा को भी भिषगाचार्य के बराबर माना है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जयपुर आयुर्वेद कॉलेज की कह रहे हैं क्या ? वह तो ठीक है।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं यह पूछ रहा हूं कि युनानी कॉलेज जो आपका है उसकी जो परीक्षा है उसको भिषगाचार्य के बराबर पी० एस० सी० ने माना है, क्या यह सही है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस कॉलेज की परीक्षाओं को अभी किसने मान्यता दे रखी थी, इण्डियन मेडिसिन बोर्ड ने या विभाग ने ?

श्री जनार्दनराय नागर : क्यों मान्यता नहीं दी कॉलेज की परीक्षाओं को बोर्ड ने ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसलिये नहीं दी कि पाठ्यक्रम के हिसाब से उचित व्यवस्था रसायनशाला, प्रयोगशाला आदि की नहीं थी, उचित साधन नहीं थे इसलिये नहीं दी गई। मैडिकल कॉलेज कौंसिल बनी हुई है। उसकी ओर से निरीक्षण चलते हैं। अगर वह कह दे कि यह उनके स्टेन्डर्ड के अनुसार नहीं है तो इन्कार कर देते हैं।

डॉ० बहादुरसिंह : भिषगाचार्य को आपका विभाग लेता है, पर इसको दूसरी स्टेट नहीं मानती; ऐसा क्यों है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह अलग से प्रश्न है। इस समय मुझे जानकारी नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस पर्टिकुलर कॉलेज को विभाग द्वारा कहा गया कि आपके यहां चूंकि रसायनशाला और प्रयोगशालाओं आदि के साधन नहीं हैं इसलिये अमान्य घोषित कर देंगे, ऐसा लिखित में दिया गया था उनको ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने कहा न (ग) के उत्तर में।

श्री जनार्दनराय नागर : जिनके पास रसायनशाला और प्रयोगशालाएं नहीं हैं उनकी परीक्षाएं भी मान्य नहीं होनी चाहिये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसी बात नहीं है। यहां हमारे आतुरालय, औषधालय, रसायनशाला भी मौजूद हैं। अभी यहां एक भवन का उद्घाटन हमने किया है।

श्री जनार्दनराय नागर : मैं आयुर्वेद कॉलेज की बात कह रहा हूँ। उदयपुर आयुर्वेद कॉलेज में साधन नहीं हैं, लेबोरेटरी नहीं है।

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

डॉ० बहादुरसिंह: यही नहीं, राजस्थान सरकार जो परीक्षाएं लेती है किसी कानून के अन्तर्गत नहीं हैं, क्या यह सही है ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

तहसील नोहर में भाखरा से सिंचित भूमि

५५६. **श्री रामकिशन** (नोहर) :

(श्री रामकिशन)

क्या मन्त्री, राजस्थान केनाल बोर्ड विभाग यह बताने की कृपा करेंगे:-

(क) नोहर तहसील में भाखरा से सिंचित होनेवाली भूमि का कुल रकबा कितना है ?

(ख) अब इस भूमि में से कितनी भूमि असिंचित करार दे दी गई है ?

(ग) जिन काश्तकारों से सिंचित क्षेत्र की भूमि जो अब सिंचित करार दे दी गई है ५० बीघा से ज्यादा ले ली गई थी, सरकार इसके लिये क्या कर रही है ?

उप मंत्री, कृषि (श्री दौलतराम सारण): अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ ।

श्री अध्यक्ष : जल्दी मंगवा लीजिये ।

भूमि बन्धक बैंक

५६२. श्री शंकरलाल [रायपुर-श्री तनसिंह (बाड़मेर) द्वारा पूछा गया] : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) राजस्थान में किन किन स्थानों पर भूमि बन्धक बैंकों की स्थापना कब कब हुई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(ख) इन बैंकों द्वारा कितने कितने किसानों को जिलेवार कितना कितना ऋण दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ;

(ग) क्या यह सही है कि पाली जिला भूमि बन्धक बैंक द्वारा अभी तक एक भी काश्तकार को ऋण नहीं दिया है ? यदि हां, तो क्यों और कितने किसानों की दरख्वास्तें विचाराधीन हैं ?

सहकारिता मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) परिशिष्ट (क) सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ख) सूची परिशिष्ट (क) सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ग) जी नहीं । ६० किसानों की दरख्वास्तें विचाराधीन हैं ।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

(विराम)

(१२.०६ म. प.)

राजस्व मन्त्री ।

बसों के परमिट सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : मेरा एक एडजोर्नमेन्ट मोशन है ।

श्री अध्यक्ष : इसके बारे में सम्बन्धित मन्त्री महोदय से सूचना मांगी गई है ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण और बहुत आवश्यक मामला है । अगर इसमें देरी होती है तो जिस पर्पज के लिये इसे मूव किया गया है वह पर्पज ही डिफीट हो जावेगा; लीगल कॉम्प्लीकेशन्स जो खड़ी होंगी वे तो होंगी ही इसलिये इसकी आज ही चर्चा होनी चाहिये

(श्री भैरोंसिंह)

और शाम तक अगर इस पर चर्चा नहीं हुई तो जिस उद्देश्य से इसको यहां पेश किया जाना था उसका कोई महत्व नहीं रह जावेगा।

श्री अध्यक्ष : सम्बन्धित मन्त्री महोदय को भेज दी गई है, ज्यादा कॉपी हो तो यहां मन्त्री महोदय को और दे देंगे।

श्री भैरोंसिंह : मन्त्री महोदय से मेरा मतलब नहीं है, अध्यक्ष महोदय; गवर्नमेंट से मेरा मतलब है। मन्त्री महोदय तो आवें, न आवें उनकी मर्जी की बात है। मेरा इसको रखने का जो पर्पज़ है, जिसके लिये यह मूव किया गया है वह पर्पज़ अगर पूरा नहीं होता है तो कल तक तो जजमेंट सुना दिये जावेंगे और लोग हाई कोर्ट में रिटें लेकर चले जावेंगे और इस तरह जिनको अवांछित रूप से पर्मिट मिल गये हैं या मिले हुए हैं उनको प्रोटेक्शन मिल जावेगा और इस तरह मेरे इस एडजोर्नमेंट मोशन का पर्पज़ डिफीट हो जायेगा। मैं चाहता हूं कि इसे आज ही लिया जाय। गृह मन्त्री श्री रामकिशोरजी व्यास से मुझे मतलब नहीं है; वे आए या न आए। सरकारी बैंचों पर लोग बैठे हैं। सरकार की ओर वे से जवाब दे सकते हैं और इसमें इतना जबर्दस्त ब्लेण्डर हुआ है सरकारी मशीनरी की तरफ से कि एस० टी० ए० में जहां लीगल रीमेम्ब्रेन्सर को अपोइन्ट किया जाना चाहिये था वहां लॉ सेक्रेटरी को अपोइन्ट कर दिया गया है और जान-बूझकर किया गया है, अपने कुछ लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिये कि जिससे उनकी अपीलें मन्जूर न हो जावें और इस तरह से जो अवांछित रूप से उनको पर्मिट मिले हुए हैं वे चलते रहें। यह एक लीगल लेकुना उन्होंने रख दिया लॉ सेक्रेटरी का अपोइन्टमेंट करके और इस लीगल लेकुना की बिना पर उनके चाहे जो व्यक्ति हाई कोर्ट में जाकर वहां से स्टे ऑर्डर प्राप्त कर लें और इस तरह से एस० टी० ए० के निर्णय स्टे हो जावें और गलत तरीकों से उनको जो रूट के पर्मिट मिले हुए हैं उन पर उनकी गाड़ियां बदस्तूर चलती रहें। यह जान-बूझकर, इन्टेन्शनली लेकुना रखा गया है अपने आदमियों को अवांछित रूप से संरक्षण देने के लिये। यह एक तरह का मिस्चीवियस एक्शन है जिसके बारे में सारी गवर्नमेन्ट मशीनरी को मूव किया गया है। मैं चाहता हूं कि इतने बड़े महत्व के मामले पर आज ही डिस्कशन हो। नहीं तो आज फैसला होने वाला है, वह हो जावेगा और कल लोग हाई कोर्ट से रिटें पेश कर स्टे ऑर्डर ले आवेंगे; और यही जजमेन्ट देने का आज का इन्टेन्शन है।

श्री अध्यक्ष : दूसरे माननीय मन्त्री को भी स्थगन प्रस्ताव की कॉपी दे दी जावेगी और अगर....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : गृह मन्त्रीजी को भेज दिया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : So far as the Government is concerned, facts will be submitted to you tomorrow, before the Assembly meets. Now it is for the Hon'ble Speaker whether the Adjournment Motion is to be admitted or not. Facts will be submitted tomorrow.

Page No.36

श्री अध्यक्ष : कल तक का कह रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : आज फैसला हो जावेगा। अगर एक भी मामले में फैसला हो गया तो कल तक वे लोग स्टे ऑर्डर ओब्टेन करके अपनी गाड़ियां चलाते रहेंगे। आज शाम तक सदन के स्थगित होने से पहले पहले गवर्नमेंट अपनी ओपीनियन दे और जजमेंट जो हो रहा है उसके लिए असेम्बली यह डाइरेक्शन दे और गवर्नमेंट भी उनको कन्वे करे कि वह जजमेंट डिलीवर न करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इमीजिए-टली इतनी तो व्यवस्था हो ही सकती है। स्थगन प्रस्ताव की कॉपी भेजने के बाद हाउस की इतनी तो रेस्पेक्ट गृह मन्त्री महोदय को करनी ही चाहिये थी कि यहां प्रेजेन्ट होते और अगर किसी ऐसे ही कारण से नहीं आ सकते थे तो दूसरे अपने साथी को इन्स्ट्रक्शन दे सकते थे; वह भी नहीं दी। इससे यह और भी स्पष्ट लगता है कि जो एली-गेशन सरकार पर लगाया जाता है कि यह उसका एक मिसचीवियस एक्शन है, डेलीबरे-टली किया जा रहा है, अपने कुछ लोगों को अवांछनीय तरीके से लाभ पहुँचाने के लिए किया जा रहा है, जान-बूझकर लीगल लेकुना रखा गया है; यह स्पष्ट है। इस-लिए मेरी यह मान्यता है कि निश्चित रूप से इतना आदेश सदन की ओर से सरकार को दिया जाना चाहिये कि वे इन जजमेंट्स को डिलीवर होने से रोके। वे जजमेंट्स डिलीवर नहीं होने चाहिये। इस तरह से स्पेसिफिकली क्लीयर निर्णय सदन को देना चाहिये, नहीं तो कल हाई कोर्ट से इस लीगल लेकुना के आधार पर स्टे ऑर्डर आवेगा। अब उनको अगर आपको फायदा ही पहुँचाना है और इतना करने और लोगों के जान लेने के बाद भी फायदा पहुँचाना है तो ठीक है; नहीं तो फिर स्पष्ट कहें कि हम जजमेंट को डिलीवर होने से रोक देंगे और सदन में विचार नहीं कर लेते तब तक आगे कार्यवाही नहीं करेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास : कहां तक क्या है, क्या नहीं है, I have not yet seen that statement of allegations. And it is not possible for me or to the Government to give any direction to a quasi judicial body to do it or to omit it. It is not possible. So far as the facts are concerned. I will submit them tomorrow I will try to submit by this evening, if possible.

श्री भैरोंसिंह : I am not going to question about the Constitutional body but about the action what they are going to take in the name of a Constitutional body and these actions are being questioned here.

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय, ने कह दिया कि आज सम्भव हो सका तो आज भी देने को तैयार हैं।

श्री भैरोंसिंह : फिर तो माननीय मन्त्री महोदय कल कहें, परसों कहें; कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज रखना चाहिये ताकि कोई हाई कोर्ट में एप्रोच न कर सके।

श्री अध्यक्ष : I think the Government realised it seriously.

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस....

Page No.37

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री कहते हैं कि पहले तो वे अपनी फाइल देखें, यह जानने के लिए कि वे कर सकते हैं, कुछ या नहीं।

श्री भैरोंसिंह : इसमें गवर्नमेंट का ऑर्डर है, नोटिफिकेशन आया हुआ है। वह नोटिफिकेशन अगर उनको नहीं मिलेगा तो मैं उनको दे दूंगा। उनके अनुसार सरकार कह सकती है। अपील ऑथोरिटी का कॉन्स्टीट्यूशन ही गलत है, इल्लीगल है और ऐसी स्थिति में मैं कहूँगा कि बिल्कुल अनकॉन्स्टीट्यूशनल वर्क किया जा रहा है under the name of the constitutional body. माननीय मन्त्रीजी को तुरन्त हस्तक्षेप करके इस कार्यवाही को रोकना चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : क्या आपके कहने का मतलब यह है कि आज अपीलेट ऑथोरिटी की कोई मीटिंग हो रही है ?

श्री भैरोंसिंह : जो जजमेंट है उसको रिजर्व कर रखा है और वह आज होगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : अगर ऐसा है तो उसको कौन ऑथोरिटी रोक सकती है ?

श्री भैरोंसिंह : गवर्नमेंट रोक सकती है, और कौन रोक सकता है ?

श्री श्रीभानसिंह (बयाना): अध्यक्ष महोदय, माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर साहब को क्लियर पोज़ीशन कभी मालूम नहीं होती है।

I think the Revenue Minister every time escaps by stating that. (श्री राजस्व मन्त्री से) You are responsible for the actions of this 'quasi-Judicial' body to this House. You can interefere in that and you can stop...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : And particularly when there is a demand in this House.

श्री अध्यक्ष : इस पर अधिक बहस करना उचित नहीं है। मन्त्री महोदय ने खुद ने कहा है कि अगर वे आज सारी सूचना एकत्रित कर सकें तो सदन की कार्यवाही स्थगित होने से पहले आपको बता देंगे।

He has said that and we should accept his assurance.

हनुमानगढ़ व सूरतगढ़ क्षेत्रों में बाढ़ सम्बन्धी स्थगन-प्रस्ताव

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): अध्यक्ष महोदय, एक स्थगन प्रस्ताव मेरा हनुमानगढ़ के बारे में था उसके लिए आज स्टेटमेंट सदन में देना था।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री): I think Mr. Sohan Lal Bhatnagar also wanted ?

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): Yes, Sir, I also wanted about Salumbar.

श्री दामोदरलाल व्यास : घग्घर नदी की बाढ़ के बारे में।

Mr, Speaker, Sir, so far as the flood in Hanumangarh and Suratgarh area

(श्री दामोदरलाल व्यास)

is concernd, I will just acquaint the House with the History of Ghaghhar and the floods...

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर): अध्यक्ष महोदय, बहुत से माननीय सदस्य हनुमानगढ़ के आस-पास के रहने वाले हैं और अगर स्टेटमेंट हिन्दी में होता तो ज्यादा अच्छा रहता।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, घग्घर नदी से जो बाढ़ हनुमानगढ़ और सूरतगढ़ क्षेत्र में आई उसके बारे में सबसे पहले मैं यह चाहूंगा कि माननीय सदस्यों को इस बात से अवगत कराऊं कि यह नदी कहां से आती है और किस किस क्षेत्र से बह कर आती है ताकि इसकी जानकारी सदन को हो जाये कि यह जो पानी ज्यादा आता है वह किस तरह आता है और उसको कैसे रोका जा सकता है या नहीं रोका जा सकता है।

उसके लिए मैं आपसे अर्ज करूंगा कि घग्घर नदी में बाढ़ आ जाने से जो इसका इतिहास है उसके बारे में यह अर्ज करना चाहता हूँ कि यह नदी बरसाती है और यह हिमालय पर्वत से बह कर आती है। हिमालय के पर्वतीय भाग में करीब २५ मील बह कर अम्बाला, करनाल, हिसार और पटियाला क्षेत्र में बहते हुए राजस्थान के गंगानगर जिले में आती है और वहां आते आते यह प्राय: सूख जाती है। लेकिन बरसात के मौसम में घग्घर में पानी इतना बह कर आता है कि वह पानी इस क्षेत्र के सिंचाई के लिए काम में आता है। इसके पानी को काम में लाने के बारे में विचार हुआ और बीकानेर रियासत और पंजाब के आपस में काफी खींचातानी रही और काफी झगड़ा रहा और फिर १८९६ और १८९७ में एक संधि पंजाब, बीकानेर और ब्रिटिश गवर्नमेंट के दर्मियान में हुई। इसके जरिये इस प्रकार की संधि हुई कि एक बांध ओटू के ऊपर बनाया जाय। इससे कई नहरें निकाली गईं जिनके फलस्वरूप घग्घर नदी का पानी हिसार डिस्ट्रिक्ट को सिरसा तहसील तथा बीकानेर के कुछ इलाकों में सिंचाई के काम में आने लगा। बीकानेर डिविजन की १ लाख २ हजार एकड़ जमीन की सिंचाई इसके पानी से होने लगी और पंजाब की ८३,५०० एकड़ जमीन की सिंचाई होने लगेगी।

इस १८९७ के घग्घर कैनाल्स एग्रीमेंट में बीकानेर का उत्तरी और दक्षिणी हिस्सा है उसको नहर से ५० पर्सेन्ट पानी मिला और चूंकि पानी २०० क्यूसेक्स से कम था इसलिए बीकानेर राज्य के किसी भी क्षेत्र को पानी नहीं मिला और अधिक से अधिक पानी सिंचाई के लिए मिले, इसके लिए काफी प्रोटेस्ट किया, लेकिन कुछ नतीजा नहीं निकला। अब इस घग्घर नदी से हर साल जो पानी आता है उस पानी में हनुमानगढ़ तहसील के ५३ गांव इसकी फेट में है और इसी तरह सूरतगढ़ के ३१ गांव इस नाले में है। इस नाले के पानी से ही वहां की सिंचाई होती है। हर साल अधिक पानी आता है और इस पानी के आने को सभी काश्तकार पसन्द करते हैं क्योंकि नाले में पानी आने से काफी पैदावार होती है।

इस साल ४ सितम्बर, १९६० को पानी

(श्री दामोदरलाल व्यास)

आना शुरू हुआ और रोजमर्रा यह पानी बढ़ता ही गया। यहां तक कि १० सितम्बर, १९६० को इस पानी का डिस्चार्ज ७,००० क्यूसेक्स हो गया। इसका डेंजर पॉइन्ट ६००० क्यूसेक्स पर है। लेकिन १० सितम्बर, को यह पानी ७००० क्यूसेक्स हो गया। इसके बाद पानी बढ़ता गया और इतना पानी इससे पहले कभी घग्घर में नहीं आया था। पानी इतना बहकर आने से स्थिति काफी खराब हो गई और इस स्थिति को काबू में लाने के लिए तुरन्त सोचा गया कि इसको किस तरह से रोका जाये ताकि हनुमानगढ़ और सूरतगढ़ होते हुए बगैर किसी नुकसान किये यह पानी निकल जाये। इसके लिए यह तय किया गया कि अगर इस पानी को नहीं रोका गया तो हनुमानगढ़ जंक्शन, भाखरा कैनाल कॉलोनी और रेल्वे कोलोनी में पानी भर जायेगा। इसलिए यह मुनासिब समझा कि हनुमानगढ़ जंक्शन और हनुमानगढ़ टाउन के दर्मियान में जो सड़क है उसको काट दिया जाये ताकि पानी के बहाव को रेल्वे कोलोनी में जाने से रोका जाये। फिर यह भी तय किया गया कि हनुमानगढ़ जंक्शन और हनुमानगढ़ टाउन के बीच में से रेल्वे लाइन को भी काट दिया जाये ताकि रेल्वे लाइन काटने से पानी उधर चला जाये और उससे हनुमानगढ़ कस्बे में पानी को आने से रोक दिया जाये और यह रेल्वे ऑथेरिटीज की सलाह से और जो इर्रिगेशन डिपार्टमेन्ट के इन्जीनियर्स वगैरह हैं उनकी सलाह से काम किया गया था। रेल्वे ट्रेक और सड़क को तोड़ने के बाद एक बंध हनुमानगढ़ जंक्शन के रेल्वे ट्रेक पर बनाया गया ताकि पानी को बुलडोजर्स से रोक दिया जाये। इस प्रकार से यह एक्शन लेने से भाखरा केनाल कोलोनी बच गई और जो हनुमानगढ़ जंकशन में आबादी थी वह भी बच गई और वह पानी सूरतगढ़ की ओर रवाना हो गया। सूरतगढ़ की तरफ पीलीबंगा मण्डी जो रास्ते में पड़ती है उसके चारों तरफ बुलडोजर्स, जो कि राजस्थान कैनाल के थे उनकी सहायता से एक बंध बना दिया गया और इस बंध के बन जाने से पीलीबंगा मण्डी, सूरतगढ़ फार्म, राजस्थान कैनाल कोलोनी और हरिजन बस्ती बच गए और पानी आगे रवाना हो गया। उसके बाद में सरुपसर की तरफ गया और वहां से पानी बंध के बनने से निकाल दिया गया, जिससे नुकसान नहीं हुआ और पानी नीचे निकल गया।

इस दर्मियान में जैसा अर्ज किया कि नदी में ७००० क्यूसेक्स पानी आ गया था जो बाद मे १० हजार क्यूसेक्स हो गया था, लेकिन पानी अब एक दम कम हो गया और लेटेस्ट इत्तला जो कल ७।। बजे शाम को वायरलैस से आई है उसमें यह है कि अब पानी केवल १५०० क्यूसेक्स ही चल रहा है इससे किसी को भी खतरा नहीं है। इस बाढ़ से जो नुकसान हुआ वह यह हुआ कि जैसा मैंने अर्ज किया कि अब १५०० क्यूसेक्स पानी रह गया है और इस बाढ़ के आ जाने से ज्वालासिंहवाला, सर्तपुरा, बुधसिंहपुरा, श्रीनगर, अमरपुरा, बहलोलनगर, गंगागढ़ गांव पानी में डूब गए और जो कच्चे मकान इन गांवों में थे वे करीब करीब गिर गए और पक्के मकान अभी तक खड़े हुए हैं। इन गांवों के रहनेवाले लोग मय अपनी प्रापर्टी को अनाज को लाइवस्टॉक—जानवरों को लेकर पहले ही हटा दिये गये थे। इसलिए प्रोपर्टी और लाइव्ज को

(श्री दामोदरलाल व्यास)

कोई भी नुकसान नहीं हुआ । केवल कच्चे मकान गिरे हैं इन गांवों के अन्दर ।

ये चार गांव ऐसे हैं जो कि चारों तरफ से घिरे हुए हैं; ये चार गांव हैं रामसर, बारेका, रामपुरा और चकजहेना । इन चारों गांव वालों को इवेक्युएट कर दिया गया है मय उनके जानवरों के, उनके नाज उनकी प्रोपर्टी वगैरह सब सामान को लेकर तथा इस समय मकान खाली पड़े हुए हैं । एक धारासीन गांव है उसमें भी कुछ पानी भर गया है मगर इस गांव को भी इवेक्युएट कर दिया गया है । जो खरीफ क्रोप है उसको तो काफी नुकसान हुआ है और सिर्फ गन्ना ही खड़ा हुआ है, बाकी सारी फसल को नुकसान हुआ है ।

रेवेन्यू डिपार्टमेंट, आर. ए. सी. पुलिस ऑफिसर्स, इरिगेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स तथा रेल्वे के ऑफिसर्स वगैरह सबने पूरे कोऑपरेशन के साथ इस फ्लड का मुकाबला किया जो कि नाले से आया था । पानी अब रिसीड हो रहा है, काफी कम पड़ रहा है और ज्यों ही कंट्रोल में आयेगा तमाम कॉम्यूनिकेशन रेस्टोर हो जायेंगे । अब नुकसान कितना हुआ है, कितना नुकसान फसलों का या मकानों का हुआ है उसकी फहरिश्त बाद में तैयार होने पर ही मालूम हो सकेगा कि वाकई में कितना नुकसान हुआ है । कमिश्नर बीकानेर और कलेक्टर गंगानगर स्वयं फ्लड ऑपरेशन्स को वहां सुपरवाइज़ कर रहे हैं और मौके पर मौजूद हैं । राजस्थान केनाल के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको भी आज्ञा दे दी गई है कि वहां पर आइन्दा इस तरह के फ्लड रिकर न हों, इसलिए वहां पर प्रोजेक्ट बनाया जाय । उनको आदेश दे दिया गया है कि प्रोजेक्ट का प्लान तैयार कर पेश करें जिससे गवर्नमेंट उस पर आदेश जारी कर सके । जैसा मैंने आपसे अर्ज किया, इसके बाद मुझे वायरलैस से सूचना मिली है कि पानी सूरतगढ़ से अब रवाना हो गया है और सूरतगढ़, वहां का फार्म वगैरह सब सेफ हैं और अब पानी का बहाव कम हो गया है और उससे उम्मीद की जाती है कि आइन्दा अनूपगढ़ तहसील या दूसरे हिस्से को कोई खतरा नहीं है ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : आप थोड़ा सा यह बता दें कि जो गांव अभी भी चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं उनके लिए खाने-पीने की क्या व्यवस्था की है, हनुमानगढ़ शहर से हनुमानगढ़ जंक्शन जाने के लिए सारे रास्ते टूटे हुए हैं ।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैंने तो पहले ही अर्ज कर दिया कि जिन जिन गांवों को खतरा था, जिन जिन गांवों को खतरा पैदा हुआ उनको पहले ही इवेक्युएट कर दिया गया है । आपने कहां से सुन लिया कि गांव के अन्दर आदमी हैं ? I have never said so, but I have distinctly said कि वहां के लोगों को ही नहीं उनके जानवरों को, उनकी प्रोपर्टी को भी इवेक्युएट कर दिया गया है । Not only this, उनका नाज वगैरह भी हटा दिया गया है ।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं आपसे कहता हूं कि अभी भी गांवों के चारों तरफ पानी घिरा हुआ है और नौकाओं से उनको ले जाने का प्रबन्ध किया गया है, लेकिन उनके खाने-पीने का पूरा इन्तजाम नहीं है ।

(श्री मुरलीधर व्यास)

वहां का आवागमन बिल्कुल ठप्प हो गया है। बीकानेर रेलवे के जितने भी रास्ते हैं हनुमानगढ़, सूरतगढ़ पीलीबंगा सब रास्ते टूट गए हैं और लोग वैसे ही पड़े हुए हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप मुझे बता सकते हैं कि कौन से गांव के लिए ऐसा खाने–पीने का इन्तजाम नहीं है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिए अर्ज करूं कि कलेक्टर को इस प्रकार के आदेश हैं कि फ्लड रिलीफ के लिए, खाने-पीने की व्यवस्था के लिए जितना खर्चा करना पड़े, खर्चा कर दें और किसी को तकलीफ न होने पावे। माननीय सदस्य को अगर किसी गांव के बारे में जानकारी है कि फलां जगह पर इन्तजाम नहीं हो रहा है तो वे इसकी जानकारी मुझे दे सकते थे, मैं इसका इन्तजाम करवा देता। आप जानते हैं कि जब वहां पर कॉम्युनिकेशन के साधन टूट गए हैं और वायरलैस से कॉम्युनिकेशन मंगवा कर आपको सूचना दे रहा हूं, जब आपको इसकी जानकारी थी तो उसको मुझे बता सकते थे; लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि वहां पर इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं है और आप तीन दिन पुरानी खबर को लेकर बैठे हैं। मैं बड़ी नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि अगर माननीय सदस्य को कोई इस प्रकार की खबर है तो बतलायें कि कहां हालत खराब है। अभी जितने गांवों के नाम मैंने आपको बताये उनमें हमारे ऑफिसर्स ने स्वयं ने वहां के लोगों को मय अपने जानवर और सामान के इवेक्युएट किया है और इस समय वहां कोई आदमी नहीं है और अनाज, कपड़े वगैरह सब साथ लेकर वे लोग आए हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : जो डिस्प्लेस्ड पर्सन्स हनुमानगढ़ जंक्शन पर लाकर छोड़ दिए गए हैं, जो हनुमानगढ़ जंक्शन पर पड़े हुए हैं वे जिस परिस्थिति में पड़े हुए हैं उनके लिए सरकार क्या कर रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उनके लिए अलग अलग से क्या व्यवस्था करनी थी। उनके लिए शेल्टर दे दिया गया है, खाने–पीने की सुविधा दे दी गई है। जो गांवों के अन्दर उनके कच्चे मकान वगैरह गिर गए हैं उनके लिए बाद में व्यवस्था की जायेगी।

श्री मुरलीधर व्यास : जिन लोगों के घरबार नष्ट हो गए हैं उनके लिए क्या किया जायेगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जब गांव से पानी निकल जायेगा तो वे लोग अपने घरों पर लौट जायेंगे और जिनके घरबार नष्ट हो गए हैं उनको रिलीफ रूल्स के अनुसार मदद दी जायेगी।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं आपसे कहता हूं कि हनुमानगढ़ जंक्शन पर कितने ही आदमी बैठे हैं जो यों ही पड़े हुए हैं और आप कहते हैं कि उनके लिए खाने-पीने का इन्तजाम कर दिया गया है ।

(दो–तीन माननीय सदस्य एक साथ बोलने खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : किशनाराम ।

श्री किशनाराम (रतनगढ़) : माननीय माल मंत्रीजी ने यह बहुत लम्बा-चौड़ा स्टेटमेंट दे दिया है लेकिन यह नहीं बताया कि एक पाई का भी नुकसान हुआ है–जान

(श्री किशनाराम)

माल का या जानवरों का । लम्बा-चौड़ा भाषण तो दे दिया लेकिन एक पाई का भी नुकसान नहीं बताया है । आप कहते हैं कि आपको सूचना नहीं है । आखिर आप राजस्व मंत्री हैं राजस्थान के, बारह-तेरह घंटे का रास्ता है आप खुद को वहां पर जाना चाहिए था और सारा इन्तजाम देखना चाहिए था और सारी स्थिति को स्वयं देख कर यहां इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी आप कहते हैं कि एक पाई का भी नुकसान नहीं हुआ है । वहां पर कितना नुकसान है, क्या आप इसकी सूचना इकट्ठी नहीं कर सकते जो यहां पर गलत सूचना दे रहे हैं और हर बार माननीय सदस्य की हर सूचना को आप गलत बताते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सदस्य, यह क्या सूचना दे रहे हैं ? आप कहते हैं कि मुझे जाना चाहिए था तो इर्रिगेशन मिनिस्टर पहले ही पहुँच गए थे, कमिश्नर और कलेक्टर स्वयं मौके पर उपस्थित हैं और फ्लड रिलीफ ऑपरेशन्स को सुपरवाइज़ कर रहे हैं । अगर मेरी आवश्यकता हुई तो मैं भी चला जाऊंगा, लेकिन यह तो मेरे सोचने की बात है ।

श्री मुरलीधर व्यास : जो वहां की परिस्थिति हो गई है कि पहले तो वहां पर दो-तीन फीट पानी आता था, घुटनों तक पानी आता था लेकिन अब तो आठ-आठ, दस-दस फीट पानी घंटों बहता है और यह कई दिन तक साफ नहीं होगा । सारे आवागमन के रास्ते बन्द हो गए हैं । जो डिस्प्लेस्ड पर्सन्स हैं उनके लिए स्थायी प्रबन्ध करना जरूरी है क्योंकि छः महीने तक तो पानी सोखने वाला नहीं है इस एरिया का ।

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय अध्यक्ष, मैं बड़ी नम्रतापूर्वक अर्ज करना चाहता हूं कि फ्लड का मामला ऐसा नहीं है जिसे ह्यूमन दृष्टि से आप....

श्री मुरलीधर व्यास : मैं आप पर शक नहीं कर रहा हूं ।

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय अध्यक्ष, मैं अर्ज कर रहा था कि फ्लड का मामला इस प्रकार का है कि जिसे राजनैतिक दृष्टि से न देखें तो ठीक होगा । वहां के जो लोग बैठे हुए हैं, वहां पर लोगों को निकालने में व्यस्त हैं सारे अफसर । सारी मशीनरी फ्लड सफरर्स को इमीजियेट रिलिफ पहुँचाने में, उनको वहां से निकालने में लगी हुई है । सबको खाने-पीने की सुविधा दे दी गई है और उनको शेल्टर के अन्दर पहुंचा दिया गया है सब को शेल्टर मिल रहा है । मेरे पास कहीं की कोई शिकायत नहीं है, सबको खाना-पीना मिल रहा है । जहां तक आगे रिलीफ पहुंचाने का सवाल है इन्टेरिम प्रोजेक्ट बनाने के ऑर्डर्स हो गए हैं ।

दूसरी बात, यह कही गई कि जो मकानों का नुकसान हो गया है उनके लिए कार्य किया जाय तो वह सहायता तो बाद में उनको रिलीफ रूल्स के अनुसार दी जायेगी । जो इमीजियेट रिलीफ उनको मिलनी चाहिए वह उनको मिल रही है; जैसे किसी को खाने की जरूरत है, किसी को शेल्टर की जरूरत है, तो उसको वह दिया जा रहा है,

(श्री दामोदरलाल व्यास)

इमीजियेट रिलीफ के सारे काम हो रहे हैं। आगे भी जब रिलीफ की आवश्यकता होगी कि जो नुक्सान हुआ है उसकी फहरिश्त बना कर मालूम किया जायेगा कि कितना नुक्सान हुआ है और उसके बाद ही नियमों के अनुसार उनको रिलीफ दी जायगी। जो गांव पानी में घिर गए उनको वहां से इवेक्युएट करके जहां पर शेल्टर अवेलेबल हो सका उनको सेल्टर दिया गया है। वहां पर आवागमन के साधन टूट गए हैं कॉम्युनिकेशन्स फैल हो गए हैं और मैं यह सूचना, जो मुझे वायरलैस से मिली है, उसके आधार पर दे रहा हूं। बाकी यह मैं बड़ी नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कि माननीय सदस्य ने जो यह कहा है कि खाने को नहीं मिल रहा है तो यह आपकी सूचना गलत है या जिस किसी ने आपको यह सूचना दी है वह बिल्कुल गलत दी है। वहां पर खाने-पीने का पूरा पूरा इन्तजाम कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह।

श्री मोहरसिंह (चुरू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो माननीय मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि जो नदी के पानी का बहाव है क्या उसका पानी कम हो गया है, एक चीज ? करणीसर और सूरतपुरा जो सूरतगढ़ के बिल्कुल पास के गांव हैं उनके लिए आपने क्या इन्तजाम किया है, दो चीजें और जो चार गांवों के नाम आपने बताए और जो पानी से घिरे हैं उनके लिए पूरा इन्तजाम कर दिया गया हैं; खाने-पीने का, रहने का? इन तीनों बातों का जाबवमैं चाहता हूं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं इनके सम्बन्ध में पहले ही प्रकाश डाल चुका हूं।

The residents and cattle of all the villages were also evacuated in time."

"The village Darasal is partially under water and the population of this village has also been evacuated." यह तो एक रिपोर्ट पढ़ कर सुनाई है जो कि कमिश्नर ने भेजी है। उनको इवेकुएशन करा दिया है।

दूसरा पौइन्ट, घग्घर नदी में बाढ़ के कारण हनुमानगढ़ तहसील और सूरतगढ़ तहसील में कई गांव एफेक्टेड हैं। उनमें से जितने गांव इवेकुएट हुए हैं उनके नाम बता दिये हैं। उनकी सारी की सारी पोपुलेशन को इवेकुएट करा दिया है।

श्री मोहरसिंह (चूरू) : कमिश्नर और कलेक्टर ने क्या भेजा है, लेकिन क्या उसका चढ़ाव कम हुआ है ?

श्री अध्यक्ष : वे पूछ रहे हैं कि फ्लो कम हुआ है क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास : फ्लो के लिए स्टेटमेंट आ गया है। पहले ७ से १० हजार क्यूसेक्स पानी था। अब वह पानी १५०० क्यूसेक्स आ गया है, २००० क्यूसेक्स तक आ गया है। तो नोर्मल फ्लो ६००० क्यूसेक्स तक होता है। उसके बाद डेन्जर पोइन्ट आता है। ६ हजार क्यूसेक्स से १५०० क्यूसेक्स ही रह गया है।

श्री मोहरसिंह : आपने कहा कि रेलवे लाइन्स को काट दिया गया है और सड़क

(श्री मोहरसिंह)

को काट दिया गया है, इसलिए पानी का बहाव कम हुआ है, पहले से पलो कम हुआ है।

श्री दामोदरलाल व्यास : १५०० क्यूसेक्स वहां का बता रहा हूं। I am speaking of the discharge form Ooti tank.

श्री मोहरसिंह : मैं यह पूछ रहा हूं कि सूरतगढ़ से आगे यह घग्घर नदी जो जाती है तो रास्ते के ऐन करीब जो दो गांव हैं उनका लेवल बराबर है, सूरतगढ़ का लेवल जो जमीन का है उसका तो उनको खतरा है। उनके लिए कोई पहले से इन्तजाम कर दिया गया है क्या ?

श्री अध्यक्ष : सूरतगढ़ के रास्ते में दो गांव माननीय सदस्य ने बतलाये हैं उनका इन्तजाम पहले से हो गया है क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कौन से ?

श्री मोहरसिंह : करनीसर और सूरतपुरा बिल्कुल लगे हुए हैं। सूरतगढ़ के लिए इन्तजाम किया है। पानी का बहाव उनके पास तक पहुँच जाय, तो इन दोनों गांवों के लिए इन्तजाम किया क्या है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सूरतगढ़ से पानी कम हो रहा है। पानी वहां पर नहीं है। उनके नीचे की जो आबादी थी उसके लिए पहले से ही बैंडिंग कर दिया गया था इसलिए इन्तज़ाम हो गया था। जो गांव जल में डूब गये हैं उनके नाम बतला दिये हैं।

श्री मोहरसिंह : जिन गांवों के नाम बतलाये हैं उनको कोई खतरा नहीं है क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास: जहां से पानी निकल गया है या लोकस्ट के बारे में पूछते हैं क्या ?

श्री किशनाराम : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आर्डर !! आर्डर, प्लीज़ ! अब बहस नहीं हो सकती है।

श्री किशनाराम : एक बहुत इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन है।

श्री दामोदरलाल व्यास : करणीसर और सूरतपुरा जो हैं उनको बिल्कुल खतरा नहीं है, दोनों गांवों को।

टिड्डी के बारे में माननीय एग्रीकल्चर मंत्रीजी स्टेटमेंट देंगे।

उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के सलूम्बर इलाके के लिए एक माननीय सदस्य जानना चाहते थे कि वहां की हालत खराब है। तो मैं अर्ज करूंगा कि कलेक्टर उदयपुर से पूछने पर उन्होंने बतलाया है। आज सुबह १० बजे ही बात हुई है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Was it also a part of the adjournment motion ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Yes, Sir, it is.

श्री चन्दनमल बैद (सरदारशहर) : Was Salumbar also a part of the adjournment motion ?

श्री दामोदरलाल व्यास : For the information of the Hon'ble member and the House, १० बजे जो कलेक्टर से बात हुई तो कलेक्टर की रिपोर्ट है वह यह है कि क्रोप जो है उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में वह बहुत ही संतोषजनक है, अच्छी है। सलूम्बर में खास तौर से बहुत अच्छी है। इस वक्त भी वहां बादल हो रहे हैं, १० बजे वहां बारिश हो रही है। इस वजह से और भी अच्छी हो जायगी।

श्री अध्यक्ष : कृषि मन्त्री जी।

टिड्डियों से हुई क्षति सम्बन्धी कृषि मंत्री का वक्तव्य

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इस बार जैसा कि सदन के बहुत से माननीय सदस्यों को विदित है कि राजस्थान के कुछ जिलों में टिड्डी शुरू में भी काफी आई, और आज दिन भी काफी इलाकों में मौजूद है। राजस्थान टिड्डी कन्ट्रोल करने के हिसाब से दो हिस्सों में विभाजित है। वह हिस्सा जिसको डेज़र्ट इलाका कहा जाता है, रेगिस्तानी इलाका कहा जाता है, उसकी देखभाल भारत सरकार की वहां पर जो लोकस्ट कन्ट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है वह करती है। इसमें हमारे राजस्थान के झुन्झुनू, सीकर डिस्ट्रिक्ट, अलवर डिस्ट्रिक्ट की बान्सूर, बहरोर तहसीलें, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट, चुरू डिस्ट्रिक्ट, श्री गंगानगर की अनूपगढ़, सूरतगढ़, नोहर और सादूलगढ़ की तहसीलें, जोधपुर जिला, नागोर जिले की नागोर तहसील, डीडवाना तहसील, नावां तहसील, जालोर की सारी तहसीलें, ये ११ जिले रेगिस्तानी इलाके में आते हैं और वहां पर लोकस्ट कन्ट्रोल का काम भारत सरकार की मशीनरी है वह करती है। उनके अलग अलग जिलों के अन्दर कुछ चेक पोस्ट्स लगाये हुए हैं। वहां पर उनका स्टाफ रहता है। वहां पर मशीनें रहती हैं और वहां टिड्डी को मारने का जो पाउडर है वह काफी तादाद में स्टोर रहता है।

इसके बाद में जो दूसरा राजस्थान का हिस्सा बचता है उस हिस्से में टिड्डी के कन्ट्रोल का काम राजस्थान के रेवेन्यू अधिकारी, कृषि अधिकारी, विकास अधिकारी और पंचायत समितियों के जिम्मे होता है; जिसको कल्टीवेटेड एरिया कहते हैं, इस सारे इलाके के लोकस्ट कन्ट्रोल का काम, राजस्थान सरकार की मशीनरी लोगों के सहयोग से टिड्डी कन्ट्रोल का काम करती है।

राजस्थान में इस बार जो अभी तक की रिपोर्ट है उस हिसाब से टिड्डी दल जो आये वे करीब १२७८ टिड्डी दल आये और ये टिड्डी दल आम तौर से पाकिस्तान की तरफ से आये और जब जब आये हैं तब लोकस्ट वालों की रिपोर्ट आई है। लोकस्ट-वालों की रिपोर्ट है कि बरसात होने से पहले ही टिड्डियों के बहुत से दल हमारे यहां पर घुस चुके थे। बरसात होने के पहले बहुत से दलों ने अपना एग लेइंग भी राजस्थान में किया। खास तौर से डेज़र्ट एरिया में, जैसलमेर में, बीकानेर में, फलोदी और जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के उन इलाकों में जहां कि सूना इलाका है. वहां पर आ करके एग लेइंग हुआ। उसके बाद वह स्वार्म आगे बढ़ा और एग लेइंग का काम जोधपुर डिस्ट्रिक्ट, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट, नागोर डिस्ट्रिक्ट की नागोर तहसील और जायल तहसील में

Page No.46

(श्री नाथूराम मिर्धा)

जो कि थली के इलाके है उनमें एग लेइंग हुआ। जो एग लेइंग हुआ उन इलाकों के अन्दर जहां कि कल्टीवेटेड एरिया है हमारे राजस्थान में तो वहां के लिए हमारे जो डाइरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर हैं वे उस लोकस्ट कन्ट्रोल के सारे के इन्चार्ज हैं और जिला लेवल पर कलेक्टर हैं। वे लोकस्ट कन्ट्रोल करने के अधिकारी हैं। वह सारी मशीनरी एक साथ मिल कर सहयोग से काम करती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं माननीय सदस्यों की सूचना के लिए जितने भी टिड्डी दल ने अंडे दिये और जो बच्चे उड़ कर भाग निकले, तो कल्टीवेटेड एरिया में खास तौर से वहां पर सारे के सारे अंडों की पांचवी स्टेज जो उड़ने की स्टेज होती है उसके पहले पहले सारे टिड्डी दल को ओसियां में, नागौर में और बाकी के जिन इलाकों में जहां कि अंडे थे समाप्त कर दिया गया, सारे के सारों को मार दिया गया। जो दल डेज़र्ट एरिया में थे जहां कि सूना इलाका था उन इलाकों में अलबत्ता भारत सरकार की मशीनरी ने रेवेन्यू विभाग के सहयोग से वहां पर जो कुछ स्केर्स पोपुलेशन है उनसे मिल कर पूरा प्रयत्न किया कि टिड्डी दल के बच्चे बढ़ कर उड़ न सकें। इसके लिए बहुत से इलाकों में कन्ट्रोल कर लिया, परन्तु कुछ इलाकों में पांचवी स्टेज से पार होकर उड़ने की स्थिति में पहुँच सके। इस प्रकार राजस्थान में जिन टिड्डियों ने अंडे पैदा किये, उन अंडों से बच्चे बन कर उड़ने नहीं दिया, सिवाय थोड़े बहुत इलाके के जो कि जैसलमेर के पास पाकिस्तान से मिलता–जुलता इलाका है वहां पर अंडों से बच्चे बन कर उड़ गये हैं। ज्यों ही स्थिति इसकी साफ की है; बाकी पहले से स्वार्म पाकिस्तान की तरफ से ६५–७० की तादाद में और आ गये जिन्होंने अब भी हमारे यहां इन्वेड कर रखा है, और काफी हिस्सों में राजस्थान में फैले हुए हैं। राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के आधे पार्ट में, नागौर डिस्ट्रिक्ट के करीब आधे पार्ट में और बीकानेर के आधे पार्ट में हैं। सीकर और झुन्झुनूं जिलों में हैं व अलवर तक पहुँच गये हैं। ये जो मेच्योर्ड टिड्डियां हैं, जो पहले से हैं, जो रह गये हैं, जो स्वार्म पहले से आये हैं, वे स्वार्म अभी राजस्थान में घूम रहे हैं। जिस जगह उड़ते हैं पड़ाव डाल कर जहां कहीं फसल होती है उसको नुकसान पहुँचाते हैं। घास को नुकसान किया है। पाले और चारे का नुकसान किया है। जितना भी साफ कर सकते हैं वह करके फिर उड़ जाते हैं। वह इस साइज़ की टिड्डियां हैं जिन पर किसी तरह से कन्ट्रोल नहीं कर सकते हैं। उन टिड्डियों को मारा नहीं जा सकता है क्योंकि फसल खड़ी होती है तो मोटरों के अन्दर घुस कर उनको पाउडर छिड़क कर नहीं मार सकते हैं। इतने पाउडर का कॉन्सेन्ट्रेशन किया जाय, उसको इतना स्ट्रोन्ग करने का अरेन्जमेंट करने का अरेन्जमेन्ट करें; तो वह इतना स्ट्रोन्ग बन जाता है कि अगर उस घास को कोई जानवर खाये तो उसके मरने का खतरा पैदा हो सकता है और अब खेतों में घुस भी नहीं सकते और उनको कन्ट्रोल में करने की स्थिति में नहीं हैं। फिर भी जो इलाका सूखा है और कल्टीवेटेड एरिया नहीं है वहां केरोसीयम फ्लेम्स के जरिये या कन्सेन्ट्रेशन

(श्री नाथूराम मिर्धा)

पाउडर के जरिये उनको खत्म करने का प्रयत्न विभाग के द्वारा किया जाता है जो भारत सरकार से संबंधित है और राजस्थान सरकार से भी संबंधित है। इनको डेस्ट्रोय करने की हर तरह से कोशिश की जा रही है। इसके उपरान्त भी जो नुक्सान फसल को हुआ है उसका अन्दाजा तो जिस समय रेवेन्यु विभाग गिरदावरी करेगा उस समय पता चलेगा और अगर वाकई नुक्सान हुआ है तो रूल्स के अनुसार उनके नाम दर्ज करके आगे की उचित कार्यवाही की जायगी।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : जो टिड्डी दल आगे पाकिस्तान से यहां आकर नुकसान करते हैं उनके लिये केन्द्रीय स्तर पर प्रबन्ध करना होगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : पाकिस्तान से भी आगे से मध्य यूरोप, अरब, ईरान आदि देशों से दूर दूर से ये आती हैं। इनकी लम्बी साइकल्स और वेव्ज हैं जो पांच-सात वर्ष में आती हैं। अब फिर इधर से चालू हुआ है। इसके लिये अलग ऑर्गेनाइजेशन्स हैं। इन्टर्नेशनल ओर्गेनिजेशन भी काम करता है जिसकी रिपोर्ट आती है। वे भी इस पर कंट्रोल करने की व्यवस्था करेंगे। फिर भी कुदरत के सामने कामयाबी नहीं हो रही है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): अजमेर डिस्ट्रिक्ट में भी तीन-चार दलों ने हमला किया है, उसके बारे में क्या हो रहा है?

श्री नाथूराम मिर्धा : खाली अजमेर ही नहीं; सब स्थानों के बारे में प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : कुल कितने गांव इससे एफेक्टेड हैं, यह आप बता सकते हैं क्या?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह तो नहीं बता सकता। गिरदावरी करने पर ही इसका पता चलेगा। अभी तो इतना ही कह सकता हूं कि इस पर कंट्रोल नहीं कर सके हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : बहरोड में टिड्डी दल के बारे में सूचना देने पर भी अधिकारी लोग कई घंटे लेट पहुँचे; बावजूद सूचना के लेट पहुँचे; बहरोड़ के सारे लोगों की इस तरह की शिकायत है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने आपसे यह कहा कि बड़ी टिड्डियें उड़ती हैं उस समय यदि यह सूचना ८ घंटे बाद भी पहुँचे तो भी बेकार है। यह जो आपने कहा कि कई घंटे लेट पहुँचे तो हमारे पास इतना स्टाफ नहीं है, सूचना चारों तरफ से आती है, इतना बड़ा एफेक्टेड एरिया है और ऐसी सूचना देनेवाले बहुत लोग हैं। हमारे पास में इतने आदमी, मोटरें या जीप वगैरह का साधन नहीं है १८ घंटे बाद भी पहुंचे तो भी कुछ नहीं होगा।

श्री किशनाराम (रतनगढ़) : कृषि मंत्रीजी ने स्टेटमेंट दिया है और यह मंजूर किया कि राजस्थान में टिड्डी दल आया, उसने फसल का नुक्सान किया। हम इस पर ज्यादा बोलना नहीं चाहते क्योंकि मंत्रीजी ने मान लिया है कि जिलों में टिड्डी दल आया है और वह अब भी मौजूद है और गवर्नमेंट और पब्लिक के कोशिश करने पर बड़ी बड़ी हो गई, काबू में नहीं आई, इससे किसानों को नुक्सान हुआ है। तो हम मंत्रीजी से यह आश्वासन चाहते हैं कि आगे किसानों

(श्री किशनाराम)

को राहत देने के लिये, लगान में छूट दिलाने के लिये वे सहमत हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने यह कहा था कि नियम बने हुए हैं। उन नियमों के अंतर्गत गिरदावरी के वख्त सारी कार्यवाही की जायगी। कलेक्टर टिड्डी दल को समाप्त करने के ऑपरेशन के इन्चार्ज हैं और वे ही छूट वगैरह दे सकते हैं।

श्री किशनाराम : हम तो मंत्रीजी से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप दो दिन में सारे इलाके का दौरा कर लें। राजस्थान सरकार के पास हवाई जहाज बहुत हैं, आप उनमें बैठ कर दौरा कर लें। लोग आपका अहसान मानेंगे। आपने ऐसा काम किया है, राजस्थान के किसानों का भला किया है; इसलिये आपको वहां जरूर जाना चाहिये।

श्री बालमुकुन्द (डूंगरपुर) : मंत्रीजी ने यह कहा कि राजस्थान के १२ जिलों में नुक्सान हुआ है...

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कहीं नुक्सान हुआ है; यह नहीं कहा; लेकिन यह कहा कि टिड्डियां इन इन स्थानों में मौजूद हैं। मान लीजिये टिड्डी ऊपर ऊपर ही घूम कर चली गई और कुछ खाया नहीं हो तो नुक्सान का एस्टीमेट गिरदावरी के समय ही किया जायगा और रूल्स के अनुसार कार्यवाही की जायगी।

श्री किशनाराम : न तो कोई प्राणी मान सकता है और न सदन मान सकता है कि एक प्राणी दिन भर भूखा रह जाय और खावे नहीं। वहां जरूर कुछ न कुछ उन्होंने नुक्सान किया होगा, दूसरे जानवरों ने नुक्सान किया होगा।

श्री अध्यक्ष : यहां बहस टिड्डियों के लिये हो रही है दूसरे जानवरों के लिये नहीं।

श्री बालमुकुन्द : डूंगरपुर तहसील में १५—२० गांवों में सारी फसल नष्ट कर दी है। इसकी सूचना कलेक्टर को और दूसरे सभी अधिकारियों को दी गई, जिस पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई।

श्री अध्यक्ष : कातरा वगैरह होगा।

राजस्थान जन-सेवा आयोग के अष्टम् प्रतिवेदन पर विचार-विमर्श

श्री अध्यक्ष : राजस्थान लोक-सेवा आयोग के प्रतिवेदन तथा उस पर दिये गये मेमोरेन्डम पर विचार।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के ८वें प्रतिवेदन (१ अप्रेल, १९५७ से ३१ मार्च, १९५८ तक) तथा उस पर दिये गये मेमोरेन्डम जिसकी प्रतियां दिनांक २३.८.६० को सदन की मेज पर रखी थी, को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : Motion moved.

आज पहली बार राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन (१ अप्रेल, १९५७ से ३१ मार्च, १९५८ तक) तथा उस पर दिये गये व्याख्यात्मक ज्ञापन पर चर्चा की जायगी। इससे पूर्व इस प्रकार की चर्चा करने का

(श्री अध्यक्ष)

अवसर सदन को प्राप्त नहीं हुआ है और चूंकि आयोग एक संवैधानिक प्राधिकार है, इसलिये मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह बतलाना चाहूँगा कि वाद-विवाद में किस सीमा तक लोक सेवा आयोग का जिक्र किया जा सकता है।

जैसा कि संविधान के अनुच्छेद ३२३ में दिया गया है, लोक सेवा आयोग अपने द्वारा किये गये कार्य के सम्बन्ध में प्रति वर्ष एक प्रतिवेदन राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत करता है और राज्यपाल महोदय द्वारा उस प्रतिवेदन के प्राप्त होने पर उसकी एक प्रति, उन मामलों के बारे में जिनमें आयोग की राय स्वीकार नहीं की गई हो, व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित विधान सभा के समक्ष रखी जाती है।

संविधान में आयोग के सभापति व अन्य सदस्यों की नियुक्ति एवं उन्हें हटाये जाने के प्रावधान हैं। इसके अतिरिक्त हमारे सदन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन की नियमावली के नियम २७२(५) में उच्च प्राधिकार वाले व्यक्तियों के आचरण पर आक्षेप नहीं किये जाने का उल्लेख है। यहां पर उच्च प्राधिकार वाले व्यक्तियों का तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जिनके आचरण की चर्चा संविधान के अन्तर्गत केवल उचित रूप में रखे गये मूल प्रस्ताव पर ही की जा सकती है।

अतः संविधान के उपरोक्त प्रावधानों एवं हमारे सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन की नियमावली के नियम २७२(५) से यह स्पष्ट हो जाता है कि लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक प्राधिकार होने से उसके द्वारा की गई सिफारिशों या उसके कृत्यों या उसके सभापति अथवा सदस्यों की आलोचना करना संगत व उचित नहीं होगा। यदि माननीय सदस्य चाहें तो वे आयोग के सामान्य नियमों या सिद्धान्तों पर चर्चा कर सकते हैं किन्तु इनसे परे जाकर वाद-विवाद के दौरान में आयोग की आलोचना करना नियम विरूद्ध होगा।

जहां तक सरकार का सम्बन्ध है उसके किसी कार्य या गलती के लिये उसकी आलोचना की जा सकती है। आयोग की किसी सिफारिश को कार्यान्वित न करने या स्वीकार करने संबंधी सरकार के कृत्यों पर भी आलोचना हो सकती है।

सामान्य संसदीय परिपाटी भी यही है कि मंत्रीगण जो सदन के प्रति उत्तरदायी हैं, उनकी आलोचना की जा सकती है और जिसका कि वे उत्तर दे सकते हैं। अन्य प्राधिकार जो सदन में नहीं हैं और जो अपना बचाव नहीं कर सकते, विशेष कर एक संवैधानिक प्राधिकार के सम्बन्ध में, जिसको हटाये जाने का ढंग संविधान में उल्लिखित है, आलोचना करना उपयुक्त नहीं है।

अन्त में मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे ऊपर बताई गई सीमा के अन्तर्गत ही चर्चा करें।

श्री रघुवीरसिंह (राजगढ़) : अध्यक्ष महोदय, डेमोक्रेसी में, जनतंत्र में इंडिपेंडेंट जुडिशियरी और इम्पार्शियल पब्लिक सर्विस कमीशन का क्या महत्व है, यह मेरे ख्याल से मैं अधिक स्ट्रेस नहीं कर सकता। मैं तो

(श्री रघुवीरसिंह)

यह निवेदन करूंगा कि डेमोक्रेसी में एक तरह की यह लाइफ बेल्ट है, एक तरह की लाइफ बोट है, एक तरह की सेफ्टी बेल्ट है। यदि सरकार जनता के साथ न्याय-अन्याय, उचित-अनुचित कार्य करना शुरू कर दे, तो इनके द्वारा जनता को राहत मिल सकती है। इसलिए जुडिशियल कोर्ट्स इंडिपेंडेंट हों, इम्पार्शियल हों, यह तो आवश्यक है ही। मैं समझता हूं पब्लिक सर्विस कमीशन का इन्डिपेंडेंट होना, इम्पार्शियल होना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि जुडिशियल कोर्ट्स का सम्बन्ध केवल एक पर्सेन्ट, दो पर्सेन्ट, तीन पर्सेन्ट जनता से पड़ता है, जिनके यहां लिटीगेशन या मुकदमेबाजी की आवश्यकता होती है, किन्तु पब्लिक सर्विस कमीशन का सम्बन्ध हमारी सारी शासन—व्यवस्था पर पड़ता है। यदि पब्लिक सर्विस कमीशन इन्डिपेंडेंट हो, इम्पार्शियल हो, हायर स्टेन्डर्ड का हो तो उसकी छाप सारे शासन पर रहती है। यदि हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन अयोग्य है तो इसमें कोई शक नहीं कि हमारा शासन भी अयोग्य साबित होगा, इनएफीशियेन्ट साबित होगा ; इम्मोरल साबित होगा। इसलिए मैं, अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करूंगा कि यह न केवल गवर्नमेंट बल्कि जनता और सरकार का बड़ा भारी कर्त्तव्य है कि वह देखे कि पब्लिक सर्विस कमीशन is a very responsible body. पब्लिक सर्विस कमीशन की जो रिकमन्डेशन्स हों, जो कुछ सिफारिशें हों, पब्लिक सर्विस कमीशन के जो भी आदेश हों, उनका पालन सरकार को उसी रूप में करना चाहिए, जिस तरह जुडिशियल कोर्ट्स की डिक्री का सरकार पालन करती है; लेकिन इस रिपोर्ट से, जो सदन के सामने पेश की गई है, अध्यक्ष महोदय, यह विदित होता है कि हमारी सरकार पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रति बिल्कुल उदासीन है, पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रति, पब्लिक सर्विस कमीशन की सिफारिशों के प्रति सरकार का कोई ध्यान नहीं है बल्कि उसको डैड लैटर समझ सकती है और समय समय पर, जब जब यहां इसके सम्बन्ध में क्रिटिसिज्म होते हैं, उनको देखने से आपको पता लगेगा कि सरकार का पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रति क्या रुख है। इस रिपोर्ट के पैराग्राफ आफ्टर पैराग्राफ्स पर चले जाइये, तो आपको मालूम होगा कि सरकार और सरकारी ऑफिसर समझते हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन कोई वस्तु नहीं है, वे मन चाही कार्यवाही कर सकते हैं और पब्लिक सर्विस कमीशन के हस्तक्षेप करने का, सिफारिश करने का कोई अधिक महत्व नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि सबसे पहले मैं उस बात को बताऊं, जिसको मैं बहुत मार्के की समझता हूं। हमारी गवर्नमेंट की हाई हेन्डेडनैस और निश्रृंखलता की टेन्डेन्सी किस हद तक बढ़ती चली जा रही है। पैराग्राफ ६:

"IX-EXTENSION OF TEMPORARY APPOINTMENTS.

1. During the year under report there were 2167 cases (as against 1468 in the previous year) in which the Commission had to give concurrence to extension of the services of temporary personnel employed by the Government and other appointing authorities. Most of these cases related to persons appointed temporarily initially for a period of

(श्र रघुवीरसिंह)

six months which was later extended."

मतलब क्या हुआ अध्यक्ष महोदय, कि जब कि पिछली साल में सरकार ने पब्लिक सर्विस कमीशन को इग्नोर कर, और पब्लिक सर्विस कमीशन को बिना कॉन्फीडेन्स में लिये २४६८ अपोइन्टमेंट किये, मतलब यह कि वह नम्बर बढ़ गया। यह क्यों हुआ? हमारे ऑफिसर, और हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट परवाह नहीं करते। वे समझते हैं कि अल्टीमेटली पब्लिक सर्विस कमीशन की कॉन्करेन्स बाई हुक और क्रुक ले ली जायगी। ठीक है, जिसमें इन्ट्रेस्टेड हैं, उसका अपॉइन्टमेंट करें, तो टेंपोरेरी अपॉइन्टमेंट हो गया। उसके बाद लिख दिया पब्लिक सर्विस कमीशन को कि बहुत जरूरत थी, बहुत आवश्यकता थी, प्रेसिंग नीड थी। अगर प्रेसिंग नीड थी तो वह विजुअलाइज़ पहले की जाती, पब्लिक सर्विस कमीशन को रिक्वीज़िशन भेजा जाता, पोस्ट का एडवर्टाइज़मेंट किया जाता। लेकिन यह सब इसलिए नहीं किया जाता कि फिर मनमानी करने का अवसर नहीं मिलता। तो वहां किसी भी प्रकार की इमरजेन्सी दिखाई जा सकती है और पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑथोरिटी और रूल्स को फ्लाउट किया जा सकता है। उसी प्रकार मैं निवेदन करूंगा कि यह टेन्डेन्सी बजाय इसके कि ठीक था, एक पीरियड था राजस्थान में, जब इन्टीग्रेशन ऑफ सर्विसेज़ हुआ था, जब भिन्न भिन्न २२ रियासतों के अलग अलग तरह के ऑफिसर्स, क्लर्क्स, सब लोगों को इन्टीग्रेट करना था, इसलिए हमने कई मामलों में वेव किया, क्वालीफिकेशन्स वेव कीं, किसी की सर्विसेज़ का लिहाज किया, किसी के एक्सपीरियन्स का लिहाज़ किया और हमने पब्लिक सर्विस कमीशन के, हार्ड एन्ड फास्ट रूल्स थे, उनको इग्नोर किया, लेकिन अब १० वर्ष के बाद आज जब राजस्थान की लाइफ १० वर्ष की हो गई, पब्लिक सर्विस के नियम, उप-नियम, रूल्स १० वर्ष से हैं, every officer ought to know what is his responsibility towards the Public Service Commission. तब भी हम यह देखते हैं कि मिअरली इस ग्राउन्ड पर कि एमर्जेन्सी थी, सरकार का काम सफर करता था, गवर्नमेंट का काम सफर करता था, इसलिये अपॉइन्ट करना अनिवार्य हो गया था, इसलिए कर दिया गया। अब पब्लिक सर्विस कमीशन एक बार ना करती है, दो बार ना करती है, आखिर में पब्लिक सर्विस कमीशन को कॉन्करेन्स देनी पड़ती है। It had to give concurrence. पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट खुद कहती है: "We had to give concurrence because there was no other alternative." अगर उसके सामने कोई ऑल्टर्नेटिव होता तो वह कभी कॉन्करेन्स नहीं देती। तो कन्डीशन्स ऐसी पैदा कर दी जाती हैं, कन्डीशन्स पैदा कर दी गई; they had to give it, they had to yield to the wishes of the Government, to the wishes of the Heads of Departments and had to waive their conditions.

तो सबसे ज्यादा बात, अध्यक्ष महोदय, मुझको जो इसमें खटकी, वह यह खटकी कि बजाय इसके कि यह टेन्डेन्सी घटती, पब्लिक सर्विस कमीशन को इग्नोर करने वाली टेन्डेन्सी है, उसमें घटोतरी होती, वह

(श्री रघुवीरसिंह)

धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है । इसका अर्थ यह है कि हमारी सरकार पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रति उतनी जागरुक नहीं है, उसका उतना रिगार्ड नहीं रखती जितना रखना चाहिये, जिसकी डेमोक्रेसी में जरूरत है । उसका डाइरेक्ट परिणाम आपके सामने आ रहा है, हर जगह स्टेन्डर्ड ऑफ एफी-शियेन्सी, गवर्नमेंट की स्टेन्डर्ड ऑफ एफी-सियेन्सी धीरे धीरे फैल हो रही है । क्यों हो रही है ? इसलिए फैल हो रही है कि जो रिक्रूटमेंट होते हैं, वे सही रास्ते पर नहीं होते । जो ऑफिसर्स हैं, जो आपके क्लर्कस है, जो आपकी सर्विसेज़ हैं, जो एबव' बोर्ड नहीं हैं, उसका रिक्रूटमेंट होता है, वह रास्ते पर नहीं होता है । जो रूल्स बनाते हैं आप, आप ही उनका खंडन करते हैं; आप ही रूल बना लेते हैं और आप ही उनके खिलाफ जाते हैं । नतीजा यह होता है कि हरएक आदमी को हर स्टेज पर मालूम होता है; there may be any rules, but there are some back door methods which can undo these rules very easily. तो इसलिए मैं, अध्यक्ष महोदय यह निवेदन करूंगा ।

इसके बाद अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरे चेप्टर पर आता हूं, जिसमें कमीशन ने इर्रेगुलर अपोइन्टमेंट्स का जिक्र किया है । इसमें अध्यक्ष महोदय नम्बर दो पर हैं :

"Appointment of Upper Division Clerk as Assistant Food Commissioner," अपर डिविज़न क्लर्क, everybody will concede, एक क्लर्क की हैसियत के आदमी को स्ट्रेट अवे असिस्टेन्ट फूड कमिश्नर बना सकते हैं । मैं समझता हूं अगर इस युग में, जहां पब्लिक सर्विस कमीशन है, जहां सेटल्ड गवर्नमेंट है और जब मेरे ख्याल से राजाओं के राज्य में भी ऐसा नहीं हुआ कि एक क्लर्क को उठा कर छत पर बैठा दिया गया हो, असिस्टेन्ट फूड कमिश्नर बना दिया गया हो, लेकिन ताज्जुब है कि आज के युग में यह हुआ । होने के बाद भी सरकार चुप है और जबाब नहीं दे रहो है :

"No reply has been received till the expiry of the period. This appointment was made in 1951." उसके बाद १९५६ में पब्लिक सर्विस कमीशन के नोटिस में यह चीज़ आई, १९५९ की यह रिपोर्ट है । उस वक्त तक गवर्नमेंट ने कोई सेटिस्फेक्ट्री जबाब नहीं दिया, कि आया वह क्लर्क कन्टीन्यू करेगा या उसको हटावेंगे या दूसरे आदमी को रखेंगे; क्या होगा, क्या नहीं होगा P. S. C. is still expecting a reply.

तो मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार जब हमारी गवर्नमेंट का व्यवहार पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रति है, तो उसकी क्या रेस्पेक्ट हो सकती है, पब्लिक सर्विस कमीशन की और जनता का उसमें कितना विश्वास हो सकता है । Leaving aside this, जैसा कि अध्यक्ष महोदय, आपने रूलिंग दी कि पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्सनल्स को डिस्कस नहीं करना चाहिये; मैं समझता हूं कि पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्सनल्स तो दूर रह जाते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन को टच नहीं करना है, पब्लिक सर्विस कमीशन क्या करता है, क्या नहीं करता है, इसको टच नहीं करना चाहिये । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पब्लिक सर्विस कमीशन

Page No.53

(श्री रघुवीरसिंह)

जो कुछ करता है उसको सरकार नहीं मानती है। पब्लिक सर्विस कमीशन को इग्नोर करती है। यहां तक हद करते हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से रिपिटेडली एक्सप्लेनेशन मांगे जाते हैं, मगर कोई जवाब नहीं देते। वे पेराग्राफ आफ्टर पेराग्राफ में कहते रहते हैं, "Reply is awaited from the Government till the end of the year". Year after year the same thing is happening. हर साल लिखते हैं, मगर सरकार उसका जवाब नहीं देती। हमारे यहां पर कहा जाता है कि सबसे बड़ी चुप। चुप लगा जाओ, जवाब मत दो क्योंकि जवाब तो उसका हमको कोई देना नहीं। In the mean time either the man will retire or die and the officer-in-charge will also be transferred, and the other officer will say that it was done by his predecessor. समय निकल जावेगा और बाद में कह देंगे कि यह मेरे प्रिडिसेसर का किया हुआ काम है, मैं इसका क्या एक्सप्लेनेशन दे सकता हूं। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर हमारे यहां डेमोक्रेसी को पनपाना है तो जनता को इसके लिए विश्वास कराना होगा और इसके लिए सरकार का सबसे प्रथम कर्त्तव्य है कि वह पब्लिक सर्विस कमीशन की राय को ओनर करे। कोई कारण नहीं कि आप पब्लिक सर्विस कमीशन की राय के बिना किसी का एपोइन्टमेंट करें। जैसा हमारे बैराठ से आनेवाले माननीय सदस्य समय समय पर कहते रहते हैं कि टेलीफोन से एपोइन्टमेंट होते हैं; जब तक टेलीफोन प्रेक्टिस चलती रहेगी तब तक ऐसा ही होता रहेगा। कहा जाता है कि हमारे यहां बहुत अर्जेन्सी थी इसलिए एपॉइन्टमेंट किया। Somebody is interested in one man. There was urgency, the man had to be appointed and the P. S. C. must agree, and the P. S. C. had to agree.

तो मैं यह निवेदन करूंगा कि पब्लिक सर्विस कमीशन ऑथोरिटी है। It is high time that it should be stopped. जो कोई भी एपॉइन्टमेंट हो जो पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्व्यू की हो Government must take a vow that कभी भी आइन्दा इस प्रकार के एपोइन्टमेंट नहीं होंगे। अगर गवर्नमेंट अपने यहां डेमोक्रेसी को पनपाना चाहती है और अगर गवर्नमेंट यह चाहती है

१ म० प०

तो सबसे बड़ा काम यह है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के मामलों में कभी भी इन्टर्फियर नहीं करें। उनके एपॉइन्टमेंट पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्व्यु के बिना नहीं करें और अगर कर देते हैं और पब्लिक सर्विस कमीशन में उसकी राय के लिए भेजा जाता है तो पब्लिक सर्विस कमीशन जो एक बार अपनी राय एक्सप्रेस कर दे तो उसको बार बार उसे बदलने के लिए नहीं कहा जाए। उसको यह नहीं कहा जाए कि आप इसको रीकन्सीडर करें। जब उन्होंने आपको अपनी इण्डिपेन्डेन्ट ओपीनियन दे दी, when P. S. C. gave its' opinion once, then the case is referred to them again तो फिर आप क्यों कहते हैं कि इसको रीकन्सीडर किया जाए? आप कहते हैं कि आदमी एवेलेबल नहीं है? मैं कहूँगा कि

(श्री रघुवीरसिंह)

आपको एक से एक अच्छे आदमी एवेलेबल होते हैं। मैं यह कहूंगा कि ऐसा कौनसा आदमी है जिसके बिना दुनियां में काम नहीं चल सकता? ऐसा कोई इन्डिस्पेन्से-बल नहीं है जिसके वगैर काम नहीं चल सकता। हम दूसरा रास्ता निकाल सकते हैं। इनडिस्पेन्सेबिल नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। ऐसी स्थिति में मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट में जो appalling facts हैं जिससे पता चलता है कि सरकार ने पब्लिक सर्विस कमीशन को एक खेल और मजाक बना रखा है, यह ठीक नहीं है। इससे हमारी डेमोक्रेसी की जड़ें ढीली होती हैं और लोगों का इस पर से विश्वास उठता जाता है और एडमिनिस्ट्रेशन के स्टेन्डर्ड में, एफिशियेन्सी में फर्क पड़ता है और इनएफि-शियेन्ट लोग बैक डोर से सर्विसेज़ में घुस जाते हैं। इससे आपकी efficiency and standard of morality is falling day by day.

इसलिए सरकार को इन सारी बातों पर सोचना चाहिये और पब्लिक सर्विस कमी-शन को इन बातों पर शिकायत करने का मौका नहीं देना चाहिये।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Mr. Speaker, Sir, let me first thank the Government for having a discussion in the House on the report of the Public Service Commission. But I am unable to understand why this House is discussing a report for 1957-58 and why not for 1959-60? Sir, in carrying out your instructions, I am not supposed to criticise the members or the personnel of the Public Service Commission, but certainly I have a right to demand that constitutional requirement that the P. S. C. should submit annually its' report. The Article of the Constitution does not exempt the P. S. C. from giving annual reports to the Governor and to this House. And to this extent, the House and you, Sir, will excuse me if I say that the Rajasthan Public Service Commission has completely failed in carrying out the duties imposed on it by the Constitution.

Sir, the members of the Union Public Service Commission as well as of the State Public Service Commission have a guaranteed place in the Constitution of the country. Why this place has been guaranteed? There is a certain principle behind it, and that principle is that the body should be impartial, independent and above influence. That is why a separate place in the Constitution has been provided for such bodies. But whether these principles embodied in the Constitution are actually carried out by the Public Service Commission in this State, to that extent, Sir, with your permission I will have also to touch the personnel of the Public Service Commission. The place given in the Constitution is that they should be above influence and only such type of people should be selected in the Personnel of the Public Service Commission. How-

(श्री श्रीमानसिंह)

ever what has now become a disease is that the retiring officers and Heads of Departments play to the tune of the Ministers so that as soon as they are retired, they may be employed in the Publice Service Commission either as members or on such other posts. The retiring officers of this State work with this view in the last days of their service, that they may be chosen and appointed as members of the Public Service Commission. However good, free and independent they may have remained, when the Ministers or the Government oblige them by placing them as members of the Public Service Commission, I humbly submit that they cannot remain independent, they cannot be judicious and they cannot be impartial, and, therefore, if this tendency is encouraged by the Government by appointing retiring officers on the Public Service Commission, I am afraid the security and calibre of the services will never improve. To that extent, wherever and whoever has been appointed, it is wrong and incorrect choice.

Another factor which vitiates the independence of Public Service Commission is that when the personnel of the Public Service Commission retire, they are also again provided in the Government employment. Sir, how can anybody expect impartial selection by these members who are on the last days of their retirement and are contacting the Minister that they should be re-employed. Such is the case of Mr. Tewari and one Mr. Madan Mohan. For these two, the Government has gone out of its way to violate the Articles of the Constitution and has provided them services. I can say that when they knew that they were retiring, I think these two persons could not work impartially, but with a view that they should be re-employed by the Goverment. This vitiates the very intention with which the Public Service Commission is created. Therefore, the place provided in the Constitution for its independence, for its' impartiality and to be above pressure, these three things, these Constitutional Safeguards are undermined and the spirit which should be behind the selection and re-employment of the personnel, that spirit is violated. To that extent, my submission is, and my strong submission is that the Government has succeeded in vitiating the spirit of the Public Service Commission, Rajasthan by putting before them a certain lure of office after they retire. If this tendency goes on, I am afraid, the time is not far when the people of this State will have no confidence in the public Service Commission. Therefore, my request to the Government is to do away with these methods. These methods will not give us the results that we expect.

Coming to another point, the Public Service Commission is there to check the arbitrary actions of the Government, but becaue of this policy

(श्री श्रीमानसिंह)

adopted by the Government in appointing the personnel, I am afraid it has become rather a machine which dittos the arbitrary actions of the executive regarding their selections. I need not go into the details of the cases, but these temporary appointments, these irregular appointments and extensions are there. Temporary appointments were made, extensions were given and they were continued in service and after some time these cases were sent to the Public Service Commission and the Public Service Commission selected them. Government forced them rather to select, if I may say so. Then the calibre that we expect from our administration, that they should be independent, impartial and of the highest efficiency, that is vitiated. If we had an independent and impartial P. S. C., they would have never dittoed these Government actions.

These temporary apppointments by direct recruitment, or irregular appointments, they clearly prove my contention with which I started before this House that this dittoing machine, this Public Service Commission of this State, is under the influence of the Government. It was forced to carry out the Government Orders and that independence and impartiality is not there. If we want the administrative personnel to be good, to be impartial and independent then these back-door entries as my predencessor called hiem, these back-Dose entries which have come into the services, must be closed.

It is my personal experience that any one who has to go before the Public Service Commission, does not have confidence or faith in himself. He knocks at the doors of either legislators or other influential people so that by any means recommendations could be made to the Public Service Commission for his viva-voce. If this is the attitude of people who come before the Public Service Commission, then to that extent the confidence of the people, which should have been there in this body, that confidence is not there. If the people appearing before Public Service Commission don't have confidence in it, then let me assure you that the people will not come on merit. Only those who can secure some recommendations, who can manoeuvre and manipulate, they will be selected. Therefore, in order to establish that confidence in this body, the Government must change its' policy of appointing retired hands on the Public Service Commission. Government must also change its' policy of appointing retired members from the Public Service Commission in some other services like, as Honbl'e Revenue Minister is in the habit of saying quasi-judicial bodies. It may not be violating the letter of the Constitution, but it does violate the spirit of the Constitution. The spirit of the Constitution is clear that they should not have any mind for re-employment in the State. If

(श्री श्रीमानसिंह)

they had this mind, then ofcourse they will play to the tune of the Hon'ble Revenue Minister which will not be conducive to the proper selection of administrative staff. These temporary appointments and irregular appointments which the Government has made show that while on the one hand, the Public Service Commission appoints good people through selections, on the other hand these temporary appointments or these irregular appointments are of those people on which the Hon'ble Ministers or the Heads of Departments have clearly showered their favours. Those who could not face the Public Service Commission through competitive examinations, through interviews or examinations, these people enter the services through these irregular appointments. And after some time what is added to them ? Experience. One thing is added to them that they have experience. If they had come through open competition, they would not have been selected. These malpractices which have been pointed out by the Public Service Commission, they should be stopped once for all and my request is that all the Ministers and Heads of Departments should stop these irregular appointments and temporary appointments.

With these words, I take my seat.

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): अध्यक्ष महोदय, पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट हमारे सम्मुख प्रस्तुत है। जैसा कि अभी सम्माननीय सदस्य ने कहा रिपोर्ट ५९-६० की इस समय होनी चाहिये थी और जैसा कि कॉन्स्टट्यूशन के अन्तर्गत दिया गया है; इसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि :

"राज्य आयोग का कर्त्तव्य होगा कि राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख को आयोग द्वारा किये गये काम के बारे में प्रति वर्ष प्रतिवेदन दे तथा संयुक्त आयोग का कर्त्तव्य होगा कि ऐसे राज्यों में से प्रत्येक के, जिनकी आवश्यकताओं की पूर्ति संयुक्त आयोग द्वारा की जाती है, राज्यपाल या राज्यप्रमुख को उस राज्य के संबंध में आयोग द्वारा किये गये काम के बारे में प्रतिवेदन दे तथा इनमें से प्रत्येक अवस्था में ऐसे प्रतिवेदन के मिलने पर यथा-स्थिति राज्यपाल या राजप्रमुख उन मामलों के बारे में, यदि कोई हों, जिनमें कि आयोग का परामर्श स्वीकार नहीं किया गया है, ऐसी अस्वीकृति के लिए कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन के सहित उस प्रतिवेदन की प्रतिलिपि राज्य के विधान मंडल के समक्ष रखी जावेगी।"

इससे यह तो स्पष्ट है कि प्रतिवर्ष जिस प्रकार से रिपोर्ट मिलनी चाहिये वह हमको नहीं मिली है और आज तो यह होना चाहिये था कि हम ६०-६१ की रिपोर्ट पर विचार करते, बहस करते। वे दो रिपोर्टें बीच में नहीं है और पहले की रिपोर्ट पर आज हम बहस कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं और साथ साथ यह होना चाहिये था कि जिस रिपोर्ट पर हम विचार कर रहे हैं उस रिपोर्ट में देखें कि पब्लिक सर्विस कमी-

(श्री मुरलीधर व्यास)

शन ने स्वयं ने एतराज किया है, इर्रेगुलेरिटीज़ और दूसरी कमियों के बारे में सरकार को क्रिटिसाइज़ किया है और कहा है कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने बार बार और लगातार सरकार से पांच, सात साल से पत्र व्यवहार किया है। वह पत्र व्यवहार चलता रहा है और आखिरकार पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। एक नहीं; जितने भी मामले हैं, चाहे इर्रेगुलेरिटीज़ के हों, चाहे प्रमोशन्स के हों, टेम्पोरेरी अपॉइन्टमेंट्स के हों; इन सारे मामलों में बार बार सरकार को पब्लिक सर्विस कमीशन ने लिखा है और सरकार ने बार बार कई वर्षों तक लिखने पर भी कोई जवाब नहीं दिया है।

तो इससे यह स्पष्ट है कि पब्लिक सर्विस कमीशन अपनी तरफ से लिखता है, जो खामियों को दूर कराने की कोशिश करता है लेकिन उसको आपकी तरफ से मान्यता नहीं। इस प्रकार के मामले दर्ज हैं, रिपोर्ट्स दर्ज हैं उनके बारे में सरकार की ओर से रिपोर्ट का होना आवश्यक है। रिपोर्ट के साथ यह भी होना चाहिये कि जिनके बारे में पब्लिक सर्विस कमीशन ने एतराजात किये हैं उनके बारे में सरकार की तरफ से क्या कार्यवाही की गई। गलत तरीके से अपोइन्टमेंट किया गया, इर्रेगुलेरिटीज की गईं, उसका क्या कारण है; इसके बारे में गवर्नर की ओर से रिपोर्ट होनी चाहिये। या तो यह माना जाय कि जो इर्रेगुलेरिटीज़ पी० एस० सी० ने दिखायी हैं जो कि रिपोर्ट में हैं उनके बारे में सरकार का क्या कहना है. यह हमारे पास नहीं है। यह संविधान के अनुसार होना चाहिये। यह कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइन्ट है जिस पर मंत्री महोदय विचार करेंगे। इसके अन्दर स्पष्ट है कि राज्यपाल की ओर से रिपोर्ट होनी चाहिये वह हमारे पास नहीं है। उसमें यह होना चाहिये कि ऐसी ऐसी परिस्थितियां हुईं इसलिए इन-इन लोगों का अपोइन्टमेंट करना पड़ा। वह होती तो इर्रेगुलेरिटीज़ के बारे में ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती।

दूसरी बात जो हमें इस बारे में सोचनी है वह है डेमोक्रेसी के अन्दर पब्लिक सर्विस कमीशन का क्या महत्व है और इस आयोग के कौन कौन सदस्य हों, इसकी गहराई में जाना नहीं चाहता। लेकिन इस बारे में सोचने की इच्छा जरूर है। जनतन्त्र के अन्दर हर व्यक्ति को अपनी अपनी योग्यता के अनुसार आगे तरक्की करने का मौका मिलना चाहिये। अब हमें देखना है कि वह मौका मिलता है या नहीं। मौका नहीं मिलता है तो पी. एस. सी. का आयोजन, इसके गठन की एकमात्र मन्शा ही यही है कि संविधान के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को जाति या वर्ग का ख्याल किये बिना अपनी योगता के अनुसार उसको स्थान मिल जाना चाहिये, यही एक मात्र मन्शा है। अब हमें देखना यह है कि पी. एस. सी. के द्वारा संविधान की मन्शा की पूर्ति होती है या नहीं। यह महत्वपूर्ण चीज़ है। मैं समझता हूं, प्रान्तों में पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन राज्यपाल द्वारा होता है और सेन्टर में राष्ट्रपति के द्वारा होता है। सरकार इसके भीतर नहीं होती है। लेकिन फिर भी मैं यह समझता हूं कि यह जो आयोग में नियुक्ति होती है वह सरकार द्वारा प्रभावित अवश्य होती है, जैसा कि मेरे से पूर्व बोलने वाले सम्माननीय

(श्री मुरलीधर व्यास)

सदस्य ने बात रखी है वह बिल्कुल सही बात है। रिटायर्ड जो अधिकारी होते हैं उन लोगों को पब्लिक सर्विस कमीशन में नियुक्त कर दिया जाता है तो यह स्वाभाविक है कि वे हमेशा इस बात का ख्याल रखते हैं कि उनकी नियुक्ति सरकार के ही जरिये हो सकती है। इसलिये सरकार के अधिकारी हैं, ऊपर के अधिकारी हैं, उनकी मन्शा को वे पूरा करते हैं और यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। आखिर मनुष्य मनुष्य ही होता है और मनुष्यता की कमजोरी हर जगह होती है। उन कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए हम इस बारे में सोचते हैं तो हमें यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि जिस मनुष्य का कमजोरी के कारण नुकसान होता है तो हम ऐसा प्रबन्ध करें जिससे इस प्रकार आम व्यक्ति को तरक्की करने का अवसर मिले उसमें किसी प्रकार की अड़चन न आवे। जहां तक आयोग की रिपोर्ट का सवाल है और उसमें आयोग के सदस्यों की नियुक्ति का सवाल है वह केन्द्र द्वारा यानी राष्ट्रपति के द्वारा हो। आखिर इसमें तीन ही सदस्यों का तो सवाल होता है, किसी जगह के लिये ज्यादा का भी हो सकता है, तो मेरा यह निवेदन है कि यदि आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति ऊपर से यानी राष्ट्रपति से होती है तो मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि जो कुछ इस प्रकार की बातें होती हैं कि रिटायर्ड आदमी को लगा दिया गया, इस कारण लगाया गया, उस कारण लगाया गया, ये जो बातें फैलती हैं वे नहीं फैलेंगी। इस संबन्ध में मेरा यही निवेदन है कि इस तरह से आयोग की नियुक्ति होती है तो काफी अड़चनें दूर हो सकती हैं।

इसके अलावा हम रिपोर्ट में देखते हैं कि इस पर हम काफी खर्चा कर रहे हैं। इस विभाग का एक साल का खर्चा ३ लाख २० हजार रु० के लगभग होता है और कर्मचारियों के वेतन में ही एक लाख रुपया खर्च हो जाता है। खर्च जो हो रहा है वह काफी हो रहा है। वह खर्चा होने पर भी ठीक तरीके से और ठीक समय पर रिपोर्ट नहीं मिलती है। या तो ऐसा है कि पब्लिक सर्विस कमीशन की जो रिपोर्ट है हर साल आनी चाहिये, वह या तो वहां से नहीं आती है। अगर वहां से रिपोर्ट आ जाती है और सरकार की ओर से हमारे पास आनी होती है तो यह दूसरा सवाल है। इसका तो स्पष्टीकरण सरकार अपनी तरफ से कर सकती है। मेरा समझ में वहां से रिपोर्ट के देरी से आने का कोई कारण नहीं होना चाहिये और रिपोर्ट सही समय पर हमें मिलनी चाहिये। रिपोर्ट ठीक समय पर मिल जाती है तो हम उनकी खामियों को बता सकते हैं। आज हम ५७-५८ की रिपोर्ट को ले रहे हैं लेकिन जो पुरानी गलतियां हो चुकी उनकी चर्चा तो सदन में कई दफा हो चुकती हैं, अब उनको बताने से क्या फायदा ? बहुत से मामले ऐसे हैं जिन पर सदन में चर्चा हो चुकी है, उनको दोहराने से लाभ नहीं। लाभ तो तभी हो सकता है जब कि प्रति वर्ष की रिपोर्ट प्रति वर्ष हमारे सामने आजाय और उसके बारे में हम यहां पर विचार करें। प्रति वर्ष की खामियों को उसी वर्ष बता देते हैं तो दूसरे साल में उन खामियों के न होने का अन्देशा भी रहता है और वे दूसरे साल दूर भी हो सकती हैं। इसलिये मैं यह कहना चाहूंगा कि इस मामले में हमें स्पष्ट रहना चाहिये और

(श्री मुरलीधर व्यास)

इस बारे में मंत्री महोदय स्पष्टीकरण करेंगे ।

अब इर्रेगुलेरिटीज़ के बारे में मेरा निवेदन है कि अगर हम एक एक इर्रेगुलेरिटी को सामने रखते हैं तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं । इतने अस्थायी कर्मचारियों को क्यों रखा गया ? क्या परिस्थितियां थीं जो बिना पब्लिक सर्विस कमीशन को इत्तला दिये हमने रख लिया; यह सवाल अलग है । जहां तक उन इर्रेगुलेरिटीज़ का सवाल है इसमें भी कई खामियां रही हैं, इसकी जिम्मेवारी आप पर है चाहे आप उसे मानें या न मानें । इसमें पब्लिक सर्विस कमीशन की जिम्मेवारी नहीं । इसमें जितनी भी खामियों का सवाल है वह सब सरकार द्वारा बताई गई है । मैं सोचता हूं सरकार की ओर से इसका क्या उत्तर होगा; यही उत्तर होगा कि इन जगहों के लिये आदमी नहीं मिले और हमको वह स्थान भरना बहुत जरूरी था इसलिये हमने टेम्परेरी नियुक्तियां कर दीं । लेकिन जहां तक ६ महीने तक रखने का सवाल है उसमें किसी को ऐतराज नहीं हो सकता लेकिन साल भर, डेढ़ और दो-दो साल तक रखते हैं यह रिपोर्ट के अन्दर मौजूद है और उसके बाद भी पब्लिक सर्विस कमीशन को आपने इत्तला नहीं दी । इससे यह साफ जाहिर होता है कि संविधान की मन्शा जो है उसके खिलाफ सरकार स्वयं अपना आचारण करती है ।

आज संविधान, जिसको कि हम आज के जमाने में, आज के जनतन्त्र के जमाने में पूजनीय स्थान देते हैं, जैसे धार्मिक लोग रामायण, महाभारत एवं गीता को देते हैं । आज डेमोक्रेसी के मानने वाले हम लोगों के लिये यह संविधान भी उसी तरह पूजनीय किताब है । इसका बड़ा भारी महत्व है । ऐसी पवित्र पुस्तक को हम ताक में रख देते हैं और मनमाने तरीकों से इर्रेगुलेरिटीज़ करते जाते हैं और इसकी संख्या दिनो-दिन बढ़ती जाती है । जैसे बताऊं १४०० से २१०० हो गई टेम्परेरी अपोइन्टमेंटस् के बारे में और दूसरी इर्रेगुलेरिटीज के बारे में । तो मानना पड़ेगा कि अधिकारी वर्ग को इस संविधान के प्रति कोई आस्था नहीं है और संविधान की अवलेहना करने वालों की गलतियों को अगर जनसेवा आयोग दूर करने की कोशिश करे तो उसकी कोशिश पार नहीं पड़ने दें । इससे उपेक्षा करती मालूम पड़ता है कि सरकार स्वयं इसकी है, अवहेलना करती है और जानबूझकर टालमटोल करके संविधान के अन्तर्गत जो सबको समान अवसर और समान सुविधाएं देने की गारन्टी की गई है उसका पालन नहीं करती ।

मैं कहता हूं अगर यही प्रवृत्ति है तो सदन को सोचना पड़ेगा । सरकारी उत्तर उत्तर के लिये दे दिया जावेगा, कह देगी सरकार कि इन कारणों से हमने यह किया है । कोई दूसरा आदमी मिल नहीं रहा था इस कारण अपोइन्टमेन्ट कर दिया । कई कारण इस तरह के सरकार दे सकती है । मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को भी आखिर अपना एक प्लान बनाना चाहिये कि हमें इतने व्यक्ति इस इस क्वालिफिकेशन के इतने इतने समय में चाहिये और उसकी एक कॉपी एडवान्स में बहुत अर्से पहले पी. एस. सी. को देनी चाहिये ताकि वह आदमी ढूंढ सके और आपको फिर अनियमितताएं करने

(श्री मुरलीधर व्यास)

के लिये जगह न रहे। जो अनियमितताएं की हैं वे स्पष्ट हैं। जैसे हमारी तीसरी योजना है। आप उनको बता दें कि हमें इसके अन्तर्गत फलां फलां समय पर इतने इतने आदमियों की इस इस योग्यता वाले की आवश्यकता होगी ; इतने टीचर्स चाहिये, इतने टैक्निशियन्स चाहिये। अब इसके बाद भी आदमी नहीं मिलें तो ठीक है। आप अपना प्रबन्ध करिये। आपका फर्ज पूरा हो गया। पर होता क्या है कि आप बिल्कुल टाइम में कहते हैं और फिर चाहते हैं कि सभी आदमी आपको मिल जावें, तो यह मुश्किल है। इससे हमारी नीयत स्पष्ट है। हमें इस नीयत को, संविधान को नजर में रखते हुए कन्ट्रोल करना होगा और सब को समान अवसर देना होगा। इसकी रक्षा की सरकार पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब आप प्लान से नहीं चलते इसलिये गड़बड़ होती है और गड़बड़ होती है तो आप कहते हैं गडबड करने के लिये आप ऐसा करते हैं कि समय पर इत्तला नहीं करते, प्लान बनाकर इत्तला नहीं करते। आप कहते हैं अविश्वास क्यों करते हो ? पर अविश्वास का यहां पर सवाल नहीं है ; सवाल है नीति का और संविधान की रक्षा का। जब हम इसको रक्षा के लिये यहां बैठेहैं तो यह हम कहेंगे कि जितनी भी इर्रेगुलेरिटोज़ हुई हैं, वे सारी सरकार की गलती से हुई हैं और यह गलती सरकार ने जान बूझ कर की है और इसलिये की है कि सरकार अपने भाई-भतीजों को, रिश्तेदारों और अपने अफसरों के लोगों को, उनके सगे-सम्बन्धियों को नियुक्त करना चाहती है जिससे उनको अच्छे स्थान मिलें और आम लोगों को अच्छे स्थान न मिल सकें। जब ये बातें हम कहते हैं तो सत्य कहते हैं। अविश्वास के लिये दूसरा कारण नहीं। इस तरह से आप काम करते हैं और इस तरीके में खामियां होती हैं। आप कितने लोगों को नुकसान करते हैं ? मैं देखता हूं कि इससे डिज़र्विंग लोगों को संविधान में दिया गया अधिकार नहीं मिलता। उससे वे वंचित रह जाते हैं। आज होता क्या है कि आप बड़े से बड़े व्यक्तियों को देखिये। बड़ी बड़ी पोस्टें उनके हाथ में हैं। जो साधन सम्पन्न हैं वे अपने लड़कों-बच्चों को भी ऊंची पोस्टों पर ले लेते हैं। आप आज गिनती करके देख लीजिये, इस तरह से साधन सम्पन्न व्यक्ति सर्विस में, ऊंची सर्विस में कितने हैं और एक गरीब परिवार में पैदा हुआ जिसके पीछे दूसरे साधन नहीं हैं, सिफारिश नहीं है, ऊपर तक पहुँचने के लिये किसी का सहारा नहीं है केवल अपनी योग्यता के आधार पर उम्मीद करता है उनकी गिनती कितनी है ? ऐसा गरीब परिवार का व्यक्ति अथक परिश्रम करके योग्यता प्राप्त करता है और इसके बाद सोचता है कि मैं आर. ए. एस. में या ऐसी ही किसी बड़ी उपयुक्त जगह पर सिर्फ मैरिट के आधार पर आ जाऊं, वह योग्यता प्राप्त करते करते परीक्षा में भी उत्तीर्ण हो जाता है, पर वह जब इन्टरव्यू में आता है तो उसमें रह जाता है। कारण इसका स्पष्ट है, हम-आप सब जानते हैं कि वह बेचारा गरीब होने के कारण रह गया। उसके पिता ने फिर किसी भी हालत में रह कर उसको पढ़ाया हो लिखाया हो, पर वहां इन्टरव्यू में जाकर वह नाकामयाब हो जाता है क्योंकि वहां सिफारिश पहुंचानेवाला उसका कोई नहीं होता ; उसका अपना कहने वाला, जानने वाला वहां कोई नहीं मिलता।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): ओन ए पोइन्ट ऑफ आर्डर, सर, क्या यह आरोप नहीं है कि यह कहना कि 'सिफारिश चाहिये' आयोग के सदस्यों के खिलाफ? 'सिफारिश आयोग में भी चलती है,' क्या यह आक्षेप नहीं है ?

श्री मुरलीधर व्यास : मैं व्यक्तिगत रूप से आयोग के किसी सदस्य पर आक्षेप या पक्षपात की बात नहीं कर रहा हूं। पर यह बात तो अवश्य है, आप चाहे मानें या न मानें, कॉन्स्टिट्यूशन ने इतना राइट सब को दिया है कि जो आदमी जैसा देखता है वह वैसा स्पष्टता से कह सके और जब मैं यह देखता हूँ कि इस प्रकार की घटनाएं होती हैं और ऐसे अत्यन्त योग्य व्यक्ति भी इस तरह मौका नहीं पाते हैं तो मैं एक बार नहीं सौ बार कहूंगा कि यह संविधान की मंशा के खिलाफ होता है। फिर वह चाहे आयोग हो, चाहे कोई हो। मैं बराबर इस मामले में कहूंगा कि इस तरह के योग्यतम व्यक्ति गरीब घराने में से, आने के कारण सिर्फ स्थान नहीं पाते हैं और पक्षपात के कारण से और आज के तरीकों से चाहे वे तरीके फिर सिफारिश-बाजी के हों या कोई अन्य तरीके के हों, इनके बारे में मेरा दिमाग स्पष्ट है कि ये जगहें अधिकतर उन ऊंचे बैठे हुए लोगों के बच्चों को ही मिलती हैं, उन्हीं के भाई–भतीजों को मिलती हैं। आप यह कहने से अगर रोकेंगे तो मैं एक बार नहीं सो बार कहूंगा कि यह बिलकुल सही है। आप उसे मानो या न मानो, यह अलग बात है, पर मेरा दिमाग स्पष्ट है इस बारे में। तो इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि संविधान की मूलभूत जो मंशा है उसे आपको पूरी करनी है और अगर वह मंशा आप इन कारणों से पूरी नहीं करते हैं तो हमें इस पर सोचना पड़ेगा कि आज सही माने में ये मूलभूत अधिकार संविधान में जो दिये गये हैं वे इस देश के हर एक नागरिक को मिलते हैं या नहीं? आखिर हम इस किताब के प्रति जागरूक हैं। यह किताब हमारे लिये देवता है। इसके अन्तर्गत जो एक नागरिक को अधिकार मिले हैं उनमें कहीं भी अगर बाधा या रुकावट आती है तो हमें उसे हटाना होगा, चाहे फिर वह बाधा कितने ही बड़े से बड़े आयोग की तरफ से आती हो या किसी बड़े से बड़े आदमी की तरफ से हो, कोई हो। हमारी यह किताब सबसे ऊंची है। हमें इसकी रक्षा हर कीमत पर करनी होगी। मैं व्यक्तिगत नामों में नहीं पड़ना चाहता। यह तो आप और हम सब जानते हैं कि किस तरह क्या होता है। हमें इसे सुधारना है, स्थिति को। आप कहते हैं हम जानते नहीं, ऐसा नहीं है। आप भी जानते हैं, आपकी अन्तरात्मा जानती है, हरएक आदमी इसे जानता है। कारण है इसका। राजस्थान में जितने भी आर. ए. एस. अफसरों की पोस्टें हुई हैं उन पर बड़े बड़े आदमियों की अपोइन्टमेंट्स हुई हैं। मैं पूछता हूं, ऐसे किसी गरीब परिवार के जिसने बड़ी मुश्किल से शिक्षा प्राप्त की हो और अपने मेरिट और योग्यता के बल पर आगे बढ़ने की कोशिश की हो, वे कितने हैं? वे वहां तक क्यों नहीं पहुँच पाते? ऐसे कितने लोग हैं, आप हिसाब तो लगाइये जरा। मैं तो यह भी कहना चाहता हूं कि यह सही है कि आपको इसका कारण देखना है तो आप चाहे सेक्रेटेरियट में जाइये चाहे कलेक्टरेट में जाइये, कहीं भी जाइये जिस अफसर का लड़का पढ़ा लिखा है उसे अफसरी मिली है और दूसरा लड़का भी

(श्री मुरलीधर व्यास)

बराबर का दर्जा प्राप्त कर गया है। अगर चार लड़के हैं तो चारों को ऊंचे स्थान भी मिल गये; नौकरी में ही नहीं आ गये, स्थान भी ऊंचे मिल गये। पहले भी परिवार अच्छा था, पढ़ा-लिखा भी था, साधन भी थे; उनको आसानी से सब कुछ मिल जाता है। परन्तु इसके विपरीत जिस गरीब के परिवार में चार लड़के हैं सभी योग्यता की दृष्टि से उनसे कम नहीं हैं, अधिक ही उतरेंगे उनमें से एक के लिये भी ऊंचा स्थान पाना मुश्किल है। तो यह स्थिति है। इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। आज यह सारा नौकरशाही का ढांचा इसी तरह चल रहा है। इसको अगर सुधारने की कोशिश आपको करनी है तो ये सारी बातें स्पष्ट आप को देखनी होंगी। छिपाना नहीं होगा और इतना ही नहीं मौका आये तो वार भी उन पर करना होगा, सुझाव भी देने होंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो मैं इसके सम्बन्ध में दो-तीन सुझाव देना चाहता हूं कि अगर आप यह महसूस करते हैं कि इसके लिये पब्लिक सर्विस कमीशन के अन्दर जो लोग काम करनेवाले हैं उनकी तादाद थोड़ी है और इस कारण लोगों की अच्छी तरह परीक्षाएं लेकर जांच करने में उनको दिक्कत आती है तो आप उधर आदमी बढ़ाइये, यानि आपको यह करना पड़ेगा। आप गैर-कानूनी तरीके से अपॉइन्टमेन्ट्स कर लेते हैं। इसके लिये आपको अपना प्लान बनाना पड़ेगा। इसके बाद में तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारे राजस्थान के अन्दर शिक्षा विभाग है तो शिक्षा विभाग में नियुक्तियां वहां का शिक्षा विभाग नहीं करता दूसरी स्टेट्स में नियुक्तियां पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू नहीं होती हैं बल्कि इसके लिए दूसरे डिपार्टमेन्ट्स होते हैं, ताकि उनको राहत मिल सके। अगर आप सब की कानून से नियुक्ति करना चाहते हैं तो आप इस तरह से उसका विकास करें। अगर यह नहीं करना चाहते हैं तो जो कॉन्स्टीट्यूशनल राइट्स मिले हैं उनका ठीक तरह से इस्तेमाल हो सके, ऐसा रास्ता निकालना चाहिए। यू० पी० के अन्दर भी हम देखते हैं कि अलग अलग विभाग हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

और जो अपोइन्टमेन्ट्स होते हैं वे अलग अलग कमेटीज़ बैठ कर अपोइन्टमेन्ट्स करती हैं। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आप इसको ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए दो-तीन रास्ते निकालने चाहिए और वे रास्ते ऐसे निकालने चाहिए कि हम लोग जो आरोप लगाते हैं उसके लिए कोई मौका न आये। जो ये खामियां हैं उनको दूर करने के लिए आपने कौन से रास्ते निकाले हैं? अगर आप नहीं निकालेंगे तो यह पब्लिक सर्विस कमीशन जिसकी संविधान के अन्तर्गत रक्षा करनी है वह नहीं हो सकेगी। इसलिए सरकार इस पर विचार करे।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित कर दूं कि यह बहस ४ बजे तक चलेगी और उसके बाद में मंत्री महोदय उसका उत्तर देंगे। सम्भवतः ४॥ बजे करीब जो स्थगन प्रस्ताव सुबह पेश किया गया था उसके सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय अपना उत्तर देंगे।

(विराम)

Page No.64

(श्री अध्यक्ष)

श्री पी० के० चौधरी ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, अभी हम पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट पर विचार कर रहे हैं। मैंने अभी माननीय सदस्यों की बातें सुनीं तो मेरे ख्याल से कुछ सदस्यों के मन में एक प्रकार से पब्लिक सर्विस कमीशन के जो रिक्रूटमेन्ट का तरीका है उसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उनके सम्बन्ध में कुछ कन्फ्यूज़न या गलतफहमी है। पब्लिक सर्विस कमीशन का जो प्रोविज़न है वह किसी का कान्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है। पब्लिक सर्विस कमीशन का जो प्रावधान रखा है और पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिये रिक्रूटमेन्ट जो होते हैं वे एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं। वह राइट नहीं माने जाते हैं। अगर मेरा अपोइन्टमेन्ट पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होता है तो मुझे तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स प्राप्त हुए और जिसका अपोइन्टमेन्ट डाइरेक्ट हो जाये उसको कान्स्टिट्यूशनल राइट्स प्राप्त नहीं हुए, ऐसी बात नहीं है। पब्लिक सर्विस कमीशन की व्यवस्था

१. ४६ म० प०

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

इसलिए ही रखी गई है कि एडमिनिस्ट्रेशन में नेपोटिज्म या फेवरेटिज्म नहीं फैले। इसके ऊपर चैक एक प्रकार से रखने के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन की व्यवस्था रखी है। इसके साथ ही साथ यह भी जरूरी नहीं है कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो सिफारिश की उसको गवर्नमेन्ट मान ले। यह बात कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं कही है। पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिये रिक्रूटमेन्ट का प्रावधान इसलिए ही रखा है कि जो एग्ज़ीक्यूटिव है वह अपने नेपोटिज़म या फेवरेटिज्म से गलत आदमी को अपोइन्ट न कर ले। उसके लिए यह बराबर चैक रखा गया है। उस चैक के लिए आर्टिकल ३२३ में साफ लिखा है कि गवर्नमेन्ट जहां इसकी सिफारिश को नहीं मानेगी, then the Government should report it to the House. आर्टिकल ३२३ (२) में यह लिखा है :

"(2) It shall be the duty of a State Commission to present annually to the Governor of the State a report as to the work done by the Commission, and it shall be the duty of a Joint Commission to present annually to the Governor of each of the States the needs of which are served by the Joint Commission a report as to the work done by the Commission in relation to that State, and in either case the Governor shall, on receipt of such report, cause a copy thereof together with a memorandum explaining, as respects the cases, if any, where the advice of the Commission was not accepted, the reasons for such non-acceptance to be laid before the Legislature of the State."

श्री उपाध्यक्ष : You are referring to which article?

श्री पी० के० चौधरी : ३२३ (२) यानी गवर्नमेंट किन्हीं विशेष कारणों से पब्लिक सर्विस कमीशन की रिकमन्डेशन्स

(श्री पी, के. चौधरी)

को उपयुक्त नहीं समझती है तो गवर्नमेंट को अधिकार है कि उसको एक्सेप्ट करे या न करे और जिस केन्डीडेट को ज्यादा उपयुक्त समझती है उसको उसे अपोइन्ट करने का अधिकार है, लेकिन उसमें फेवरेटिज्म न हो, नेपोटिज्म न हो; to guard againt that उसमें प्रावधान रखा है। जहां रिकमन्डेशन को मंजूर नहीं करेगी when they are appointing a better candidate or more deserving candidate, उसका एक एक्सप्लेनेटरी नोट लेजिस्लेचर के सामने रखेगी। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कमीशन की रिकमन्डेशन्स मेन्डेटरी नहीं है। If for better reasons the State Government thinks otherwise, कमीशन को गवर्नमेंट से अपने डेवलपमेंट का काम या दूसरे काम को एग्ज़ीक्यूट कराना है तो the Commission is a body which is not directly touched with that job. वह कमीशन कोई एक्सपर्ट्स का कमीशन नहीं है। There is hardly a man who is expert in a particular branch. इसलिए कोई इन्जीनियरिंग का अपॉइन्टमेंट है और उसका चीफ इन्जीनियर यह कहता है कि so and so has got equal qualifcations and his aptitude is better or his experience is better. If he thinks so, then the Chief Engineer has every right to appoint him, provided he can justify that appointment; उसको जस्टीफाई करना पड़ेगा। इसीलिए यह प्रावधान रखा है कि ३२३ के अण्डर में उसको करना चाहिए। इसलिए मैं शुरू में यह कहना चाहता हूं कि हम इस बात को मान कर नहीं चलें कि कमीशन की रिपोर्ट मेन्डेटरी है। For better reasons to be placed in writing before the House, वह दूसरा अपॉइन्टमेंट कर सकती है।

रिपोर्ट के सम्बन्ध में जो मैं कहना चाहता था वह मैं अब कहूंगा। सबसे पहले तो यह कहूंगा कि कमीशन ने एनुअली रिपोर्ट सबमिट नहीं की, ऐसा कहा गया, पर यह बात भी शायद सही नहीं है। यह १६५६–५७ की रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट को कमीशन ने ३ दिसम्बर, १६५८ को यानि एट दी एण्ड ऑफ दी ईयर गवर्नमेंट को सब्मिट कर दी थी। एनुएली पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट तो सबमिट की लेकिन गवर्नर ने दो साल तक इस सदन में रिपोर्ट को नहीं रखा। That is a failure on the part of the Governor, it was not the fault of the Commission. लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि यह रिपोर्ट कमीशन को इससे भी अर्लियर सब्मिट करनी चाहिए। उन्होंने ३ दिसम्बर, १६५८ को गवर्नमेंट को सबमिट कर दी थी तो मैं समझता हूं कि within Six months i.e.by September रिपोर्ट सबमिट हो जानी चाहिए थी ताकि जो नैक्स्ट बजट सेशन आता है उसमें हाउस के सामने उसकी रिपोर्ट पेश हो जाती जिससे कि सब्जेक्ट मेटर कम से कम टोपिकल इन्टरेस्ट का रह जाय। इसमें ५८ से पहले का जिक्र है, बहुत सी बातें हैं। There may be people who might have retired. जिसका इसमें जिक्र किया हुआ है या जिनके बारे में इसमें उस है आदमी का अपोइन्टमेंट चाहे सही मानना हो या गलत मानना हो, it becomes too old.

मेरा सुझाव यह है कि कमीशन को

Page No.66

(श्री पी. के. चौधरी)

रिपोर्ट before the end of September, within six months दे देनी चाहिये क्योंकि इसमें एक बात कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट का रिप्लाई अवेट करते हैं अगर वह छः महीने तक न आवे और कमीशन अपनी रिपोर्ट सब्मिट न करे तो,ठीक नहीं रहता है। कमीशन तो छः महीने के अन्दर अपनी रिपोर्ट सब्मिट करे । फिर यह तो गवर्नमेंट के अन्दर रहता है कि वह रिपोर्ट एक्सेप्ट करे या न करे । तो जो मैंने सुझाव रखा है उससे कमीशन अपनी रिपोर्ट जल्दी सब्मिट कर सकता है । जहां तक इस रिपोर्ट का सम्बन्ध है इसमें भी जैसा कि दूसरे सदस्यों ने भी कहा है कमीशन की तरफ से डिले नहीं हुई है, गवर्नमेंट की तरफ से डिले हुई है । The Commission could, at the most, have submitted its report earlier by three months.

मैं समझता हूं कि फिज़ीबल है कमीशन के लिए कि end of the year, सितम्बर तक वह रिपोर्ट सब्मिट कर सकता है और अगर वह ऐसा कर दे तो ज्यादा अच्छा होगा और सब्जेक्ट मेटर डिस्कस करने के लिए नया टोपिक रह जायेगा ।

अब जहां तक गवर्नमेंट का सवाल है इस सम्बन्ध में सब जगह कहा गया है कि the Government have failed in their duty by that delay. They should have submitted it in 1959. कम से कम ५९ के बजट सेशन में नहीं तो ५९ में जो विंटर-मानसून सेशन था इस टाइम में भी रिपोर्ट सदन के सामने आ जानी चाहिए थी ।

इसके बाद उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और वह एग्ज़ामिनेशन के बारे में, जिसमें कमीशन की रिपोर्ट में हमने देखा कि उन्होंने एक पेनल बनाया है ६० आर० ए० एस० ऑफिसर्स, ५८ आर० पी० एस० ऑफिसर्स और १८ आर.ए.एसी. ऑफिसर्स का जब कि the number of posts involved is 18 R. A. S., 6 R. P. S. and 2 R. Acs. S. इस सम्बन्ध में उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह सजेस्ट करना चाहता हूं कि पैनल जो है जो रेज़िड्यु(sesidue)पेनल है । ये जो नम्बर ऑफ पोस्ट्स हों उससे इतना ज्यादा नहीं होना चाहिये । जहां आपकी कुल पोस्ट्स १८ हों उसकी जगह ६० आदमी को कमीशन रिकमन्ड करके भेज दे, मैं उसको उचित नहीं समझता । जो १८ पोस्ट्स हों, if you had to fill in 18 posts, the Commission could give only 25 percent names more यानी १८ पोस्ट्स हैं तो उसके लिए २२, २३ या २५ का पैनल बना सकते हैं लेकिन जिस तरह १८ पोस्टों के लिए ६० का और ६ पोस्टों के लिए ५८ का पैनल बना दें और दो पोस्टों के लिए १८ आदमियों का पैनल बना दें तो मैं समझता हूं कि उसमें काफी गुंजाइश रहती है, मेनिपुलेशन की ओर जब यह पैनल है उसको इतना लम्बा बना कर भेज देते हैं तो उसमें एग्ज़ीक्युटिव को मेनिपुलेशन करने की काफी गुंजाइश रहती है । इसके अलावा जब ६० आदमियों का पैनल भेजते हैं तो उसमें अपॉइन्टमेंट तो किया आपने १८ आदमियों का और बाकी जो ४० आदमी हैं वे शायद, यह भी हो सकता है और जैसा कि कमीशन ने भी एक जगह पर जिक्र किया कि ज्यादा दिनों तक जिनका अपोइन्टमेंट नहीं होता है then the people seek

(श्री पी. के. चौधरी)

other employments. इससे क्या होता है कि जो इस पैनल को बनाने में इंटर्व्यू का टाइम लगाया वह वेस्ट जाता है, इसमें जो पैसा खर्च हुआ वह वेस्ट जाता है और बड़ा पैनल रखने से उसमें एक्जीक्युटिव को गुंजाइश रहती है कि एक नम्बर के आदमी को ले या चालीस नम्बर के आदमी को ले ले, यह भी हो सकता है। यह बड़ा जरूरी है कि जिस ऑर्डर ऑफ मैरिट से, प्रायोरिटी से पैनल बनाया गया हो उसके अनुसार ही अपोइन्टमेंट किया जाय, लेकिन जब बड़ा पैनाल बना दिया जाता है तो यह अपोइन्टिंग ऑथोरिटी की डिस्क्रिशन पर हो जाता है कि चाहे जिसको ले ले।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : ऑर्डर ऑफ मैरिट चैंज नहीं किया जाता है।

श्री पी० के० चौधरी : जो भी हो, मैं तो यह मानता हूँ कि पैनल २५ प्रतिशत से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिये। अगर १८ पोस्ट्स हैं तो २२, २३ या २५ से ज्यादा का पैनल नहीं होना चाहिये और इतना बड़ा पैनल बनाना उचित नहीं है।

उसके बाद एक बात और आती है। रिपोर्ट में भी पाया गया है कि एक जगह नायब तहसीलदारों के लिए लोगों को बुलाया गया और जब नायब तहसीलदारों का अपोइन्टमेंट हो गया और उसके बाद ८५ आदमी इन्सपेक्टर ग्रेड II कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के स्थान पर अपॉइन्ट कर दिए; यह प्रेक्टिस भी ठीक है ! जिस काम के लिए बुलाया जाय तो उसी जगह अपॉइन्ट करना चाहिये। जिस आदमी को आपने नायब तहसीलदार के लिए ठीक समझा शायद कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के लिए उसका एप्टीट्यूड ठीक न हो। कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के लिए जो एप्टीट्यूड होना चाहिए, जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वह नायब तहसीलदार के अन्दर नहीं हो सकती। It is not necessary. यह जो प्रेक्टिस है और जो कमीशन में चल रही है कि पैनल तो किया किसी और पोस्ट के लिए, इन्टर्व्यू किया एक काम के लिए और उसका इतना लम्बा पैनल बना दिया कि उनको एब्ज़ोर्ब नहीं कर सके और उनको दूसरी पोस्ट में डाइवर्ट कर दिया in quite a different post.

मैं समझता हूं कि यह भी कोई अच्छी प्रेक्टिस, अच्छा तरीका नहीं है। With this single interview, they should have prepared a separate panel for Co-operative Department. They should have been examined with a view to appointment as Naib Tehsildars or Inspectors. दोनों पोस्टों के लिए डिफरेन्ट एडवरटाइज़मेंट होना जरूरी है जिससे केन्डीडेट का एक पोस्ट के लिए जो टेस्ट होना चाहिए वह भी इससे हो जाता है। तो यह प्रोसीजर जो है मैं समझता हूं कि कमीशन के लिए उचित नहीं है और इसमें परिवर्त्तन होना चाहिए।

दूसरा हमने देखा है कि कमीशन की रिपोर्ट में एक पैरा लास्ट में है जहां पर कि 'अपोइन्टमेंट मेड विदाउट एडवरटाइज़मेंट' दिया हुआ है। कमीशन की रिपोर्ट के पेज ६ व ७ पर दिया है: "Recruitment without advertisements." अब इनमें है, जैसे

(श्री पी. के. चौधरी)

इन्डस्ट्रीज़ एक्सटेन्शन ऑफिसर्स, पेज नं० ६ में रेफर किये गये हैं। 80 posts of Industries Officers क्रिएट की। अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि ५४ आदमियों को पहले ही सिलेक्ट करके उनमें से कुछ को ट्रेनिंग में भेज दिया और फिर कमीशन को लिखा कि ८० वेकेंसीज़ हैं इनमें से ५४ को अपोइन्ट कर लिया है, उनको तो आप सिलेक्ट करके भेज दीजिए और बाकी जो २६ पोस्ट्स हैं उनको एडवर्टाइज़ कर दीजिए। यह जो तरीका है मैं इसको उचित नहीं समझता हूं। इन्डस्ट्रीज़ एक्सटेंशन ऑफिसर आपको लेना है तो आप डिपार्टमेंटल बोर्ड नहीं बैठा कर कमीशन की एडवाइस ले सकते हैं। Large-scale appointments in a particular cadre as soon as it is created, without advertisement of the posts, अब उसमें ५४ आदमी तो ले लिये विदाउट प्रोपर एडवर्टाइज़मेंट किए, तो मैं समझता हूं कि अगर एडवर्टाइज़मेंट होता तो we would have got better personnel there. Your Industries Officers are not even qualified for the job. बजाय इसके कि आप डिपार्टमेंटली लेते अगर पोस्ट्स एडवर्टाइज़ की जाती तो बेहतर होता बैटर क्वालिफिकेशन के, टेक्निकल क्वालिफिकेशन के आदमी आपको इन्डस्ट्रीज़ एक्सटेन्शन ऑफिसर के स्थान के लिए मिल जाते। At present you have ordinary Graduates. तो इसलिए मैं समझता हूं कि इसमें एडवर्टाइज़मेंट होकर रिक्रूटमेंट होता तो कम से कम स्टेट के डेवलपमेंट वर्क्स की दृष्टि से भी हमको अच्छी क्वालिटी के आदमी मिल सकते थे। You could take the cream out of them. तो इस प्रकार विदाउट एडवर्टाइज़मेंट किए इस तरह से अपॉइन्टमेंट करने में, डिपार्टमेंटली प्रोमोशन करना चाहते हैं तो उस समय आपके सामने चोइस लिमिटेड रहती है, दस-पांच को जिनको आप जानते हैं उनको ही बुला कर सिलेक्ट कर लेते हैं; but by advertisement, people come from a wider area and offer themselves. अगर आप एडवर्टाइज़मेंट करके रिक्रूट करते हैं तो आपको मौका मिलता है ज्यादा आदमियों को टेस्ट करने का; You could get people who know the job.

(२ म. प.)

तो इसलिए यह जो तरीका है जो कमीशन ने भी यह किया है, यह नहीं होना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात की तरफ खास ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। वह यह है कि राजस्थान कॉलेज जयपुर में जो अपोइन्टमेंट्स हुए हैं उसके प्रोफेसर्स का, उसके लिए उन्होंने कौन्सिल बना दी और उस कौन्सिल का चेयरमैन भी पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को बना दिया। उस कौन्सिल ने एक सब-कमेटी बना दी, उसका चेयरमैन भी पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन रहा, और उस कौन्सिल ने सब केन्डीडेट्स का सिलेक्शन किया है और बाद में because the Chairman of the Public Service Commission was also there in the Selection Committee, the Commission had to confirm there appointments. इस प्रकार के जो अपोइन्टमेंट्स हुए हैं, जो कि डिपार्टमेंटल रिक्रूटमेंट नहीं हैं, यानि डिपार्टमेंटल रिक्रूटमेंट नहीं होते हुए भी डाइरेक्ट रिक्रूटमेंट जैसे हुए हैं और राजस्थान कॉलेज which is

(श्री पी. के. चौधरी)

one of the best colleges अब उसका रिक्रूटमेंट होता है तो वह रिक्रूटमेंट पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू डाइरेक्टली होना चाहिए। पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होता है तो कौन्सिल का सवाल उसमें आपका नहीं आता है। इसमें ज़रूरी यह किया है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को ले लिया है। पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन रहते, अदर मेम्बर्स ऑफ दी कमीशन रहते besides this, they would have incited certain experts, जो पब्लिक सर्विस कमीशन जब इन्टरव्यू करता है तो मुझे जहां तक जानकारी है they call the experts also for their opinion. किसी विषय के विशेषज्ञ होते हैं उनको एसोशियेट करते हैं तो इस प्रकार से बैटर सिलेक्शन हो सकता है। यह जो तरीका है रिक्रूटमेन्ट करने का कि पब्लिक सर्विस कमीशन के एक व्यक्ति को एसोशियेट करके उस सिलेक्शन को बाद में कन्फर्म करा दें, that it is a selection by the P. S. C. मैं समझता हूँ यह भी उचित तरीका नहीं है। आपका डिपार्टमेंटल सिलेक्शन बोर्ड पब्लिक सर्विस कमीशन के एक व्यक्ति को एसोशियेट कर ले, वह बात हो सकती है, लेकिन direct recruitment from the market जब होता है तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का जो सिलेक्शन है वह पब्लिक सर्विस कमीशन को बाई-पास करने का एक तरीका हो जाता है। इस प्रकार से जब पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन या मेम्बर को किसी कमेटी का चेयरमैन बना दिया तो the other members come as we want them. इस प्रकार का जो तरीका है वह मैं समझता हूं उचित नहीं है। इस प्रकार से जो सिलेक्शन होता है वह पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ में एक प्रकार की ज्यादती होती है, one of their members being associated with that committee, the P. S. C. even for the sake of courtesy, वह उनको रिजेक्ट नहीं कर पाता है। वह उसको कम्पलसरिली कन्फर्म करता है they have to confirm those appointments. यह जो तरीका है उसको मैं स्ट्रोंगली क्रिटीसाइज़ करता हूं। इस प्रकार से नहीं होना चाहिए।

दूसरा एक मीशन में यह कहा है कि जो केसेज़ रेफर किये जाते हैं उनमें जो रिकमेंडेशन वे करते हैं उस पर एक्शन लेने में गवर्नमेंट काफी देर करती है। वे पेज ६ के अन्दर आये हैं। कमीशन की तरफ से पैनल भेज देने के बाद गवर्नमेंट ६, ६ महीने और साल भर लगा देती है एपॉइन्टमेंट के लैटर्स इश्यू करने में। इस बीच में candidates seek other employments उसमें पैसा वेस्ट होता है और time of the Commission is also wasted. ऐसे केसेज़ का उन्होंने जिक्र किया है कि ऐसे केसेज़ में दुबारा फोर दी सेम पोस्ट जिसके पेनल का आदमी वेट करते २ दूसरी जगह पर चला गया उसी पोस्ट के लिए दुबारा पब्लिक सर्विस कमीशन को कहा जाता है कि फिर से एडवर्टाइज़ करिये, फिर से बुलाइये। यह जो प्रोसीजर है, यह भी गलत है।

दूसरी एक मिसाल इसमें आई है कि एक पोस्ट के लिए एक दफा पब्लिक सर्विस कमीशन को कह दिया जाता है कि एडवर्टाइज़मेंट कर दो। बाद में गवर्नमेंट उसमें अपनी तरफ से एपॉइन्टमेंट करके उस

Page No.70

(श्री पी० के० चौधरी)

एडवर्टाइज़मेंट को विथ्ड्रा कर लेती है। ऐसे भी एक-दो केसेज़ का जिक्र किया है। जैसे एक पोस्ट एक दफा पब्लिक सर्विस कमीशन की मार्फत एडवर्टाइज़ करा लेते हैं और बाद में डाइरेक्ट एपोइन्टमेंट कर लेते हैं, और पब्लिक सर्विस कमीशन को आप कहते हैं कि पहले एडवरटाइज़मेंट करने के लिए दिया था उसको कैन्सल कर लें। यह जो तरीका है यह तरीका गवर्नमेंट को नहीं अपनाना चाहिए। यह तरीका भी गलत है।

इसके बाद, उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो पेज १२३ के एपेन्डिक्स (ई) में है : इसमें there are 176 cases. अब १७६ केसेज़ का मतलब १७६ पोस्ट्स नहीं है। एक एक केस में किसी जगह १० पोस्ट्स हैं, किसी जगह एक पोस्ट है और किसी जगह और भी ज्यादा पोस्ट्स हैं, ३५ पोस्ट्स हैं number of posts are more than the cases. उन केसेज़ के ऊपर ज्यादातर केसेज़ हम जो देखते हैं "reply awaited and under this -do-do-do-" उसमें आप देखेंगे कि जो कॉलम "date or Govt. reply awaited .do-do-" इसमें आप देखेंगे कि गवर्नमेंट रिप्लाई अवेटिंग उसके अन्दर सारा "do" ही "-do-" है। In all cases out of those 176 cases baring probably half a dozen cases, तमाम केसेज़ में रिप्लाई अवेटिंग है। इन केसेज़ में राइट फ्रोम ५२ टू ५७ के जो केसेज़ हैं, ईयर अन्डर रिपोर्ट से, १९५२ से शुरू करें तो ५-७ साल के केसेज़ में गवर्नमेंट ने अपनी रिप्लाई नहीं दी है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोज़ीशन में इस बात को मानता हूं कि जहां पर आर्टिकल ३२३ में कहा गया है कि जो रिपोर्ट लेजिस्लचेर के सामने गवर्नर रखेगा उस रिपोर्ट के साथ में जब मेमोरेन्डम देंगे तो इसमें उनके लिए जरूरी है कि जिन रिकमन्डेशन्स को इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है उनके रीज़न्स को स्टेट कर दें। वे रीज़न्स तो स्टेट नहीं करना चाहते हैं और रिकमन्डेशन पर एक्शन नहीं लिया; they have kept the things in abeyance कोई एक्शन नहीं ले करके वह नॉन एक्सेप्टेंस जैसा ही रहा। एक्शन लिया नहीं और एक्सेप्ट भी नहीं किया तो क्या हुआ? It amounted to the non-acceptance of the Commissions' recommendation लेकिन जब नॉन ऐक्सेप्टेन्स ऑफ दी कमीशन्स रिकमन्डेशन्स हो जाती है तो जब रिपोर्ट हाउस में आती है तो उसके साथ में गवर्नमेंट का उसके लिए मेमोरेन्डम आना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन को एवोइड करने के लिए, just to avoid that situation, just not to give reasons to the Legislature, why these recommendations were accepted? The Government kept the replies right from the year 1952 to this day pending otherwise जो रिकमन्डेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो मेमोरेन्डम सब्मिट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस जिस केस को एक्सेप्ट नहीं किया है उन तमाम केसेज़ के लिए मेन्डेटरी प्रोविज़न था कॉन्स्टिट्यूशन का उसका एक्सप्लेनेशन या रीज़न्स देकर सब्मिट करना चाहिए। ये तमाम जो केसेज़ हैं इन्ट्रीकिंग महसूस होते हैं या सारे केसेज़ ऐसे हैं जिन पर इतने दिनों से गवर्नमेंट ने निर्णय नहीं लिया। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब यही होता है कि there ar

(श्री पी० के० चौधरी)

people who work against the recommendations of the Commission. So the Government has not accepted the recommendations of the Commission. लेकिन टेकिनकली उसको अन्डर कन्सीडरेशन रखकर लेजिस्लेचर के सामने रिपोर्ट पेश करने को एवोइड करना है। मैं चाहता हूं कि जो तरीका गवर्नमेंट ने अपनाया है वह कोई अच्छा तरीका नहीं है और हमारे इन्स्टिट्यूशन को एवोइड करने और डेमोक्रेसी को ब्लफ करने की कोशिश करते हैं वह उचित नहीं है। We should be more constitutional and if we don't accept, इन रिकमन्डेशन्स को एक्सेप्ट नहीं करें तो कम से कम within six months or so, the Government must be in a position to accept it or reject. And then the Government should come before the Legislature with their reasons for rejecting that.

तो इस प्रकार से इसको सस्पेन्स में रखते यह बात उचित नहीं है। मैं चाहूंगा कि दूसरी रिपोर्ट है कमीशन की, ५८–५६ रिपोर्ट आपके सामने ऑलरेडी सब्मिट की गई होगी, उस रिपोर्ट को जल्दी से जल्दी सदन के सामने रखा जाय या जो १७६ केसेज लेजिस्लेचर में पेश किये गये हैं, जो ५७–५८ की रिपोर्ट में हैं और ३ दिसम्बर, ५८ तक वह पेंडिंग थे, हम जानना चाहेंगे अप टू डेट पोज़ीशन क्या है ? माननीय मंत्री महोदय अपने रिप्लाई में बताते हैं कि this case replies were awaited on December, 1958. उनकी आज क्या पोज़ीशन है ? आज तक कितने केसेज़ का फाइनलाइज़ेशन कर लिया है, कितने कितने केसेज़ को एक्सेप्ट किया है, कितने केसेज़ को एक्सेप्ट नहीं किया है, then this should have been included in this memorandum. इसमें एक सुप्रिन्टेन्डिंग इन्जीनियर और एक एग्ज़ीक्यूटिव इन्जीनियर के सिवाय और किसी का जिक्र नहीं है। All this should have been included in this memorandum. इनको इन्क्लूड क्यों नहीं किया है ? इस बात के ऊपर माननीय मंत्री महोदय अपना जवाब देंगे तो प्रकाश डालेंगे। ऐसी उम्मीद करके मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट सदन के सामने विचारार्थ प्रस्तुत हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मेरे पूर्व बोलनेवाले माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये, यह अच्छा होता यदि इस प्रकार की रिपोर्ट पर सदन में पहले विचार किया जाता। आज दो वर्षों के पश्चात् हम इस रिपोर्ट पर विचार कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, भारत का संविधान जो बना उस संविधान में भारत के प्रशासन की दृष्टि से जो कई प्रकार की व्यवस्थाएं की गई, उन व्यवस्थाओं में पब्लिक सर्विस कमीशन की व्यवस्था एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था है। पब्लिक सर्विस कमीशन का क्रिएशन किसी राज्य सरकार की मर्जी पर नहीं है; अपितु भारत के संविधान में इसकी व्यवस्था निहित है और वह क्यों की गई, संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था क्यों की गई; उसके लंबे इतिहास में मुझे जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह बात निश्चित है कि

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

जहां एक अनुच्छेद? हमने जुडिशियरी के सम्बन्ध में, हाई कोर्ट के सम्बन्ध में और हाई कोर्ट के जजेज़ की अपोइन्टमेन्ट के सम्बन्ध में कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था का है वहां दूसरी और राजकीय सेवाओं के सम्बन्ध में प्रशासन में भ्रष्टाचार न फैले, प्रशासन में शुद्धता रहे, प्रशासन में फेवरेटिज्म न हो, प्रशासन का स्तर बढ़ता रहे, निरंतर ऊंचा उठता रहे, इस दृष्टि से हमने संविधान के आर्टिकल में पब्लिक सर्विस कमीशन की व्यवस्था की है जिसके लिये संविधान में ३१५ से ३२३ तक के अनुच्छेद हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज जब पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट के सम्बन्धे में सदन के अनेक माननीय सदस्यों ने विचार प्रकट किये तो स्वाभावतः कुछ बातें पी० एस० सी० के गठन के सम्बन्ध में, उसके द्वारा किये गये कार्य-कलापों के सम्बन्ध में और राज्य सरकार ने जिस प्रकार की उपेक्षा की नीति बरती है उस सम्बन्ध में कही गई। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की जो रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है उसके प्रथम पृष्ठ का अवलोकन करें तो उसमें लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन क्या हो। उसमें लिखा है, एक चेयरमैन और उनके साथ २ मेम्बर्स होंगे। इस प्रकार से तीन सदस्यों का पब्लिक सर्विस कमीशन होगा। हमारे इस पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन थे श्री देवीशंकर तिवारी और सदस्य थे श्री मदनमोहन वर्मा और श्री लक्ष्मीलाल जोशी। श्री देवीशंकर तिवारी रिटायर। हुए उनके स्थान पर श्री मदनमोहन वर्मा चेयरमैन हुए और एक सदस्य का स्थान खाली हुआ; उस पर श्री रघुकुल तिलक को नियुक्त किया गया और इन तीनों सदस्यों का पब्लिक सर्विस कमीशन बना। उपाध्यक्ष महोदय, इन तीन सदस्यों के पब्लिक सर्विस कमीशन के सम्बन्ध में, यदि मैं गलती नहीं करता हूं तो जहां तक श्री देवी-शंकर तिवारी का सम्बन्ध है, वे राज्य सेवा में नहीं रहे। श्री मदनमोहन वर्मा युनिव-र्सिटी में सर्विस करते थे, जहां के रजिस्ट्रार थे लेकिन जैसी मान्यता है, वह सरकारी सेवा नहीं थी और श्री रघुकुल तिलक के बारे में मेरी जानकारी नहीं है लेकिन यह निश्चित है कि इन तोनों में से दो सदस्य ऐसे थे जो कभी राज्य सेवा में नहीं थे। और उपाध्यक्ष महोदय, संविधान की धारा ३१६ है उसमें लिखा है :

"The Chairmam and other members of a Public Service Commission shall be appointed in the case of the Union Commission or a Joint Commission, by the President and in the case of a State Commission, by the Governor of the State:

Provided that as nearly as may be one-half of the members of every Public Service Commission shall be persons who at the dates of their respective appointments have held office for at least ten years either under the Government of India or under the Government of a State, and in computing the said period of ten years any period before the commencement of this Constitution during which a person has held office under the Crown in India or under the Government of an Indian State shall be included."

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

उपाध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान के आर्टिकल ३१६ और उसके प्रोविज़न को देखने पर निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिन लोगों ने यह प्रावधान रखा है उनकी मंशा थी और इस सम्बन्ध में कॉन्स्टिट्यूएन्ट असेम्बली में बैठे हुए श्री भींवराज अम्बेडकर जो इस बिल को पायलोट कर रहे थे उन्होंने इस सम्बन्ध में अपने जो विचार प्रकट किये हैं वे कॉन्स्टिट्यूएन्ट असेम्बली की रिपोर्ट में आये हैं। वहां पर उन्होंने जोर दिया था कि पब्लिक सर्विस कमीशन के बहुत बड़े फंक्शन्स होंगे। उसको स्टेट सर्विसेज़ के लिए पर्सोनल्स सिलेक्ट करने पड़ेंगे। इसके लिए यह जरूरी है कि हम इस प्रकार के आदमी कम से कम आधी संख्या में रखें जिनको गवर्नमेंट सर्विसेज़ का ज्ञान हो, अनुभव हो। इसलिए उन्होंने उसके लिये व्यवस्था दी। लोक सभा में गम्भीर वाद—विवाद होने के बावजूद भी कि आई. सी. एस. लोगों को रखना चाहते हैं लेकिन श्री अम्बेडकर ने भाषण देते हुए स्पष्ट कहा था कि पब्लिक सर्विस कमीशन का अच्छा स्तर बनाने के लिए अच्छे पर्सनल्स चाहिये और अच्छे पर्सनल्स तब तक नहीं हो सकेंगे जब तक कि वे खुद सर्विस में नहीं रहे हों। इसलिए आर्टिकल ३१६ में यह व्यवस्था की गई कि पब्लिक सर्विस कमीशन के कम से कम आधे सदस्य ऐसे होने चाहिये जिन्होंने कम से कम १० साल तक सर्विस की हो और जैसा कि रिपोर्ट में लिखा है, इस पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन श्री देवीशंकरजी तिवारी थे और मेम्बर श्री मदनमोहनजी वर्मा और श्री लक्ष्मीलालजी जोशी थे। यह बात सही है कि श्री लक्ष्मीलाल जोशी १० साल तक राजकीय सर्विस में थे, मेवाड़ स्टेट की सर्विस भी राजकीय सर्विस की गिनती में आ जाती है। लेकिन राजस्थान सरकार ने जिस समय पब्लिक सर्विस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया था उस समय अनुच्छेद ३१६ उनकी आंखों से ओझल हो गई थी। क्या उनको पता नहीं था कि इससे पर्सनल्स इस प्रकार के होने चाहिये? क्या उनको संविधान की धारा का पता नहीं था? उन्हें तो अपने आदमियों को अपोइन्ट करना था, कहीं न कहीं उनको रखना था। जो एज्युकेशन मिनिस्टर नहीं रह सके, चेयरमैन म्युनिसिपैलिटी नहीं रह सके, किसी पोलिटिकल पद पर नहीं रह सके, चुनाव के लिए जिसको टिकट नहीं मिल सका और यदि मिला तो हार गये; उनको जब कोई स्थान नहीं मिला तो पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन रख दिया। मैं समझता हूं, इससे ज्यादा बुरी बात और कोई नहीं है। मैं समझता हूं कि यदि कोई प्योरिफाइड ऑफिसेज़ हो सकते हैं तो दो हो सकते हैं; एक तो हाई कोर्ट और दूसरा पब्लिक सर्विस कमीशन है जिसके आधार पर हमारा सारा लेजिस्लेचर और प्रशासन चलता है। मैं समझता हूं, इनके बारे में कोई कन्सेप्शन आये, एक प्रकार की मेन्टेलिटी हो रही है फेवरेटिज्म का आरोप लगाया जाय, उसके बाद लॉ कमीशन रिपोर्ट देता है, बड़े—बड़े जूरिस्ट राय देते हैं और हाई कोर्ट में इस प्रकार की अपोइन्टमेंट को कन्डेम किया गया है। इसी प्रकार का कोई कमीशन यदि पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए बनाया जाय जो जांच करेगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान के पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्सोनल्स का कॉन्स्टिट्यूशन पोलिटिकल आधार पर था।

Page No.74

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

माननीय उपाध्यक्ष, मैं नहीं समझता कि जहां के पब्लिक सर्विस कमीशन की नीति और जहां के सारे से सारे आदमी इस प्रकार के पोलिटिकल आधारों पर नियुक्त किये गये हों, पोलिटिकल आधार पर अकोमोडेट किये गये हों, तो मैं नहीं समझता कि इस प्रकार से राजस्थान की सेवाओं के बारे में अयोग्यता का विचार सदन रखता है, न्याय नहीं होता, इर्रेगुलर अपोन्टमेंट्स कर दिये जाते हैं; तो यह अनुचित है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट जो प्रस्तुत हुई जिसमें अनेक बातों को ओर संकेत किया गया है और संकेत के सम्बन्ध में अभी विचार सदन में आये हैं उनके सम्बन्ध में मैं अधिक नहीं कहता हुआ यह कहूंगा कि कल जब श्री-माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य श्री भैरोंसिंहजी जो हमारी पार्टी के उप नेता हैं उन्होंने कहा था ...

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर): नेता कब से हो गये ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जारी) जिसके उत्तर में माननीय राजस्व मन्त्री ने सदन में विचार प्रगट किये थे, आपत्ति के बारे में, कि इस प्रकार जो अपॉइन्टमेंट है, वह उचित है। इसके बाद दो लोगों के पोलिटिकल अपोइन्टमेंट और पोलिटिकल कन्सीडरेशन के कन्टीन्युएशन के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जिसके बारे में आपत्ति की थी कि अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड का चेयरमैन नहीं बनाना चाहिये। मैं उनकी योग्यता के बारे में नहीं कहना चाहता। वे कितने काबिल हैं, कितने एफीशियेन्ट हैं, कितने सेवा-भावी हैं, ये सब अलग चीजें हैं। सवाल यहां यह खड़ा होता है कि आखिर आप इस प्रकार के पवित्र बोर्ड को करप्ट करने पर क्यों तुले हैं ? यहां पर यह आपत्ति की गई कि अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड का चेयरमैन उनको नहीं बनाना चाहिये, तो माननीय राजस्व मन्त्री ने जवाब दे दिया कि वे ओनरेरी ऑफिस होल्ड किये हुए हैं, वे तनख्वाह नहीं पाते। मैं समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि किसी प्रकार का एम्प्लॉयमेंट सरकार के अन्तर्गत नहीं लेंगे। धारा ३१६ है:—

"319. On ceasing to hold office—

(a) the Chairman of the Union Public Service Commission shall be ineligible for further employment either under the Government of India or under the Government of a State:

(b) the Chairman of a State Public Service Commission shall be eligible for appointment as the Chairman or any other member of the Union Public Service Commission or as the Chairman of any other State Public Service Commission, but not for any other employment either under the Government of India or under the Government of a State;

(c) a member other than the Chairman of the Union Public Service Commission shall be eligible for

Page No.75

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

appointment as the Chairman of the Union Public Service Commission or as the Chairman of a State Public Service Commisson, but not for any-other employment either under the Government of India or under the Government of a State;

(d) a member other than the Chairman of a State Public Service Commission shall be eligible for appointment as the Chairman or any other member of the Union Public Service Commission or as the Chairman of that or any other State Public Service Commission, but not for any other employment either under the Government of India or under the Government of a State." तो यह किसी प्रकार का अपोइन्टमेंट नहीं लेंगे । अब इसके इन्टरप्रिटेसन के बारे में कुछ इधर के बैठने वाले सदस्यों ने कह दिया कि अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, इसलिए चेयरमैन का ऑफिस गवर्नमेंट का ऑफिस माना जायगा, गवर्नमेंट का एम्प्लॉई माना जायगा । माननीय राजस्व मन्त्रीजी ने उत्तर दिया कि वे आनरेरी हैं और आनरेरी होने के कारण वे एम्प्लॉयमेंट की सीमा में नहीं आते, इसलिए उनका एम्प्लॉयमेंट आब्जेक्शनेबल नहीं है । शायद राजस्व मन्त्री महोदय ने सोचा होगा कि इतने उत्तर से काम चल जायगा क्योंकि वे संविधान के पंडित हैं, लेकिन संविधान के सम्बन्ध में जो प्रोसीडिंग्स लोक सभा में चलीं, उनको पढ़ा नहीं और समझते हैं कि जनरल क्लॉजेज़ एक्ट और दूसरे कानून के क्लॉजेज़ हैं उनके इन्टरप्रिटेशन के मास्टर हैं; समझते चाहे उस सम्बन्ध में वे कुछ भी नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं उनकी जानकारी के लिए किसी और का इन्टरप्रिटेशन नहीं देता, इस तरह के एम्प्लॉयमेंट, ऑनरेरी सर्विस के बारे में किसने क्या कहा, लेकिन आपके आका, जिन्होंने कान्स्टिट्यूशन बनाया, आपके बोस, आपके सेन्टर—भारत सरकार के मिनिस्टर, जिन्होंने भारत के संविधान का निर्माण किया, और जब आर्टिकल ३१८: सर्विसेज़ के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में विचार किया गया लोक सभा में तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था :

"the Chairman of a State Public Service Commission shall be eligible for appointment as the Chairman or any other member of the U. P. S. C. or as the Chairman of any other State P. S.C., but not for any other employment...

श्री चन्दनमल वैद : माननीय सदस्य, उनमें आपके आका भी शामिल थे, श्रीश्यामा प्रसाद मुखर्जी । आपके आका भी शामिल थे।

श्री उपाध्यक्ष : वे कॉमन आका थे ।

श्री चन्दनमल वैद : आप अपने आका के बारे में कहिये, वे भी उनमें शामिल थे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं उनके विरुद्ध नहीं जाता, इसलिए आपके आका के बारे में कह रहा हूं ।

श्री चन्दनमल वैद : आप अपने आका की बात कहिये ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं सपूत हूं, इसलिए उनकी बात नहीं कहता। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था :

"With regard to the second question, that persons who have been in the Public Service Commission should be permitted to accept an honorary office under the State, personally I am not now inclined to accept that suggestion. Our whole object is to make the members of the Public Service Commission independent of the executive. One way of making them independent of the executive is to deprive them of any office with which the executive might tempt them to depart from their duty. It is quite true that an office which is not an office of profit but an honorary office does not involve pay..."

आपको शायद फेवर का लग रहा होगा, आप सुनिये आगे :

"But as everybody know, pay is not the only thing which a person obtains by reason of his post. There is such a thing as 'pay, pickings and pilferings'. But even if it is not so, there is a certain amount of influence. which an office gives to a person And I think it is desirable to exclude even the possibility of such a person being placed in a post where, although he may not get a salary, he may obtain certain degree of influence."

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के लोक सभा में होने ...

इन्टरप्रिटेशन से, जो कि डॉ० अम्बेडकर का है, माननीय राजस्व मंत्री इस बात को मानने के लिये तैयार होंगे कि इस प्रकार जो अपोइन्टमेंट किया गया है वह किसी प्रकार जायज़ नहीं ठहराया जा सकता....

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Agrawal, I feel that this is a fiat accompli and I don't know how far it is relevant to this issue.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं अब और कह नहीं रहा हूं एस्टेब्लिश हो गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कोटेशन दे रहा था कि हमारे राजस्व मंत्री ने बहुत एम्फेटिकली इस सदन में इस बात से इन्कार किया कि ये ऑनरेरी ऑफिस में एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : Well, you will please proceed with the debate.

श्री चन्दनमल वैद : It is a matter of opinion.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना): The Hon'ble Member must know that he was favouring the Constitution of India.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : खैर, आप उनकी ओपीनियन को मानें या न मानें, मैं मानता हूं क्योंकि उन्होंने भारत के संविधान का निर्माण किया....

श्री श्रीभानसिंह : It is because he is now sitting as an Ex-Minister for ...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था....

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर): (अश्रव्य)-(बाधा)

श्री उपाध्यक्ष : Order! Order please!!

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि पब्लिक सर्विस कमीशन के कॉन्स्टिट्यूशन और पर्सनल हैं और उसमें जो कन्सीडरेशन राज्य सरकार के सामने आये और आज भी हैं, मैं समझता हूं, इस प्रकार के कारणों के आधार पर और उस प्रकार के कन्सीडरेशन्स के आधार पर जो सेन्स ऑफ प्योरिटी हम उसके प्रति डेवलप करना चाहते हैं और जो बात लोगों में हम निर्माण करना चाहते हैं, सर्विसेज़ में विशेष रूप से और राजस्थान की जनता में जो भावना पैदा करना चाहते हैं उसे कर पाते हैं या नहीं, हम उस प्रकार देखें, हम चाहते हैं कि उसके बारे में कम से कम आलोचना हो। मैं भी मानता हूं कि इस प्रकार की आलोचनाओं के कम अवसर हों। लेकिन इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई. उसके कारण यह हालत पैदा हुई कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने आज इस रिपोर्ट मेंXXXXहै। आप किसी पन्ने को उठा कर देखें, रिपोर्ट की शुरुआत होती है कि राजस्थान सरकार ने एडवर्टाइज़मेंट के लिए लिख दिया, इतनी पोस्ट्स का एडवर्टाइज़मेंट कर दो। पब्लिक सर्विस कमीशन ने एडवर्टाइज़मेंट कर दिया, लोगों को सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद लिस्ट भेजी तो गवर्नमेंट ने कह दिया. इसको रिजेक्ट कर दो। आगे लिखते हैं. हम लोगों का सिलेक्शन करते हैं, उनको गवर्नमेंट के पास भेजते हैं तो गवर्नमेंट उनको अपोइन्टमेंट नहीं देती है, इसकी लम्बी लिस्ट दी है। फिर कहते हैं कि सिलेक्शन के बाद लोगों का इर्रेगुलर अपोइन्टमेंट सरकार कर देगी, हमसे पूछती नहीं है। यह सारी रिपोर्ट एक लाचार और बेबस आदमी की रिपोर्ट मालूम होती है, जिसका वश हुकूमत पर नहीं चलता है। पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे संविधान के अन्तर्गत बनाया है, उसमें चेयरमैन कोई स्ट्रॉन्च पर्सोनल होता, पोलिटिकल कन्सीडरेशन्स के आधार पर बना हुआ पर्सोनल नहीं होता तो मैं समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, जितनी इर्रेगुलेरिटीज़ जो राजस्थान सरकार ने की हैं उन सब के लिए जहां इस रिपोर्ट में कुछ कन्सीडरेशन्स के आधार पर कुछ कह कर आखिर में कन्कलूज़न में राजस्थान सरकार को धन्यवाद दे दिया है। यह धन्यवाद की बात नहीं है। मैं समझता हूं कि कोई स्ट्रॉन्च पर्सोनल होता तो सरकार की कार्यवाही को कन्डेम कर देता। राजस्थान सरकार की सारी कार्यवाही को कन्डेम करना चाहिए था, एक मोशन ऑफ सेन्सर लिख देना चाहिए था; यह कहना चाहिए था कि राजस्थान सरकार ने पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ कोआपरेशन नहीं किया। पब्लिक सर्विस कमीशन की सारी रिपोर्ट में वे सब बातें होती जो गवर्नमेंट ने की हैं, जितने इर्रेगुलर अपोइन्टमेंट्स किये हैं, इर्रेगुलेरिटीज़ की हैं तो मैं समझता हूं कि उसको सदन का समर्थन प्राप्त होता। लेकिन इनमें कमजोरी है, और जो मैंने कारण निवेदन किये उनकी वजह से आगे के लिए भी कमजोरी है, पहले भी

XXXX अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कमज़ोरी है और उसके बाद के लिए भी कमज़ोरी बना कर रखी है, पहले इस प्रकार, बाद में इस प्रकार। मैं समझता हूं पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट स्ट्रोंग वर्ड्स में आनी चाहिए थी, सख्त शब्दों में आनी चाहिए थी और सरकार के सारे एक्शन्स को कंडेम करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ? आप इस रिपोर्ट का कोई पन्ना उठा कर देखें, हर पन्ने इर्रेगुलेरिटीज़ के बारे में, इर्रेगुलर अपोइन्टमेंन्ट्स के बारे में लिखे हैं। पांच साल, सात साल हो गये, राजस्थान सरकार का कोई डिपोर्टमेंट ऐसा नहीं बचा, जिसमें इर्रेगुलर अपाइन्टमेंट नहीं किये गये हों। एक जगह पर मैं पढ़ रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, एक टेम्पोरेरी अपोइन्टमेंट किया था। उस टेम्पोरेरी अपोइन्टमेंट के सिलसिले में पब्लिक सर्विस कमीशन ने लिखा है, कोई असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार का मामला है। असिस्टेन्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर का अपोइन्टमेंट किया गवर्नमेंट ने, उसका ट्रान्सफर कर दिया कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने। असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार करके एक्सेप्शन लिया और यह लिखा है कि असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार करके अपोइन्टमेंट नहीं कर सकते असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार करके ट्रान्सफर नहीं कर सकते। यह केस डिपार्टमेंट को भेजा और कहा कि एक्सप्लेन कीजिये। इससे आगे पब्लिक सर्विस कमीशन ने कहा है कि गवर्नमेंट ने, जो नाम हमने भेजे थे, उसमें तीन नाम और एड करके भेजे और कहा कि इनमें भी कॉन्करेन्स दे दीजिये....

श्री श्रीमानसिंह : Such things are common in the Co-operative Department.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Such things may be common in the Co-operative Department; that is true, but this is why I am drawing the attention of the House towards this fact.

असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, असिस्टेन्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर के अपोइन्टमेंट किये, उसमें पब्लिक सर्विस कमीशन की कॉन्करेन्स नहीं ली, उसकी परमिशन नहीं ली। मैं समझता हूं इस तरह के ग्लेअरिंग फैक्ट्स, जो रिपोर्ट में लिखे हैं, वे सारे दबे दबे शब्दों में लिखे हैं। कोई पेज ऐसा नहीं है, जिसमें पब्लिक सर्विस कमीशन ने नहीं लिखा है कि 'राज्य सरकार को लिखा और एक्सप्लेनेशन मांगा, उसके जवाब में इतनी देरी क्यों हुई लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है, अभी तक सरकार ने एक्सप्लेनेशन नहीं भेजा है। मैं समझता हूं कि बहुत से इन्सटान्सेज़ पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट में ऐसे हैं जिन पर राज्य सरकार को गम्भीरतापूर्वक सोचना चाहिए। आज जब कभी सर्विसेज़ के बारे में प्रश्न आता है, सदन में सवाल आता है, अपोइन्टमेंट्स, ट्रान्सफर्स के बारे में, तो उनसे लगता है कि राजस्थान की सर्विसेज़ में इतना डिसकॉन्टेन्टमेंट है, इतना असंतोष है कि ऐसा हिन्दुस्तान में कहीं नहीं है। करते क्या हैं ? टेम्पोरेरी बेसिस पर अपोइन्टमेंट करते हैं और उसके बाद दो साल, चार साल तक पीरियड एक्सटेन्ड करते रहते हैं। उसके बाद उनके बारे में जब ऑब्जेक्शन्स उठाते हैं और यह मालूम होता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन की कॉन्करेन्स नहीं ली है तो सरकार पब्लिक सर्विस कमीशन को लिखती है कि कॉन्करेन्स दे दीजिये। एडवर्टाइज़मेंट करने की जरूरत नहीं है, सिलेक्शन

Page No.79

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

नहीं हुआ । बाद में कहते हैं कि इसे चार साल का एक्सपीरियेन्स हो गया, इसलिए इसके लिए कॉन्करेन्स दे दीजिये। पब्लिक सर्विस कमीशन चाहता तो कह सकता था कि हम कॉन्करेन्स नहीं देते ; आपने हमारी बिना मर्जी क्यों एपॉइन्टमेंट किया ? जब बगैर मर्जी एपॉइन्टमेंट हो जाता है तो पब्लिक सर्विस कमीशन से कॉन्करेन्स ली जाती है। अगर केवल इतना सा कॉन्करेन्स देने का पब्लिक सर्विस कमीशन का फंक्शन हो और सरकार किसी को भी नौकरी दे और मन चाहे लोगों को नौकर रखे और जैसा कहा गया है टेलिफोन के आधार पर अपने फेवरेट लोगों को नौकरी दे और एम्पलॉयमेंट एक्सचेन्ज के रूल्स की चिन्ता न करते हुए नोकरी में लोगों को ले लिया जावे और फिर उनको पब्लिक सर्विस कमीशन के पास कॉन्करेन्स के लिये भेजे और उस समय पी० एस० सी० केवल अपनी सील लगानेवाली ही कन्सर्न हो तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की सील लगानेवाली पब्लिक सर्विस कमीशन को भग कर दिया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, यदि परसोनल्स और कन्डक्ट के बारे में कहा जाए तो....

उपाध्यक्ष : Mr. Satish Chandra, since the Hon'ble Speaker had made some observations which imposes certain restrictions and restrains over criticism of the personnel and P. S. C. itself. The House will have respect for the observations of the Hon'ble Speaker, and the Hon'ble Member will have some restiains over his specch so far as the P. S. C. and its' personnel are concerned.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं यह संविधान के अनुच्छेद ३१५ के तहत बताना चाहता हूं, with all due regard, और खास तौर से इसके क्लॉज़ २ में लिखा है:—

"Two or more States may agree that there shall be one Public Service Commission for that group of States, and if a resolution to that effect is passed by the House, or, where there are two Houses, by each House of the Legislature of each of those States, Parliament may by law provide for the appointment of a Joint State Public Service Commission to serve the needs of those States."

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार के पब्लिक सर्विस कमीशन एक राज्य के लिये अलग हो और कई राज्य इस बारे में मिल सकते हैं। इसके लिये जिस प्रकार पुलिस के जोन्स बनाते हैं, मैं समझता हूँ उसी प्रकार दो–तीन स्टेटों को मिला कर पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाना चाहिये और इससे मैं समझता हूं कि खर्चा जो आपका ज्यादा हो रहा है वह नहीं होगा और न मनमाने तरीके से अपॉइन्टमेंट किये जाते हैं वे ही हो पायेंगे। इसलिये हिन्दुस्तान के दो–तीन रियासतों को मिला कर जैसे मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान तीनों को एक साथ मिला कर सब का एक ही पब्लिक सर्विस कमीशन बना दिया जावे।

मैं समझता हूं कि संविधान के आर्टिकल ३१५ के अनुसार सदन के सदस्यों को इस

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

प्रकार की मांग करने का अधिकार है और वे मांग करते हैं और विचार प्रगट कर सकते है कि दो–तीन राज्यों के पब्लिक सर्विस कमीशनों को मिला कर एक साथ कर दिया जावे। इस सम्बन्ध में मैंने अपने विचार सदन के सामने प्रस्तुत किये हैं और सदन के माननीय सदस्य इस पर विचार कर सकते हैं।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व) : On a Point of Clarification, Sir. मैं जानना चाहता हूं कि हमारे संविधान में यह कहां पर है कि दो–चार स्टेटों के बिना मिले हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन अलग नहीं बन सकता।

श्री उपाध्यक्ष : I could not follow the line of your arguments. What was the point stressed ?

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : माननीय सदस्य इस बात पर जोर दे रहे हैं कि संविधान में ऐसे अनुच्छेद हैं कि दो–चार राज्यों को मिला कर आपस में एक पब्लिक सर्विस कमीशन बना सकते हैं। संविधान में कहां लिखा है कि एक राज्य पब्लिक सर्विस कमीशन क्यों नहीं बना सकता ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): If the Hon'ble Member wants that this must be moved and passed as a resolution of the Assembly, can this come as a substitute resolution ?.

श्री उपाध्यक्ष : I treat it as a suggestion. It is nothing more than a suggestion.

श्री भैरोंसिंह : If the Hon'ble member wants this as a resolution, that can be just moved.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह तो माननीय सदस्यों की मर्जी पर होगा, जैसा वातावरण बनेगा वैसा होगा।

श्री उपाध्यक्ष : Will you please proceed with the debate.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है वह राज्य सरकार के एक्शनों के बारे में कुछ जबर्दस्त एक्सपोज़ करनेवाली है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने जनतान्त्रिक तरीके को नहीं अपनाया है और सरकार ने भी उस प्रजातन्त्र के तरीके को नहीं अपनाया है। मैं यह निवेदन करूंगा कि आइन्दा के लिये सरकार को इस बात को मान लेना चाहिये और कमिटमेंट करना चाहिये कि हम किसी प्रकार के टेम्पोरेरी अपोइन्टमेंट भविष्य में नहीं करेंगे और अगर जरूरत ज्यादा ही हुई तो दो–तीन महीनों या ६ महीनों के लिये अपोइन्टमेंट करेंगे और पब्लिक सर्विस कमीशन की कॉन्करेंन्स लेंगे और जिस प्रकार पब्लिक सर्विस कमीशन ने सरकार का ध्यान आकर्षित अपनी रिपोर्ट के द्वारा किया है उसे फिर इस प्रकार का अवसर नहीं प्राप्त होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना भाषण

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

समाप्त करूं इससे पहले मैं सदन का ध्यान एक बात की तरफ आकर्षित करूंगा। यह बात पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी उस बात के अन्त में कही है और मैं भी अपने विचार इस पर अन्त में ही रख रहा हूं। पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने ऑब्ज़र्वेशन दिये हैं कि जितने भी केन्डीडेट रिटन टैस्ट में एपियर हुए उनका शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि शिक्षा के नाम पर, शिक्षा के बढ़ते हुए स्तर के नाम पर आज मुख्य मंत्री कई बार कहते हैं कि हम शिक्षा के स्तर को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मैं चाहता हूं कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन जो एग्ज़ामिनेशन लेते हैं उसने इस बात का संकेत किया है कि आज राजस्थान में कॉम्पीटीटिव एग्जामिनेशन में जितने भी विद्यार्थी आते हैं उनका शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। वे रिटन टैस्ट में पास नहीं होते और न वाइवा-वोसे में ही पास होते हैं। इसलिये आज यह संकेत पब्लिक सर्विस कमीशन ने किया है इसकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि यही कारण है कि आज राजस्थान के विद्यार्थी जिस प्रकार दूसरी स्टेटों के विद्यार्थी ऑल इन्डिया सर्विसेज़ में आने चाहिये; नहीं आते हैं। मैं समझता हूं कि ये लोग इसी कारण से आर. ए. एस,, आई. पी. एस. में नहीं आते हैं। मैं समझता हूं कि इसी कारण से राजस्थान आई. ए. एस. में पीछे रहा है। मैं कहूँगा कि सदन के सामने और माननीय सदस्यों के सामने आज अगर कोई सबसे बड़ी समस्या है तो यह है और मैं समझता हूँ कि यह समस्या राजस्थान के सामने ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान के सामने भी है कि एडमिनिस्ट्रेशन ठीक तरह से हो; प्योरिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो। प्रशासन शुद्ध आधारों पर चले, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार न हो और जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग आवें वे केपेबल हों और उनके कन्धों पर शासन का भार चले। इसलिये यह जरूरी है कि जितना भी संकेत इसमें किया गया है और जो विचार सदन में प्रस्तुत किये हैं उसमें राज्य सरकार अपनी नीति-रीति में परिवर्त्तन करेगी। इतना कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): उपाध्यक्ष महोदय, बयाना से आनेवाले माननीय सदस्य ने रिपोर्ट को लेकर यह बताया कि सर्विसेज़ में रिटायर्ड होने वाले लोगों को फेवरेटिज्म करके लिये जाता है। जयपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने बताया कि पब्लिक सर्विस कमीशन में और दूसरी जगह रिटायर्ड हैंड्स को लिया जाता है और ऐसे व्यक्तियों को लिया जाता है जिनका अनुभव कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार १० साल की सर्विसेज का नहीं होता।

उपाध्यक्ष महोदय, हम गत वर्षों को देखेंगे तो मालूम होगा कि पब्लिक सर्विस कमीशन की राय है उसको हमने माना है। जो राय पब्लिक सर्विस कमीशन ने दी और उसको नहीं माना है वह सुप्रिन्टेन्डिंग इन्जीनियर के मामले में आपत्ति थी उसको वेव किया है; बाकी सब को हमने माना है। इससे स्पष्ट है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के महत्व को हमने माना है और उसकी सिफारिशों की तरफ ध्यान दिया है।

दूसरा, इस रिपोर्ट में हम देखते हैं कि

(श्री सोहनलाल भटनागर)

सबसे बड़ी बात है प्रोसीजर को वेव करने की और अपॉइन्टमेंट देने की । मैं उन केसेज़ को मूव नहीं करना चाहता लेकिन जिस तरह से टेम्पोरेरी अपोइन्टमेंट कर लें और प्रोसीजर के मुताबिक कॉन्करेन्स नहीं लें इसके साथ में एपेन्डिक्स एफ दिया हुआ है उसमें circular letter to all Secretaries को भेजा जिससे स्पष्ट है कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की राय को महत्व देना चाहिये । सरकार यह चाहती है कि जहां तक हो, अपॉइन्टमेंट्स पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ही हो :

"In supersession of the instructions issued to Secretaries and Heads of Departments in marginally noted communications the following comprehensive instructions are laid down for observance regarding all appointments made on a temporary basis, without the concurrence of the Rajasthan Public Service Commission, to posts which are within the purview of the Rajasthan Public Service Commission-

(i) As soon as a decision is taken to fill up an existing vacancy or a newly sanctioned post, which is likely to last for more than 6 months, a requisition should be sent to the Rajasthan Public Service Commission.

इस तरह से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सारे सर्कुलर को हम देखेंगे तो मालूम होगा कि जहां तक गजटेड ऑफिसर्स का सवाल है उसमें चीफ मिनिस्टर की सेन्क्शन होनी चाहिये, चीफ सेक्रेटरी क सेन्क्शन होनी चाहिये और ए. जी. को स्लिप उसकी जानी चाहिये कि सेन्क्शन ले ली गई है तब ह जाकर उसको पे ओथोरिटी जारी की जा सकती है । इस दृष्टि से रिपोर्ट द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है कि कम से कम टेम्पोरेरी अपॉइन्टमेंट्स हों, एक्सटेन्शन हों ।

उपाध्यक्ष महोदय, जो एक खास बात है जो किसी भी माननीय सदस्य ने नहीं कही है वह यह है कि फेवरेटिज्म आदि की तो पार्लियामेंट में भी बात आयी । फेवरेटिज्म का सवाल होता है तो रिटन टैस्ट और वाइवा वोसे में होता है । इस ओर देश के लोगों का ध्यान जाने लगा है, वावा वोइसे में अधिक नम्बर दे दिये जाते हैं जबकि रिटन टैस्ट में कम आते हैं । कई लोग रिटन टैस्ट में आ जावें फिर भी वाइवा वोसे में उनको कम नम्बर दे दिये जाते हैं । लेकिन रिटन टैस्ट में आ जावें तब भी पर्सनेलिटी टैस्ट का भी एक स्थान है । जो पुराना महत्व है पर्सनेलिटी टैस्ट का वह वाइवा वोसे है । जयपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने भी एक बात बतायी और जैसा कि इस रिपोर्ट में भी बताया गया है कि आज रिटन टैस्ट और शिक्षा का स्टेन्डर्ड डिटीरियोरेट होता जा रहा है । केन्डीडेट आते हैं तो पढ़ा था जब तो उनको याद था और अब वे भूल गये हैं, वे यह कहते हैं । इसलिये कमीशन ने मौजूदा शिक्षा प्रणाली की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है । आज सरकार शिक्षा का प्रसार कर रही है तो ये जो शिक्षा के अन्दर खराबियां आ रही हैं और जो स्तर गिरता जा रहा है उस

Page No.83

(श्री सोहनलाल भटनागर)

और भी सरकार ध्यान देगी ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय भैरोंसिंह ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान जन सेवा आयोग की रिपोर्ट सदन में विचारार्थ प्रस्तुत हुई है और सब ही माननीय सदस्यों ने जिन्होंने अपने विचार इस सम्बन्ध में प्रकट किये हैं उन्होंने कुछ अंशों में पब्लिक सर्विस कमीशन की कार्यवाहियों की और सरकार की कार्यवाहियों की आलोचना की है । मैं ऐसा समझता हूं कि इस समय इस आयोग के प्रतिवेदन के ऊपर विचार करने के साथ साथ हमें पहले आयोग की कठिनाइयों पर भी विचार करना पड़ेगा। आयोग ने कौन कौन से ऐसे काम किये हैं जिन कामों के अन्दर सरकार का उसको सहयोग नहीं मिला है और जिसके लिए हम पूर्णतया सरकार को जिम्मेवार ठहरा सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय, इस रिपोर्ट को मैंने पढ़ा है और पढ़ने के बाद में इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि चाहे मुख्य सचिव ने कोई सर्कुलर इश्यू कर दिया हो, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक बार नहीं अनेक बार कई विभागों को इस प्रकार की हिदायतें दी हों कि जो अपोइन्टमेन्ट्स करने के रूल्स हैं उनको किसी प्रकार न मानने की स्थिति पैदा न की जाय; इस प्रकार के सर्कुलर्स निकलने के बाद भी कुछ विभाग ऐसे हैं जिन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन की सिफारिशें या नियुक्ति के जो सरकारी नियम हैं उनको जानबूझ कर पालन न करने की स्थिति पैदा की। मैंने इस पब्लिक सर्विस कमीशन की मैं रिपोर्ट जहां इर्रेगुलर अपोइन्टमेन्ट्स का उल्लेख आया है, उन इर्रेगुलर अपोइन्टमेन्ट्स को देखा हैं और देखने के बाद में इस नतीजे पर पहुँचा हूं कि चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन ने कुछ नावाजिब परिस्थिति-वश उन अपोइन्टमेन्ट्स को वाजिब मान लिया हो लेकिन इस बात को कमिट किया है कि सरकार के विभाग किस प्रकार से इस प्रकार की व्यवस्था करते हैं जिसके आधार पर पब्लिक सर्विस कमीशन को मजबूर होना पड़े, उनके अपोइन्टमेंट्स, प्रमोशन्स पैनेल्टीज़ के इस प्रकार के मामलों में अपनी व्यूज़ को कन्फर्म कराने के बारे में । मैं ज्यादा अपोइन्ट-मेन्ट्स का जिक्र इस समय यहां नहीं करूंगा। लेकिन एक विषय में जहां पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपोइन्टमेन्ट्स को लेकर उल्लेख किया है उसमें तीन बातें आती हैं । तीन बातें इस प्रकार की आती हैं कि अपॉइन्टमेंट्स इस प्रकार के लोगों का कर दिया जाता है कि जिनकी क्वालिफिकेशन्स पद के अनुसार जो होनी चाहिये वे नहीं होतीं। छः महीने के लिए अपॉइन्टमेंट कर देते हैं । उसकी पब्लिक सर्विस कमीशन को सूचना नहीं दी जाती और जब पब्लिक सर्विस कमीशन पूछता है तो उनको कागजात और जानकारी समय पर नहीं दी जाती और जब पब्लिक सर्विस कमीशन के ये कमेन्ट्स हो जायं कि जिस व्यक्ति की जिस पद पर नियुक्ति की गई है वह व्यक्ति उस पद के लिए निर्धारित योग्यता नहीं रखता है तो डिपार्टमेन्ट यह लिख कर भेज देता है । क्या लिख कर भेज देता है ? यह लिख कर भेज देता है कि जिस प्रकार की योग्यता, रिक्वीज़िट क्वालिफिकेशन के आदमी की इस पद के लिए आव-

(श्री भैरोंसिंह)

श्यकता है उसके लिए वह मांग करता है कि इस पद के लिए निर्धारित क्वालिफिकेशन के आदमी को भेजा जाय। पेज १८ पर कमीशन की जो सिफारिश है उसको मैं सदन के सामने पढ़ कर सुनाता हूं:

"In reply the Government informed that the qualification required for the post was M. A. or M. Com. or M. S.c., that the post was a permanent and that the appointee was a fresh hand."

इस स्थिति में कोई डिपार्टमेंट यह एक्सक्यूज नहीं ले सकता है कि जिस व्यक्ति का अपॉइन्टमेन्ट किया गया है और जिसका इस पैराग्राफ में जिक्र आया है वह टेक्निकली क्वालिफाइड था और इस पद पर उसकी नियुक्ति आवश्यक समझी गई और उसकी नियुक्ति की गई। उसके बाद लिखा है: "It was added that the proposal gave the impression that such a qualification had been prescribed simply because the incumbent was M. Com. LL. B. only." मतलब, पब्लिक सर्विस कमीशन को यह इम्प्रेशन हुआ है कि यह क्वालिफिकेशन प्रेस्काइब हुई वह उस व्यक्ति को एडजस्ट करने की गरज से की गई है। और फिर बाद में लिखा है: "if at all necessary, and a requisition laying down suitable qualifications be sent to the Commission, so that the post be advertised. The Government accepted the advice of the Commission."

उस सारी स्थिति में उन्होंने जो कुछ कहा है उसको मानते हुए, पब्लिक सर्विस कमीशन की बात को स्वीकार करते हुए कुछ डाइरेक्शन्स गवर्नमेंट ने इश्यू किये। अगले पैराग्राफ में एक इलेक्ट्रिकल एन्ड मेकेनिकल डिपार्टमेन्ट में नियुक्ति कर दी और उसमें जो अनियमिततायें हुई, उनमें स्पष्ट रूप से लिखा है: "In August, 1957 Government in the Public Works Department asked for the Commission's concurrence to extending the periods of temporary appointment of 5 Engineering Subordinates as Assistant Engineers in the Electrical and Mechanical Department saying that for one reason or the other the case of promotion to the post of Engineers as required under the Rajasthan Service of Engineers (Electrical and Mechanical Branch) Rules could not be taken up."

अब इसमें इस बात का संकेत मिलता है कि जो रूल्स बने हुए हैं उनकी भी डिपार्टमेंट परवाह नहीं करता है और उनके अगेंस्ट में कॉन्करेन्स पब्लिक सर्विस कमीशन से मांगने की चेष्टा करते हैं। एक बड़ा सीरियस मामला है जिसका पैराग्राफ ५ में जिक्र आया है। उसमें लिखा है: "From the details supplied by Government about the Officer it appeared that neither he possessed the requisite technical or academic qualifications (he being non-matric) nor had put in, qualifying service required for promotion under the Rajasthan Service of Engineers (Irrigation Branch) Rules, 1954. और फिर आगे कमीशन ने लिखा है "The Commission brought this gross irregularity to the notice of Govern-

(श्री भैरोंसिंह)

ment and advised that the appointment should be terminated forthwith."

अब यह पोज़िशन आती है, उपाध्यक्ष महोदय, कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी इस प्रकार की बातें हमारी सरकार के ध्यान में लाकर छोड़ी हैं।

अब सरकार के ध्यान में इस प्रकार की बातें आती हैं तो सरकार उस पर क्या कार्यवाही करती है, या तो यह समझा जाय कि पब्लिक सर्विस कमीशन के जो भी आदेश होते हैं उनकी विभाग परवाह नहीं करता है यानि सरकार का विभाग को प्रोटेक्शन है इस कारण वे पी० एस० सी० के आदेशों का पालन नहीं करते। सर्विसेज के संबन्ध में जब कि रूल्स बने हुए हैं उनका यदि कोई विभाग पालन नहीं करता है तो सरकार उन पर किसी प्रकार का एक्शन नहीं लेती है। इसमें जो मेरा दूसरा वर्शन है वह बिल्कुल सही है। विभागीय अधिकारी कुछ इस प्रकार की अनधिकृत नियुक्तियां करते जाते हैं जिनको प्रोटेक्शन अधिकारियों द्वारा ही नहीं, उनसे भी ऊंचे बैठनेवाले लोगों द्वारा मिलता है। इस रिपोर्ट के अन्दर एक जगह कुछ अपोइन्टमेन्ट्स का जिक्र आया है। एक जगह सोशियल वैलफेअर डिपार्टमेन्ट के अन्दर कुछ नियुक्तियों का जिक्र आया है और उसमें पूछा है कि आपने कुछ सोशियल वैलफेअर ऑफिसर की व असिस्टेन्ट डाइरेक्टर्स की नियुक्ति की, वह किस प्रकार से कर दी? उसके जवाब में लिखा गया है कि डिप्टी डाइरेक्टर या उनसे ऊंचे अफसर ने उनकी नियुक्तियां कर दीं, हमको नहीं पूछा गया। इससे यह पता चलता है कि अपोइन्टिंग ऑथोरिटी कौन है, और अपोइन्टमेन्ट कौन देता है। पब्लिक सर्विस कमीशन उसके बारे में लिखता है कि उनकी नियुक्तियां किस प्रकार से कर दी हैं? मैं ऐसा समझता हूं कि कुछ रिवाज ही इस प्रकार का पैदा होता जा रहा है कि नियुक्तियां तो पहले ही कर दी जाती हैं बाद में जो कुछ भी आपत्तियां होती हैं उसका निराकरण कर दिया जाता है। अभी कुछ दिनों पहले पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में एक क्वेश्चन आया था। उसके बारे में सदन में जानकारी दी गई थी सोशियल वैलफेअर डिपार्टमेंट के अन्दर जगहें नहीं हैं, सरकार से एडमिनिस्ट्रेटिव सेंक्शन पोस्ट्स के लिये आयी नहीं। प्रोमोशन के बारे में जहां तक सवाल है, अधिकारी कर नहीं सकते लेकिन १६ आदमियों को प्रोमोशन दिया गया। कोई पोस्ट नई क्रिएट नहीं हुई, लेकिन अपोइन्टमेंट कर दिया गया। उसके लिये कहा जाता है कि डिपार्टमेंटवालों के लिये जगह नहीं, गवर्नमेंट ने सेंक्शन नहीं दी इसके बावजूद भी पोस्ट्स क्रिएट की गई, लोगों को प्रोमोशन दिया गया। आखिर क्यों दिया गया? एक बात मैं ऐसी समझ रहा हूं कि जहां अधिकारियों के भाई-भतीजों का सवाल, अधिकारियों के जवांई-बहनोई का सवाल हो तो उनके लिये रूल्स के अन्दर शामिल हो या न हो अधिकारी उस एक्शन के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। अधिकारियों के खिलाफ एक्शन इसलिये नहीं लिया जाता कि इस प्रकार की अनियमित कार्यवाहियों को प्रोटेक्शन देना पड़ता है। इस तरह से वे अपने लोगों को ओबलाइज करने की चेष्टा करते हैं, अपने ऊपर—वाले अधिकारियों को खुश रखने की चेष्टा

(श्री भैरोंसिंह)

करते हैं। इसी प्रकार कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के अन्दर भी रजिस्ट्रार के कुछ पदों पर नियुक्तियां हुई। उनका भी इसमें उल्लेख आया है। उसके लिये जो पैराग्राफ इसमें आया है उसको पढ़ कर मैं सदन का समय जाया नहीं करना चाहता। माननीय सदस्यों से निवेदन है कि असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार के पदों पर नियुक्ति के बारे में जो पब्लिक सर्विस कमीशन ने नोट्स लगाया है उसको सब पढ़ लें। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के अन्दर जो नियुक्तियां हुई हैं उसके बारे में पब्लिक सर्विस कमीशन ने स्ट्रोंग शब्दों में ऑब्जेक्शन किया है। ऐसी स्थिति में अब विचारणीय प्रश्न यह है कि आखिर इन बातों पर एक्शन कौन लेगा? हमारे मंत्री महोदय से इसके लिये कहा जाय कि महाराज, आप इस संबन्ध में एक्शन लेंगे तो जिस प्रकार विधान सभा के अन्दर प्रश्न का जबाब देते हुए ट्रेजरी बेन्चेज़ से जबाब मिला था राजस्थान कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के अन्दर तीन असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार्स की गलत तरह से नियुक्ति हुई है। इन तीनों के बारे में पब्लिक सर्विस कमीशन से कॉन्करेन्स नहीं ली गई कोई रिक्वीज़ीशन नहीं भेजा। बदकिस्मती से उन तीनों में एक तो पोलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष हैं उनके भाई होते हैं, दूसरे हमारे एक मन्त्री महोदय के सुपुत्र होते हैं और तीसरे एक संस्था के जंवाई होते हैं....

एक माननीय सदस्य: संस्था के जंवाई किस प्रकार होते हैं?

श्री भैरोंसिंह: मेरे कहने का मतलब यह है कि संस्था के जो हैड हैं उनके जंवाई हैं। इस सारी स्थिति के बारे में आखिर कौन एक्शन लेगा? उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के सदस्यों की एक कमेटी बैठाई जाय जो जितने भी इर्रेगुलर अपोइन्टमेन्ट्स हुए हैं उनका स्क्रिनिंग करे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, पचास प्रतिशत अपॉइन्टमेन्ट्स आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें या तो किसी अधिकारी का हाथ है या किसी मिनिस्टर का हाथ है। पब्लिक सर्विस कमीशन से ऐसी नियुक्तियां नहीं हो सकतीं। उनको एक प्रकार से मजबूर किया जाता है कि वे इस प्रकार की नियुक्तियों को जिस प्रकार से भी हो प्रोटेक्शन दें। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आप कोऑपरेटिव डिपार्टमेन्ट को देखेंगे तो उसमें रजिस्ट्रार, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, यू० डी० सी०, एल० डी० सी०....

श्री श्रीभानसिंह (बयाना): Will it not be befitting, Sir, if he repeats all that what he said about the Co-operative Department because the Hon'ble Minister-in-charge Co-operative is present now.

श्री उपाध्यक्ष: I would not like to have any repetitions.

श्री नाथूराम मिर्धा (सहकारी मंत्री): I have heard, Sir.

श्री भैरोंसिंह: मैं इसलिये निवेदन कर रहा था कि असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार के पद पर जो नियुक्तियां कर दी गई वे केवल छः महीनों के लिये की गई। उस हिसाब से छः महीने बाद उनको तनख्वाह नहीं मिलनी चाहिये। आखिर जब नियम इतने सख्त हैं तो उनको तनख्वाह किस प्रकार

(श्री भैरोंसिंह)

मिलती है ? कइओं को तनख्वाह मिल रही है। डिपार्टमेंट के तीन रजिस्ट्रार ऐसे हैं जिनको पब्लिक सर्विस कमीशन ने कन्फर्म नहीं किया है लेकिन उनको तनख्वाह का पेमेन्ट बराबर होता जा रहा है; जिनको नियमानुसार तनख्वाह नहीं दी जानी चाहिये थी। मैं उनके नाम लेकर बता सकता हूं लेकिन यह उचित नहीं होगा कि उनके नाम मैं पढ़ूं। राजस्व मंत्री महोदय को मैं बता सकता हूं कि जो इस प्रकार की नियुक्तियां होती हैं उनकी जानकारी उन्हें है और उनमे मेरा यही निवेदन है कि वे इस बारे में पब्लिक सर्विस कमीशन की जो रिपोर्ट है उसे पढ़ लें। उनको मालूम होगा कि कोआॅपरेटिव विभाग के अन्दर नियुक्तियों में किस प्रकार से गड़बड़ी हुई है। अगर उनमें हिम्मत है तो वे इस बारे में एक्शन लेंगे और इस बारे में पी०-एस० सी० ने जो कमेन्ट्स किये हैं उनको ध्यान में रखेंगे।

समाज कल्याण विभाग भी इसी प्रकार का महकमा है। वहां भी इसी प्रकार की गड़-बड़ियां होती हैं वहां भी कुछ नहीं होता है।

राजस्थान में ए० आर० टी०–ओ० की नियुक्ति करनी थी। उसके लिये पब्लिक सर्विस कमीशन को लिखा गया उन्होंने पांच आदमियों का सिलेक्शन करके भेज दिया। उसके बाद में यह पोज़ीशन पैदा हुई कि कुछ डिपार्टमेंट के आदमियों को लेना था? उनको वे कैसे लेते तो उन्होंने क्या किया कि दो आदमी पी० एस० सी० के रिजेक्ट कर दिये और जो तीन आदमी सिलेक्टेड थे उनकी नियुक्ति कर दी गई। उसके बाद यह कहा गया कि हमारे यहां पर प्रोमोशन के रूल्स नहीं बने हुए हैं अतः प्रोमोशन रूल्स बनाये जायं और फिर उनके आदमियों को प्रोमोशन दे दिया गया और ऐसे व्यक्ति को प्रोमोशन दिया गया जो आर० टी० ओ० के पद के लिये पब्लिक सर्विस कमीशन में गये थे लेकिन सिलेक्ट नहीं हो सके; उनको दे दिया गया। ऐसी एक चीज़ नहीं अनेकों हैं और मैं समझता हूं मंत्रीजी चाहें तो मैं काफी नाम उनको दे सकता हूं जिनमें किस प्रकार से सामान्य नियमों तक का पालन नहीं किया जाता।

आर० ए० एस० पोस्ट्स के लिये कुछ व्यक्तियों का सिलेक्शन हुआ लेकिन उनमें से पांच व्यक्तियों को जो मेडिकली अनफिट थे उनको चान्स दिया गया। जिनको दिखाई देता नहीं, जिनकी विजन टैस्ट में जिस अनुपात की दृष्टि चाहिये वह नहीं थी लेकिन फिर भी उनको लिया गया। पांच आदमी जो मेडिकल टैस्ट में अनफिट थे उनको लेने के लिये जो रूल्स थे उनको वेव कर दिया गया और उनको उसी प्रकार एडजस्ट करके आर० ए० एस० के पदों पर नियुक्त किया गया ? आखिर यह क्या तमाशा है ? आप जो रूल्स बनाते हैं उनका पालन नहीं होता। आखिर रूल्स किसके लिये होते हैं ? सामान्य जनता के लिये। लेकिन आप जिनको लेना चाहते हैं उसमें रूल्स वगैरह को किसी की परवाह नहीं की जाती। इस स्थिति के अन्दर पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो भी संकेत किया उतना ही काफी है। यदि पब्लिक से कोई आदमी आता है तो उसको आप नियुक्त करना नहीं चाहते। आखिर हम किस प्रकार यह समझ लें कि पब्लिक सर्विस कमीशन इसी प्रकार की कोई ओपीनियन

(श्री भैरोंसिंह)

दे दे उसका आप पालन करते हैं।

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन और करना चाहता हूं....

३. म० प०

कि इस पी० एस० सी० की रिपोर्ट में एक सवाल आया है रीएम्पलॉयमेन्ट का। रीएम्पलॉयमेन्ट का सवाल इसलिये आया है कि राजस्थान में कितनों को मिला। उन्होंने एक एक का नक्शा दिया है। ऐसे एम्प्लॉमेन्ट में मैं समझता हूं कि करीब २० केसेज़ उन्होंने साइट किये हैं। इसमें एक विभाग नहीं बचता। इसमें एक हैड मास्टर का भी रीएम्प्लॉयमेंट है, एक वैद्य का भी, एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेन्ज ऑफिसर का भी, एक डॉक्टर का और एक इन्जीनियर का भी रीअपॉइन्टमेंट हुआ है; फोरेस्ट ऑफिसर का भी हुआ है। तो इस तरह कोई ऑफिस, कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं बचा जिसमें रीएम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ हो।

जहां हम रीएम्प्लॉयमेंट की थ्योरी को स्वीकार करते हैं तो यह डिस्क्रीशन कैसे करते हैं कि किसको रीएम्प्लॉय किया जाय और किसको नहीं? प्रश्न आता है, प्रोवीडेन्ट फण्ड उनको पूरा मिलता है, जिस समय जाते हैं सर्टिफिकेट भी देते हैं कि इनकी सर्विस ठीक रही है। अब आपके पास इसका कौनसा बैरोमीटर है कि एक को रीएम्प्लॉयमेंट के लिये ठीक समझ लिया गया और दूसरे को रिजेक्ट कर दिया? आप कहेंगे कि इसे सरकार देखती है। लोग इस प्रकार की एप्लीकेशन्स देते हैं। आप कहेंगे। सारे एप्लीकेशनें नहीं देते। पर जो सरकार के पीछे रहते हैं, सरकार की खुशामद करते हैं उनको लेते हैं। जिस समय वे सरकार की सर्विस में होते हैं तब इस बात की कोशिश की जाती है कि इन्डिपेन्डेन्टली अगर सरकार को खुश करते हुए वे काम करेंगे तो उनकी नियुक्तियां बाद में हो जावेंगी। ऐसे जो रीएम्प्लॉयड हैं उनके लिये एक निवेदन करना चाहूंगा। आज राजस्थान में हम मानते हैं आई० ए० एस० भी काफी हैं, आर० ए० एस० भी काफी हैं और यह भी मानते हैं कि आर० ए० एस० ऑफिसर्स काबिल हैं और यह भी मानते हैं कि जबर्दस्त बेकारी भी है जिसको दूर करना है। इस दृष्टि से अगर आपसे कोई पूछे कि फिर आप रीएम्प्लॉयमेंट क्यों करते हैं? असिस्टेन्ट हैड मास्टर को रीएम्प्लॉय कर दिया, क्यों? क्या असिस्टेन्ट हैड मास्टर की और काबिल असिस्टेन्ट हैड मास्टर की कमी है राजस्थान में? आपने असिस्टेन्ट फोरेस्ट ऑफिसर को रीएम्प्लॉय कर लिया, क्या इसकी भी कमी है? इतने एफीशियेन्ट नहीं मिल सकते, आप कह सकते हैं। इनमें गिरदावर का भी अपॉइन्टमेंट दुबारा हुआ है। तो क्या राजस्थान सरकार यह कहेगी कि अगर इनको रिएम्प्लॉय नहीं करेंगे तो सरकार का काम बन्द हो जावेगा, काम चलेगा नहीं? तो क्या आप इस तरह कह सकने की स्थिति में हैं? आज इस प्रकार की पोजीशन है। मैं निश्चय तौर से कह सकता हूं कि यह रीएम्प्लॉयमेंट इसलिये किया जाता है कि सारी सर्विसेज़ डीमोरेलाइज़ हो जावे। इन्डिपेन्डेन्टली अपना ऑन इनिशियेटिव लेकर कोई काम कोई अफसर नहीं कर सके; बल्कि सरकार की तरफ देखे और सरकार जैसा हुक्म दे वैसा करे। मैं यह नहीं कहता कि सरकार

(श्री भैरोंसिंह)

के हुक्म की तामील न की जावे और उचित काम भी न करे । पर सरकार के उचित-अनुचित सभी काम करता जावे इसका टेम्प्टेशन सरकार देती है इससे मतलब है । आज हम देखते हैं राजस्थान में जितने भी कमिश्नर्स या रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर रिटायर होते हैं निश्चित रूप से उनको रिएम्प्लॉयमेंट मिलता है । आज कलेक्टरों में क्या कोई ऐसा काबिल आदमी नहीं है जो वेअर हाउस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन का काम न कर सके ? कलेक्टर काबिल हैं, आप मानते हैं । आज कोई आपसे फिर पूछे कि कोई कलेक्टर क्या ऐसा नहीं जो सबोर्डिनेट पंचायत कमीशन के पद पर काम कर सके ? पर आप चाहते हैं कि जितना भी रिटायर्ड हैन्ड ऑफिसरों को ओब्लाइज करने की कोशिश की जा सके, की जाय और आप यही करते हैं । मैं इतना भी कह सकता हूँ कि आज रेवेन्यू बोर्ड के लोगों के सामने इस प्रकार की स्थिति आपने पैदा कर दी है कि वे अगर आप को खुश रखेंगे अपने कामों से तो बाद में उनको रिएम्प्लॉयमेन्ट मिल जावेगा । दो चेयरमैन का उदाहरण हमारे सामने है, जिन्होंने रेवेन्यू बोर्ड में बैठ कर सरकार का ध्यान रखा, सरकार में बैठे जिन मिनिस्टरों का ध्यान रखा, उनको निश्चित रूप से बाद में रीएम्प्लॉयमेन्ट मिल गया । एक को तो नाथद्वारा के एडमिनिस्ट्रेटर हमने कायम किया था और दूसरे को इसके बाद में सबोर्डिनेट सर्विसेज़ (पंचायतों की) कमीशन का चेयरमैन नियुक्त किया । एक वेअर हाउस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन बन गये । इस प्रकार की आपकी स्थितियां हैं और इसी आधार पर आप आगे की भी व्यवस्था करने जा रहे हैं ।

सारे राजस्थान में इस बात की अफवाह है कि राजस्व मण्डल के मौजूदा अध्यक्ष को इलेक्ट्रिक बोर्ड का चेयरमैन बनाया जावेगा । यह आप उनको उनकी सेवाओं का पुरस्कार देने जा रहे हैं । यह टेम्पटेशन आपने उनको सर्विस में रहते हुए दे रखा है और इसलिये दे रखा है। कि सम्भवत: रेवेन्यू बोर्ड में बैठ कर वे सरकार के हुक्म को बराबर मानते रहें और इन्डिपेन्डेन्टली अपने ओन इनीशियेटिव से काम न कर सकें । आज यह कल्पना किसके दिमाग में है ? कौन कहता है ? रेवेन्यू बोर्ड में भी इस तरह के टेम्पटेशन के मैथड्स काम नहीं करते ? कर रहे हैं । कैसे कोई इन्कार कर सकता है इस तथ्य से ? बीकानेर डिविजन के कमिश्नर का एक्सटेन्शन होगा । इनको इलेक्ट्रिक बोर्ड का चेयरमैन बनाया जावेगा और इस तरह उनको रीएम्प्लॉयमेंट का टेम्पटेशन होगा ।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): On a point of order, Sir, the Hon'ble member should speak only on the matters which have been included in this report.

श्री उपाध्यक्ष : I do feel like this and would like to guide the Hon'ble members that they should not refer the matters which are based on rumours. He will please confine himself only to the matters concerned with the report.

श्री भैरोंसिंह : This can be confirmed.

श्री उपाध्यक्ष : We cannot depend

(श्री उपाध्यक्ष)

upon the rumours which are floating outside the House. I will request the Hon'ble member to confine his speech...

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर–पूर्व): Is the Hon'ble Member prepared to...

श्री भैरोंसिंह : तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि आगे की नियुक्तियों के सम्बन्ध में किस तरह से सरकार काम कर रही है। इस सम्बन्ध में दो बातें बताईं। अब उसमें कितनी सच्चाई है यह तो समय बतावेगा ! तो आज तक जो रीएम्प्लॉयमेन्ट की सरकार की जो टेन्डेन्सी है उसको जितने कड़े शब्दों में क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है, करूंगा। आज कलेक्टर, कमिश्नर इस फिराक में हैं कि वे इस तरह रिएम्प्लॉयमेन्ट में आ जावें और नीचे के लोग इस फिराक में हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा कलेक्टर के रैंक में आवें। जितनी आगे की पोस्टें हैं वे बाई–प्रोमोशन पीछे के लोगों को मिलें। पर सरकार उनको चान्सेज़ नहीं लेने देती अपनी इस तरह की रीएम्प्लॉयमेन्ट की पोलिसी की वजह से। कोई भी जगह खाली होती है उन पर अपने ओब्लाइज़ किये हुए लोगों को रिएम्प्लॉय करने की कोशिश की जाती है। रेवेन्यू बोर्ड में एडवाइस के लिये उनको रिटायर्ड हैण्ड के अलावा और कोई नहीं मिल सकता। ऐसी स्थिति में मैं यही कहूंगा कि इस प्रकार की नियुक्तियां बिल्कुल गैरवाजिब हैं। इससे सर्विसेज़ डीमोरेलाइज होती हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पर ठीक प्रकार से अधिकारी काम नहीं कर सकते हैं। एक नियुक्ति का और जिक्र करूंगा, जिसका प्रसंग नियुक्ति से नहीं बल्कि नीति से है।

हम कुछ ऐसे आदमियों को बाहर से भी इम्पोर्ट करते हैं रीएम्प्लॉयमेन्ट की गरज से। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता पर पी. एस. सी. ने भी इस ओर संकेत किया है और वाजिब किया है और यह भी उल्लेख किया कि हम केवल इसलिये कि किसी व्यक्ति को अपॉइन्ट करना है ऐसे आदमियों को बाहर से इम्पोर्ट कर लेते हैं। इस सम्बन्ध में केवल एक बात कहूंगा जिसका पिछले बजट सैशन में जिक्र हुआ था। यहां पी० एस० सी० ने उल्लेख भी किया है। कितने ही केसेज़ हैं कि जिनको हमने रिजेक्ट कर दिया पर सरकार बार बार इन्सिस्ट करती है कि इसको स्वीकार किया जावे और पी० एस० सी० को दबाने की चेष्टा की जाती है। एक हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट हैं। उनका टर्म एक्सपायर हो गया। इसके बाद पी० एस० सी० ने उनकी एक्सटेन्शन के बारे की दरख्वास्त रिजेक्ट कर दी। इसके बाद में दुबारा सरकार द्वारा लिखा गया। पी० एस० सी० ने दुबारा फिर रिजेक्ट कर दिया। तीसरी बार फिर भेजा, तब भी रिजेक्ट कर दिया। तीसरी बार रिजेक्ट किया तो पी० एस० सी० ने सरकार को लिखा कि अच्छा होगा इस केस को फिर हमें रेफर न किया जाय। मैं समझता हूं कि इतना कहने के बाद यदि उसको रिएम्प्लॉय करते हैं तो इसका मतलब है पी० एस० सी० की विशेष जो हैं कि रूल्स के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे उसको सरकार स्वीकार नहीं करती और स्वयं रूल्स का वायोलेशन करती है। एनीमल हस्बेन्डरी के डाइरेक्टर हैं; उनके बारे में सरकार जस्टिफिकेशन कैसे देगी; यह तो सुन लेंगे आप अभी। पर एन्टी–करप्शन

(श्री भैरोंसिंह)

डिपार्टमेन्ट ने प्रोसीक्यूशन की इजाजत मांगी है इनके खिलाफ। पर कोशिश कर रही है सरकार कि प्रोसीक्यूशन न हो। जिस आदमी की नियुक्ति पी० एस० सी० करना नहीं चाहती, एन्टी-करप्शन विभाग जिस पर मुकदमा चलाने की इंजाजत मांगता है, उसको सरकार इजाजत देना नहीं चाहती। उस आदमी का, हमारी यह सरकार चाहती है कि एक्सटेन्शन हो और एक्सटेन्शन देती है। तो इसका मतलब यह होगा कि बाकी के व्यक्ति कुछ कहें, एन्टी-करप्शन कुछ भी चाहे, पुलिस कुछ भी लिखे, जनता कुछ भी कहे, विधान सभा में सवाल उठाया जावे, पर हमारी सरकार हर जगह उसको प्रोटेक्शन देगी। इसका असर दूसरी सर्विसेज़ पर पड़ेगा दूसरी सारी सर्विसेज़ डीमोरेलाइज होगी। वह यह सोचेगी कि मन्त्री महोदय खुश रहने चाहिये, अगर वे खुश हैं तो बाकी कोई कुछ कहता रहे, जनता पिटती रहे, कुछ भी कहती रहे, सदन के माननीय सदस्य कुछ भी कहते रहें, हमारे पर इसका कोई असर नहीं होने-वाला है।

मैं एक बात और निवेदन कर दूं। मैं समझता हूं कि कल से यह चल रहा है इसकी ओर भी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा और उपाध्यक्ष महोदय, इसकी आवश्यकता इसलिये महसूस हो रही है कि शायद माननीय मन्त्री महोदय जयपुर से आनेवाले माननीय सदस्य और बयाना से आनेवाले माननीय सदस्य इन दोनों ने जिस प्रकार की बात सदन में प्रस्तुत की है उसके कारण से कनविंस नहीं हुए होंगे, या हो गये होंगे। मैं चाहता हूं वे उत्तर दें। इसके पहले एक बात और प्रस्तुत करना चाहूंगा। कल प्रश्न आया कि पी० एस० सी० के मेम्बरों के सामने टेम्पटेशन का कारण नहीं रहना चाहिये। कारण रखा जाता है तो डिसीज़न जैसा वहां से मिलना चाहिये वैसा नहीं मिलेगा, वह डिसीजन इस कारण से प्रभावित होगा। इस स्थिति में अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड के मौजूदा अध्यक्ष और हायर सेकन्डरी बोर्ड के चेयरमैन दोनों का प्रश्न विधान सभा में उठाया गया था। उस सम्बन्ध में मैं राजस्व मन्त्री को, जो कानून के बहुत जानकार हैं और इसके कारण जिन्होंने हर अपोइन्टमेन्ट को जस्टिफाई किया था, जयपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने लोकसभा की डिबेट का उद्धरण अभी पढ़ कर सुनाया और इसके बाद यह बताने की कोशिश की कि आपका जो इस प्रकार का अपोइन्टमेन्ट है, वह गलत है। पर मैं एक लाइन के अन्दर यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जो अभी नाथद्वारा कमीशन की फाइन्डिग के सम्बन्ध में अटोर्नी जनरल से ओपीनियन ली है और जिनको आप सबसे बड़ा मानते हैं कि जिनकी राय के आधार पर आप महन्तजी का प्रोसीक्यूशन नहीं कर सकते, इसके सम्बन्ध में उन्हीं की ओपीनियन पढ़ कर सुनाऊंगा जिससे आपको पता लग जावेगा कि वास्तव में यह नियुक्ति किस प्रकार की थी।

मैं इस सम्बन्ध में एक मिनिट में बता देना चाहता हूं। सन् ५२ में एक आई० ए० एस० ऑफिसर का अपोइन्टमेन्ट, जो पी० एस० सी० का चेयरमैन था पटियाला की उस समय की सरकार ने उनका रीअपोइन्ट-मेन्ट एक कमेटी के चेयरमैन के नाते कर दिया और जिस समय तनख्वाह दी जाने लगी

(श्री भैरोंसिंह)

उस समय ए० जी० ने ऑब्जेक्शन किया कि आर्टिकल ३१६ के अन्तर्गत इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकती और इसलिये तनख्वाह भी नहीं दी जा सकती।

मामला बहुत विवादास्पद बना और फिर वहां के डिप्टी सेक्रेटरी ने एक चिट्ठी लिखकर अटोर्नी जनरल से इस सम्बन्ध में राय मांगी तीन पोइंट्स पर, whether in those circumstances the appointment of a Chairman or a member of P.S. C. on an adhoc committee is a constitutional appointment ? If so, whether such employment is under the State Government and whether it is within the puerview of Article 319 ? Whether the appointment is in contravention of the Constitution. इसके ऊपर जिनकी राय को आप बहुत बड़ी राय समझ कर महंतजी का चालान नहीं कर रहे हैं उन्होंने तीन बातें लिखी हैं जिनको मैं पढ़ कर सुना देता हूं जिससे मालूम हो जायेगा कि आपने जो अपोइन्टमेन्ट किया है वह वाजिब नहीं है। उन्होंने कहा है :

"This employment is more comprehensive yet it is employment and every office is involved in the discharge of duties...."

(बाधाएं)

अब उसके बाद में दो छोटी छोटी लाइनें लिखी हैं:

"Shri Ramchandra was under the employment of the Government of Pepsu and his honorarium was fixed." फिर लिखा है....

(बाधाएं)

श्री उपाध्यक्ष: What is this paper ?

श्री भैरोंसिंह : मैं तो जो वह जजमेन्ट है उसकी कॉपी लेकर आया हूं।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : पॉइन्ट ऑफ इनफर्मेशन, सर, यह कहां से पढ़ रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : Is it a Certified copy ?

श्री भैरोंसिंह : सर्टीफाइड तो कहां से आयेगी ? लेकिन मैं समझता हूं कि सब कुछ करेक्ट है। "employment of Shri Ramchandra was in contravention of the Constitution." और एण्ड में लिखा है, "I am of the view that the appointment of Shri Ramchandra..."

श्री महेन्द्रसिंह पंवार :

(अश्रव्य बाधाएं)

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order !! Mr. Panwar. What is the point ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : Whether this point is contained in the judgment of some High Court or which Court ? He says it is contained in a judgment.

श्री उपाध्यक्ष : Is it contained in some judgment ?

Page No.93

श्री भैरोंसिंह : जजमेन्ट नहीं है। यह तो शीतलवाड़ की ओपीनियन है और उसके सिग्नेचर हैं....

श्री दामोदरलाल व्यास : I want to see that.

श्री भैरोंसिंह : आप देख लीजिए, मैं आपको कॉपी दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : It is a part and parcel of that judgment ?

श्री भैरोंसिंह : No, Sir.

श्री उपाध्यक्ष: Then is it a separate paper containing the opinion of the Attorney General ?

श्री भैरोंसिंह : Yes, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : It is to be placed on the table of the House.

श्री भैरोंसिंह : Yes, Sir, I will...

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : It is needed now.

श्री भैरोंसिंह : It is not needed.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : यह कौन से मुकदमे का फैसला है ?

श्री भैरोंसिंह: ऐसी स्थिति में मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा....

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : On a point of information. Which is this judgment ? What is the number ?

श्री उपाध्यक्ष : The case number and...

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यदि सदन की परम्परा के मुताबिक रखवाना चाहें तो मैं उसके लिए प्रोटेस्ट करूंगा और इसको सदन की मेज पर नहीं रखूंगा और वह इसलिए नहीं रखूंगा कि सदन में व्यवस्था दी गई है....

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : मैं जानना चाहता हूं, कौनसी व्यवस्था है ?

श्री भैरोंसिंह : एक बात की व्यवस्था दी गई थी और वह यह थी कि जिस समय एटोर्नी जनरल की ओपीनियन माननीय राजस्व मंत्री महोदय पढ़ कर सुना रहे थे सदन में नाथद्वारा के मामले में, तो मैंने कहा था कि आप इसे हाउस की टेबल पर रख दें और उन्होंने उसके लिए कह दिया था कि नहीं रखूंगा; तो उसी परम्परा को ध्यान में रखते हुए मैं भी इसको टेबल पर नहीं रखूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : I have given my observations that the particular judgment contained in the loose papers should be placed on the table of the House.

श्री भैरोंसिंह: जजमेन्ट नहीं है यह।

श्री उपाध्यक्ष : The relevant extracts from the judgment.

श्री भैरोंसिंह : जो एक्सट्रेक्ट है उसको मैंने हाउस में पढ़ कर सुनाया है और अब माननीय मंत्रीजी कह देंगे कि गलत है ...

श्री उपाध्यक्ष : I have given my observation that whatever is contained in these papers may be placed on the Table of the House so that the Hon'ble member replying the debate may have a right to study that...

श्री भैरोंसिंह : मेरे हाथ का लिखा हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : Yes. Whatever you are reading that should be placed....

श्री भैरोंसिंह : It is better if the Hon'ble member goes through the proceedings. यदि रिप्लाई देने के पहले चाहेंगे तो वह सदन की कार्यवाही में से ले लेंगे; यह मेरे हाथ का लिखा हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : It is not the extract from the judgment? It is a reference to the context which is contained in the papers, you are reading?

श्री भैरोंसिंह : पेपर तो मेरे हाथ का लिखा है, I will get it typed and when it is typed, I will lay it on the table of the House.

मैं यह निवेदन कर रहा था कि उस सारी स्थिति में आज यदि सरकार इस प्रकार की नियुक्तियां करके यह व्यवस्था करना चाहती है कि चाहे कोई भी सरकारी मुलाजिम हो यदि हमारी पार्टी का है, यदि हमारा कहना मानता है, यदि हम जिस प्रकार से डिक्टेशन दें उसको स्वीकार करता है उस आदमी को री-एम्पलॉयमेन्ट मिलेगा, उस आदमी को किसी भी पद पर नियुक्त कर दिया जायेगा, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन कुछ कहे, चाहे रूल्स कुछ कहें, चाहे जो कन्वेन्शन्स क्रियेट करना चाहते है इस पार्लियामेंट की डेमोक्रेसी में चाहे वह कैसे हों लेकिन हमें नियुक्तियां करनी हैं। एक व्यक्ति पोलिटिकल पार्टी का मेम्बर होता है। वह चेयरमैन बनता है। चेयरमैन के पद से वह जाता है तो फिर अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया जाता है। एक आदमी जो चेयरमैन रहता है उसको दूसरे पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। तो उपाध्यक्ष महोदय, यह कन्वेन्शन्स की चीज है। आज के जो चेयरमैन हैं क्या उनके दिमाग में इस तरह का टेम्पटेशन नहीं होगा कि जब पहले वाले चेयरमैन को अध्यक्ष लिया जा सकता है और मेरे जो दो प्रिडीसेसर हैं जिनकी नियुक्ति सरकार द्वारा हो गई है तो मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए। ऐसा हर आदमी सोच सकता है। यह ह्यूमन वीकनैस है और उस स्थिति में हम किसी मेम्बर से जिसके सामने इस प्रकार का टेम्पटेशन है उससे इस प्रकार का एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि जिन बातों को हम इन्डिपेन्डेन्टली करवाना चाहते हैं वे नहीं हो सकतीं। मैं सारी बातों में नहीं जाना चाहता हूं। मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया था उसके लिए कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन मंत्री महोदय गलत हैं या मैं गलत हूं; इस बात का प्रमाण इस सदन के अन्दर अटॉर्नी जनरल को बुला लिया जाये और हम भी तैयार हैं इस मामले की बहस के लिए और इस सदन में उनसे यह कहलवायेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का बिल्कुल क्लियर कट वायोलेशन है और उसको माननीय मंत्री महोदय एप्रीशियेट करते हैं। आज ऐसे मामले में राजस्व मंत्री महोदय की कुछ

Page No.95

[श्री भैरोंसिंह

ओपीनियन हो सकती है लेकिन इसमें सदन का धर्म है कि किसी भी आदमी ने वायोलेशन किया हो उसका डट कर विरोध किया जाये; इसमें चाहे राजस्व मंत्री नाराज होते हों या मुख्य मंत्री जी नाराज होते हों। इसका डट कर विरोध इसलिए किया जाये कि जब हम पहली बार सदन में आये तो हमने कसम ली थी कि संविधान के प्रतिकूल हम किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं करेंगे ; जिसके कारण हमारे करेक्टर के ऊपर लांछन आता हो। मुझे अफसोस है कि माननीय मंत्री महोदय शपथ को भूल जाते हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी है उसको भूल जाते हैं। ऐसी स्थिति में मुझे भय है, उपाध्यक्ष महोदय, आज कि हमारी जो व्यवस्था है उससे सिलेक्शन में इन्डिपेन्डेन्ट नहीं रहा जा सकता। अभी मुझे कुछ जानकारी मिली है कि राजस्थान सरकार सबोर्डिनेट सर्विसेज़ के लिए छोटे स्तर पर एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने वाली है। सबोर्डिनेट पब्लिक सर्विस कमीशन में चेयरमैन की नियुक्ति होगी और ऐसे व्यक्ति की होगी जो आज चेयरमैन नहीं रहा, दूसरा ही आयेगा और इस तरह से दो चेयरमैन काम करते रहेंगे। एक नया पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने की आपकी योजना है और किसी विशेष व्यक्ति को दुबारा चेयरमैन बनाने की स्थिति पैदा कर रहे हैं। उस स्थिति में मैं निवेदन करूंगा कि हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन का दोष नहीं बल्कि यह हमारी सरकार की नीति का दोष है ...

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : पॉइन्ट ऑफ इनफोर्मेशन, सर, माननीय सदस्य से मैं जानना चाहूंगा कि क्या ऐसा आपकी जानकारी में है ?

श्री भैरोंसिंह : सबोर्डिनेट सर्विसेज़ के लिए एक कमीशन बनेगा इसकी जानकारी मेरे को है और यह निश्चित है कि वह बनेगा।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : यह जानकारी में है ?

श्री भैरोंसिंह : आप मंत्री महोदय से पूछ लेना।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : हम तो कह रहे हैं कि नहीं है, आपकी खोटी जानकारी होती है।

श्री भैरोंसिंह : आप उनसे पूछ लीजिए (श्री दामोदरलाल व्यास की ओर संकेत) आपको तो कई बातें मालूम नहीं होतीं।

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि ऐसी स्थिति के अन्दर हम पब्लिक सर्विस कमीशन या पब्लिक सर्विस कमीशन के मेम्बर्स जितने भी हैं उन मेम्बर्स की इंटिग्रिटी के बारे में, उनके मोटिव्ज़ के बारे में किसी प्रकार की कोई बात नहीं कहना चाहता। सवाल आज यह है कि क्या बात है ऐसी, क्या कारण ऐसे हैं कि जिन कारणों की वजह से आज पी. एस. सी. के मेम्बर्स, जो सही रास्ते पर चलना चाहते हैं, नहीं चल पाते हैं ? राजगढ़ के माननीय सदस्य ने एक विशेष बात की ओर जो सदन का ध्यान आकर्षित किया है, मैं भी सदन का ध्यान उसी ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि यह एक मुद्दे की बात कही थी कि जितने भी टेम्पोरेरी अपोइन्टमेंट्स हैं उन टेम्पोरेरी

(श्री भैरोंसिंह)

अपोइन्टमेंटस की जो पहले सन् ५७–५८ में संख्या थी उससे कहीं ड्योढ़ी सन् ५८–५६ में टेम्पोरेरी अपोइन्टमेंट्स की हो गई है। उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे विभागों के अन्दर इस प्रकार की बात चल रही है कि जब कोई विभागाध्यक्ष किसी एक व्यक्ति को नौकर कराना चाहे, तो मैं उदाहरण के साथ आपको अर्ज करता हूँ कि अगर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के किसी आदमी को कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में नौकर करना चाहे तो हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को कहता है कि मेरे एक आदमी को रख लो तो दूसरा भी कह देता है कि मेरा भी एक आदमी है उसको आप रख लो। तो इस प्रकार एवज़ाने के आधार पर नियुक्तियां होती हैं। उसमें इस प्रकार का भी कोई ख्याल नहीं रहता है कि किसी अपोइन्टमेंट में इर्रेगुलेरिटी होती है। छः महीने तक तो बिना पब्लिक सर्विस कमीशन की स्वीकृति लिए रख ही सकते हैं। उसके बाद जब रिविज़न का सवाल आएगा तो उस समय उनको लिख दिया जाता है कि अमुक पोस्ट के लिए अमुक अमुक प्रकार की योग्यता होनी चाहिए और उस आदमी को छः महीने का एक्सपीरियेन्स भी होना चाहिए। अब बाकी लोगों को तो छः महीने का एक्सपीरियेन्स होगा नहीं और जो आदमी टेम्पोरेरी तौर पर अपोइन्ट किया गया था उसके लिए ही मजबूर होकर स्वीकृति देनी पड़ेगी ! हमारी सरकार को छः महीने तक अपोइन्टमेंट करने का अधिकार तो है ही फिर बाद में एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन देते चले जायेंगे, बिना इस बात का ध्यान रखे कि तनख्वाह मिलती है या नहीं, बिना इसकी चिन्ता किए हुए उनको एक्सटेंशन मिलता रहता है और इस प्रकार से टेम्पोरेरी अपॉइन्टमेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही है। एक तरफ तो हमारी सरकार कहती है कि सारे सिलेक्शन बड़े फेयर होते हैं; जितने भी सिलेक्शन किए जाते हैं वे बड़े फेयर होते हैं। जब तक एम्पलॉयमेंट एक्सचेंज में नाम नहीं लिखाओगे आपको सर्विस नहीं मिलेगी। लेकिन आज राजस्थान में सैकड़ों ऐसे अपॉइन्टमेंट हो रहे हैं जिनमें एम्पलोयमेंट एक्सचेंज में नाम लिखाने की जरूरत नहीं समझी जाती है। राजस्थान में ऐसे सैकड़ों केसेज़ हैं जिनमें इसकी चिन्ता नहीं की जाती है। आज यहां पर गृह मंत्रीजी हैं नहीं, मैं उनको बताता कि डी. पी. आर. में पी. आर. ओज़. की जो नियुक्तियां हुई हैं उनके बारे में आज तक किसी को पता नहीं है और उनकी नियुक्तियां हो गई हैं। उनमें एक आदमी जो वहां के सचिव का लड़का है उसकी नियुक्ति की गई, वह कैसे कर दी गई; इस बारे में मैं उनसे पूछता।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : I would like to know the names whom he is referring here ?

श्री भैरोंसिंह : उस स्थिति के अन्दर मैं ऐसा समझता हूँ कि इस प्रकार की जो नियुक्तियां की गई हैं....

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : पहले उसका नाम बताइए ?

श्री भैरोंसिंह : कोई जरूरी नहीं है, माननीय मंत्री पूछेंगे तो बता दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : Do you not concede to his request ?

Page No.97

श्री भैरोंसिंह : मैं आपके लिए बताने को मजबूर नहीं हूं। उस स्थिति के अन्दर मैं ऐसा समझता हूं कि जो टेम्प्रेरी अपॉइन्टमेंट्स होते हैं उन टेंपोरेरी अपॉइन्टमेंट्स के अन्दर....

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : कौन सचिव का लड़का है, सदन उसका नाम जानना चाहेगा ?

श्री भैरोंसिंह : आप जानना चाहेंगे और मैं बताना नहीं चाहूंगा।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : तो फिर आप विथ्ड्रा कर लें।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): I think the Hon'ble member's point is correct. Where he is making an allegation, he must name...

श्री उपाध्यक्ष : Yes. It is desirable to reveal the name for he is to be defended. His name must be there. I have pointed out from time to time that when some reference is made...

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : All the irregularities are to be defended ?

श्री उपाध्यक्ष : At least there must be something. If the name is not revealed the Government is hampered in replying.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : The Government does not alone like to know...

श्री उपाध्यक्ष : I think the Hon'ble member should also like to say something.

श्री भैरोंसिंह : मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बता देता हूं कि वह गृह विभाग के उप-सचिव का लड़का है जिसकी कि नियुक्ति हुई है। (श्री महेन्द्रसिंह पंवार की ओर उन्मुख) अब तो खुश हुए ?

श्री उपाध्यक्ष : Not to address him, but to the House.

श्री भैरोंसिंह : तो मैं ऐसा निवेदन कर रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, कि नाम बताने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर एलीगेशन की बात करें तो मैं सब के नाम बता सकता हूं। मैंने उनकी लिस्ट बना रखी है और मैं उसको सदन के समक्ष भी रख सकता हूं, लेकिन सवाल यह आता है कि इस प्रकार की लिस्ट बनाने से भी मतलब क्या होगा; क्योंकि सरकार तो उस पर एक्शन लेती नहीं है। मेरे पास ऐसे मामलों की पूरी लिस्ट है जिसको आप चाहें तो मैं सदन की मेज पर भी रख दूंगा, मैं उनकी सूची मय नाम के पेश कर सकता हूं; लेकिन उससे होगा क्या ? मैंने पहले ही निवेदन कर दिया उस स्थिति के अन्दर मैं समझता हूँ उपाध्यक्ष महोदय....

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार द्वारा कुछ कहा गया जो अश्रव्य था) माननीय सदस्य इंटरप्ट न करें तो अच्छा हो।

श्री उपाध्यक्ष : I had once pointed out at a stage when the Hon'ble Member (Shri Mahendra Singh Panwar) was interrupting the debate.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : सदन का यह नियम कहां का है कि किसी आदमी, जिसके खिलाफ एलीगेशन लगाएं, उसका नाम बिना बताए ही एलीगेशन लगाते रहें ?

श्री भैरोंसिंह : यह भी कौन सा नियम है कि कोई भी सदस्य मर्जी आए वैसे ही खड़ा होकर बिना समझे इन्टरफियर कर ले ?

श्री उपाध्यक्ष : दोनों ही नियम सदन के नहीं हैं ।

श्री भैरोंसिंह : तो मैं केवल इतना ही निवेदन करूंगा, समय भी हो गया है कि इन सारी सर्विसेज के अन्दर सरकार को सबसे पहले तो यह व्यवस्था करनी चाहिए कि किसी प्रकार के टम्पोरेरी अपॉइन्टमेंट्स को इन्क्रीज़ करनेवाली जो स्थिति है उस स्थिति को किसी भी प्रकार से बढ़ने नहीं देंगे । जो हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट इस प्रकार के मामलों में इन्वॉल्व्ड पाए जायं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जायेगा । इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूँगा कि जो अन-एम्प्लॉयमेंट की स्थिति है और सर्विसेज़ के अन्दर भी जो भावना काम कर रही है कि रीएम्प्लॉयमेंट से उनका प्रमोशन का चांस खत्म हो जाता है तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही रीएम्प्लॉयमेंट की जो सरकार की पॉवर है उसको काम में लिया जायेगा और जहां तक सम्भव हो इसको बन्द ही कर दिया जायगा । इसके साथ साथ में यह भी निवेदन करना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष, कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन है और विशेष तौर से जितने मेम्बर्स हैं उनको इस टेंडेंसी से बचाया जाय । जब वे पब्लिक सर्विस कमीशन के मेम्बर बन जाते हैं तो उससे पहले उन्होंने भी कानून देख लिए होंगे, सरकार की यह जिम्मेवारी नहीं है कि उनको धन्धा मिले या नहीं या रिटायरमेंट होने के बाद वे क्या काम करेंगे । उन्होंने सोच समझ-कर ही इस पद को स्वीकार किया होगा कि जब मैं पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बन जाता हूं या उसका सदस्य बन जाता हूं तो उसके बाद मुझे कोई सरकारी काम मिलने वाला नहीं है । उन सब स्थितियों को सोच कर ही वह यह पद स्वीकार करते हैं, तो कोई कारण नहीं है कि सरकार उनके लिए काम तलाश करती रहे । लेकिन जब इस प्रकार के काम दिए जाते हैं तो उनके अन्दर भी एक भावना काम करने लगती है और जो दूसरे सदस्य हैं वे भी यह सोचने लगते हैं कि अगर मैं सरकार की इच्छानुसार चलूंगा तो मुझे भी काम मिल जायगा; यहां से रिटायरमेंट के बाद । आज इस भावना को और इस स्थिति को रोकना आवश्यक है ।

आज जो पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट पेश है उसमें जितने भी सर्विसेज़ के, अपॉइन्टमेंट-रिटायरमेंट के मामले हैं उनको उन्होंने नोट किया है और उनको सरकार ने यहां पेश किया है । विधान सभा उस पर विचार कर रही है, सरकार ने भी विचार किया है लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है । ऐसी स्थिति में इस विधान सभा के सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाय जो इस बात की जांच करे कि कमीशन ने जिन बातों को नोट किया है उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है और जिन बातों का जिक्र इस रिपोर्ट के अन्दर नहीं आया है और इस प्रकार के मामले हैं जो कि कमेटी के सामने आते हैं तो वह उनकी भी जांच

(श्री भैरोंसिंह)

करके अपनी रिपोर्ट पेश करे ताकि सर्विस क्लास और बाकी लोगों में जो ख्याल हो रहा है कि यदि पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने भी गए तो भी हमारी नियुक्ति तो होने वाली नहीं है, जो अविश्वास आज पैदा हो गया है उस अविश्वास को समाप्त करने की जो जिम्मेवारी सरकार की है, तो उसके लिए यह कमेटी सरकार को एडवाइस करने लिए अपनी रिपोर्ट दे और जो खामियां इस रिपोर्ट में भी रह गई हैं उनके बारे में भी बताए। तो इस प्रकार की कमेटी बनाने की सिफारिश करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

(दो-तीन माननीय सदस्य बोलने खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री महेन्द्रसिंह।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट पर आज बहस हो रही है उसमें कोई नई बात न कह कर कुछ तथ्य सदन के समक्ष प्रस्तुत करके अपना स्थान ग्रहण करूंगा।....

श्री उपाध्यक्ष : Is there some defect with the Mike ?

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : श्रीमन्, हमारे प्रजातन्त्र में एक बड़ी मुख्य बात हमेशा से रही है और वह बात यह है कि हमें जनमत और शासन की शक्ति के बीच में सम्बन्ध रखना है। उन संबंधों को रखने के लिए एक खास बात यह है कि हमारा कर्मचारी-वर्ग किस तरह का है और वह क्या करता है। उसका किस प्रकार से सिलेक्शन किया जाय और उस पर किस प्रकार से नियंत्रण किया जाय? अगर इस बात को हम सही ढंग से नहीं करते हैं, अगर हुकूमत करने वाले लोग प्रजातन्त्र के तरीके से कर्मचारी-वर्ग का सिलेक्शन नहीं करते हैं और अपने ही आदमियों की फौज को बढ़ाते हैं, उसके मायने यह हैं कि वह जनमत की हुकूमत नहीं है। इस बात को खास तौर से इसलिए कहता हूँ कि जहां जहां डेमोक्रेसी है वहां एक नियम माना गया है कि कर्मचारी वर्ग के लोगों को किस तरह से लिया जाय, किस योग्यता के हों और किस ढंग के आदमी चाहिए। इसके लिए कुछ विशेष व्यवस्था की गई है। अगर वह व्यवस्था ठीक से नहीं होती है तो प्रजातन्त्र की जड़ें ढीली हो जायंगी।

इसी दृष्टि से देखना चाहिए कि हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन इस बात को मान कर चलता है या नहीं? अगर हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन इस ढंग से काम करता है कि जो आज की हुकूमत करने वाले हैं उनके ही भाई-भतीजों को रखता है तो एक द्वेष पैदा होता है प्रजातन्त्र में। मैं चाहता हूँ कि माननीय सदस्य इस बात को सोच पायेंगे गम्भीरता से। यह बहुत ही गहन प्रश्न है। नेपोलियन था; सन ऑफ दी रिवोल्यूशन था, वह मार दिया गया है। बड़े बड़े एम्परर्स, पर्सोनल्स क्वालिटीज़ को बिगाड़ देते हैं। कर्मचारी वर्ग....

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Panwar, the Reporters are also handicapped because your voice is not audible.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : मैं इस रिपोर्ट के बारे में यह कहना चाहता हूँ कि जितने भी

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

इल्जामात लगाये गये हैं वे सब झूठे हैं। मेरे पास लोग आते हैं कि हमें सिफारिश चाहिए। मैं सिफारिश नहीं करता हूँ, मगर मेरे पास लोग आते हैं सिफारिश मांगने के लिए। यही इस बात का सुबूत है कि सिफारिश से काम होता है। मैं किसी की सिफारिश नहीं करता हूं।

(विराम)

मगर मेरे पास लोग आते हैं सिफारिश मांगने; इसको सोचना चाहिए। आज यह चीज़ हो रही है और इस चीज़ में जो हुआ है वह आगे भी होगा, मगर यह अच्छा काम नहीं है। अच्छा काम यह है कि हम प्रजातन्त्र को मजबूत बनायें और उसके लिए तरीका यह है कि कर्मचारियों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर हो, सिफारिश के आधार पर नहीं हो। सिफारिश के आधार पर जहां नियुक्तियां होती हैं उनमें दो दोष होते हैं : पहली खराबी तो यह होती है कि गलत आदमी आता है और दूसरी खराबी यह होती है कि जो अच्छा काम करना जानते हैं उन आदमियों का हृदय मर जाता है। वह काम नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से देश की तरक्की नहीं होती है; गिरावट होती है। मैं चाहूंगा कि इस तथ्य पर सोचा जाय। और मुझे आगे कुछ नहीं कहना है।

श्री आबिदअली (सवाई माधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, हाउस में पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है। रिपोर्ट के आधार पर नहीं जाते हुए मैं केवल एक कानूनी आपत्ति जो यहां हाउस में उठाई गई है उस पर अपने विचार रखूंगा। जौहरी बाजार से आनेवाले माननीय सदस्य की पहली आपत्ति यह है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के वे मेम्बर्स जो पहले ऑफिस होल्ड कर चुके हैं, मिसाल के तौर पर, चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन, उनको अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड का दूसरा ऑफिस दे दिया गया, वह ऑफिस उनको नहीं दिया जाना चाहिये था। जहां तक इस प्रश्न का सवाल है, मेरा निवेदन करना यह है कि जहां आर्टिकल का इन्टरप्रिटेशन हम करते हैं तो वहां आपस में डिफरेन्स ऑफ ओपीनियन भी आ सकती है। डॉ० अम्बेडकर की रिपोर्ट का हवाला देते हुए आपने यह बताने की कोशिश की कि पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन या कोई उसका मेम्बर दूसरा ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता है। लेकिन मेरा निवेदन करना यह है कि वह उनकी पर्सनल ओपीनियन थी।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : पार्लियामेंट ने उसको एन्डोर्स किया है।

श्री आबिदअली : जो शब्द मैंने सुने हैं, जो रिपोर्ट आज मौजूद है, उसमें शब्द है पर्सनल "My personal opinion". डॉ० अम्बेडकर के शब्द ये हैं। मैं उनको एक मौका देता हूं। मैं बैठ जाता हूँ। वे रिपोर्ट पढ़ कर सुना दें। उसमें शब्द ये हैं, "My personal opinion", पर्सनल ओपीनियन डॉ० अम्बेडकर ने दी है, तो इसका मतलब यह है कि उसकी कोई लीगल ऑथोरिटी या लीगल सेन्क्शन नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि डॉ० अम्बेडकर की रिपोर्ट के मुकाबले में आर्टिकल ३१६ को रेफर करता हूँ तो ज्यादा उचित होगा। फिर आर्टिकल ३१६ जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके अन्दर कमेन्ट्री....

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : His opinion was given when he was discussing Article 319 in the Constituent Assembly.

श्री आबिदअली : आर्टिकल ३१६ का हवाला हाउस में आया है। ३१६ की कमेन्ट्री यहां पर पढ़ देता हूं। तो किसी नतीजे पर, हाई कोर्ट के किसी फैसले के आधार पर आर्टिकल ३१६ जो है वह हाई कोर्ट में डिस्कस किया जा सकता है, कोर्ट ऑफ लॉ में डिसकस किया जा सकता है। ३१६ का हवाला दिया था तो उसकी कमेन्ट्री को देखना चाहिये। कमेन्ट्री को जब हम देखते हैं तो ३१६ के अन्दर जो प्रोवीज़न है उसके शब्द, उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार हैं:—

"On ceasing to hold office:—

(a) the Chairman of the Union Public Service Commission shall be ineligible of further employment either under the Government of India or under the Government of a State;

(b) the Chairman of a State Public Service Commission shall be eligible for appointment as the Chairman or any other member of the Union Public Service Commission but not for any other employment either under the Government of India or under the Government of a State;" ये जो शब्द, उपाध्यक्ष महोदय, हैं; जब इसकी कमेन्ट्री को देखते हैं कमेन्ट्री में रेफर किया जाता आर्टिकल १६, "employment.' लिखा है:–

'The meaning of this word has been explained at p. 145 of Vol. I. It is to be noted that while Art. 148 (4) disqualifies a Comptroller and Auditor-General for 'further office', Art. 319 disqualifies a member or Chairman of a Public Service Commission for 'further employment'. The disqualification imposed by the present Article, accordingly, appears to be wider.' तात्पर्य मेरे कहने का यह है कि इसको एक्सप्लेन किया गया है हमारे कांस्टिट्यूशन के पेज १४५ पर। उसको मैं हाउस के अन्दर रेफर करता हूं। जब, उपाध्यक्ष महोदय, हम आर्टिकल १६ को गौर से पढ़ते है और उसके अन्दर एम्प्लॉयमेंट की कॉमेन्ट्री को देखते हैं तो उसके शब्द इस प्रकार हैं:–

'This word, in juxtaposition with 'office' includes offices which are honorary, or do not carry any salary. It would also include such employments which do not relate to any 'office'. It may be noted in this connection that recruitment to the Indian Army has already been opened to all classes of citizens and that the fixed percentages for particular classes and communities have been abolished.'

'An 'Office' is defined by Blackstone as a right to exercise a public or private employment, and to take the fees and emoluments thereunto belonging.' यह जो शब्द 'एण्ड' के साथ जुड़े हुए हैं, ऑफिस होल्ड करें और उसके साथ साथ फी भी ले और इमॉल्यूमेंट्स हों तब तो ऑफिस की परिभाषा में आता है।

(श्री आबिद्अली)

उसको और आगे जाकर साफ किया गया है....

श्री श्रीभानसिंह : It should have been in Urdu. Does it not include Honorarium ?...

श्री आबिद्अली : Yes, possibly.

श्री श्रीभानसिंह : Then how do you justify ?

श्री आबिद अली : You just hear my full arguments, first. एम्पलॉयमेंट में ऑफिस का होना जरूरी है। यदि कोई ऑफिस नहीं है तो एम्पलॉयमेंट नहीं है। एम्पलॉयमेंट की सबसे पहली शर्त यह है कि ऑफिस नहीं है तो एम्पलॉयमेंट नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I refer you to that again. There is nowhere mentioned as personal opinion. There was a certain suggestion made by Shri J. R. Kapoor who moved certain amendment and then Dr. Ambedkar while replying to that he stated:—

"With regard to the second question, those persons who have been in the Public Service Commission should be permitted to accept, an honorary office under the State personally. I am not now inclined to accept that suggestion. Our whole object is to make the members of the Public Service Commission independent of the executive. One way of making them independent of the executive is to deprive them of any office with which the executive might tempt them to depart from their duty."

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व) : Is it from the Constituent Assembly Proceedings ?...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Yes. It is from the general dabates...

श्री आबिद्अली : So far as the statement of Dr. Abedkar is concerned, it is clear...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : He says that the whole object is to...

श्री आबिद्अली : That was his personal opinion ?

श्री उपाध्यक्ष : Please proceed on with the debate.

श्री आबिद्अली : मैं यह निवेदन कर रहा था कि एक ऐतराज, एक आपत्ति....

श्री श्रीभानसिंह : The Hon'ble Member from the back benches wanted to say something...

श्री उपाध्यक्ष : He is conveying that through you or he could address directly...

श्री आबिद्अली : एम्प्लॉयमेंट के बारे में मैं निवेदन कर रहा था कि एम्प्लॉय-

Page No.103

(श्री आबिदअली)

मेंट के लिये ऑफिस का होना निहायत जरूरी है । अब ऑफिस की डेफिनिशन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दी गई थी; इसको हाउस में रख दिया था । जब ऑफिस की बात आती है तो इसमें लिखा है :

"a right to exercise a public or private employment, and to take the fees and emoluments thereunto belonging". तो यदि "एन्ड" बजाय "ओर" हो जाता तो यह बात स्पष्ट हो जाती "to take the fees or emoluments." तब तो इसका मीनिंग अलग हो जाता और इन्डिपेन्डेन्ट और सेपरेट इन्टरप्रिटेशन हो जाता । लेकिन "ऑफिस" को "एन्ड" के साथ जोड़ा जा रहा है तो मेरी यह निश्चित मान्यता है कि जब तक एमोल्यूमेंट लेता है तो ऑफिस की तारीफ में आता है ; और यदि नहीं लेता है तो इन्टरप्रिटेशन अलग हो जाता है । इसमें "Madras-page 377" अनफोर्चुनेटली टाइम कम था इसलिये मैं रेफर नहीं कर सका लेकिन क्योंकि कमेन्ट्री में दिया है इसके आखिरी शब्द देखेंगे "But one thing is certain, that to constitute an office there must be "some duty to be performed". यह बिल्कुल साफ शब्दों में है उपाध्यक्ष महोदय, पेज—१४५ के अन्दर और जो शब्द मैंने रेफर किये हैं, "It does not constitute an office." जो ए० आई०-आर० १९२८, मद्रास, पेज ७ पर डिस्कस किया है । मैंने इसकी जानकारी बार एसोसियेशन को टेलीफोन करके की है । क्योंकि समय कम था इसलिये I could not produce that original...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Because you were asked at the nick of time...

श्री आबिदअली : लेकिन मैं ऑथोरिटी १९२८ की कोट कर रहा हूं और उसके आधार पर कह रहा हूं कि १९२८ मद्रास का हवाला कॉन्स्टिट्यूशन के पेज १४५ पर है जो सर्टिफाई करना चाहते हैं कर सकते हैं । मि० निगम, एडवोकेट से मेरी बात हुई है और उनकी भी यही मान्यता है कि जो फी होल्ड करता है तो वह ऑफिस की तारीफ में नहीं आता ।

श्री उपाध्यक्ष : That means the office which is not remunerated is not an office ?

श्री आबिद अली : Yes, Sir.

श्री श्रीभानसिंह : This is his personal opinion.

श्री उपाध्यक्ष : Shri Anoop Singh ! I think only 15 minutes are there at my disposal now.

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन के सामने एक बड़ी महत्वपूर्ण और एक बड़ी समझ और जांच की चीज़ पेश हुई है और वह है हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट । इसके दौरान में जो वाद-विवाद हुआ मैं उससे एक निष्कर्ष निकाल चुका हूं कि हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन जिसको हम एक बहुत पवित्र और स्टेचुटरी टाइप की बॉडी समझते हैं और जनतंत्र में इस तरह का एक प्रावधान होना जरूरी है कि हमारी

(श्री अनूपसिंह)

सर्विसेज़ का रीक्रूटमेंट किस तरह से हो, कौन सर्विसेज़ में रहें, कौन न रहे, वे किस तरह से आवें, किस क्वालिफिकेशन के आवें; क्या प्रोसीजर रहे, इन सारी बातों तो तय करने के लिये स्टेचुटेरी बॉडी रखी है जिसकी खुद की स्टेटस है, जिसके पीछे सेंक्टिटी और पवित्रता है। लेकिन आज जिस तरह का वातावरण हमारे स्टेट में है उस तरह से मैं समझता हूं इस वातावरण को दूषित कर दिया है। हो सकता है इसमें बहुतों का हाथ हो। लेकिन सबसे पहले हमें यह मानना पड़ेगा कि हमने इस स्टेचुटरी बॉडी को कुछ प्रोविज़न्स दिये हैं, कुछ लॉ बनाया है! कॉन्स्टिट्यूशन की धारा ३२३ में प्रावधान है उसमें रखा गया है कि एक पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट में क्या फंक्शन्स करेगा, उसकी क्या ड्यूटीज़ होंगी, गवर्नमेंट किस तरह से पूछेगी, क्या जवाब देंगे आदि। धारा ३२३ को तहत जो कुछ पॉवर्स दिये हैं यदि वे ठीक तरह से यूज़ होते हैं तो कोई टंटा नहीं होता। यदि उनका मिस यूज़ होता है तो आज डिस्सेटिस्फेक्शन कायम रहता है और मैं समझता हूं आगे भी कायम रहेगा; जब तक पवित्रता इसमें नहीं रहती।

अब सवाल यह रहता है कि गंदगी आई किस तरफ से ? अब जो अपने काम को समझते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के खाके को समझते हैं, जिनकी इन्टीग्रिटी और न्यायप्रियता मानी जाती है, गवर्नमेंट जिनको मोअज्जि और समझदार समझ कर अपॉइन्ट करती है लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, इस बात को अर्ज करते हुए संकोच नहीं है कि जो स्टेचुटरी बॉडी जिसको पवित्र, साफ, ईमानदार, न्यायपूर्ण और निष्पक्ष समझते हैं उसमें इस प्रकार की बात होती है जो जनता को क्लीयर हो चुकी है। उपाध्यक्ष महोदय, कई बार ऐसे आदमी हैं जो पूछते हैं कि क्या आपकी जान पहिचान पी० एस० सी० के किसी मेम्बर से है ?....

श्री उपाध्यक्ष : मैं पुनः निवेदन करूंगा कि माननीय अध्यक्ष ने इस डिबेट के आरम्भ होने से पहले ही व्यवस्था दी है कि पब्लिक सर्विस कमीशन और उसके पर्सोनल्स के संबंध में कोई ऐसी स्थिति पैदा न की जायेगी या आरोप नहीं लगाया जायगा जिससे उनकी प्रतिष्ठा पर असर पड़े। मैंने उस व्यवस्था को पुनः दोहराया है। मैं पुनः निवेदन करूंगा कि क्योंकि सदन में हम कन्वेन्शन्स कायम करते आये हैं, ऐसी स्थिति में सैद्धान्तिक मतभेद हो तो कहिये लेकिन पी० एस० सी० और उसके सदस्यों के सम्बन्ध में कहना उचित नहीं है।

श्री अनूपसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मतलब किसी के विरुद्ध कहने का, किसी के खिलाफ आरोप लगाने का नहीं है। जो भावना लोगों में है, वह अर्ज कर रहा हूं....

श्री उपाध्यक्ष : वह भावना यहां कन्वे न की जाय। What people feel outside the House should not be made the subject of the debate here.

मेजर श्री फतहसिंह (भीम) : If the P. S. C. has deviated from certain

(श्री अनूपसिंह)

principles constitutional position" principles that he can certainly point out...

श्री उपाध्यक्ष : We will not enter into these controversies. Whatever may be the position of the P. S. C., it has been rightly pointed out by the Hon'ble Speaker in this House. No allegations will be allowed against the P. S. C. and we have to establish our own conventions. I hope, the Hon'ble Members will help in establishing good conventions in this House...

श्री अनूपसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह शायद मेरा ही दुर्भाग्य है, मैंने एक बात ऐसी क्या अर्ज कर दी, जिस पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय को इतना एतराज हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : I have placed checks after checks.

श्री अनूपसिंह : मैं मानता हूं....

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): जनता क्या सोचती है और जनता की क्या राय है....

श्री उपाध्यक्ष : I am not going to hear any arguments. The Hon'ble Speaker has already...

मेजर श्री फतेहसिंह (भीम) : Sir, That was a suggestion by the Chair.

श्री उपाध्यक्ष : No. The observations of the Hon'ble Speaker are explicit and emphatic both.

श्री अनूपसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सीधा यह अर्ज करूं कि पब्लिक सर्विस कमीशन को स्वतंत्रता नहीं है कि वह अपने डिसीजन्स ले सके। पब्लिक सर्विस कमीशन की बात के ऊपर इतनी मान्यता सरकार की नहीं है, पब्लिक सर्विस कमीशन उनको फोर्स नहीं कर सकती। ऐसा लगता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने, या तो हो सकता है कि अपने स्टेन्डर्ड को गिरा दिया है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट नहीं मानती, या पब्लिक सर्विस कमीशन ने ऐसे डिसीज़न्स दे दिये जिसकी वजह से वे इम्प्लीमेंट नहीं होते, या पब्लिक सर्विस कमीशन की कमजोरी है, जिससे अपने डिसीज़न्स वह गवर्नमेंट के ऊपर लागू नहीं कर सकती; या हो सकता है, पब्लिक सर्विस कमीशन में ऐसी कमियां हैं, ऐसी पक्षपातपूर्ण चीजें हैं...

श्री उपाध्यक्ष : I again disapprove the expressions and I hope the Hon'ble Members will stand to establish the conventions of the House. It is still a departure from the observation which have been given by the Hon'ble; Speaker.

श्री अनूपसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं हाउस का डेकोरम मेन्टेन करते हुए जो कुछ अभी तक कहा गया है, उसके सिलसिले में अर्ज कर रहा हूं और पब्लिक सर्विस कमीशन की इस रिपोर्ट से जैसा हमको मालूम होता है कि इसमें हमको हर तरह की चीजें मिल जाती हैं, एक्सटेन्शन भी होते हैं अपॉइन्टमेंट भी हुए हैं, सलेक्शन भी हुए हैं और सब जगह रिपोर्ट में खुद कमीशन

Page No.106

श्री अनूपसिंह)

ने माना है कि इस तरह की बातें हमारे सामने आई हैं। कमीशन ने फील किया है कि उनके जो डिसीज़न्स थे, उनकी जो रिकमन्डेशन्स थी, उनको गवर्नमेंट ने नहीं माना है। इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि पब्लिक सर्विस कमीशन जब स्टेचुटरी बॉडी है खुद में वक्त रखती है, वह अपनी बात को गवर्नमेंट से नहीं मनवा सकती, गवर्नमेंट को बाध्य नहीं कर सकती। मैं अर्ज करूंगा कि पब्लिक सर्विस कमीशन में ऐसी क्या कमजोरी है, जिसकी वजह से ऐसा नहीं कर सकती। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अर्ज करने का मतलब था मैं बुरा हूं, और मेरे अन्दर किसी तरह की कमजोरी है तो मैं दूसरों को सलाह नहीं दे सकता, मैं दूसरों को सीख नहीं दे सकता, मैं दूसरों को शिक्षा नहीं दे सकता कि इस तरह से करो। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने उस सिलसिले में अर्ज किया है कि हो सकता है जो ऑर्डर देता है, जो खुद अपने आपको ऊंचा समझता है, वह नीचे गिर गया हो....

श्री उपाध्यक्ष : I will again disapprove the expressions. I have requested the Hon'ble member already. You have got thousands of ways to comment on the actions of the Government. It is not desirable to hit the P. S. C. again and again.

मेजर श्री फतेहसिंह : I want to know from the Chair, cannot we lay emphasis on the constitutional situation so that our P. S. C. may improve.

श्री उपाध्यक्ष : You can suggest something to the P. S. C., but to say that the standard of the P. S. C. is not good is contemptuous and being derogatory it is against its dignity and its prestige...

मेजर श्री फतेहसिंह : It is said here, so that the P. S. C. may improve.

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order !!

श्री होतीलाल (भरतपुर) : So much an Hon'ble member can say whether the working of the P. S. C. has improved, or it has gone down.

श्री उपाध्यक्ष : I know my job well.

श्री अनूपसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब इरेंगुलेरिटीज़ खुद आगे लाकर पब्लिक सर्विस कमीशन रखता है और उसके साथ साथ यह फील करता है कि हमने यह कहा और गवर्नमेंट ने नहीं माना। इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि यह कमी किस तरह हो सकती है और कमी मिटाई जा सकती है, अगर पब्लिक सर्विस कमीशन में इतनी ताकत थी तो मिटाई भी जा सकती है। अब मैं अर्ज करूंगा कि जब यह फर्माया कि पब्लिक सर्विस कमीशन में किसी तरह की कमी होने का सवाल नहीं है ; अब मैं कहूंगा कि इतनी इरेंगुलेरिटीज़ हुई हैं इनको क्यों नहीं रोक सके। पचासों ऐसे अपॉइन्टमेंट्स हुए हैं, जिनको गवर्नमेंट ने किया है, जिनके लिए पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपनी रिकमन्डेसन भेजी और गवर्नमेंट ने नहीं माना। मैं समझता हूं कि इसके स्टेच्यूटरी बॉडी होने का क्या मतलब निकलता है। इस प्रजातन्त्र-

Page No.107

(श्री अनूपसिंह)

बाद में कौन ऐसी बॉडी होगी, जहां डिस्सेटि-स्फाइड पर्सोनल फरियाद कर सकेगा, कौन ऐसी बॉडी होगी, जिसके पास जाकर सर्विसज़ कहेंगे कि हमारे ऊपर लोगों को भेज दिया गया है, हमको रोक दिया गया है, जो पे मिलनी चाहिए वह नहीं मिलती है या अमुक आदमी का सलेक्शन हो गया है, जो हममे ज्यादा काबिल नहीं था ? तो आखिर, उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी एक बॉडी जब क्रियेट कर देते हैं, वह अपनी सेंक्टिटी रखती है, तब तक उसके जरिये कुछ कदम आगे नहीं कर सकते जब तक कि उसका कार्य-भार उसके हाथ में रहेगा। मैं इस वास्ते अर्ज करूंगा कि जब जूनियर आदमी सीनियर बनाया जा सकता है, उसको पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं रोक सकता, उसे वह मानता है। जो अपोइन्टमेंट ऑफ ए डिग्री कॉलेज प्रोफेसर एन्ड हैड ऑफ दी फिज़िक्स डिपार्टमेंट, पब्लिक सर्विस कमीशन ने मना है, हमारी रिपोर्ट थी कि इसको बनायें, गवर्नमेंट नहीं मानती है और कहती है इसको नहीं, इसको मानती है। इसका मतलब है कि अनुभव के लिए कहते हैं कि क्योंकि यह अनुभवी आदमी है, इसलिए इसको चान्स मिलना चाहिए। तो हर जगह यह कायदा लागू कीजिये, हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए समान नियम होना चाहिए कि अनुभव के आधार पर व्यक्ति को बढ़ाया जायगा। अगर किसी के पास डिग्री ज्यादा है और अनुभव नहीं है तो उसको कह दीजिये कि आपके पास डिग्री ज्यादा है, लेकिन अनुभव के ऊपर रख देते हैं, अनुभवी को प्रिफरेन्स मिल जायगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करूंगा कि अनुभव क्या चीज है। जिस तरह खींच-तान करके गवर्नमेंट ने माना है और जिस तरह इसमें खींच-तान की है, रिलेक्स किया है, यह सब इतना लम्बा-चौड़ा बन गया है कि अनुभव क्या है, इसका पता नहीं लगता। कितना अनुभव, कैसा अनुभव, कितने टाइम का अनुभव, तीन महीने का अनुभव, छः महीने का अनुभव, १० वर्ष का अनुभव ! तो अनुभव के लिए क्या होता है कि पहले उसके बिना अपॉइन्टमेंट हो जाता है छः महीने के लिए और उसके बाद एक साल का एक्सटेन्शन हो जाता है, छः छः वर्ष तक एक्सटेन्शन हो जाता है और पब्लिक सर्विस कमीशन को मालूम नहीं पड़ता है। उसके बाद क्या किया जाता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के पास कॉन्करेन्स के लिए भेज देते हैं। फिर पब्लिक सर्विस कमीशन न माने तो क्या करे ? उसके बाद उसे कॉन्करेन्स देनी पड़ती है। ये शब्द निकले हैं उस बोर्ड के मुंह से। आप अब देखिये, एक आदमी को अनुभव के तौर पर अपॉइन्ट करें, उस तरह दूसरे अनुभव वाले भी पर उस पोस्ट जायेंगे। अगर नहीं जाते हैं, तो उनके मन में रह जाता है कि हम अनुभव रखते हुए पीछे क्यों पड़े हैं ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह उचित प्रतीत नहीं होता कि बिना अनुभव के आदमी को कन्फर्म कर दिया, उसका अपॉइन्टमेंट कर दिया और दूसरे के अनुभव के आधार पर वापिस कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि थोड़े दिनों में दिखाई पड़ती जायगी, दिखाई पड़गी, और चार-पांच वर्ष निकल जायेंगे

(घंटी)

और उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन के

(श्री अनूपसिंह)

सामने उसका केस रख दिया जायगा कि चार साल का ५साल अनुभव प्राप्त कर लिया है,इसलिए कन्फर्म कर दिया जाय। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा वक्त पहले ज्यादा हो चुका है इसलिए पांच-दस मिनट और लूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : पांच-दस मिनट नहीं, एक, दो मिनट ज्याद हुए हैं, आप, एक-दो मिनट और ले लीजिये।

श्री अनूपसिंह : एक अपोइन्टमेंट एक मिड वाइफ का होता है, १.६.४६ को; जिसकी इत्तला मिलती है १६५७ में जाकर। After eight years the P. S. C. is asked to give concurrence. और उसके बाद क्योंकि एट ईअर्स का एक्सपीरियन्स हो गया, फिर डिग्री हो या न हो, दूसरी कन्डीशन्स पूरी होती हों या नहीं....

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर-सु.): (अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर प्लीज़ !! ऑर्डर !!!

श्री अनूपसिंह : इस तरह से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ओन पेज १४, मैं यह अर्ज करूंगा कि उस मिड वाइफ का अपोइन्टमेंट १.६.४६ को हुआ और इत्तला मिलती है मार्च १६५७ में। एक एडवर्टाइज़मेंट फिज़ीकल एजुकेशन के लिए किया जाता है

(४. म० प०)

और एक की उम्र ज्यादा होते हुए भी उनका एपोइन्टमेंट किया गया। उम्र ज्यादा है लेकिन उनको एक्सपीरियेन्स है उसके लिए उनको यहां पर लिया जाता है और उसके बाद इसका कोई पता नहीं कि उस पोस्ट का कभी एडवर्टाइज़मेंट भी किया गया। अगर एडवर्टाइज़मेंट किया जाता तो जो लोग यहां से ट्रेनिंग में गये वे आ सकते थे और वे राजस्थान के लिए ज्यादा हितकर हो सकते थे ; और राजस्थान सरकार ने उनकी ट्रेनिंग पर जो खर्चा किया है उसका भी फायदा होता। मगर यह सब नहीं होकर पंजाब से रिटायर्ड व्यक्ति को लाया गया।

एक माननीय सदस्य : कोई कृपा-पात्र नहीं होगा।

श्री अनूपसिंह : कोई कृपा-पात्र होगा या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता। कोई कृपा-पात्र होगा तभी तो इस तरह की पोस्ट मिली है। मैं नहीं कह सकता कि कोई है या नहीं।

जिस समय हमारे सामने ऐसे केसेज़ आते हैं तो मानना पड़ता है कि गवर्नमेंट नियमित तरीकों को छोड़ कर चलना चाहती है। अगर इस पर पी. एस. सी. सरकार को अनियमितता करने पर नहीं रोकेगी तो कौन रोकेगा ? इसके अलावा आप यह कहते हैं कि पी. एस. सी. के पर्सोनल्स पर और पी. एस. सी. पर कोई रिमार्क्स नहीं होने चाहिये ! माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह निवेदन करूंगा कि न तो मुझे रिमार्क पर्सोनल्स पर देने का शौक है और न मैं देना ही चाहता हूं। मगर आप किसी चीज़ को पवित्र मानते हैं और अगर वह अपनी पवित्रता को छोड़ दे तो कितना बुरा लगता है। इसलिए यह निवेदन करना पड़ता

(श्री अनूपसिंह)

है कि जिस पी. एस. सी. को हम पवित्र मानते हैं उसने अपने स्टेटस को कितना नीचे लाकर काम किया है वह सब रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत हो चुकी है उससे जाहिर होता है। इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि....

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

अच्छी बात है आपकी मर्जी । और क्या जोर करें।

बस, मैं इतना ही कह कर अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : The Hon'ble Minister will please make a reply.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट पर बहस के दौरान में बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने २ विचार बताये हैं, इसलिए मैं कुछ बातें और मुद्दे पेश करूंगा जिससे मालूम होगा कि जो माननीय सदस्यों ने यहां पर विचार व्यक्त किये हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन की रिकमन्डेशन पर सरकार ने नियुक्ति नहीं की या सरकार ने उनकी रिकमन्डेशन पर कोई एक्शन नहीं लिया; यह वास्तव में सही बात नहीं है। पहली बात मैं यह बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार उसके पर्सोनल्स पर आपत्ति उठाई और यह बताने की कोशिश की गई है कि ५७–५८ में कमीशन के सदस्यों में से ५० प्रतिशत गवर्नमेंट ऑफिसर्स होने चाहिये थे। मैं समझता हूं कि उनको उनकी सर्विस-हिस्ट्री की जानकारी नहीं है इसलिए उन्होंने ऐसा कहा है। उन्होंने तीन सदस्यों के बारे में बताया कि उनको १० साल तक का गवर्नमेंट सर्विस का एक्सपीरियेन्स होना चाहिये जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में रखा है। उन्होंने मदनमोहनलाल वर्मा का नाम बताया। ये पहले विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार थे और उसके पहले बीकानेर और अजमेर में रहे हैं और उनकी मुलाजमत १० वर्षों से ज्यादा रही है। इसलिए यह आपत्ति उनको जानकारी नहीं होने से की गई है। इसलिये मैं यह कहूंगा कि इस बात का पब्लिक सर्विस कमीशन में ध्यान रखा जाता है और रखा गया है कि ऑफिशियल एलीमेंट जितना कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जरूरी होता है उसी के अनुसार रखा जाता है और ५७–५८ में भी इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है।

दूसरी बात बहुत जोरों से माननीय सदस्यों ने कही और कल एक प्रश्न का जबाब दिया गया था उसमें कहा था उसके बारे में बहुत सारे कोटेशन्स कोट करते हुए बताया कि पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और जो आज अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड के चेयरमैन हैं और दूसरे हायर सेकेन्ड्री बोर्ड के चेयरमैन हैं उनको ऐसे एम्पलॉयमेंट क्यों दिये और आर्टिकल ३१९ की तहत वे कहते हैं कि उनकी ये नियुक्तियें वाजिब नहीं हैं, उनको ये स्थान नहीं मिलने चाहिये। मैंने कल जो बात कही उस पर आज बहस सुन कर मैं आज पुख्ता हो गया कि जो जबाब मैंने कल दिया वह सही था।

अभी सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ कानूनी किताबों से ऐसे मुद्दे पेश किये जिसमें यह बताया कि employment and office में क्या फर्क

Page No.110

(श्री अनूपसिंह)

है। आर्टिकल ३१६ में यह आता है। मैं उनसे पूरा सहमत हूँ कि जहां ओनरेरी सर्विसेज़ का प्रश्न है उसके लिए अम्बेडकर ने पार्लियामेंट में अपनी राय दी उससे भी यह केस कवर नहीं होता। यहां पर ओनरेरी पोस्ट का प्रश्न नहीं है। अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसा है और आज अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड के लिए एक्ट है और इसके पहले जयपुर के रूल्स थे उसके अन्दर भी किसी भी सदस्य को या जो इसका चेयरमैन होता है उसको कोई इमोल्युमेंट्स नहीं दिये जाते हैं और न उनका एपोइन्टमेंट होता है। उसमें दिया हुआ है कि चेयरमैन का नोमिनेशन होगा और उसको कोई इमोल्युमेंट्स नहीं दिये जावेंगे ; चाहे देवीशंकरजी हों या कोई दूसरा हो, न इनको मिलेंगे और न उनको मिलेंगे। तो मेरी समझ में नहीं आया कि यह एम्पलॉयमेंट स्टेट गवर्नमेंट के करने का प्रश्न कैसे आया ? सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि उसमें शब्द "salaried" होना जरूरी है। मगर यह स्टेचुटरी बोर्ड बना है वह जयपुर स्टेट के समय से है। It will not carry any salary or any honorarium. यह तो नोमिनेशन से है to carry out certain public duties जिसका असर नही पड़ता क्योंकि इससे उनको कोई आर्थिक फायदा नहीं मिलता है यह तो केवल सेवा के तौर पर है और वे वॉलेन्टिरली सेवा करते हैं।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : उपाध्यक्ष महोदय, जो शब्द है वहां 'ऑफिस' यूज्ड नहीं है, 'एम्पलॉयमेंट' है।

श्री दामोदरलाल व्यास : हाई कोर्ट ने क्या किया है, वह देखें।

श्री श्रीभानसिंह : आप बसु की कामेन्ट्री है उसको देख लें; उसमें क्या है ?

एक माननीय सदस्य : आज तक हाई कोर्ट ने कमेन्ट किया है कि वे ओनरेरी सर्विसेज़ हैं।

श्री श्रीभानसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, पेज २१४ बसु की कमेन्ट्री को माननीय मन्त्री पढ़ें तो उनको मालूम हो जावेगा कि उसमें यह जरूरी नहीं है कि पे देनी होगी।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं पढ़ चुका हूं, उसमें यह लिखा है। It is a matter of opinion.

श्री श्रीभानसिंह : But the language is written in black and white.

श्री दामोदरलाल व्यास : It may be in black and white.

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order !!

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं निवेदन कर रहा था कि जहां तक....

श्री श्रीभानसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि it is not a matter of opinion.

श्री दामोदरलाल व्यास : दूसरा मदनमोहन वर्मा का है....

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर): On a point of order Sir, उपाध्यक्ष महोदय, जब एक खास विषय को लेकर कॉन्स्टिट्यूशनल मेटर

(श्री भैरोंसिंह)

पर डिफरेन्ट ओपीनियन होती है और ओपीनियन का मामला आता है तो रूल्स में ऐसी व्यवस्था है कि एडवोकेट जनरल की ओपीनियन ली जाए। सरकार उस पर कोई भी निर्णय दे, सदन कोई भी मत बनाए, उसके पहले मैं माननीय उपाध्यक्ष, यह निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में एडवोकेट जनरल को बुला कर उनकी राय ली जावे ताकि सदन और सरकार दोनों सही मामले पर विचार कर सके।

श्री दामोदरलाल व्यास : सदन के सामने यह प्रश्न नहीं है। लेकिन उनका अपोइन्टमेंट संविधान के अनुच्छेद ३१६ के तहत है और माननीय सदस्यों ने यह....

श्री भैरोंसिंह : वह चाहे मामला किसी तरह से भी यहां आया है, मगर मैं यह कहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, कि इसके लिये अध्यक्ष महोदय ने इस पर बहस एलाउ की....

श्री उपाध्यक्ष : The point of order is before me.

श्री भैरोंसिंह : आप कह रहे हैं। लेकिन इस रिपोर्ट में यह होना चाहिये क्योंकि इस प्रकार की बहस अध्यक्ष महोदय द्वारा एलाउ की गई और यह मामला सदन में विचाराधीन है, इसलिये सदन अपनी ओपीनियन इस पर एडवोकेट जनरल से ले ले।

श्री उपाध्यक्ष : He will proceed.

श्री दामोदरलाल व्यास : (जारी) इसके अलावा दूसरी बात मदनमोहन वर्मा के लिये कही गई है कि वे ऑटोनोमस बॉडी के चेयरमैन हैं। वे गवर्नमेंट के कन्सोलिडेटेड फण्ड से पेड नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह : But he has been appointed by the Government.

श्री दामोदरलाल व्यास : लीगल्ली हमने इस मामले को एग्ज़ामिन करा लिया है और इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि वे बोर्ड के चेयरमैन बन सकते हैं। हमने कानून के जाननेवालों की राय इस मामले में ले ली है। मैं समझता हूं कि आपको इसमें संतोष होना चाहिये। गवर्नमेंट ने उनके अपोइन्टमेंट के पहले ही लीगल ओपीनियन ले ली है। अब सवाल रहा इस बात का कि....

श्री भैरोंसिंह : मैंने पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ किया था उसका क्या हुआ?

श्री उपाध्यक्ष : I will just decide it. I will allow the debate to go on and will decide it later on.

श्री दामोदरलाल व्यास : इसके अलावा कुछ आपत्तियां इस बात पर उठायी गई पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट पर कि जो लोग रिटायर होते हैं उनका अपॉइन्टमेंट इसमें कर दिया जाता है। पब्लिक सर्विसेज़ का काम इस प्रकार की सर्विसेज़ का सिलेक्शन करना होता है कि बेहतरीन उस पोस्ट पर कौन से व्यक्ति होंगे। इसके लिए ऐसे लोगों को अपोइन्ट करना पड़ेगा जिनको सर्विसेज़ का ज्यादा तजुर्बा है, जो सर्विसेज़ का सही सिलेक्शन कर सकें। ऐसे व्यक्तियों को उसमें अपोइन्ट करना

Page No.112

(श्री दामोदरलाल व्यास)

पड़ेगा जो एडमिनिस्ट्रेशन में काफी काम कर चुके हैं, सर्विस कर चुके हैं और इन बातों को ध्यान में रख कर बहतरीन व्यक्तियों को अपोइन्ट किया जाता है।

श्री भैरोंसिंह : जिनको सरकार सरकारी सर्विसेज़ से ५५ साल की उम्र पर रिटायर होने के बाद नाकाबिल समझती है।

श्री उपाध्यक्ष : I will request the Hon'ble member not to disturb the debate; unless he yields to the floor. I cannot allow the Hon'ble Member to rise and interrupt him. If there are any points for clarification, he may refer to them when the debate has been concluded.

श्री दामोदरलाल व्यास : (जारी) टेम्पोरेरी अपॉइन्टमेन्ट्स के बारे में काफी बातचीत की गई है। यह बताने की कोशिश की गई है कि पक्षपात किया है। जो दस, पांच शब्द हमेशा से काम में लाये जाते हैं माननीय सदस्य ने वे काम में लेकर यह बताने की कोशिश की कि पक्षपात किया है। मैं नम्रतापूर्वक बताना चाहता हूं कि टेम्पोरेरी अपॉइन्टमेंट्स दिये जाते हैं, उनकी गम्भीरता को सरकार महसूस करती है और हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट और अपोइन्टिंग ऑथोरिटीज़ हैं उनके ऊपर एक के बाद दूसरे चेक्स लगाये गये हैं। यह कहना कि आज ही सरकार एलान कर दे कि हम टेम्पोरेरी अपोइन्टमेन्ट्स नहीं करेंगे, जिन माननीय सदस्यों ने कहा कि सरकार यहां पर टेम्पोरेरी अपोइन्टमेन्ट्स नहीं करने का एलान कर दे, मैं उनको कहूंगा कि यह एलान कर देना इम्प्रेक्टिकल बात है, कभी कोई सरकार आज की परिस्थिति में यह एलान कर नहीं सकती कि कोई टेम्पोरेरी अपॉइन्टमेन्ट्स नहीं किया जावेगा। इतनी बड़ी गवर्नमेंट है और उसमें कई डेवलपमेन्ट्स के काम हो सकते हैं, चाहे कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट हो, चाहे पंचायत डिपार्टमेंट हो, चाहे डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेन्ट्स हो हर साल एम्पलॉईज़ को उनमें काम करने के लिये, डेवलपमेन्ट्स के कामों को चलाने के लिए रखना पड़ता है, उनको बढ़ाना पड़ता है। इन्सपेक्टर हैं, सब इन्सपेक्टर्स हैं, उन सब के लिए कह देवें कि कोई टेम्पोरेरी अपॉइन्टमेन्ट्स नहीं किये जावेंगे, उसका मतलब यह हुआ कि प्लान को यों ही रख दिया जाय और उसको एक्ज़ीक्यूट न करें और पी. एस. सी. से सिलेक्ट होकर आवें तब ही करें। अगर इस तरह से किया जावे तो कोऑपरेटिव डिपार्टमेन्ट्स में इन्सपेक्टर्स, सब इन्सपेक्टर्स और असिस्टेन्ट डाइरेक्टर्स नहीं होंगे तो रजिस्ट्रेशन बन्द हो जावेगा, दूसरी तरह के एम्पलॉईज़ नहीं हैं तो काम बन्द हो जावेगा। पंचायत विभाग है, एजुकेशन है, कई डिपार्टमेंट्स हैं, किसी डिपार्टमेंट को ले लीजिये। इस प्रकार का एलान नहीं किया जा सकता और न आज की परिस्थिति में कोई गवर्नमेंट ऐसा एलान कर सकती है और यदि एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरह से चलाना है, बाकायदा चलाना है, डेवलपमेंट्स के कामों को पूरा करना है तो यह उम्मीद नहीं कर सकते कि ऐसा एलान कर दिया जाय कि कोई टेम्पोरेरी अपोइन्टमेंट नहीं होगा। टेम्पोरेरी अपोइन्टमेन्ट्स हुए हैं

(श्री दामोदरलाल व्यास)

और उनका उल्लेख पी. एस. सी. की रिपोर्ट में भी किया हुआ है। उनको आप देखेंगे और महसूस करेंगे कि ये वक्त पर होने आवश्यक थे, करने जरूरी थे।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर–पूर्व) : On a point of information, Sir, मैं यह जानना चाहूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : I have given my observations. The debate will not be disturbed. If at all there are any points for clarification they may be raised as soon as the debate has been concluded.

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहूंगा कि यदि इस प्रकार के इन्टर-प्रिटेशन को क्लियर करने के लिए इन्टरप्ट किया जाय तो क्या यह समझा जाय कि इन्टरप्शन् कर रहे हैं और कोई बात जानना चाहे माननीय सदस्य तो चेयर की ओर से यह ऑब्जर्वेशन्स हुए हैं कि माननीय सदस्य डिस्टर्ब न करें तो क्या इस प्रकार के इन्टर-टशन्स डिस्टरबेन्स की संज्ञा में माने जावेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय ने आपत्ति प्रकट की थी कि उनको बहस के दर्मियान इन्टरप्ट न किया जाय। मेरे सामने दूसरा उपचार नहीं है सिवाय इसके कि उनको इन्टरप्ट न किया जाय और उसी सन्दर्भ में इसको समझा जाय।

श्री भैरोंसिंह : माननीय मंत्री महोदय ने नहीं कहा है कि इन्टरप्ट न किया जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास : इन्टरप्ट और डिस्टर्ब ये पार्लियामेन्टरी वर्ड्स हैं। जब मैं जवाब दूं तो I cannot be forced कि उसका जवाब दूं। मेरे जवाब के दर्मियान में मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं।

तो टेम्पोरेरी अपोइन्टमेन्ट्स के लिए अर्ज करना चाहता हूं। गवर्नमेन्ट ने समय २ पर इन पर चैक लगाये हैं और सन् ५६ में सक्युलर निकला है जैसा कि सलूम्बर से आये माननीय सदस्य ने कहा था और पी० एस० सी० ने अपेन्डिक्स एफ० में दर्ज किया है उसकी ओर ध्यान आकर्षित किया है, उसको देखेंगे तो मालूम होगा कि इससे सख्त टेम्पोरेरी अपॉइन्टमेन्ट्स पर और क्या पाबन्दी सरकार लगा सकती थी ? इसका सख्ती से पालन हो और कोई डिपार्टमेन्ट इसकी अवहेलना न करे और दूसरा सक्युलर इसके लिए जारी किया उससे मालूम होगा कि कितनी सख्ती से इसकी पाबन्दी की जा रही है। २७ जून १९६० का यह सक्युलर है इसमें लिखा है :

"Government have been pleased to issue the following further instructions for observance regarding all appointments made on a temporary basis without the concurrence of the Rajasthan Public Service Commission to posts which are within the purview of the Rajasthan Public Service Commission:—

(1) In paragraph a (8) of this Department circular dated 15. 3. 58, a monthly statement of all appointments made by various appointing

(श्री दामोदरलाल व्यास)

authorities on a temporary basis to posts which are within the purview of the Rajasthan Public Service Commission is required to be sent in the prescribed form to this Department (that means the Appointments Department). In future a quarterly statement in the prescribed proforma for the quarters ending March, June, September and December should be sent to the Appointments Department.

The Heads of Departments should instruct their subordinate appointing authorities to send a consolidated statement in respect of all appointments made by the various appointing authorities.

(2) It has been noticed that even very clear instructions contained in the above circular (that is the circular of 1958) have not produced the desired result in as much as the Rajasthan Public Service Commission has brought to our notice certain instances of gross irregularities committed by appointing authorities. Cases have also been reported where posts have been created for short period initially for three or six months and there after the term has been extended from time to time..." and so on and so forth, and further it has been written that... "Whoever commits breach of these instructions, in that case the normal punishment is that he may be censured in the first instance and secondly, withholding of his grade increment. Further, the Accountant-General has also been authorised to refuse to issue the pay-slip in such cases where such irregularities are committed by Gazetted Officers and Treasury Officers in the case of non-gazetted officers."

इससे ज्यादा एहतियात और क्या बरता जा सकता है ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो बातें कर दी हैं। कोई अफसर इस प्रकार की इर्रेगुलेरिटी करता है, the first punishment will be censure and second punishment will be that ग्रेड इन्क्रीमेन्ट बन्द कर दिया जावेगा। ए० जी० को लिख दिया जाय कि शब्द 'गजटेड ऑफिसर' हो तो उसकी तनख्वाह बन्द कर दें और नॉन गजेटेड के लिए ट्रेजरी ऑफिसर को लिख कर उसकी तनख्वाह बन्द की जा सकती है। यदि कहीं ब्रीच हुआ है तो उसका सख्ती से पालन हो और उस गलती को रोकने के लिए यह प्रोविज़न है। इससे ज्यादा माननीय सदस्य स्वयं ही समझ सकते हैं कि सरकार और इससे अधिक क्या कर सकती है ? इस तरह से इर्रेगुलर अपोइन्टमेन्ट्स की बात सरकार के नोटिस में जहां आई है उसमें सजा दी गई है और एक्शन लिया गया है।

आप इस सर्क्युलर को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के स्पेसिफिक प्रोविज़न्स इसमें हमने रखे हैं।

श्री श्रीभानसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस सर्क्युलर द्वारा मन्थली रिपोर्ट आनी चाहिये तो इस सर्क्युलर के इश्यू होने के बाद

(श्री श्रीभानसिंह)

आपके पास स्टेटमेन्ट आये होंगे उनमें क्या आया और जिन्होंने इस सर्क्युलर के तहत जो निर्देश दिये थे उनका पालन नहीं किया उनको आपने क्या क्या सजा दी, वह भी साथ ही साथ बता दें; the effect of the circular will just now be known in the House.

श्री दामोदरलाल व्यास : जून, १९६० के अन्दर यह सर्कुलर इश्यू हुआ है उसके अनुसार जुलाई और अगस्त के स्टेटमेन्ट आये हैं....

श्री श्रीभानसिंह : आप तो यह बता दीजिये, उसमें क्या क्या एक्शन लिया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : I am not expected to bring the whole Secretariat here.

श्री श्रीभानसिंह : You are expected to show that after the circular was issued, how many statements have been received.

श्री दामोदरलाल व्यास : The statements are in the Secretariat they are not with me, but I can say, मैं यह कह सकता हूं कि सर्क्युलर के बाद में स्टेटमेन्ट आये हैं और जरूर आये हैं। I am speaking with all the responsibility I possess.

श्री श्रीभानसिंह : आये हैं तो बता दीजिये, क्या आये हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : निलं स्टेटमेन्ट आये हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि फरवरी, १९५७ में भी इसी प्रकार का एक सर्क्युलर जारी किया गया था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ५७ में कोई जारी नहीं किया गया।

श्री भैरोंसिंह : यह इस रिपोर्ट में लिखा है।

श्री दामोदरलाल व्यास : हो सकता है ५७ में भी जारी किया गया हो। ५८ में हो सकता है, ५५ में भी हो सकता है लेकिन जिस तरह का यह सर्क्युलर जारी किया गया है इतनी कन्डीशन्स किसी में ले-डाउन नहीं की गई हैं जितनी कि इस सर्क्युलर में की गई है; यह जून १९६० का सर्क्युलर है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : नेक्स्ट सर्क्युलर कब जारी होगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जारी होने की आवश्यकता नहीं होगी, इसकी बहुत सख्ती से पाबन्दी होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं टेम्पोरेरी अपोइन्टमेन्ट्स का जिक्र कर रहा था। १९५२ से ६० तक की लिस्ट को आप मुलाहिजा फर्माइये तो आपको पता चलेगा कि टेम्पोरेरी अपोइन्टमेन्ट्स की हर नुक्ते-निगाह से आवश्यकता थी। यह सही है कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस बारे में एतराज किये हैं लेकिन बाद में इनको पी०एस०सी० ने इम्प्रूव कर लिया या उनका सिलेक्शन कर लिया और जिनका नहीं किया गया उनको रिमूव कर दिया गया है; उनको बाद में सर्विस के अन्दर नहीं रखा है।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

कुछ बेक डोर एंट्रीन्ज़ के लिये भी कहा गया। उपाध्यक्ष महोदय, बेक डोर एन्ट्रीज़ का कोई अपोइन्टमेन्ट नहीं एमर्जेन्सी के वक्त में मैंने जैसा कि कहा इस प्लानिंग के जमाने के अन्दर यह हो नहीं सकता कि किसी डिपार्टमेन्ट की भर्त्ती को रोका जाय। पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रोसिजर इतना लम्बा है कि जल्दी सिलेक्शन करके वे ऑफिसर नहीं दे सकते। उनके पास काम इतना है, वर्क लोड इतना है कि वे इतना जल्दी सिलेक्शन करके हमें जितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है उतने वे भेज नहीं सकते। एमर्जेन्सी जरूरत को पूरा करने के लिये हम टेम्पोरेरी रिक्रूटमेन्ट करते हैं। उसके लिये भी हम पहले पब्लिक सर्विस कमीशन को इनफॉर्म कर देते हैं। जिस किसी का भी टेम्पोरेरी अपॉइन्टमेन्ट करते हैं उसके लिये हम पब्लिक सर्विस कमीशन को सूचना दे देते हैं और जो भी अपॉइन्टमेन्ट किया जाता हैं उसके लिये शोर्ट टर्म एडवर्टाइज़मेन्ट होगा। सिलेक्शन कमेटी बैठती है, उसके बाद अपोइन्टमेन्ट होता है, किसी एक आदमी को अपोइन्टमेन्ट का अधिकार नहीं दिया गया है। टेम्पोरेरी जिनका अपॉइन्टमेन्ट होता है उनका राइट सिलेक्शन पर किसी भी प्रकार से क्रिएट नहीं होता है।

श्री मुरलीधर व्यास: आखिर टेम्पोरेरी अपोइन्टमेन्ट की भी कोई अवधि होती होगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह रूल्स में स्पष्ट है, अवधि होती है।

श्री मुरलीधर व्यास : लेकिन उसका पालन नहीं होता है....

श्री दामोदरलाल व्यास: सर्क्युलर की बड़ी सख्ती के साथ पाबन्दी होती है और की जा रही है....

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : टेम्पोरेरी अपोइन्टमेन्ट्स के सिलसिले में जो फरमाया जा रहा है मैं इतना जानना चाहता हूं कि सर्विसेज़ में इनका पर्सेन्टेज कितना है ?

श्री उपाध्यक्ष : You are not audible to me.

श्री चन्दमल वैद (सरदारशहर): माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं, पर्मानेन्ट और टेम्पोरेरी का रेश्यो क्या है....

श्री दामोदरलाल व्यास : That is very negligible. I cannot tell you.

Now there is one point regarding Education Department.

इसके बाद शिक्षा विभाग का जिक्र करते हुए राजस्थान कॉलेज में हुए प्रोफेसर्स की नियुक्ति के बारे में कहा गया। इसके साथ साथ यह भी कहा गया कि पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को एसोसियेट करके उनका सिलेक्शन कर लिया गया। राजस्थान कॉलेज के अन्दर जितने भी अपोइन्टमेंटस किये गये that was a case of selection. जो ऑलरेडी लेक्चरार्स और प्रोफेसर्स थे उन्हीं में से उनका सिलेक्शन किया गया। जिस उद्देश्य को लेकर यह कॉलेज स्थापित किया गया उसके हिसाब से बेहतरीन जो काम करने वाले थे उनका सिलेक्शन किया गया और उसमें पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को एसोसियेट किया गया ताकि वैल क्वालिफाइड और स्यूटेबल आदमियों का सिलेक्शन हो सके।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : (अश्रव्य)

श्री दामोदरलाल व्यास : It was not a case of Public Service Commission. जो ऑलरेडी सर्विस के अन्दर थे उन्हीं में से सिलेक्ट करना था, पब्लिक सर्विस कमीशन में जाने का मामला नहीं था। राजस्थान कॉलेज की स्थापना जिस उद्देश्य को लेकर की गई थी उसके अनुसार स्टाफ को आवश्यकता बहुत जल्दी थी और वह भी सिलेक्शन जो ऑलरेडी सर्विस में थे उन्हीं में से करना था; इसलिये ये मामले पब्लिक सर्विस कमीशन को रेफर करने के नहीं थे। इसके लिये सिलेक्शन कमेटी बनी थी उसमें पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को एसोसियेट कर लिया था। इसी प्रकार जो आर० ए० एस० और तहसीलदार सर्विस के लिये हम रिक्रूटमेंट करते हैं उसके लिये भी पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन उसमें बैठते हैं। इसी प्रकार आई० ए० एस० का जो सिलेक्शन होता है उसमें भी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के मेम्बर यहां आते हैं और जितना भी सिलेक्शन करना होता है वे कर लेते हैं। उसके बाद यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से कॉन्करेंस मिल जाती है। ये तो सिलेक्शन करने के तरीके होते हैं; बिना नये तरीकों के इस्तेमाल किये हम प्रशासन को आगे नहीं बढ़ा सकते और सिलेक्शन का इससे ज्यादा अच्छा तरीका और हो नहीं सकता।

एक माननीय सदस्य ने यह भी फरमाया कि आर० ए० एस० की प्रोमोशन पोस्ट्स होती हैं वे बहुत कम होती हैं, एप्रूव्ड लिस्ट बहुत बड़ी बना दी जाती है। आप यह जानते हैं कि हम आर० ए० एस० उस जगह पर भी रख रहे हैं जहां पहले नोन आर० ए० एस० को रख रहे थे जैसे बी० डी० ओज़० आर० ए० एस० के केडर के लोगों को बनाया जाय यह हमने निश्चय कर लिया है। इसके बाद सब बी० डी० ओज़०, आर० ए० एस० केडर के हो जायेंगे। जहां तक प्रोमोशन का सवाल है हमें बी० डी०-ओ० की पोस्ट के लिये तहसीलदारों को प्रोमोशन देना पड़ता है। प्रोमोशन के लिये कोटा रूल्स के अन्दर मौजूद है। सिलेक्शन कमेटी हर साल लिस्टें बनाती है और जितने आदमियों की आवश्यकता होती है उतनों को अपॉइन्टमेंट दिया जाता है और जिस ऑर्डर से पी० एस० सी० लिस्ट बनाती है उसी ऑर्डर में अपॉइन्टमेंट किया जाता है। इसमें पिक एन्ड चूज़ का सवाल ही नहीं रहता है। इस तरह से सिलेक्टेड आदमियों की लिस्ट बहुत बड़ी होनी स्वाभाविक है। साल भर के अन्दर अन्दर प्लान पीरियड के अन्दर भी बहुत सारी पोस्ट्स आर० ए०-एस० की नहीं थीं उसको भी हम आर० ए० एस० में कनवर्ट करते जा रहे हैं; सब बी०-डी० ओज़० आर० ए० एस० होंगे।

नायब तहसीलदार एक्ज़ामिनेशन के अन्दर ६७ को सिलेक्ट कर लिया और ८७ को कह दिया कि जगह नहीं है। यह बिल्कुल सही है कि नायब तहसीलदारी के लिये एक्ज़ामिनेशन होता है क्योंकि जनरल नोलेज के ऊपर काफी स्टेन्डर्ड का पेपर आता है; उनके अन्दर पास होने के बाद में इसमें लिया जाता है। कोऑपरेटिव इन्सपेक्टर को जोब ऐसी है कि शायद उस तनख्वाह का होगा। कोऑपरेटिव विभाग ने भी अपना रिक्वीज़ीशन पी० एस० सी० को भेजी थी। जो लोग सिलेक्शन में आवेंगे उनमें सूटेबल होंगे उनमें से सिलेक्ट कर लिया जावें; यह लिखा।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

यह बात आम तौर से इन केन्डीडेट्स के बारे में जो ८७ या ८६ आदमी जितने हैं वे कोऑपरेटिव में सिलेक्ट होंगे। ऐसा नहीं कि उनको इसकी जानकारी नहीं है। सब को जानकारी थी। तो इस जानकारी को ध्यान में रखते हुए सिलेक्शन हुआ है।

इसके अलावा और छोटी मोटी बातें कहीं गई हैं जो मैं समझता हूँ किसी विभाग से सम्बन्ध नहीं रखतीं।

यह बात जरूर है कि जहां इन्डस्ट्रीज़ विभाग के लिये कहा गया और अल्टीमेटली सारे के सारे केस पी. एस. सी. को रेफर किये गये, जहां उनके अन्दर से बीस आदमियों को पास किया गया। स्टेन्डर्ड का इम्तिहान पास किया गया इसे एप्रूव किया गया तब लिया गया। पहले सिलेक्शन नहीं करना चाहिये था; ठीक है, पर एमर्जेन्सी में किया गया। इन्डस्ट्री विभाग भी ऐसा विभाग है कि जिसके बारे में योजना काल में सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। स्माल स्केल इन्डस्ट्री पर काफी जोर दिया जा रहा है। जोर नहीं देंगे तो हमारी प्लान की सक्सैस नहीं होगी। तो इसके लिये पी. एस. सी. के सिलेक्शन के लिये बैठे रहें तो साल-छः महीने के लिए इन्तजार करनी पड़ेगी। और फिर ये वे लोग थे जिन्होंने टेन्टेटिव एग्ज़ामिनेशन्स पास कर लिये थे। इसलिये इसमें भी ऐसी कोई बात नहीं थी कि पी. एस. सी. की अवहेलना की गई है। पी. एस. सी. को इतना टाइम भी मिल नहीं सकता था।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : अपेन्डिक्स ई.।

श्री दामोदरलाल व्यास : इसके लिये माननीय सदस्य बहुत उत्सुक हैं। मैं इसके बारे में यह अर्ज करना चाहूंगा कि वास्तव में इसमें ऐसी है कि अपोइन्टमेन्ट्स के लिये रिकमन्डेशन्स आईं। अपोइन्टमेंट्स की इत्तला उनको पहुँच गई। पर यह ३१ मार्च, ५८ तक की रिपोर्ट है। अब पहली अप्रैल को अगर हमारे जवाब की कॉपी पहुँच गई है तो वह दर्ज नहीं हुई इसमें। दूसरी को पहुँचा, तीसरी को और इसी तरह पांच-दस दिन के भीतर भीतर पहुंचे जवाब तो वे भी इसमें नहीं लिये। सारी पोजीशन यह है।

श्री पी० के० चौधरी : आज की तारीख में इनमें से कितने होंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं तो ५८ की बात बता रहा हूं। अवेटेड का सब का जवाब पहुँच गया है। इसके लिये यह अधिक उपयुक्त होता कि एक मेमोरेन्डम के रूप में एक सर्क्युलर सरकूलेट कर दिया जाता तो ज्यादा मुनासिब होता। पर मैं ठीक उस रिपोर्ट को पहले नहीं पढ़ सका ताकि वास्तविक स्थिति मालूम हो जाती। अब कोई अवेटेड नहीं है। सबकी इन्फॉर्मेशन हो गई है। जवाब उनके पास पहुँच गये। पर सिर्फ यह है कि उस तारीख के बाद में पहुँचे।

पर एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि सरकार के इस बारे में क्या अधिकार हैं, इसे ध्यान में रखा जाय। जहां तक हो सके पी.-एस. सी. की राय को पूरा वजन देते हैं, उसकी पूरी वकत सरकार करती है और जहां तक हो सकता है डिफर नहीं करती है तावक्ते कि यह महसूस न हो कि किसी के साथ काफी इनजस्टिस हो रही है। सरकार को भी

(श्री दामोदरलाल व्यास)

यह वैधानिक अधिकार हैं कि पी. एस. सी. से वह डिफर करे। तो जब ऐसी मजबूरी की स्थिति आती है तो सरकार डिफर करती है। कमीशन की जो रिपोर्ट आती है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और यही समझ कर करते हैं कि कमेटी में एक्सपर्ट्स हैं, ट्रबल नहीं देना चाहिये; पूरा एग्ज़ीक्यूशन करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। पर जो दिक्कतें एडमिनिस्ट्रेशन में आती हैं वे एग्ज़ीक्यूट करने वालों को महसूस होती हैं। तो प्योरली एक ही एंगल से, एक नुकते नजर से पी० एस० सी० सिलेक्शन करती है। वहां अगर सरकार को मालूम हो कि इसमें किसी के साथ ग्रोस इनजस्टिस हो रहा है तो डिफर करती है और डिफर करने का अधिकार है सरकार को और संविधान ने भी इसीलिये अधिकार रखे हैं। आप अगर पी. एस. सी. की सारी रिपोर्ट को उठा कर देखेंगे तो मालूम होगा कि केवल एक केस में हमने डिफर किया है और कहीं नहीं किया है, उसकी बातों को माना है। इसलिये अर्ज करना चाहता हूँ कि जहां तक पी. एस. सी. पर्सोनल्स का सम्बन्ध है वह ऐसी बोडी है जिसके सभी सदस्य बहुत ऊंची इन्टीग्रिटी के आदमी हैं। बहुत ऊंची योग्यता के आदमी हैं, एकेडेमिक क्वालिफिकेशन्स इनकी ऐसी है कि जिनको आप देखेंगे तो यही कहेंगे कि वे इसके मुश्तहक हैं। उनके लिये कुछ माननीय सदस्यों ने जो कहा है वह ठीक नहीं है। उनके सिलेक्शन में और अपॉइन्टमेंट में सरकार को और जनता को पूरा विश्वास है। विश्वास नहीं है; यह कहना गलत है। जितने सिलेक्शन्स इनके द्वारा किये जाते हैं उन पर बाकायदा तरीके से अमल करती है, उनको इज्जत से देखती है। इसी तरह उनकी इन्डिपेन्डेन्स सर्विस के बारे में है, p.S.C. का independent selection without any partiality or anything; इस बारे में सदन जितना उत्सुक है उतनी ही सरकार है। सरकार इसे कायम रखने में भरसक प्रयत्न करेगी।

श्री मुरलीधर व्यास : On a Point of Inforamation, Sir, देरी से रिपोर्ट क्यों प्रस्तुत की गई ?

श्री भैरोंसिंह : जिस सक्युलर का हवाला दिया है, अप्रेल–मई का सक्युलर जिसको आपने पढ़ कर सुनाया और इसके अन्दर मन्थली स्टेटमेंट देने का उल्लेख दिया है, मैं यह पूछना चाहूँगा कि इस प्रकार का स्टेटमेंट सरकार ने पहले क्यों नहीं मंगाया, उसका क्या कारण है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सन् ५८ का सर्क्युलर पड़ा है उसके अनुसार हो वह स्टेटमेंट बराबर मंगाया है। आप सन् ५८ के सक्युलर को पढ़ लीजिये।

श्री भैरोंसिंह : मैंने पढ़ लिया है और यह रहा। तो साथ में दूसरा सक्युलर निकालने की आवश्यकता क्यों हुई ? सक्युलर रिपीट इसलिये किया गया कि ५८ के सक्युलर की तामील नहीं हुई, यह स्पष्ट है।

श्री दामोदरलाल व्यास : सन् ५८ में लिखा है, उसमें और इसमें कितना फर्क है ? मैं दोनों को पढ़ कर सुना सकता हूं। पर यह सरकार का और सदन का, दोनों का समय नष्ट करना होगा। क्वार्टरली

(श्री दामोदरलाल व्यास)

इसमें है और वह मन्थली है। अपोइन्टमेंट्स डिपार्टटमेंट का प्रोविज़न नहीं था। अब डाइरेक्टली एक अलग ब्रान्च ही इसके लिये क्रिएट कर दी है जो इस बात की निगरानी रखेगी कि इस सक्युर्लर की खिलाफबाजी न हो।

श्री भैरोंसिंह : इस सक्युर्लर में और उसमें बहुत फर्क है।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह ठीक है जो आप फरमाते हैं। गवर्नमेंट के नोटिस में यह बात लाई गई कि इसका ब्रीच हो रहा है। इसीलिये तो दूसरा सक्युर्लर निकाला और निकाल कर फिर इसके लिये एक अलग ब्रान्च भी कायम की गई जो इसे देखे।

श्री उपाध्यक्ष : Whether you are making a statement on that adjournment motion ?

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जहां तक मेरा पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ किया हुआ है, वह पहले डिस्पोज़ ऑफ हो जावे।

श्री उपाध्यक्ष : I will just dispose it of as soon as the statement is made.

श्री भैरोंसिंह : यह टोपिक खत्म हो जावेगा।

श्री उपाध्यक्ष : Just; as it is finished, I will give my observations.

श्री दामोदरलाल व्यास : आज माननीय सदस्य ने एक स्थगन–प्रस्ताव....

श्री भैरोंसिंह : On a Point of Order Sir,

मैं यह निवेदन करना चाहूँगा....

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : माननीय मन्त्री का वक्तव्य खत्म होने के बाद क्लेरिफिकेशन होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : Yes, I understand it.

श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस स्थगन-प्रस्ताव का आप जिक्र कर रहे हैं उसके सम्बन्ध में इस सदन को पहले जानकारी होनी चाहिये कि वह स्थगन–प्रस्ताव क्या है ताकि जो मन्त्री महोदय कहें उस सम्बन्ध में माननीय सदस्य भी अपना कुछ मत बना सकें और उससे सदन को अवगत करा सकें।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : पहले क्लेरि--फिकेशन चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ने पहले दे दिया है, माननीय सदस्य शायद अवगत हैं।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा): On a point of informatian, Sir, your ruling was that the Hon'ble Minister will reply first, and if any body wants any clarification, he may ask for it as soon as the Hon'ble Minister finishes his statement.

श्री दामोदरलाल व्यास : I am not going to make a very long statement.

श्री पी० के० चौधरी : Not about this statement.

श्री उपाध्यक्ष : Well, you will reply to the debate on the P. S. C. Report and I will take the sense of the House If any Member wants a clarification he may rise and seek clarification.

यातायात की अपीलेट ऑथोरिटी सम्बन्धी स्थगन-प्रस्ताव

श्री श्रीभानसिंह(बयाना): On a Point of Order, Sir, इसमें ऐसा है कि जो एडजोर्नमेंट मोशन भैरोंसिंहजी ने दिया था, पहले तो उसमें यह निर्णय होना है कि वह रिजेक्ट किया गया या एक्सेप्ट हुआ। इसके बाद माननीय मन्त्री से कहना है कि स्टेटमेंट दें या क्या पोज़ीशन आती है।

श्री उपाध्यक्ष : Does he need any observation?

श्री श्रीभानसिंह : That position is not before the House. He does not know what the statement is being made about.

श्री दामोदरलाल व्यास(राजस्व मंत्री): What is the adjournment motion itself?

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर): मैं केवल इतना सा चाहता हूँ कि इस पर आपका ऑब्ज़र्वेशन तो बाद में दे दिया जावे, पर कम से कम सदन को अवगत कराया जावे कि एडजोर्नमेंट मोशन क्या है जिस पर माननीय मन्त्री महोदय का स्टेटमेंट हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य अगर चाहें तो, पढ़ कर सुना सकता हूं। I cannot allow a debate on the adjournment motion.

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): इसके बाद माननीय मन्त्री महोदय अपना स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं।

श्री श्रीभानसिंह : पर इससे भी पहले यह तो निर्णय करना पड़ेगा कि इस मोशन को चेयर स्वीकार करती है या अस्वीकार।

श्री उपाध्यक्ष : It has been rejected. Not being of public importance and not of urgent nature, it has been rejected, and in view thereof, he is making a statement. The adjournment motion reads as follows:

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): On a point of order, Sir, a motion which already rejected cannot be read before the House.

श्री दामोदरलाल व्यास : Therefore, on the resolution my...

श्री भैरोंसिंह : क्या यह समझा जावे कि आपने जो ऑब्जर्वेशन दिया था कि एडजोर्नमेंट मोशन को पढ़ कर सुनाना है तो वह केरी ऑउट नहीं होगा....

श्री उपाध्यक्ष : I feel that the point of order that has been raised

(श्री उपाध्याक्ष)

is a feasible one, and I would like to dispose the point of order.

श्री भैरोंसिंह : On a point of order, Sir, मैं यह जानना चाहूंगा कि एडजोर्नमेंट मोशन के लिए आपने सदन को नहीं बताया कि कौन सा एडजार्नमेंट मोशन रिजेक्ट कर दिया....

श्री उपाध्यक्ष : There can be no discussion about the adjournment motion.

श्री पी० के० चौधरी : On a point of order, Sir...

श्री उपाध्यक्ष : Order ! order please !! The various points of order now being raised in the House will consume the time of the House. If the House is serious to know about the adjournment motion, then the House may please allow some time to the Hon'ble Minister.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व): What is that point about which the statement is being given ?

मेजर श्री फतेहसिंह(भीम): What is the adjournment motion that has been rejected ?

श्री उपाध्यक्ष : The Hon'ble Minister will say something about the adjournment motion.

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में आज सुबह इस पर काफी बहस हो चुकी है और माननीय सदस्यों को मालूम है कि यह क्या है।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : मालूम नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपको मालूम नहीं होगा। सबको मालूम है। माननीय श्री भैरोंसिंहजी ने कहने में कमी नहीं रखी थी। फिर भी मैं बता देता हूं कि आपकी आपत्ति क्या है। मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूँ कि आपने जो आपत्ति की है वह यह है कि एक ट्रान्सपोर्ट की एपीलेट ऑथोरिटी है उसके अन्दर ३ मेम्बर्स हैं; एक तो चेयरमैन और दो सदस्य। चेयरमैन उसके हैं हमारे होम मिनिस्टर जो कि ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर भी हैं और बाकी के दो सदस्य हैं लीगल रिमेम्ब्रेन्सर और डाइरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट। इन तीन सदस्यों में से लीगल रिमेम्ब्रेन्सर के बजाय लॉ सेक्रेटरी उसमें बैठ गए और उसके ऊपर आपत्ति की गई और उसके ऊपर ही स्थगन-प्रस्ताव रखा गया है। उस एपीलेट ऑथोरिटी ने कुछ हियरिंग की। उसके बारे में सवाल यह है कि मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि असल में शुरू में जब यह एपीलेट ऑथोरिटी कॉन्स्टिट्यूट हुई उस समय लॉ सेक्रेटरी और लीगल रिमेम्ब्रेन्सर का ऑफिस एक ही व्यक्ति का था और जो आज मौजूदा लॉ सेक्रेटरी हैं वही लीगल रिमेम्ब्रेन्सर भी थे। उसके बाद में इस ऑफिस को सेपरेट कर दिया गया और लीगल रिमेम्ब्रेन्सर एक अलग व्यक्ति को नियुक्त किया गया। जिस तरह से पहले नोटिस आता था उसी तरह से अब की बार भी नोटिस इश्यू हो गया और जो अलग से लीगल रिमेम्ब्रेन्सर हैं

(श्री दामोदरलाल व्यास)

उनको नोटिस नहीं मिला और लॉ सेक्रेटरी गलतफहमी की वजह से मीटिंग में चले गए ; जब कि उनकी वेलीडिटी को चेलेन्ज किया गया कि अमुक सदस्य इसके मेम्बर नहीं हैं और इनके स्थान पर लीगल रिमेम्ब्रेन्सर बैठने चाहिए तो जो ऑब्जेक्शन था उसको ऑथोरिटी ने वेलिड समझा और उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं दिया ।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या यह समझा जाये कि जिस अपीलेट ऑथोरिटी ने हियरिंग की उसने कोई जजमेन्ट नहीं दिया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : It cannot be said, Sir.

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न यही है कि जिस इन्वेलिड ऑथोरिटी के सामने हियर किया है क्या वह इस प्रकार का जजमेन्ट नहीं देगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : एक कॉम्पीटेन्ट ऑथोरिटी जो भी है वह बनेगी और सुन कर निर्णय देगी ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : लॉ सेक्रेटरी का बैठना उस मीटिंग में लीगल नहीं था, क्या आप यह मानते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : I have already, said Sir.

श्री भैरोंसिंह : यही क्वेश्चन तो इम्पोर्टेन्ट है । सरकार जिस चीज़ को इन्वेलिड मानती है कि इनकॉम्पीटेन्ट ऑथोरिटी थी तो फिर उनको मीटिंग में बैठने ही क्यों दिया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अपीलेट ऑथोरिटी ने मुकदमें का फैसला करने से इन्कार कर दिया क्योंकि यह ऑब्जेक्शन सरकार ने इनवेलिड माना ।

श्री श्रीभानसिंह : आपने यह नहीं बताया कि जिस टाइम यह ऑब्जेक्शन किया गया तो लॉ सेक्रेटरी वहां से उठ कर चले गये थे या बैठे रहे और उनके चले जाने पर वही दो मेम्बर रहे थे, he continued to sit ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह शिकायत नहीं थी । लीगल रिमेम्ब्रेन्सर नहीं बैठे, शिकायत तो यह थी ।

श्री श्रीभानसिंह : जिस समय यह ऑब्जेक्शन उठाया गया तो अपीलेट ऑथोरिटी ने यह ऑब्जेक्शन वेलिड समझा । मैं यह जानना चाहता हूं कि जब ऑब्जेक्शन उठाया था तो आपके लॉ सेक्रेटरी उस मीटिंग में से चले गये थे या वहीं बैठे रहे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वे मौजूद थे । पर किसी प्रकार का फैसला अपीलेट ऑथोरिटी ने नहीं दिया ।

श्री श्रीभानसिंह : जब वे मेम्बर की हैसियत से मौजूद थे तो क्या सरकार यह समझती है कि जब ऑब्जेक्शन हो गया और उनकी नॉलेज में था कि वहां पर लीगल रिमेम्ब्रेन्सर बैठना चाहिए तो how far the proceedings conducted in this meeting are valid ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कोई प्रोसिडिंग्स कन्डक्ट नहीं हुई, कोई निर्णय नहीं दिया गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जब लीगल रिमेम्ब्रेन्सर को बैठना था तो, क्यों नहीं गये?

श्री दामोदरलाल व्यास : यही ऑफिसर जो लीगल रिमेम्ब्रेन्सर थे पहले वही आज लॉ सेक्रेटरी हैं। यह ऑफिस अब सेपरेट हुआ है और ऑर्डिनेरी कोर्स में इनको नोटिस गया और यह चले गये। इस बारीकी को किसी ने नहीं देखा कि अब ये लीगल रिमेम्ब्रेन्सर नहीं रहे और जब नोटिस में लाया गया तो immediately they took up the matter। और अपीलेट ऑथोरिटी ने कोई निर्णय नहीं दिया।

श्री भैरोंसिंह : १२ तारीख को इस अपीलेट ऑथोरिटी की मीटिंग हुई और ऑब्जेक्शन करने के बाद में हियरिंग चलती रही। पहला पॉइन्ट तो यह है कि १२ तारीख को आपने मीटिंग स्थगित नहीं की और १३ को हुई। इसमें लीगल कॉम्प्लीकेशन्स हैं। क्या किसी को भी नहीं मालूम था कि यह बात है जो वह नासमझी के कारण वहां जाकर बैठ गये?

श्री दामोदरलाल व्यास : लीगल कॉम्पलीकेशन्स नहीं हैं। He had a notice and in response to that notice he went and attended it as Secretary, Transport Authority. मैं कह रहा हूं नोटिस गलत इसलिए हो गया कि पहले दोनों ऑफिस एक ही था और यह गल्ती होना स्वाभाविक है। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात हो, ऐसी बात नहीं है, understand the background of this. He was Law Secretary as well as Legal Remembrancer. There could not be any ill-intentions about it.

श्री भैरोंसिंह : जो नोटिस इश्यू किया गया था क्या यह सही है कि नोटिस लीगल रिमेम्ब्रेन्सर के नाम से इश्यू किया गया था और लॉ सेक्रेटरी पहुँच गए।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप पहले फर्माते तो मैं सारा ऑफिस ही ले आता। मैंने हर एक नोटिस को नहीं देखा है।

श्री भैरोंसिंह : मेम्बर तो ३ ही हैं, कोई २० थोड़े ही हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : बाई नेम (by name) गया होगा।

श्री भैरोंसिंह : लीगल रिमेम्ब्रेन्सर के नाम से गया है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप तो सारा दफ्तर ही देख लेते हैं। आपको जानकारी ज्यादा रहती है या हमको....

श्री भैरोंसिंह : तभी तो आपकी मीटिंग को एडजोर्न कराया है।

राजस्थान जनसेवा आयोग के अष्टम् प्रतिवेदन सम्बन्धी अध्यक्षीय निर्णय

श्री उपाध्यक्ष : So far as the point of order raised by the Hon'ble Member regarding seeking the opinion of the Advocate-General with respect to the constitutionality and legality of the personnel of the P. S. C. is concerned, I feel that the point does

Page No.125

(श्री उपाध्यक्ष)

not come within the competence of this House. Moreso, as this House is seized only of the Report and consideration over it. I do not think it desirable to seek the opinion of the Advocate-General. As such the point of order raised by the Hon'ble member is not well taken.

We now adjourn for tomorrow at 11.00 A.M.

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही ४ बज कर ४६ मिनट पर दिनांक १५ सितम्बर, १९६० के म. पू. ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

———

संक्षिप्त-विवरण

(बुधवार, १४ सितम्बर, १६६०)

स्तम्भ		स्तम्भ
तारांकित प्रश्नों के शीर्षक	३६६१	

कुचामन सिटी नगरपालिका के अध्यक्ष के विरुद्ध पारित अविश्वास का प्रस्ताव ।

आयुर्वेद शिक्षण संस्थाओं के निरीक्षण हेतु गठित समिति ।

कम्पाउन्डर ट्रेनीज़ का पी०एन०-आर० सी० नर्सेज़ ट्रेनिंग में अनिवार्य गमन ।

राजपूताना आयुर्वेदिक युनानी तिब्बी कॉलेज, जयपुर द्वारा संचालित आयुर्वेद परीक्षा को अमान्यता ।

रतनगढ़ अस्पताल में मुफ्त मिलनेवाली दवाइयों की सूची ।

असिस्टेन्ट फिशरीज़ डेवलपमेंट ऑफिसर ।

लाल कोठी मोहल्ला (जयपुर) के लोगों को बसाने की योजना ।

सिंचाई से वंचित भूमि पर नहरी मतालबा ।

ग्राम जोगीवाला, तहसील भादरा के भूतपूर्व सरपंच श्री रामजीलाल द्वारा चिमनी भट्टों के वास्ते जमीन के पट्टे देने में अनियमितता ।

जयसमन्द की नहरों का पक्का निर्माण ।

सांगानेर पंचायत समिति के प्रधान ।

चूरू में आधुनिकतम ढंग के अस्पताल का निर्माण ।

कोटड़ा एवं गोगुन्दा ब्लॉक्स (उदयपुर) में स्वीकृत धन-राशि ।

जयसमन्द बन्ध की प्रोजेक्ट रूप में परिणति ।

तहसील नोहर में भाखरा से सिंचित भूमि ।

बस्ती के मध्य में स्थित आरा मशीनों का अन्यत्र स्थानान्तरण ।

स्कम्भ

बीकानेर के प्रमुख अस्पताल में वस्तुओं के अभाव की पूर्ति।

भूमि बंधक बैंक।

पंचायत समिति नादोती को अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के सहायतार्थ मिली धन-राशि।

प्राकृतिक चिकित्सा का विकास।

परोली (तहसील कोटड़ी) के समीप एक नाले का निर्माण।

कोटा नगरपालिका में मिलावट की जांच करने हेतु यन्त्र।

पंचायत समिति नादोती को ग्राम रास्तों के निर्माणार्थ मिली धन-राशि।

जयपुर शहर का योगिक स्वास्थ्य केन्द्र।

बापूनगर, जयपुर में के० जी० स्कूल के वास्ते निश्चित प्लॉट।

जिला भरतपुर में पंचायत समितियों द्वारा नियुक्त हरिजन।

किशनगढ़ में स्थित मेसर्स मैटल प्रोडेक्ट व ओ० बी० मैटल प्रेकिंग फैक्टरी।

स्कम्भ

राजस्थान फोरेस्ट कमेटी की रिपोर्ट पर कार्यवाही।

बापू नगर (जयपुर) के सेवाड़ क्षेत्र के गृहों का निर्माण।

(दिनांक १-९-६० का स्थगित प्रश्न।)

कृषि विभाग के मुकद्दमों का वेतन।

स्थगन प्रस्ताव ४०५८

ट्रान्सपोर्ट अपीलेट ऑथोरिटी से सम्बन्धित श्री भैरोंसिंह (१४) के स्थगन-प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति अध्यक्ष महोदय द्वारा नहीं दी गई।

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य ४०७६

आज निम्नांकित वक्तव्य सदन में दिये गये:—

मन्त्री का नाम	विषय
१. श्री दामोदर-लाल व्यास, राजस्व मंत्री	घग्घर नदी में बाढ़ आ जाने से हनुमानगढ़ शहर में हुई क्षति तथा

	उदयपुर जिले में वर्षा की कमी एवं उनसे उत्पन्न स्थिति।
२. श्री नाथूराम मिर्धा, कृषि मन्त्री	चुरू, सीकर व बीकानेर जिलों में टिड्डी दल से हुई हानि एवं उससे उत्पन्न स्थिति।
३. श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मन्त्री	ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटी से सम्बन्धित श्री भैरोंसिंह (१४) के स्थगन प्रस्ताव पर।

राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन तथा उस पर दिये गये मेमोरेन्डम पर विचार

श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मन्त्री ने निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत किया :-

"राजस्थान लोक सेवा आयोग के आठवें प्रतिवेदन (१ अप्रेल, १९५७ से ३१ मार्च, १९५८ तक) तथा उस पर दिये गये मेमोरेन्डम, जिनकी प्रतियां दिनांक २३ अगस्त, १९६० को सदन की मेज पर रखी गई थीं, को विचारार्थ लिया जाय।"

वाद-विवाद में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

(१) श्री रघुवीरसिंह
(२) श्री श्रीमानसिंह
(३) श्री मुरलीधर व्यास
(४) श्री पी० के० चौधरी
(५) श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
(६) श्री सोहनलाल भटनागर
(७) श्री भैरोंसिंह (१४)
(८) श्री महेन्द्रसिंह पंवार
(९) श्री आबिदअली
(१०) श्री अनूपसिंह

बहस का उत्तर श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मंत्री ने दिया।

सदन की बैठक ४ बज कर ४९ मिनट पर गुरुवार, दिनांक १५ सितम्बर, १९६० को प्रातः

Page No.129

स्कम्भ

११ बजे तक के लिए स्थगित की गई।

गुरुवार, दिनांक १५ सितम्बर, १९६०
की कार्य-सूची

(१) वित्तीय समितियों के प्रतिवेदनों का उपस्थापन।

स्कम्भ

(२) राजस्थान समाज शिक्षण बोर्ड विधेयक, १९५८ (विचारार्थ)।

(३) प्राथमिक पाठशालाओं के अध्यापकों के स्थानान्तरण एवं नियुक्तियों सम्बन्धी अशासकीय संकल्प।

———

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५४५ का उत्तर देखिये)

कार्यालय संचालक आयुर्वेदिक विभाग राजस्थान, अजमेर

क्रमांक: एफ ८।६०। केम्प जयपुर दिनांक १८–८–६०

श्री रजिस्ट्रार,
राजस्थान इण्डियन मेडिसिन्स बोर्ड
जयपुर।

विषय : राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालयों के निरीक्षण क्रम में।

प्रसंग : आपका पत्र सं० एफ १।६०। निरीक्षण ३७२३ दिनांक १७–८–६०।

उपर्युक्त विषय में प्रासंगिक पत्र के प्रत्युत्तर में लिखा जाता है कि बोर्ड के किसी भी निर्णय को राजकीय आयुर्वेदिक विभाग के अधीन चलने वाली समस्त संस्थाओं में तब तक मान्य नहीं समझा जा सकता जब तक कि ऐसी नीति विषयक की राजकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती। अत: राजकीय आज्ञा के बिना मैं इस प्रकार दोहरा निरीक्षण व व्यय के पक्ष में नहीं हूं, तद्नुसार सभी महाविद्यालयों को सूचना दे दी गई है। कृपया यह बतायें कि रजिस्ट्रेशन के लिए मान्य समस्त उपाधियों वाले महाविद्यालयों का आपने निरीक्षण क्या पूर्व में कर लिया है ? यदि हां, तो कहां २ का किया–सूचित करने का कष्ट करें; ताकि सरकार के सम्मुख उचित कार्यवाही के लिए प्रयत्न किया जा सके।

ह० संचालक
दिनांक १८–८–६०

प्रतिलिपि:—

१. प्रिन्सिपल, आयुर्वेद विश्व भारती, सरदारशहर
२. प्रिन्सिपल, आयुर्वेद महाविद्यालय, जयपुर। उदयपुर
३. प्रिन्सिपल, बिड़ला संस्कृत आयुर्वेद शाखा कॉलेज, पिलानी
४. प्रिन्सिपल, सनातन आयुर्वेदिक महाविद्यालय, बीकानेर

५. प्रिन्सिपल, परशुरामपुरिया आयुर्वेदिक महाविद्यालय, रतनगढ़

६. प्रिन्सिपल, हनुमान आयुर्वेदिक कॉलेज, रतनगढ़

को सूचनार्थ दी जाकर लिखा जाता है कि सम्बन्धित संस्था की पूर्व आज्ञा के अभाव में उल्लिखित प्रकार का निरीक्षण नहीं कराया जावे।

प्रतिलिपि धारा ४० राजस्थान देशीय चिकित्सा अधिनियम, सन् १९५३

४०. चिकित्सा संस्थाओं से सूचना मांगने की बोर्ड की शक्तिः—धारा ३८ और ३९ के प्रयोजनों के लिए किसी मेडिकल कार्पोरेशन परीक्षक निकाय या अन्य संस्था जो चाहे अनुसूची में सम्मिलित हो या नहीं अथवा सम्मिलित होने के इच्छुक हों या नहीं, का शासन करनेवाले निकाय या अन्य प्राधिकारियों से निम्नलिखित के लिये मांग करने की बोर्ड की शक्ति प्राप्त होगी :—

क. ऐसी रिपोर्ट, विवरण या अन्य सूचना जो बोर्ड चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या धात्री विद्या के विषय में उनमें दी जाने वाली शिक्षा की कुशलता का निर्णय करने में अपने को समर्थ बनाने के लिए चाहे, देना और

ख. इस सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा नियत किये गये किसी सदस्य को ऐसे कॉर्पोरेशन, निकाय या संस्था द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं के समय उपस्थित रहने में समर्थ बनाने के लिए सुविधायें प्रदान करना ।

———

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५४६ का उत्तर देखिए)

S.N.	Name of the Institution.	1957 Outdoor.	1957 Indoor	1958 Outdoor	1958 Indoor	1959 Outdoor	1959 Indoor
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	S. M. J.Hospital, Ratangarh.	18025	860	17341	1005	17673	1148
2.	S. R. B. Mahila Chikitsalaya, Ratangarh.	9773	1248	10559	1640	10532	1696
3.	Government Hospital, Sardarshahar.	13706	220	16173	344	16355	378
4.	Government Hospital, Sujangarh.	17946	221	23241	232	25573	278
5.	S. T. M. Hospital, Bidasar.	14617	385	12296	307	14356	386
6.	Government Hospital,Chapar.	9302	29	8635	53	8569	57
7.	Government Hospital,Dungargarh.	20644	—	22595	28	30239	251

परिशिष्ट

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Government Hospital, Rajgarh.	19574	378	22556	405	20322	399
9.	B. D. Hospital, Churu.	29191	341	25542	326	30018	408
10.	Government Hospital, Taranagar.	24651	235	24705	251	22428	224
11.	Government Dispensary, Rejaldesar,	13312	—	16710	—	19053	—
12.	Government Dispensary, Ratannagar.	4492	—	4946	—	4946*	—
13.	Government Dispensary, Momasar.	6120	31	5303	21	5010	18
14.	Government Dispensary, Sidhmukh.	4809	—	6695	—	6907	—
15.	Primary Health Centre, Parihara.	3197	—	3187	—	4213	—

*Last years repeated.

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५५५ का उत्तर देखिये)

श्री राजमल जैन प्रधान, पंचायत समिति,सांगानेर के विरुद्ध

आरोप–पत्र

आरोप नं० १ :—

कि श्री राजमल जैन ने उक्त पद पर कार्य करते हुए अक्टूबर सन् ५६ से फरवरी १६६० तक ५ महीनों के कुल ही दिनों का दैनिक भत्ता पंचायत समिति फण्ड से प्राप्त किया। इन दिनों में से पहली अक्टूबर सन् १६५६ को पंचायत समिति कायम भी नहीं हुई थी और ३१ जनवरी, सन् १६६० व १–२ फरवरी, सन् १६६० को श्री राजमल के घर पर विवाह था।

आरोप नं० २ :—

कि श्री राजमल जैन ने उक्त पद पर कार्य करते हुए साइकिल पर दिसम्बर २६, सन् १६५६ को १०० माइल व दिसम्बर ३०, सन् १६५६ को ११५ माइल सफर कर माइलेज प्राप्त किया जब कि साइकिल पर इतनी सफर नहीं हो सकती और न की।

आरोप नं० ३ :—

कि श्री राजमल जैन ने उक्त पद पर कार्य करते हुए पंचायत समिति को नया पद बनाने का अधिकार नहीं होते हुए श्री मोहनलाल शर्मा को ७ मार्च, १६६० को वर्कचार्ज के तौर पर ता० १–१२–५६ से ५०) रु० माहवार पर नियुक्त किया और वेतन का १५०) रु० एक साथ ता० ६ मार्च, १६६० को श्री मोहनलाल की रसीद करवा कर स्वयं ने प्राप्त किया।

आरोप नं० ४ :—

कि श्री राजमल जैन ने उक्त पद पर कार्य करते हुए पंचायत समिति के सदस्यों को कृषि मेला देखने के लिए ले जाने को दिसम्बर, १६५६ में बस किराये की जब कि यह कर्त्तव्य विकास अधिकारी का था और १,०३५) रु० बस मालिक को चुकारा करने का आदेश दिया। यह सौदा न्याययुक्त नहीं था।

आरोप नं० ५ :—

कि श्री राजमल जैन ने उक्त पद पर कार्य करते हुए धारा २५ (ब) राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम, १६५६ की अवहेलना कर पंचायत समिति

में दिन प्रतिदिन होने वाले कामों में हस्तक्षेप किया। उदाहरण के लिए:—

(१) विकास अधिकारी को डाक स्वयं की उपस्थिति में खोलने के लिए आदेश दिये।

(२) पोस्ट मास्टर को विकास अधिकारी के मकान पर डाक नहीं भेजने का पत्र लिखा।

(३) पंचायत समिति की जीप के ड्राइवर को यह आदेश दिया कि प्रधान अथवा चेयरमैन प्रशासन स्थाई समिति के आदेश के बिना जीप काम में नहीं लाई जावे।

(४) पंचायत समिति के केशियर को यह हिदायत दी कि विकास अधिकारी को उनका वेतन व भत्ता नहीं दिया जावे।

(५) श्री बृजमोहन, अकाउन्टेन्ट का स्थानान्तर स्वयं की सम्मति से जिला कर्मचारी-गण समिति द्वारा चाकसू किया गया। किन्तु उसको स्थानान्तर पर नहीं जाने का आदेश दिया।

आरोप नं० ५ :—

कि श्री राजमल जैन ने उक्त पद पर कार्य करते हुए प्रशासन स्थाई समिति को प्रेरणा देकर विकास अधिकारी के विरुद्ध प्रस्ताव पारित कराये। धारा ८० (३) राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९५९ के अन्तर्गत उपनियम राज्य द्वारा स्वीकृत नहीं होने से प्रशासन स्थाई समिति के सभी प्रस्ताव अवैध हैं।

आरोप नं० ६ :—

कि श्री राजमल जैन ने उक्त पद पर कार्य करते हुए पंचायत समिति के कर्मचारीगण के विरुद्ध एक अद्भुत रवैया अख्तियार किया कि पहले तो उनके विरुद्ध उनके उच्च अधिकारियों को शिकायतें की जातीं और बाद में उनके हक में प्रतिवेदन भेजे जाते। ऐसा केवल कर्मचारियों को धमकी देने के निमित्त किया जाता रहा।

आरोप नं० ७ : -

कि श्री राजमल जैन ने उक्त पद पर कार्य करते हुए खादी हुन्डी बिक्री की किन्तु बिक्री की रकम १,३४४) रु० केन्द्रीय सर्वोदय सहकारी समिति लि० में जमा नहीं कराई।

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५५७ का उत्तर देखिये)

उदयपुर जिले के कोटड़ा एवं गोगुन्दा ब्लॉकों में सन् ५८-६० तक निम्नांकित कार्यों के लिए स्वीकृत रकम की सूची

क्र० सं०	ब्लॉक का नाम	नाम कार्य	स्वीकृत रकम्
१	२	३	४
१.	गोगुन्दा	१. सानेटी का कुंआ	५००)
		२. बावड़ी को कुंए में परिणित	६००)
		३. अधूरा कुंआ	५००)
		४. ,, ,,	५००)
		५. खुरा बंधाने	५००)
		६. ,, ,,	८००)
		७. कुंआ	६५०)
		८. बावड़ी को कुंए में परिणित	५००)
		९. स्कूल भवन	१०००)
		१०. जरगा कुंआ	२०००)
		११. खुरा बांधने	१०००)
		१२. कुंआ बनावाने हेतु	५००)
		१३. स्कूल भवन निर्माण	१०००)
		१४. देवात की तलाई	३५०)
		१५. बावड़ी को कुंए में परिणित	५००)
		१६. ,, ,, ,, ,, ,,	५००)
		१७. स्कूल भवन	१०००)

१	२	३	४
		१८. हाथिया तलाई की मरम्मत	१०००)
		१९. सेनवाड़ा का खुर्रा बंधाने	३००)
		२०. सेनवाड़ा स्कूल भवन	१०००)
		२१. बावड़ी को कुंए में परिणित	२००)
		२२. ,, ,, ,, ,,	५००)
		२३. स्कूल भवन —	१०००)
		२४. बावड़ी को कुंए में परिणित	४००)
		२५. कुंआ	५००)
		२६. बावड़ी को कुंए में परिणित	६००)
		२७. तरपाल से नान्देशना सड़क मरम्मत	३००)
		२८. स्कूल भवन	१०००)
		२९. ,, ,,	१००)
		३०. खुरा बंधाने	१०००)
		३१. बावड़ी को कुंए में परिणित	५००)
		३२. अध्यापक भवन	२५००)
		३३. गिरगड़ी लगाने	३००)
		३४. ,, ,, ,,	३००)
		३५. कुण्डों का नाका गिरगड़ी	४००)
		३६. स्कूल भवन	१०००)
		३७. राणा का तालाब	१५००)
		३८. जुआ के नाले की मरम्मत	४००)
		३९. खटीकों के कुंए	८००)
		४०. बावड़ी को कुंए में परिणत	८००)

१	२	३	
		४१. स्कूल भवन	१०००)
		४२. ,, ,,	१०००)
		४३. ,, ,,	१०००)
		४४. ,, ,,	६६६)
		४५. ,, ,,	१०००)
		कुल योग	३३,७९५)
२.	कोटड़ा	१. कर्मचारीगण	१२०४६६)
		२. कृषि विस्तार	२६१७२)
		३. सिंचन	२५३००)
		४. स्वास्थ्य व ग्राम स्वच्छता	५०१००)
		५. शिक्षा	२७५०५)
		६. सामाजिक शिक्षा	२३८८०)
		७. संचार	२२२००)
		८. ग्राम्य कला	१४३४०)
		९. गृह व्यवस्था	२४०००)
		१०. सहकारिता	१०१०)
		११. समाज कल्याण	२७८५५)
		१२. भवनों का संधारण	५०)
		१३. भू-राजस्व अंश	५५१२)
		१४. ऋण	२०७९००)

परिशिष्ट ५

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५६० का उत्तर देखिये)

१.	श्री	मूलचन्द राधेलाल, रास्ता खूंटेटान	१० एच० पी०
२.	,,	मंगतराम मांगीलाल, नोहरा रावजी नीन्दड़, सड़क तोपखाना	७५ ,,
३.	,,	जगन्नाथ, रामधन, मोरीलाल, रास्ता रावजी नीन्दड़	१५ ,,
४.	,,	कपूरचन्द माणकचन्द चौ० मोदीखाना, नोहरा ठाकुर बोराज	
५.	,,	मैसर्स बच्चामल सेठमल, अजमेरी रोड, सरस्वती मार्ग	५ ,,
६.	,,	लक्ष्मीनारायण पुत्र लादूराम व श्रीराम पुत्र हरबक्स जगर हाउस।	१० ,,
७.	,,	शिवदासजी नानाजी अजमेरी रोड, कॉफी हाउस	१० ,,
८.	,,	नाथूलाल पुत्र भूरामल बाग पुरोहितजी गोपीनाथजी	१० ,,
९.	,,	कानजी रामवीर, जोबनेर का बाग, स्टेशन रोड	१० ,,

———

परिशिष्ट ६

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५६१ का उत्तर देखिये)

STATEMENT OF ITEMS OF REQUIREMENT IN THE ASSOCIATED GROUP OF HOSPITATS, BIKANER.

S. No.	Name of item.	Estimated Cost.
1	2	3
1.	Replacement of old D. C. Fans in P. B. M. Womens Hospital.	75,000/-
2.	One Standby Generating Set (Elec.) for Operation Theatres.	20,000/-
3.	Separate Feeder Line for Group of Hospitals.	24,346/-
4.	Installation of a Private Exchange in the Hospitals	25,000/-
5.	Electric Laundry	25,000/-
6.	Installation of Tomographic attachment to one of the diagnostic sets in X-Ray Deptt.	18,500/-
7.	Air conditioning Plant for Operation Theatres	75,000/-
8.	Additional equipment for Orthopaedic Deptt.'	12,000/-
9.	Replenishment of and bringing upto date heavy equipment and specialised surgical instruments	50,000/-
10.	Rain Water Storage Tank	10,000/-
11.	Aeration Tank with septic plant	10,520/-

परिशिष्ट ७

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५६३ का उत्तर देखिये)

पंचायत समिति नादोती में सहायतार्थ बांटी गई धन राशि की सूची

क्र० सं०	व्यक्ति का नाम	रकम
१	२	३
१.	शंकरलाल पुत्र नोदाराम मीना	२००)
२.	किशल्यो पुत्र पांचां मीना	२००)
३.	रामफूल पुत्र मंगला मीना	२००)
४.	जैलाल पुत्र बुद्धा मीना	२००)
५.	हजारी पुत्र फूत्ल्या मीना	२००)
६.	गोरी पुत्र अर्जुन मीना	२००)
७.	हट्टी पुत्र मोहनलाल मीना	२००)
८.	सावलियाराम पुत्र मोहनलाल मीना	२००)
९.	सावलिया पुत्र सोना मीना	२००)
१०.	हरगोविन्द पुत्र पंडा मीना	१००)
११.	चिरंजी पुत्र मिश्रा मीना	२००)
१२.	परसराम पुत्र ग्यारसीलाल मीना	२००)
१३.	गंगासहाय पुत्र श्री भरोसी	२००)
१४.	रामफूल पुत्र मोजीराम मीना	२५०)
१५.	चिरन्जी पुत्र भैंरू मीना	२५०)

१	२	३
१६.	हरिजनों का कुंआ	१५०)
१७.	जैला पुत्र रामचन्द्र मीना	२५०)
१८.	लच्छी पुत्र भोला मीना	५००)
१९.	मदन पुत्र रामनारायण मीना	२००)

———

परिशिष्ट ८

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५७० का उत्तर देखिए)

जिला भरतपुर में पंचायत समितियों द्वारा नियुक्त किए गये व्यक्तियों की सूची

क्र० सं०	पंचायत समिति का नाम	नियुक्त किए गए व्यक्तियों की संख्या	स्थान जिन पर हरिजन उम्मीदवार नियुक्त किये गए	विशेष विवरण
१	२	३	४	५
१	वाडी	४	–	२ अध्यापक पिछड़ी जाती के नियुक्त किए गये.
२	धौलपुर	३	१ अध्यापक	
३	वैर	२१	–	
४	बसेड़ी	७	–	७ अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति नियुक्त किये गये।
५	रूपवास	३६	३ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी २ अध्यापक १ निम्न लिपिक	१ पिछड़ी जाति का व्यक्ति नियुक्त किया गया।
६	राजाखेड़ा	१५	–	
७	नगर पहाड़ी	२०	१ अध्यापक १ लिपिक	
८	डीग	२२	१ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	
९	कुम्भेर	१	–	
१०	कामां	–	–	

१	२	३	४	५
११	बयाना	४	—	
१२	नदवई			
१३	सेवर			

नोट:—नदवई व सेवर पंचायत समितियों से सूचना प्राप्त नहीं हुई ।

४२६५

परिशिष्ट ६

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५७२ का उत्तर देखिए)

लिस्ट (क)

राजस्थान वन समिति राज्य सरकार द्वारा राज्यादेश संख्या डो. १२४४३। एफ० १५ (१६३) राजस्व (क) ५८ दिनांक १ जून, सन् १६५८ द्वारा गठित की गई थी, सन् १६५७ में नहीं। वन समिति ने निम्नलिखित स्थानों पर बैठक व परिभ्रमण किये:—

प्रथम बैठक	कोटा	दिनांक ६ से ८ अक्टूबर, सन् १६५८ तक
द्वितीय बैठक	जयपुर	दिनांक ४ व ५ नवम्बर, सन् १६५८ तक
तृतीय बैठक	भीलवाड़ा	दिनांक ६ मार्च ,सन् १६५६ को
चतुर्थ बैठक	कोटा, बारां, किशनगंज, भंवरगढ़ व शाहबाद	दिनांक १३ मार्च से १५ मार्च १६५६ तक
पंचम बैठक	आबूरोड, कोटड़ा, खैरवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तोड़गढ़	दिनांक २ अप्रेल से ६ अप्रेल, सन् १६५६ तक
षष्टम बैठक	जयपुर	दिनांक १८ अप्रेल, सन् १६५६ को
सप्तम बैठक	जयपुर	दिनांक २४ अप्रेल, सन् १६५६ को
अष्ठम बैठक	जयपुर	दिनांक २६ व ३० अप्रेल, सन् १६५६ को
नवम बैठक	अजमेर	दिनांक १८–१६ जून, सन् १६५६ को

उपरोक्त बैठकों के अतिरिक्त स्थानीय निरीक्षण कोटा, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा व चित्तौडगढ़ जिलों में किये गये।

———

लिस्ट (ख)

स्थल	तिथि	नाम प्रार्थी	ज्ञापन जो वन समिति को प्रस्तुत किये गये। ज्ञापन का संक्षिप्त विवरण
१	२	३	४
बांरा	१४-३-५६	सर्वदलीय शिष्ट मण्डल के प्रतिनिधि देवीदत्त गाडिया, मंत्री जनसंघ।	जंगलात का सम्बन्ध ग्राम पंचायत से कर दिया जावे।
आबूरोड़	२-४-५६	धरया ओदाजी ग्राम जोरिया ओर से गांव जवाई व अचलगढ़ (४ प्रार्थना—पत्र)	बाबत गांवों को अरक्षित वन बनाने से रोका जावे
,,	७-४-५६	काश्तकारान ग्राम परगना स्थाई।	शिकायत कवाड़ा ईंट पकाने को लकड़ी जागीरवालों को परमिट दिये जाते हैं उनको नहीं एक सा अमल है।
,,	२-४-५६	जोगियाना मावस तालुका आबूरोड।	बांस, रॉयल्टी देने के वास्ते।
,,	२-४-५६	देसवाड़ा व गोवा गांव गांव व भीलवाड़ा	शिकायत चरागाह को आर. एफ. बताने की प्लान्टेशन।
सिरोही	३०-३-५६	कालंदी कांग्रेस पंचायत देवाचंद	लकड़ी पास की, कठिनाइयां काश्त के नाम पर बीड़ों को साफ नहीं कराया जावे। ठेकेदारी प्रथा खत्म की जावे व भील व ग्रामवासियों को काटने की इजाजत दी जावे। रॉयल्टी पर जोड़ समस्त सरकार ले ले मुर्दे आदि की लकड़ी का इन्तजाम हो।

Page No.148

१	२	३	४
आबूरोड	२-४-५६	अब्दुलगनी हाजी अली-मोहम्मद आबूरोड ।	लकड़ी के परमिट रॉयल्टी पर देने के लिए
कोटड़ा	२-४-५६	कोटडा जनता	शिकायत डिमार्केशन-लाइन विज्ञप्ति सन् ५५ के विषय में तकलीफ-ठेकेदारी प्रथा खत्म कर सोसाइटी को ठेके दिये जावें ।
कोटड़ा	२-४-५६	मगनलाल डालचंद पुरविया कोटड़ा छावनी	१,००० घन फीट लकड़ी रॉयल्टी पर देने हेतु वास्ते बारू मशीन
,,	,,	भूरीलाल वल्द गंगराम मालवां का थोरा तहसील कोटड़ा ।	,,
सेरवाड़ा		समस्त काश्तकार तह० सेरवांडा तथा सराड़ा	जंगल के कबाड़े का टैक्स काश्तकारों से हटाया जावे ।
डूंगरपुर	४-४-५६	भोगीलाल पांड्या, जिला कांग्रेस कमेटी, डूंगरपुर	आदिवासियों को जंगल की सुविधाएं प्रदान करने हेतु कुछ सुझाव दिये गये हैं ।
,,	,,	समस्त जनता आदिवासी काश्तकारान, निवासी दरिवाटी मांडल व सड़ियाला तहसील सागवाडा ।	बाबत सामूहिक काश्त करने की इजाजत
प्रतापगढ़	६-४-५६	प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, प्रतापगढ़ ।	काश्तकारों की रियायत उसी को मिलना चाहिए जिस पर बैल जोड़ी

१	२	३	४
			इसी प्रकार उन्हीं आदिवासियों को गावाई जंगल की रक्षा का पूरा अधिकार दिया जावे, भेड़ बकरियों के लिए आधा बीघा जमीन चराई में बढ़ाया जावे।
प्रतापगढ़	६-४-५६	भारतीय जनसंघ, प्रतापगढ़ जरिए भैरूंलाल नरसिंहपुरा	ठेकेदारी प्रथा समाप्त होनी चाहिए जंगल के कुंपों में आदिवासियों को लकड़ी काटने की छूट देनी चाहिये तथा काश्तकारों को लकड़ी मिलनी चाहिये।
,,			
,,	१२-२-५६	प्रतापगढ़ के सुनार लोहार व न्यारगर।	लकड़ी के सूखे खेर में धमला कस्बा में सप्लाई चाहने हेतु।
,,	५-४-५६	पंचान आधा प्रतापगढ़	खुले जंगल से बांस की छड़ी कटवा कर हस्ब कायदा महसूल वसूल कर लाने की इजाजत चाहने हेतु।
चित्तौड़गढ़	६-४-५६	समस्त खेरियान चित्तौड़गढ़ जिला।	सांड़ों की चराई कम की जाये।
देसूरी	१८-४-५६	बंसीलाल सरपंच साकी	कुछ सुझाव जंगलों की चराई आदि के विषय में।
खानपुर		भैरवलाल 'काला बादल' एम० एल० ए०	जंगलों का उत्पादन बढ़ाने हेतु कुछ सुझाव तथा कर्मचारियों को समय समय पर चेक करना चाहिये।
सिरोही	२८-४-५६	रविशंकर याज्ञिक, सरपंच	काश्तकारों को जलाना-लकड़ी कबाड़ा

१	२	३	४
		तहसील पीडवाड़ा अध्यक्ष मण्डल, कांग्रेस, रोधडा।	लकड़ी आदि का हक नि:शुल्क दिया जावे।
बड़ी सादड़ी	१५-४-५६	प्रार्थना पत्र रंगलाल, पंच, बड़ी सादडी	सादड़ी की छाल मिलना बिल्कुल बंद है और दूसरी छालों पर आयोक्त का प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है।
जोधपुर	१३-६-५६	गणेशराम, मंत्री ,पशु पालन संघ, विष्णु भवन उदे मंदिर जोधपुर।	ऊंट की चराई कम की जावे।
राजपुर	१४-३-५६	ग्राम पंचायत, राजपुर	लाइन डिमार्केशन के सम्बन्ध में।
अजमेर	६-७-५६	गणेशराम पुत्र पाबूदान राइका नि० बगड़ी, जि० पाली मंत्री, पशु पालक संघ, जोधपुर।	ऊंट की चराई कम करने का स्मरण पत्र

परिशिष्ट १०

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५२६ का उत्तर देखिये)

क्रम संख्या	नाम जिला	नाम भूमि बंधक बैंक	दिनांक रजिस्ट्रेशन	ऋण देने का विवरण तादाद किसान	सन्	ऋण जो दिया	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८
१	अजमेर	अजमेर सहकारी भूमि बंधक बैंक लिमिटेड, अजमेर	८—६—१९२४	—	—	—	
२	अजमेर	ब्यावर सहकारी भूमि बंधक बैंक लिमिटेड, ब्यावर	२६-५-१९२८	१३	१९६०	२५-५५०	
३	अजमेर	केकड़ी सहकारी भूमि बंधक बैंक लिमिटेड, केकड़ी	१८-११-१९५७	२२	,,	३२-३००	

परिशिष्ट

१	२	३	४		६	
४	जयपुर	जयपुर प्राथमिक सहकारी भूमि बंधक बैंक लिमिटेड, जयपुर	२५।३०-१२-५६	८	??	६,५००
५	अलवर	अलवर प्राथमिक सहकारी भूमि बंधक बैंक लिमिटेड, अलवर	२४-१२-१९५६	—	—	—
६	भरतपुर	भरतपुर प्राथमिक सहकारी भूमि बंधक बैंक लिमिटेड, भरतपुर	२०—१-१९६०	—	—	—
७	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर प्राथमिक सहकारी भूमि बंधक बैंक लिमिटेड, सवाई माधोपुर	२०-११-१९६०	—	—	—
८	टोंक	टोंक प्राथमिक सहकारी भूमि बंधक बैंक लिमिटेड, टोंक	११—१-१९६०	—	—	—

परिशिष्ट

१	२	३	४	५	६	७	८
६	पाली	पाली प्राथमिक सहकारी भूमि बंधक बैंक लिमिटेड, पाली	२–१–१६६०	१	१६६०	४,०००	
१०	उदयपुर	उदयपुर प्राथमिक सहकारी भूमि बंधक बैंक लिमिटेड, उदयपुर	३ ६–१६६०	११ २	,,	१२,८१० १,१६५	
११	गंगानगर	गंगानगर प्राथमिक सहकारी भूमि बंधक बैंक लिमिटेड, गंगानगर	२७–१२–१६५६	—	—	—	
१२	गंगानगर	रायसिंहनगर प्राथमिक सहकारी भूमि बंधक बैंक लिमिटेड, रायसिंहनगर	१३–७–१६५६	—	—	—	
१३	कोटा	कोटा सहकारी भूमि बंधक बैंक लिमिटेड, कोटा	३१–१२–१६५६	—	—	—	

परिशिष्ट

१	२	३	४	५	६	७	८
१४	कोटा	बांरा सहकारी भूमि बंधक बैंक लिमिटेड बांरा	६–१२–१९५६	५४	१९६०	१,१०,६५०	
१५	जोधपुर	बिलाड़ा प्राथमिक सहकारी भूमि बंधक बैंक लिमिटेड, बिलाड़ा	२१—६–१९५६	—	—	—	
१६	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा प्राथमिक सहकारी भूमि बंधक बैंक लिमिटेड, भीलवाड़ा	१७ २–१९६०	—	—	—	
१७	सिरोही	सिरोही सहकारी भूमि बंधक बैंक लिमिटेड, सिरोही	१५–१२–१९५६	—	—	—	
१८	जालोर	जालोर प्राथमिक सहकारी भूमि बंधक बैंक लिमिटेड, जालोर		—	—	—	

परिशिष्ट

१	२	३	४	५	६	७	८
१६	चुरू	चुरू प्राथमिक सहकारी भूमि बंधक बैंक लिमिटेड, चुरू	२४—६—१९६०	—	—	—	
		योग :—		१११		१,९५,९७५	

परिशिष्ट ११

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५७३ का उत्तर देखिये)

COPY OF THE ORDER OF APPROVAL OF LAY OUT PLAN OF SEWAR AREA

The land has been declared to be the personal property of the Jagirdar by highest court of Revenue. Hence permit cannot be refused.

sd/-Heera Chand.
L. A.
Municipal Council, Jaipur.
25-7-58

M. C.

Orders are requested to deal constructions plans of Thakur Sahib Sewar's accordingly as per L. A's note above.

Sd/-B. K. Kripalani
25-7-58
Municipal Engineer
Municipal Council Jaipur.

Yes.

Sd/-Ramdutta Sharma,
Municipal Council, Jaipur.

शुद्धि-पत्र

(बुधवार, १४ सितम्बर, १९६०)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
३९९८	अन्तिम से ८	इ स डेपूटेशन-काल	इस डेप्युटेशन-काल
३९९९	शीर्ष	डॉ० बहादुरसिंह	श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता
४००६	अन्तिम से ३	से वचित	से वंचित
४००९	२१	दो तीन-दिन	दो-तीन दिन
४०१०	,,	निमण	निर्माण
४०१६	१५	रहे है।	रहे हैं।
४०२३	२४	फ.ड्सस नहीं	फण्ड्स नहीं
४०२८	१८	सकते है	सकते हैं
,,	१९-२०	चिकित्स कों	चिकित्सकों
४०३८	१७	श्री सतीशचन्द्र	५९९. श्री सतीशचन्द्र
४०४४	११	been pormitted	been permitted
,,	२७	now stpoped	now stopped
४०४६	२	improveements	improvements
४०४७	२३	कसन्ट्रक्शन के लिये परर्मिशन	कन्सट्रक्शन के लिये पर्मिशन
४०४८	३	हा क्या	हो क्या
,,	२६	सकड़ों के	सड़कों के
४०५०	शीर्षक	नगरपालिका विधेयक	तारांकित प्रश्नोत्तर
,,	अन्तिम	श्री दौलतमरा	श्री दौलतराम
४०५७	शीर्षक	५७	४०५७
४०५८	१३	परिशिष्ट ९	परिशिष्ट १०
४०५९	२५	ब्लेण्डर हुआ	ब्लण्डर हुआ
४०६०	२२	दी जायेयी	दी जायेगी
,,	२४	व्यास र	व्यास (राजस्व मन्त्री)
४०६४	११	कर सकें	कर सके
४०७४	२	खोलने वाला	सोलने वाला
४०८४	अन्तिम से ३	बड़ी बड़ी हो गई	भी बड़ी हो गई
४०८६	११	राजथान जन-सेवा	राजस्थान जन-सेवा
४०९१	१४	टेम्पोरोरी	टेम्पोरेरी
४०९४	२९	डिस्कस नहीं	डिस्कस नहीं
४०९८	४	demand that	demand the
४१००	अन्तिम	becaue of	because of

१	२	३	४
४१०१	अन्तिम	called hiem	called them
४१०२	प्रथम	Dose entries	door entries
४१०६	,,	स्पष्टीकरण कर	स्पष्टीकरण
४११६	१३	समय-समापप्ति	समय-समाप्ति
,,	१४	वे अलग	वे अलग
४१२०	अन्तिम से ४	उस है	है उस
४१२२	६	आर० ए० एसी०	आर० एस० एस०
४१२६	अन्तिम से ३	रिक्तूमेंट	रिक्रूटमेंट
४१३३	,, ,,	रिटायर । हुए	रिटायर हुए ।
४१५०	शीर्षक	पर विचाप	पर विचार
,,	७	पाननीय	माननीय
४१५१	१४	स्थान पब्लिक	स्थान पब्लिक
,,	२०	वाइवा-वोसे	वाइवा-वोसे
४१५४	१६	वाइवा-वोइसे	वाइवा-वोसे
४१५६	शीर्षक	प्रतिवेदनप र	प्रतिवेदन पर
,,	२७	अरौजानकार	और जानकारी
४१५८	२६	पेराप्राफ	पेराग्राफ
४१६५	८	ऐसे एम्प्लामेन्ट	ऐसे एम्प्लॉयमेंट
४१६८	७	है ।' कि	है कि
४१७४	१६-२०	(पंवार:अश्रव्य बांधाएं)	पंवार :(अश्रव्य) (बाधाएं)
४१८५	अन्तिम से ५	में वह	मैं यह
४१८८	शीर्षक	प्रतिवेयन पर	प्रतिवेदन पर
४१६७	प्रथम	रीक्रूटमेएट	रिक्रूटमेंट
४२०३	३	सर्विसज़	सर्विसेज़
,,	२०	मना है	माना है
४२०४	३	सर्विसज़	सर्विसेज़
,,	२३	पर उस पोस्ट	उस पोस्ट पर
,,	अन्तिम से ४	ढिलाई पड़गी	ढिलाई पड़ेगी
४२१५	२१-२२	इन्टरटशन्स डिस्टरवेन्स	इन्टरप्शन्स डिस्टर्बेंस
४२२२	१०	श्री चन्दमल	श्री चन्दनमल
,,	अन्तिम से ः	ब्यूटेबल	सूटेबल
४२२४	२०	उसको भी	उनको भी
,,	अन्तिम	लिया जावें;	लिया जावे,

१	२	३	४
४२२८	८	inforamation	information,
४२३१	शीर्षक	तारांकित प्रश्नोत्तर	प्रतिवेदन पर विचार,
४२३२	अन्तिम से ५	आब्जर्वेशन	ऑब्जर्वेशन
४२४५	शीर्षक	४४२५	४२४५
,,	८	मे हुई	से हुई
,,	१७ के सामने	आयोग	आयोग ४०८५
४२६०	१	नारांकित	तारांकित
,,	३	HOSPITATS	HOSPITALS

अनुपूरक शुद्धि-पत्र

क्रम संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
४०४२	७	श्री सतीशचन्द्र अग्रावाल	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
४०४५	शीर्ष	(श्री सम्तराम)	(श्री सम्पतराम)
४१०७	,,	(श्री सुरलीधर व्यास)	(श्री मुरलीधर व्यास)
४१४२	शीर्षक	प्रतिवेपन पर	प्रतिवेदन पर
४२३१	,,	तारांकित प्रश्नोत्तर	प्रतिवेदन पर विचार
४२३३	,,	(श्री उपाध्याद्द)	(श्री उपाध्याय)